राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या : 5

गुरुवार,

01 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11: 00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री परसराम मदेरणा,अध्यक्ष,पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : बात नहीं । प्रश्न । श्री भगवान सहाय सैनी, श्री जगमाल सिंह यादव ।

नगर निगम, जयपुर का अनियमितता प्रकरण

100. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन विभाग को नगर निगम, जयपुर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायतें मिलने के बाद उक्त विभाग ने कार्यवाही शुरू कर कुछ पत्रावलियां अपने कब्जे में ली हैं ?

(3) उक्त शिकायतों की अब तक की जांच में कितनी अनियमितता एवं गैर कानूनी कार्यों का पता लगा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री(श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी हां ।

(2)शिकायतें प्राप्त होने के बाद कुछ संबंधित पत्रावलियां नगर निगम, जयपुर से प्राप्त की गई हैं।

(3) जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। नगर निगम से शेष वांछित पत्रावलियां प्राप्त की जा रही हैं तथा शिकायतों पर निगम की टिप्पणियां भी मांगी जा रही हैं। उसके प्राप्त होने पर ही परीक्षणोपरांत सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अनियमितताएं किस प्रकार की हैं। जांच के निष्कर्षो के पश्चात दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मूल प्रश्नकर्ता को तो पूछने दें ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं हूं न मूल प्रश्नकर्ता । अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट अप्रेल के महत्व को स्वायत्त शासन मंत्री ने ऐतिहासिक रूप से निभाया है कि फर्स्ट अप्रेल को, 1 अप्रेल को अगर कोई व्यक्ति +++ बोल जाए तो बुरा नहीं माना जाता। तो क्या आपने फर्स्ट अप्रेल की परम्परा को बखूबी निभाया है। अध्यक्ष महोदय, तीन महीने से छापे की कार्यवाही हो रही है और तीन महीने बाद राजस्थान के आम आदमी को

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

यह पता लग गया कि जयपुर नगर निगम में क्या– क्या अनियमितताएं हुई हैं, प्रेस में भी छप गया । और मैंने पूछा, क्या शिकायतें प्राप्त हुई, आपने कहा–हां । दूसरे में कहा कि शिकायतें मिलने के बाद कुछ पत्रावलियां जब्त की गई, उसमें भी आपने कह दिया कि, हां । और तीसरे में आपने कहा कि अभी तक कोई जांच पूरी नहीं हुई है, जांच की जा रही है, नगर निगम से टिप्पणी मांगी जा रही है और जो दोषी होगा, जो रिपोर्ट आयेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे। चलो आपने नहीं बताया, मैं आपके प्रश्न की मार्फत आपको सूचित भी कर दूं और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ लूं । मेरे पाइंटेड क्वेश्चन हैं अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी तक भूमिका ही बन रही थी क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अभी तो बोलना ही चालू नहीं किया अभी तो मैंने धन्यवाद दिया है कि फर्स्ट अप्रेल को बखूबी निभाया है। मैं पाइंटेड प्रश्न पूछता हूं....

एक माननीय सदस्य : पाइंटेड रिप्लाई भी मिलेगा आपको ।

श्री जगमाल सिंह यादव : ऐसे कितने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे जिनके घरों पर, डेली वेजेज पर, नगर निगम में नियुक्तियां दी ?

श्री खेत सिंह राठौड़ : शेम ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं है तो ना में मना कर दें । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : पाइंटेड है...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : जगमाल सिंह जी, आप भी एक अप्रेल वाली बात तो नही कर रहे ।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप चाहे जो अर्थ निकालो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड प्रश्न है कि जिन लोगों को बी.जे.पी के पदाधिकारियों के घर पर लगाया गया, वे कितने कर्मचारी थे और उनको कितना--कितना, डेली वेजेज वाले लोगों को, आपके नगर निगम ने एडवांस दिया, कितनी--कितनी राशि उनको दी ? एक तो मुझे यह बता दें ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : भंवर लालजी के घर पर कितने लगें, एक तो यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने जो आर्थिक पावर मेयर के सीज किये और जो आर्थिक पावर आपने नगर परिषद के सभापति से सीज किये और नगरपालिका के अध्यक्ष के जो पावर सीज किये, क्या यह चुने हुए जन प्रतिनिधियों का अपमान नहीं हैं कि उनके पावर आपने सीज करके अधिकारियों को दे दिये। फिर चुनाव कराने की आपको आवश्यकता ही कहां है। ब्यूरोक्रेसी को आप सारे अधिकार दे दो । तीसरा मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने व्यावसायिक और व्यापारिक केन्द्र हैं जिनको नगर निगम, जयपुर के चुनाव होने के बाद अनियमित तरीके से परमिशन दे दी, जो व्यापारिक और व्यावसायिक परिसर परमिशन देने की सीमा में नहीं आते थे, ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिसर हैं जिनको आपने इजाजत दी। चौथा मेरा पाइंटेड प्रश्न यह है कि ऐसे कितने राजनेता हैं चाहे वे किसी भी

(श्री जगमाल सिंह यादव)
दल के हो, जिन्होंने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था और उनको आपके नगर निगम ने नियमित कर दिया, ट्रेसपास को नियमित कर दिया। उनकी सूचना आप मुझे दे दें । यह अखबार में भी आ गया है और आपकी पत्रावली जो आपने देखी है उनमें भी आ गया है । यह मेरे चार प्रश्न हैं, इनका आप पाइंटेड उत्तर दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो तिजारा से आते हैं उन्होंने चार–पांच सवाल पाइंटेड पूछे हैं । पहला सवाल उन्होंने यह पूछा कि जांच तीन महीने से चल रही है अभी तक इसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आये। माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में एक चारा घोटाला कांड चल रहा है जिसकी जांच आज तक नहीं हो पाई, सालों हो गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक अप्रेल को इससे बढ़िया जवाब हो ही नहीं सकता ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्य के द्वारा यह भी पूछा गया कि बीजेपी के किन–किन पदाधिकारियों के यहां डेली वेजेज के सर्वेन्ट्स काम कर रहें हैं । निश्चित तौर पर इस प्रकार की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता ने यह लिखा था कि 12–13 आदमी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के पास घरों पर काम कर रहे है ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : शेम ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन वह सिर्फ शिकायत है जिसकी जांच हो रही है। जहां तक आपने यह पूछा कि उनको कुछ एडवांसेज दिये गये, तो शिकायत में यह लिखा हुआ था कि उनको हजारों रुपये की रकम, डेली वेजेज वालों को एडवांस के बतौर दी गई, जिसकी जांच चल रही है। तीसरी बात आपने पूछी कि मेयर के वित्तीय अधिकार सीज किये गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में यह निवेदन है कि नगर निगम, परिषदों के चुनाव के बाद 73 और 74 वां संशोधन जब कांस्टीट्यूशन का हुआ, उसके बाद जब सरकार ने पहली बार चुनाव करवाये तो 13 जून, 1996 को परचेज ऑफ मटीरियल्स एण्ड कांट्रेक्ट रूल्स, 1976 के रूल 14 में तत्कालीन सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया और वह आदेश इस प्रकार का था कि उसमें निगम के मेयर को 25 लाख रुपये, नगर परिषद के सभापति को 15 लाख रुपये और फिर 5 लाख रुपये, फिर 10 लाख रुपये, इस तरीके से उनको खर्च करने के अधिकार दिये गये थे। लेकिन ज्यों ही यह अधिकार दिये गये और तत्कालीन सरकार की निगाह में यह बात आ गई कि इन अधिकारों का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है, तो तत्कालीन सरकार ने ही डेढ़–दो महीने पश्चात् ही एक आर्डर निकाला और वह आर्डर इस तरीके का था, सर्कुलर था 5.8.96 का, अधिकार दिये आपने जून में और 5.8.96 को यह निकाला, कि विधि विभाग की राय के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद, पालिका, मण्डल की ओर से जारी किये जाने वाले समस्त कार्यालय–आदेश तथा प्रशासनिक आदेश आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण होने के पश्चात उसके हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे तथा महापौर, सभापति, अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी आदेश विधिनुकूल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल यही है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह आदेश तब निकाला गया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है जब कि इन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं अनियमितताओं की शिकायत तत्कालीन सरकार के पास आई होगी।

इसके पश्चात् उस आर्डर में जो जून, 1996 का था, तत्कालीन सरकार ने एक अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट करके उसमें यह लिखा कि इमरजेंसी नेचर के जो खर्चे होंगे,वो ही ये लोग कर पायेंगे । लेकिन जब से सत्ता में परिवर्तन आया और सत्ता में परिवर्तन आने के बाद जब यह विभाग मेरे पास आया, तो मुझे लगातार ढेरों शिकायतें मिलनी चालू हुई। उन शिकायतों में ऐसी–ऐसी शिकायतें थीं कि जिसकी वजह से इस बात पर सरकार को, विभाग को विचार करना पड़ा कि आया ये अधिकार उनके पास रखा जाए या न रखा जाए। शिकायतें जिस प्रकार की प्राप्त हुई, जैसा अभी आपने पूछा है, मैं बताना चाहता हूं आपको, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, जैसा आपने पूछा कि मास्टर प्लान के विरुद्ध स्वीकृतियां दे दी गई, ग्रीन बैल्ट पर निर्माण की स्वीकृतियां दे दी गई। अनियमित नियुक्तियां की गई। डेली वेजेज वालों को एडवासेंज दे दिये गये। हजारों रुपयों के एडवासेंज दे दिये गये। जो भी प्रस्ताव बनता था या समितियों का निर्माण होता था उस पर राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक थी, अनुमोदन आवश्यक था वह नहीं लिया गया। कई प्रकार की बेशकीमती जमीनों का आवंटन कर दिया गया। यह बड़ी गम्भीर शिकायत है एक तोलानी ट्रस्ट को करोड़ों रुपयों की जमीन आवंटित कर दी गई। इस प्रकार की शिकायतें कई थीं। अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया और तो और अध्यक्ष महोदय कहते हुए दुःख तो होता है लेकिन जयपुर के महापौर भारतवर्ष के सबसे महंगे महापौर साबित हुए हैं। एक लाख पिच्चहत्तर हजार रुपये मासिक उन पर खर्च किये जाते हैं । नगर निगम के द्वारा जब ऐसी शिकायतें आई और सरकार अगर उचित कदम नहीं उठावे तो मैं यह समझता हूं कि यह कोई जनहित में नहीं होगा। इनके पास वित्तीय शक्तियां जरूर थी और हमने सिर्फ उनमें इतना सा फर्क किया है कि चूंकि सत्ता का केन्द्रीयकरण हो चुका था उस सत्ता के केन्द्रीयकरण को हमने विकेन्द्रीयकरण करते हुए जो पॉवर मेयर को, सभापति को, अध्यक्ष को था वो का वो हमने बोर्ड में दिया था। उस बोर्ड में देने का अर्थ यही था कि चुने हुए प्रतिनिधि ही उस नगर के बाबत सारे वित्तीय प्रबनन के बाबत इजाजत दें, उन पर विचार विमर्श करे उस पर फैसला लेवें, न कि एक आदमी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभी मंत्री जी ने पहले जवाब दिया। जो मुझे लिखित में जवाब दिया आपके सामने वह पढ़ा भी है, और उसके बावजूद नये तथ्य बताये कि ग्रीन बैल्ट को अलॉट कर दिया । एक ता आपे यह बता दें कि वह किन–किन संस्थाओं और किन–किन व्यक्तियों को अलाट किया गया और किन–किन को नियमन किया गया । दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं इन्होंने कहा कि शिकायतें प्राप्त हुई। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि अब अगर पाइंटेंड कराना चाहते हैं तो आप मुझे यह बता दें कि क्या यह सही है कि 12 व्यक्तियों को डेली वेजेज पर लगा रखा गया और 12 व्यक्तियों को 50–50 हजार रुपये एडवांस उनकी नियुक्ति के तुरन्त बाद दे दिये गये, नम्बर–एक। मैं यह भी पूछना चाहता हूं पाइंटेड ही कराना

(श्री जगमाल सिंह यादव)
चाहते है तो आप...

श्री अध्यक्ष : आपके इस क्वेश्चन का तो उन्होंने उत्तर दे दिया हैं। 12–13 व्यक्तियों को एडंवास दिया गया है वे डेली वेजेज पर थे।

श्री जगमाल सिंह यादव : नही, अध्यक्ष महोदय, यह नही बताया। इन्होंने कहा कि कुछ लगे, इन्होंने कहा कि हजार रुपये दिये गये। मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है कि क्या यह सही है कि 12 व्यक्तियों को डेली वेजेज पर आपने रखा और उनको 50–50 हजार रुपये लगते ही...

श्री अध्यक्ष : नहीं, एडवांस कह रहे हैं वे कि एडवांस दिया गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक मिनट सुन तो ले, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिनको डेली वेजेज पर आपने नियुक्त किया और 50 हजार रुपये आपने उनको तुरन्त एडवांस दिये, और डेली वेजेज के लोग आज हैं और कल हट जाएं, तो उन 50 हजार रुपये की रिकवरी का आपके निगम के पास क्या रास्ता था जो आप उनसे 50 हजार रुपये वसूल कर लेते? दूसरा मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि कुछ लोगों के तथ्य को आप छुपा रहे है, यह तो चारा घोटाला कांड की जांच में भी विलम्ब होता है और माननीय मंत्री जी बोफोर्स में भी विलम्ब होता है और भागवत प्रकरण की में भी होता है और हथियार खरीदने की में भी होता है। विलम्ब तो मानता हूं मैं, होता है। लेकिन आप तो मुझे इतना बता दें कि क्या यह सही है कि रामदास जी अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश माथुर जो बी.जे.पी. के महासचिव है, रामदास जी साहब जो राज्य सभा के सदस्य हैं और घनश्याम जी तिवाड़ी, और चौथा नाम मैं लेना नही चाहता हूं। आप भी जान रहे होंगे सदन भी जान रहा होगा मैं नाम नही लूंगा इनके घरों पर ...(व्यवधान)...तत्कालीन माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री भंवर लाल जी शर्मा, इनके घर पर नगर निगम के कितने लोग डेली वेजेज पर काम करते थे, यह बता दें। करते थे या नहीं करते थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा नियमों और प्रक्रियाओं से चलती है इन्होंने ऐसे लोगों पर आरोप लगा दिया जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : ये आरोप बिना नोटिस दिये नहीं लगाये जा सकते हैं और लगाना है तो पहले नोटिस देना पड़ता है। बिना नोटिस दिये आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर इन्हें माननीय सदस्यों पर आरोप लगाना है तो इनको नोटिस देना चाहिए था पहले। यह इस तरह नहीं हो सकता...(व्यवधान)...

श्री हीरासिंह चौहान : बिना नोटिस दिये आरोप नहीं लगाये जा सकते। आरोप लगाना है तो पहले नोटिस देना होगा। हू आर नोट दी मैम्बर आफ दिस हाउस, सदस्य नहीं है और उन पर आरोप लगाना है तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे + + +नहीं लगाये जा सकते...

श्री लक्ष्मण सिंह रावल (भीम) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अधिकार है हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कोई आरोप नहीं है और आप क्यों डरते हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

आपके दामन से अगर छीटें उछलते है तो आप डरते क्यों हैं आपको तो खुश होना चाहिए। आर.एस.एस. वाले सम्मिलित हैं इनके अन्दर... (व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : ... (व्यवधान)...इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते । इस तरह के आरोप लगाने से... (व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : ... (व्यवधान)... एक भी आरोप आप असत्य साबित कर दें तो बता दें सदन में कि कौन से असत्य हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप नहीं है । मेरा यह प्रश्न है। मैंने प्रश्न पूछा है। अगर यह गलत है तो मना कर दें ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(सवाइमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी की पत्नी पीछे बैठी हैं । वे कहेंगी कि मेरे 10 नौकर क्यों नही है। आज हाउस में है, इसलिए इनकी स्थिति खराब हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय जगमाल सिंह जी ने सवाल पूछा है, न कि किसी पर आरोप लगाया है । आरोप बिल्कुल नहीं लगाया है ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आरोप लगाया है । स्पष्ट रूप से...(व्यवधान)...

श्री हीरासिंह चौहान : बिना नोटिस दिये आरोप नहीं लगाया जा सकता । (व्यवधान) कोई भी नाम ले लेंगे ऐसे तो ।

एक माननीय सदस्य : आरोप नहीं लगाया सवाल पूछा है । सवाल पूछने का हक है... (व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : नाम आप नहीं ले सकते । आरोप लगाना है तो उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह आरोप नहीं है सच्ची बात कही गई है। कर्मचारियों के बारे में जानकारी चाही गई है। व्यक्तियों पर आरोप नहीं है...(व्यवधान)...मंत्री महोदय, जवाब दें कि कर्मचारी थे या नहीं ।

श्री जगमाल सिंह यादव :...(व्यवधान) आरोप जब लगता तो मेरे आरोप की भाषा यह होती. ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि मैं पाइंटेड सवाल पूछ रहा हूं इसमें कोई एतराज नहीं है, आपका अधिकार है, पर आपके सवाल के जवाब में मंत्रीजी ने कह दिया कि सारा जांच का विषय है तो 12 या 13 व्यक्ति...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं, जवाब मंत्री जी देंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ... डेली वेजेज पर कहां लगे हैं उसके बाद जानबूझकर उन लोगों का नाम लेकर और इस तरह से बात कहना, नियम, और प्रक्रियाओं में आते और हमें नोटिस देते पहले, जो सदस्य नहीं हैं उनके बारे में चर्चा हो ही नहीं सकती, अध्यक्ष महोदय। कई बार इस तरह की व्यवस्था दी गई है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो जवाब मांगा है अगर नहीं है तो मना

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कर दें मंत्री जी । मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने तो पूछा है कि क्या यह सही है? गलत है तो कह दे कि गलत है । कोई आरोप नहीं है यह ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपको नाम लेने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ...(व्यवधान)... हर सदस्य चाहे हाउस के सदस्य हो चाहे बाहर के सदस्य हो...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : यह भी भ्रष्ट आचरण में आता है अगर मिसयूज किया पावर का तो. ..(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ...(व्यवधान)... आप मना कर दें ।

एक माननीय सदस्य : आरोप नहीं है सही बात है ...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप बता दीजिये कौन से नियम के अन्दर प्रश्न पूछने के अंदर नाम लेना गुनाह है कौन से नियम हैं ... (व्यवधान)...कौन सा नियम है जिसके अन्दर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते किसी व्यक्ति के बारे में ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ऐसा है तो हम भी पूछ सकते हैं...(व्यवधान)...

श्री **गुलाब चन्द कटारिया**(बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप यह पूछ सकते हैं कि आपने मुझसे पचास हजार रुपये लिये थे या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अगर वह संबंधित है । अगर वह उसके सन्दर्भ के अन्दर सही है तो आप पूछ सकते हैं। सन्दर्भ के अन्दर रेफरेंस ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान). ..केवल विषय को...(व्यवधान)...यह आरोप की प्रक्रिया है ...(व्यवधान)...आप क्या प्रश्न के माध्यम से...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ...(व्यवधान).... फिर यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या मतलब है ? किसलिए यहां पर आते हैं... (व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय मैं अपने आपको संशोधित कर लेता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को संशोधित कर लेता हूं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आज पोल खुल रही है तो इर्रिलेवेंट क्वेश्चन हो गया ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मै अपने प्रश्न को संशोधित करता हूं । मंत्री जी मेरे को यह बता दें... (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया :...(व्यवधान).. उसका जवाब दिया जाता है ...(व्यवधान)... बी. जे.पी. के बारे में जो कुछ आप बोलना चाहें, वह बोल दें । आप नोटिस देकर बोलें किसी को कोई एतराज नहीं होगा उसमें सच्चाई होगी। सामने आएगी दोषी होंगे, दंड मिलेगा । इसमें क्या एतराज है किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम विषय का नोटिस आवश्यक है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,

(श्री जगमाल सिंह यादव)
मैं अपने प्रश्न को संशोधित कर लेता हूं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना विषय के नोटिस के इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना इस सदन का भी अपमान है और हमारी प्रक्रिया का अपमान है । अगर आपके पास तथ्य हैं, तो आप नोटिस देकर जरूर करें और उसमें जो सच्चाई होगी, सामने आएगी उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य भी रखूंगा और मैं अपने प्रश्न को संशोधित करता हूं । मेरा संशोधित प्रश्न सुन लीजिये मंत्री जी मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि आप मुझे यह बता दें कि बी.जे.पी., कांग्रेस और दूसरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नगर निगम के कर्मचारी किस–किस पार्टी के पदाधिकारियों के घर पर काम करते थे ? क्या उनके नाम की आपको सूचना है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये ।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग तीन में माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि उक्त शिकायतों की अब तक की जांच में कितनी अनियमितताएं और गैर कानूनी कार्यों का पता चला है, विवरण सदन की मेज पर रखें । मंत्री महोदय ने विवरण में अगर नाम दिया है तो भी माननीय सदस्य को पूछने का हक है । संख्या दी है तो भी पूछने का हक है कि संख्या में कौन–कौन आते हैं । इसलिये जिनके नाम लिये हैं उन नामों को खण्ड तीन में माननीय सदस्य को पूछने का पूरा अधिकार है । यह अलग से स्वतन्त्र रूप से कोई चीज नहीं पूछी गई है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि शिकायतों का आना बंद नहीं हुआ । शिकायतें लगातार आती जा रही हैं और आने के कारण ही, आपको शायद गलत ध्यान होगा आपने तीन या चार महीने की कह दी, यह कार्यवाही चालू हुई थी 23 फरवरी से...

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्री जी मेरा पाइंटेड सवाल है कि आप तो इतना बता दें कि इनके घर पर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी काम करते थे या नहीं करते थे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो कुछ जानकारी मुझे है वो बता रहा हूं आपको, आ रहा हूं आपको इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है ?

4.2.99 से नगर निगम से कहा गया था कि ये–ये पत्रावलियां जांच के लिये भिजवाइए । लेकिन निगम ने कोई सहयोग नहीं दिया और सहयोग नहीं देने के बाद लगातार निगम को चार पत्र निर्देशालय द्वारा लिखे गये । उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया । दो व्यक्ति जो जांच के अधिकारी है, डी.एल.बी. है, उनको वहां पर भेजा गया और कुछ पत्रावलियां वहां पर मंगवाई गई । जो आपने पाइंटेड सवाल पूछा है कि कितने डेली वेजेज के आदमी है, कितने नहीं है, मेरे पास कोई ज्यादा सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है क्योंकि इसमें कई अवरोध है जिसकी वजह से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच के बाद तथ्य आप सदन मे रख रहे हैं ? [illegible] और फाइनल जांच हो गई ? उसके बाद कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
रहे हैं न आप ?

श्री अध्यक्ष : नही, जांच चल रही है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर कोई कागज कहीं पर भेज दे और उसके आधार पर आप जवाब देना चालू कर दें कि मुझे ये–ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं । यह कोई बात थोड़े ही है। आप जिम्मेदार आदमी हो श्री शांति धारीवाल जी साहब। सरकार के मंत्री हैं। जांच के बाद आपके पास कोई तथ्य हैं तो वो रखो सदन के सामने । पर एक पत्र के आधार पर, शिकायत के आधार पर आप जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जांच हो गई कि नहीं हुई ? कायदा यह होता है कि जब शिकायत प्राप्त होती है तो नगर निगम से उनकी टिप्पणियां मंगवाई जाती है । अब आप इतना ही रहने दें, बड़ी कृपा होगी आपकी, वरना...

श्री जगमाल सिंह यादव : यानि नूरानी कुश्ती है आपकी और इनकी या फिर आप इनकी पोल नहीं खोलना चाहते ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इतना ही रहने दें, मेरा मुंह नहीं खुलवाइए । दबाव में आकर मुझसे कुछ न कुछ असलियत बात निकल जायेगी तो आपकी पार्टी के लिये अच्छा नहीं होगा ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि सत्य बात निकल जायेगी, इसका मतलब मंत्री जी सत्य को छिपा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि दबाव में आकर असली बात सामने आ जायेगी । हम असली बात जानना चाहते हैं, क्या है असली बात ? क्या है जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे ? उनमे कितनी सत्यता थी, मंत्री महोदय क्यों छिपाना चाहते हैं, असली बात क्या है, सामने लेकर आइए । यह हाउस की प्रोपर्टी है, अगर इनके उपर कुछ आरोप लगे है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कुछ कालिख लगी है, अगर यह भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उनको बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। (व्यवधान) यह हाउस की प्रोपर्टी है, असली बात सामने आनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर, प्लीज टेक योर सीट, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इसको कहते हैं मनुवाद (व्यवधान) एक मनु दूसरे मनु को बचा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं, मैं खड़ा हूं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि दबाव में आकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पर 25 मिनट का समय ले लिया है। (व्यवधान) श्री भंवरलाल जी आप बोलिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक पाइंटेड क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां पर कहा है चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को कि अगर वे दबाव देंगे तो कई ऐसी बातें सामने आ जाएंगी, यह हाउस की प्रोपर्टी है। हाउस यह जानना चाहता है, कुछ छिपाया क्यों जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आरोप है तो वह तथ्य सामने आने चाहिये । इन्होंने अगर अनियमितता करी है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है (व्यवधान) क्यों छिपाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है ?

श्री जगत सिंह दायमा : मनुवादी लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसके कारण जानना चाहेंगे हम लोग, यह हाउस की प्रोपर्टी है यह किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी नहीं है । इस क्वेश्चन की गहराई में जाने की आवश्यकता है । हम जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है ?

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी क्यों लिपाई–पुताई कर रहे हैं इन पर और कौन सा दबाव पड़ रहा है राठौड़ जी का मंत्री जी के ऊपर... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम कतई सहन नहीं करेंगे, वास्तविकता क्या है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्लीयर तो करिए आप । (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : यह बताएं कि क्यों वफादारी कर रहे हैं मंत्री जी, तरफदारी क्यों की जा रही है । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जो शिकायतें हुई थी उसके आधार पर प्रिलिमिनरी जांच... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उनके नाम गिनाओ ।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले पूरी बात सामने आ जाये...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बतायें कि इसमें राठौड़ साहब का भी नाम है क्या ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है मंत्री जी इनकी क्यों नहीं पोल खोल रहे, इनकी पोल क्यों नही खोली जा रही है, मंत्री जी पर क्या दबाव है ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पहले मंत्री महोदय जवाब दें...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कार्यवाही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ऐसा करेंगे तो आप।

श्री मोहनलाल मोदी : बैठिए, नहीं बढ़ावा देंगे भ्रष्टाचार को... (व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अलाउ किया है ।

श्री अध्यक्ष : हां,...(व्यवधान)...नहीं, मैंने काल किया है ।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, यह तो परम्परा ही गलत हो जायेगी । जवाब तो आया ही नहीं पूरा ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बात कीजिए, माननीय सदस्यों को सम्बोधित मत कीजिए ।

(श्री अध्यक्ष)

हां, आप सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न खड़ा हुआ है इसमें दो बातें हैं । एक तो यह बात है कि जो चुने हुए बोर्ड हैं, निगम है । सरकार ने उनके अधिकार छीन लिये, उनके अधिकार खतम कर दिये, वह क्यों कर दिये ? दूसरा, अगर निगम की शिकायतें आपको प्राप्त हुई है तो उसकी आप जांच करें, किसी को उसमें आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि जांच चल रही है इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते । मैं यह पूछना चाहता हूं जब तक जांच पूरी न हो तो केवल जो शिकायतें आपको प्राप्त हुई है उसके आधार पर उनको सत्य मानकर अगर आप यहां जवाब देते हैं तो यह कैसे उचित होगा ? आपके पास शिकायतें तो रोज आयेंगी और शिकायत अगर सही मानते थे तो जांच करवाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने यह विश्वास किया होगा कि शिकायत किसी तथ्य पर आधारित है लेकिन आपने उस पर विश्वास नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने यही उत्तर दिया है कि जो शिकायतें आई हैं...(व्यवधान) आप बीच में नहीं ।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को घुमा रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, घुमाऊंगा, क्या हो गया ? बोलने दीजिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री जी बता रहे है कि मैं जानता हूं सारी बात । आप चुप रहिए, यह तो गलत बात घुमा रहे है।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जब आप जांच करवा रहे हो और जब तक जांच के तथ्य सामने नहीं आते तब तक कोई भी तथ्य आप बिना जांच किये किस आधार पर यहां बता रहे हैं उसका औचित्य क्या है ? दूसरा, यह बताइए कि जो अधिकार आपने छीन लिये हैं, मेरे को पूरी बात करने दो ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे को क्यों धमका रहे हो, उनको धमकाओ ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : धमका किसी को नहीं रहा ।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्या कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जो अधिकार आपने वापस ले लिये उसके आदेश के बाद नगर निगम के अध्यक्ष या छोटे बोर्ड में जो अध्यक्ष है उनके पास उनके विवेक से कितने पैसे खर्च करने का अधिकार रह गया ? क्या वह कुछ खर्च कर सकते हैं इमरजेंसी में या जन विकास के लिये या जन हित में ? कितना पैसा खर्च कर सकते है, अधिकार क्या छोड़ा आपने उनके पास ? एक यह बता दीजिए ...

श्री अध्यक्ष : यह आप लम्बा कर रहे है, नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया आपने ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं, क्लियर बताइए क्या अधिकार छोड़े, कितने अधिकार रह गये उनके पास ? कितना पैसा खर्च करने का अधिकार रह गया ? एक सवाल आपने व्यक्तिगत किया। आपने कहा कि मेरे घर पर मेरे पास कई कर्मचारी काम करते थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आज जो अधिकारी मेरे यहां नगर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निगम के आये होंगे, आज वे आपके यहां काम कर रहे हैं । जो मंत्रियों के यहां काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते है उसको आप व्यक्तिगत जोड़ रहे हो मैं तो मेरे यहां गनमेन नहीं रखता था, चपरासी नहीं रखता था, कुछ नही रखता था, मेरे कहां से आपने लगा दिया ? इतना स्वच्छ रहने के बाद भी आप पोलिटिकल चार्ज लगाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप जाने दीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे स्पेसिफिक प्रश्न को घुमाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी यह बता दें आप पर कौन सा दबाव है जो तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहते हैं और अगर आपके पास तथ्य है तो आप उजागर करिये, नहीं हैं तो फिर आप जवाब दे दीजिये फिर मै आपसे पूछ लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : शॉर्ट में रिप्लाई दे दीजिये, एक क्वेश्चन आधा घंटा हो गया ।

श्री मदन दिलावर : एक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ।

श्री मदन दिलावर : क्या कोटा नगर निगम में श्रीमान् शांति धारीवाल जी ने अतिक्रमण करके...

श्री अध्यक्ष : आपको मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री मदन दिलावर : मकान नहीं बनाया हुआ है इसका भी जवाब दे दें और कितने प्लाटों पर कब्जा किया हुआ है इसका भी जवाब दे दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रूपयों की सम्पति पर स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान् धारीवाल जी ने कब्जा किया हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर, नहीं, मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाइये आप, वैसे ही बोलने लग जाते हो ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि साहब, शिकायतों की जांच आ गयी क्या । मैंने पहले भी निवेदन किया है इस बात का कि शिकायत प्राप्त होने पर निगम की टिप्पणी मंगायी जाती है और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि निगम की टिप्पणियां आ चुकी हैं और उनका जवाब ही इस तरह का है कि अनियमितताएं हुई हैं । (व्यवधान) मेरी अर्ज सुनें । उसके बावजूद भी उनको बुलाकर, बैठाकर बाकायदा जांच की जा रही है। लेकिन जो एक पांइटेड सवाल आपने पूछा है कि डेली वेजेज वाले किन–किन के यहां पर लग रहे थे। मेरे पास यह निगम की टिप्पणी मौजूद है और इसमें, अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल साबित है कि डेली वेजेज वालों को 50–50 हजार रूपये एडवांस दे दिये गये और ये डेली वेजेज वाले वे लोग थे। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी लोगों के यहां लगे हुए थे । दूसरी बात जो आपने पूछी कि वित्तीय अधिकार मेयर के, सभापति के और अध्यक्षों के ले लिये गये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह तो आ गया, आप नाम बता दो, बी.जे.पी. के वह कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके यहां नगर निगम के कर्मचारी तनख्वाह नगर निगम से लेते थे और

(श्री अध्यक्ष)

हां, आप सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न खड़ा हुआ है इसमें दो बातें हैं । एक तो यह बात है कि जो चुने हुए बोर्ड हैं, निगम है । सरकार ने उनके अधिकार छीन लिये, उनके अधिकार खतम कर दिये, वह क्यों कर दिये ? दूसरा, अगर निगम की शिकायतें आपको प्राप्त हुई है तो उसकी आप जांच करें, किसी को उसमें आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि जांच चल रही है इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते । मैं यह पूछना चाहता हूं जब तक जांच पूरी न हो तो केवल जो शिकायतें आपको प्राप्त हुई है उसके आधार पर उनको सत्य मानकर अगर आप यहां जवाब देते हैं तो यह कैसे उचित होगा ? आपके पास शिकायतें तो रोज आयेंगी और शिकायत अगर सही मानते थे तो जांच करवाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने यह विश्वास किया होगा कि शिकायत किसी तथ्य पर आधारित है लेकिन आपने उस पर विश्वास नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने यही उत्तर दिया है कि जो शिकायतें आई हैं...(व्यवधान) आप बीच में नहीं ।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को घुमा रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : हां, घुमाऊंगा, क्या हो गया ? बोलने दीजिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री जी बता रहे है कि मैं जानता हूं सारी बात । आप चुप रहिए, यह तो गलत बात घुमा रहे है।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न में क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जब आप जांच करवा रहे हो और जब तक जांच के तथ्य सामने नहीं आते तब तक कोई भी तथ्य आप बिना जांच किये किस आधार पर यहां बता रहे हैं उसका औचित्य क्या है ? दूसरा, यह बताइए कि जो अधिकार आपने छीन लिये हैं, मेरे को पूरी बात करने दो ।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरे को क्यों धमका रहे हो, उनको धमकाओ ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : धमका किसी को नहीं रहा ।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्या कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : जो अधिकार आपने वापस ले लिये उसके आदेश के बाद नगर निगम के अध्यक्ष या छोटे बोर्ड में जो अध्यक्ष है उनके पास उनके विवेक से कितने पैसे खर्च करने का अधिकार रह गया ? क्या वह कुछ खर्च कर सकते हैं इमरजेंसी में या जन विकास के लिये या जन हित में ? कितना पैसा खर्च कर सकते है, अधिकार क्या छोड़ा आपने उनके पास ? एक यह बता दीजिए ...

श्री अध्यक्ष : यह आप लम्बा कर रहे है, नहीं, क्वेश्चन पूछ लिया आपने ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं, क्लियर बताइए क्या अधिकार छोड़े, कितने अधिकार रह गये उनके पास ? कितना पैसा खर्च करने का अधिकार रह गया ? एक सवाल आपने व्यक्तिगत किया। आपने कहा कि मेरे घर पर मेरे पास कई कर्मचारी काम करते थें। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आज जो अधिकारी मेरे यहां नगर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निगम के आये होंगे, आज वे आपके यहां काम कर रहे हैं । जो मंत्रियों के यहां काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते है उसको आप व्यक्तिगत जोड़ रहे हो मैं तो मेरे यहां गनमेन नहीं रखता था, चपरासी नहीं रखता था, कुछ नही रखता. था, मेरे कहां से आपने लगा दिया ? इतना स्वच्छ रहने के बाद भी आप पोलिटिकल चार्ज लगाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप जाने दीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे स्पेसिफिक प्रश्न को घुमाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो यह पूछना चाहता हूं मंत्री जी यह बता दें आप पर कौन सा दबाव है जो तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहते हैं और अगर आपके पास तथ्य है तो आप उजागर करिये, नहीं हैं तो फिर आप जवाब दे दीजिये फिर मै आपसे पूछ लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : शॉर्ट में रिप्लाई दे दीजिये, एक क्वेश्चन आधा घंटा हो गया ।

श्री मदन दिलावर : एक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं ।

श्री मदन दिलावर : क्या कोटा नगर निगम में श्रीमान् शांति धारीवाल जी ने अतिक्रमण करके...

श्री अध्यक्ष : आपको मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री मदन दिलावर : मकान नहीं बनाया हुआ है इसका भी जवाब दे दें और कितने प्लाटों पर कब्जा किया हुआ है इसका भी जवाब दे दें । माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ों रूपयों की सम्पति पर स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान् धारीवाल जी ने कब्जा किया हुआ है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर, नहीं, मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाइये आप, वैसे ही बोलने लग जाते हो ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह पूछा गया कि साहब, शिकायतों की जांच आ गयी क्या । मैंने पहले भी निवेदन किया है इस बात का कि शिकायत प्राप्त होने पर निगम की टिप्पणी मंगायी जाती है और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें कि निगम की टिप्पणियां आ चुकी हैं और उनका जवाब ही इस तरह का है कि अनियमितताएं हुई हैं । (व्यवधान) मेरी अर्ज सुनें । उसके बावजूद भी उनको बुलाकर, बैठाकर बाकायदा जांच की जा रही है। लेकिन जो एक पांइटेड सवाल आपने पूछा है कि डेली वेजेज वाले किन–किन के यहां पर लग रहे थे। मेरे पास यह निगम की टिप्पणी मौजूद है और इसमें, अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल साबित है कि डेली वेजेज वालों को 50–50 हजार रूपये एडवांस दे दिये गये और ये डेली वेजेज वाले वे लोग थे। जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी लोगों के यहां लगे हुए थे । दूसरी बात जो आपने पूछी कि वित्तीय अधिकार मेयर के, सभापति के और अध्यक्षों के ले लिये गये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह तो आ गया, आप नाम बता दो, बी.जे.पी. के वह कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनके यहां नगर निगम के कर्मचारी तनख्वाह नगर निगम से लेते थे और

(श्री जगमाल सिंह यादव)
काम बी.जे.पी. के लोगों के यहां करते थे। (व्यवधान) जब आपके पास टिप्पणी आ गयी तो आपके पास नाम है ।

श्री जगत सिंह दायमा : आप सदन को गुमराह न करें । आप सदन को गुमराह न करें, मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप केवल उन लोगों के नाम छुपाकर सदन को गुमराह करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार कर लिया कि बी.जे.पी. के बड़े पदाधिकारियों के यहां डेली वेजेज पर लगने वाले लोग काम करते थे । मैं यह पूछना चाहता हूं वह कौन से लोग थे जिनके यहां काम करते थे और वेतन नगर निगम से उठाते थे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेयर, सभापति के और अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों को सीज करने वाली बात है।

श्री जगमाल सिंह यादव : वित्तीय अधिकारों की पूछ कौन रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सवाल यह है कि उनका नाम सदन में रखें जिनके यंहा बी.जे.पी. के लोगों के काम करते थे । यह कोई धर्मशाला नही है कि नगर निगम से वेतन उठाये और काम करे भारतीय जनता पार्टी के घर के लोगों का काम करे, पदाधिकारियों के काम करें । इसका मतलब आप भी यही परम्परा डालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब नहीं आया, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दे दूंगा, दे दूंगा, अभी बैठें । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : 50—50 हजार रुपये तो खा गये आप और अपने घर में लगा लिया उसको...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय,यह सिद्धांतों की दुहाई देते हैं, यह बड़ी बातें करते हैं, ये थोथे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चहता हूं आपके माध्यम से कि मैं कई नियमों से बंधा हुआ हूं । और बंधा हुआ होने के कारण से वे लोग, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता । जहां तक मेयर के, सभापति के और अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों को सीज करने वाली बात है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय भंवर लालजी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कही कोई काम में रूकावट नहीं आयी । 48 घंटे के अन्दर अन्दर बोर्ड में मीटिंग बुलाकर के वह प्रस्ताव पास कर सकते हैं बल्कि खर्चा भी पहले कर सकते है । लेकिन इतना कांफिडेंस उनमें होना चाहिए कि जो खर्चा वह कर रहे हैं वह बोर्ड की मीटिंग में पास करवा लिया जायेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : यह कौन से कानून से अलाउ कर दिया कि पहले खर्चा करले...(व्यवधान)...

श्री जगमाल सिंह : जिस कानून में नाम लिया इनके घर पर काम होते थे या नहीं यह बात बता दो पहले । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और कौनसा कानून होगा ?

श्री जगमाल सिंह यादव : यानी आप और आप मिलकर तथ्यों को दबाना चाहते है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपने खर्चा करने का अधिकार ही छीन लिया ।

श्री जगत सिंह दायमा : यानी आप लोगों ने जो डेली वेजेज के लगाये वह सही था ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उन व्यक्तियों के नाम सदन में बतायें । ... (व्यवधान) जिनके घर पर नगर निगम के लोग

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपने खर्चा करने का अधिकार ही छीन लिया ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आदेश आप ही के द्वारा निकाला गया है।

श्री जगमाल सिंह यादव : तनख्वाह नगर निगम से उठाते थे और काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के यहां करते थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आपने तो वह अधिकार ही छीन लिया ।

श्री जगमाल सिंह यादव : उनका नाम, मैं बताना चाहता हूं सदन में रखें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इमरजेंसी का प्रोविजन जो आपने डाला था ।

श्री जगमाल सिंह यादव : और मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि मेरे पास टिप्णियां हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : नहीं, आज आपने अधिकार छीन लिया और इसीलिये कम हुआ ।

श्री जगमाल सिंह यादव : वह टिप्पणी पढ़कर सुना दें आप । वह टिप्पणी पढ़कर सुना दें आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : अधिकार छीनने के बाद निगम काम नहीं कर सकती, उसको आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर दिया आपने ।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो नगर निगम ने आपके पास भेजी है उसमें किन—किन के नाम बताये हैं । आप अपनी तरह से मत बताओ, टिप्पणी पढ़ दें आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : वित्तीय अधिकार छीनने के बाद अब निगम और बोर्ड कोई काम नहीं कर सकते । नहीं, कोई नही कर सकता । चेयरमैन को पंगु कर दिया आपने। प्रजातांत्रिक तरीके से स्वायत्तशासी संस्थाओं के सारे पावर खत्म कर दिये, राजस्थान के ।

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 50 हजार जो डेली वेजेज पर लगाये, उनको एडवांस भी दे दिया गया । भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के घर पर उनकी सेवाएं ली गयी। तो उनका नाम जिनको राजकोष का और राजस्थान की, जयपुर नगर निगम में रहने वाली जनता का पैसा उस एक राजनैतिक पार्टी के पदाधिकारियों की सेवा के लिए लगाया गया है, तो नियम विरुद्ध है । जिनका गबन है, उनका नाम लेने से मंत्री जी का परहेज है । या तो मंत्री जी उन पदाधिकारियों से मिलकर उनका नाम रोशन नहीं करना चाहते, मिले हुए हैं, वरना उन पर कौनसा दबाव है जिसके कारण वह नाम नहीं लेना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया ।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय,अभी इस विषय में जांच चल रही है ।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न ही पूछा है और मंत्री जी जवाब देते नहीं । मैं तो यह चाहता हूं मेरे प्रश्न का ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो टिप्पणी आयी है उसको पढ़कर सुनाये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन मंत्री जी, मुझे लगता है कि यही परम्परा आप डालना चाहते हैं कि अब तो काम लिया इन्होंने और अब मैं ले लूं, कांग्रेस के लोग...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सवाल है मेरा । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अगर कोई गरीब समाज का व्यक्ति होता...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ऐसा कौन सा नियम है, जिससे मंत्री जी बंधे हुए हैं और नाम नहीं बताना चाहते हैं ?

श्री जगत सिंह दायमा : अगर कोई समाज का दलित व्यक्ति होता, तो वह जेलों में बंद होता ।

श्री **लक्ष्मण सिंह रावत** : वह सामने आ गया है । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और मनुवादी मनुवादियों को बचा रहे हैं । इसीलिए हम आये हैं । (व्यवधान) यह सहन नहीं होगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अनियमितता अगर है तो... (व्यवधान) ऐसे नियम से ये बंधे हुए हैं ।

श्रीमती कमला बृजलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बताये कि इनको इनसे क्या मिल रहा है । इनको रिश्वत मिल रही है या क्या बात हैं ? यह क्यों नहीं नाम बता पा रहे हैं ? और नाम सदन में रखे इन लोगों का । क्यों नहीं रखा जा रहा है । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जो टिप्पिणी आयी है उसको पढ़कर सुना दे आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी.जे.पी. के कौन कौन से नेताओं के पास कौन कौन से कर्मचारी लगे हुए थे उनका नाम बतायें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री के.सी. विश्नोई । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनके पास कौन कौन से अधिकारी, कर्मचारी रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जिस तथ्य की जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट एक क्वेश्चन में ले लिया । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशों की पालना का सवाल है इसलिए जब तक मेरे प्रश्न का जवाब जो इनके पास है, या तो इसको एडजोर्न कर दो आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसको अध्यक्ष महोदय, एडजोर्न कर दो या मुझे निकलवाने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, एडजोर्न क्या कर दें । बहुत डिटेल में आपको रिप्लाई दे दी गयी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : नया मार्शल आया है, बोनी बट्टा मेरे नाम पर हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट में एक प्रश्न आप ले रहे हैं । नैक्स्ट क्वेश्चन, के.सी. विश्नोई ।

श्री जगमाल सिंह यादव : नया मार्शल आया है । मैं चाहता हूं बोनी–बट्टा इनके हाथ से हो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आप ।

श्री जगमाल सिंह यादव : जब तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा, मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

श्री जगमाल सिंह यादव : या तो यह बता दें कि मेरे पास सूचना नहीं है । या ऐसे कारण बता दें कि मैं इसलिए इनका नाम क्लियर नहीं करना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इन पर बलात्कार का मामला, माननीय जगमाल सिंह जी के ऊपर भी था...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मदन दिलावर, आपका नाम है, मदन दिलावर का भी नाम है उसमें । (व्यवधान) तसल्ली रखो । (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : शालिनी की बात को उजागर कर दूंगा ।

श्री मदन दिलावर : माननीय जगमाल सिंह जी के ऊपर कितने बलात्कार के केस चल रहे हैं ? कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर एक सवाल पूछा गया है ।

श्री मदन दिलावर : मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाना पड़ेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा और मेरी सात पीढ़ीयों में बलात्कार की बात छोड़ों, अगर 354 का मुकदमा भी दर्ज हुआ हो तो मैं सदन की राजनीति छोड़ दूंगा ।

एक माननीय सदस्य : यह गुमराह कर रहे है । गुमराह नहीं हो और मंत्री महोदय को कहा जाय कि वह नाम बतायें ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर एक भी केस मेरे खिलाफ हो और अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब तक सदन चला मैंने आदेशों को ओबे किया है । लेकिन आप जान रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन को मारा जा रहा है और मुझे सूचना नहीं दी जा रही है । मुझे निकलवाने के लिए यह तय है, मैं वेल में बैठता हूं और आपके प्रश्न आवर को नहीं चलने दूंगा । आपके आदेशों की अवहेलना करना मेरा फर्ज नहीं है, न मेरी कोई नीयत है। लेकिन जब तक यह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नाम नहीं बता देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सभी सप्लीमेंट्री पूछ लिये । (व्यवधान) इस सदन को चलने दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी एक सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप कौन होते हो सदन को नहीं चलाने वाले।

श्री जगमाल सिंह : नाम बता दो । या वे नगर निगम की टिप्पणी पढ़ दें, जो इनके पास है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय टिप्पणी पढ़वाये, टिप्पणी आ जाये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री के.सी. विश्नोई ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आपने बहुत पूछ लिया। (व्यवधान) 40 मिनट एक क्वेश्चन ने लिया है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जो जांच चल रही है उस जांच के बीच (व्यवधान) आपका कोई कमेंट या कमिटमेंट है, वह जांच को प्रभावित नहीं कर रहा है क्या ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ये जवाब एक मिनट में ही दे सकते हैं । मंत्रीजी देना नहीं चाहते हैं । (व्यवधान) सरकार खुद व्यवधान डलवाना चाहती है तो हमें क्या परवाह है, डलवाइये आप व्यवधान । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जब जांच चल रही हो, उस जांच के दौरान में आपका हाउस में कोई कमिटमेंट जांच को प्रभावित करेगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जांच में क्या टिप्पणी आयी है, यह सदन को बताएं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्रीजी से यह पूछना चाहते हैं कि ये लाग—लपेट क्यों हो रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें । 40 मिनट इस क्वेश्चन ने लिये हैं । इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों के भी अधिकार हैं । (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं भी जांच होने पर ही बताऊंगा । (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि ...(व्यवधान) फलां... फलां ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी दबाव में...(व्यवधान) बी.जे.पी. के कितने पदाधिकारियों के ....(व्यवधान)...मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि...(व्यवधान) नाम बता दें । (व्यवधान)

जिला हनुमानगढ़ का सड़क निर्माण प्रकरण

101. **श्री के.सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क बनाने के क्या मानदण्ड हैं ? गत 5 वर्षों में जिला हनुमानगढ़ में बनाई गई सड़कें क्या उक्त मानदण्डानुसार हैं ? यदि हां, तो कौन—कौन सी ?

(2) क्या उक्त जिले में कृषि उपज मण्डी की कोई सड़क नीति के विरुद्ध भी बनाई गई है ? यदि हां तो बनाने वाले अधिकारी कौन—कौन थे ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि विपणन(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) : (1) सड़क बनाने के प्रभावी

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)
मानदण्ड दिनांक 11.3.96 परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

हनुमानगढ़ जिले की सभी मण्डी सड़कें मानदण्ड के तहत ही ब नाई गयी हैं, केवल भादरा मण्डी की नौ सड़कें वरीयता लांघकर दिंनाक 19.12.95 को स्वीकृत की गई है। गत पांच वर्षो में हनुमानगढ़ जिले में बनी सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) हनुमानगढ़ जिले की भादरा मण्डी के अतिरिक्त अन्य सभी सड़कें नीति के अनुरूप हैं । संगरिया मण्डी की एक सड़क सादुल शहर रोड से सादुल ब्रांच 48 आर.डी. से 36 आर.डी. वाया अजमेर सिंह ढाणी तथा इसके आगे ग्राम ढाबा तक जोड़ने के लिये गलत तथ्यों के आधार स्वीकृत हुई थी । किन्तु सही तथ्यों की जानकारी होने पर दिनांक 22.2.97 को वाया अजमेर सिंह ढाणी तथा ढाबा शब्द हटा कर 48 आर.डी. से 36 आर. डी. तक की सड़क नीति के अनुरूप स्वीकृत की गयी ।

गलत तथ्य प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में तत्कालीन सचिव श्री युदुनाथ सिंह के वर्ष 93–94 के गोपनीय प्रतिवेदन में विपरीत प्रविष्ठि की गई जिसके आधार पर उन्हें वर्ष 96–97 में पदोन्नति से वंचित रखा गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री के.सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं । इन्होंने जो सड़क बनाने की नीति दी थी, नीति निर्धारण के अनुरूप भादरा में 9 सड़कें और संगरिया में 2–3 सड़के ऐसी बनी हैं, जिनका नीति से कोई लेना–देना नहीं है । इन्होंने लिखा है कि नीति का कठोरता से पालन किया जाएगा । आपके जवाब के अन्दर है, कठोर पालन यह हुआ है, 9 सड़कें तो भादरा के अन्दर, यह जवाब दिया है । मैं आज कह रहा हूं मंत्रीजी को इस जवाब से बिलकुल गुमराह किया गया है। यह जवाब कहीं भी, सत्य के नजदीक भी, नहीं है । इन्होंने कहा है कि अनुपालना स्वीकृत की गयी है 48 से 36 आर. डी. । अध्यक्ष महोदय, नहर की बुर्जी का नम्बर आर.डी. है । वहां कोई आबादी नाम की चीज नहीं है । अब भी चैक किया जाए जो वहां 5 आदमियों की आबादी नहीं है और इन्होंने कहा है कि अनुपालना की गयी है। बाद में, जिस सैक्रेटरी का एक साल प्रमोशन रोका गया है अलवर में उसकी कोई डी.ई. चल रही थी, इस कारण से । सड़क बनती है 97 में, और ये पनिशमेंट उसको दे देते हैं 93 में । क्यों, विभाग को पहले से ही पता लग चुका था कि यह सड़क का प्रस्ताव गलत आएगा। इसलिए इसको पनिशमेंट पहले ही दे दो । इस पर...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये । आप ग्राउंडेशन कर रहे हैं, भूमिका बढ़ा रहे हैं, लम्बा चौड़ा करके सबको कंफ्यूज कर दिया आपने।

श्री के.सी. विश्नोई : वही कह रहा हूं श्रीमान् । (व्यवधान) इसलिए सड़क का, संगरिया का जो विवरण दिया है, वह गलत दिया है ।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री पूछिये ।

श्री के.सी. विश्नोई : वही पूछ रहा हूं सड़क 36 आर.डी., पहले यह सड़क मंजूर हुई थी, अजमेर सिंह नाम से, बाद में मैंने यहां

(श्री के.सी. विश्नोई)
गंगानगर से आने वाले सदस्य के नाम से क्वेश्चन उठाया, सड़क को रोक लिया ।

श्री अध्यक्ष : लम्बा–चौड़ा क्वेश्चन पहले आपने पूछ लिया। वह ठीक बात है, आप स्पेसिफक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते।

श्री के. सी. विश्नोई : मैं यही पूछ रहा हूं कि यह जवाब दिया है, गलत दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, क्या आपने जवाब गलत दिया है। आप बैठिये ।

श्री के.सी. विश्नोई : एक इन्होंने कहा है, संगरिया की नम्बर 7 सड़क, जिसको इन्होंने कहा है, नुकेरा से माला रामपुरा जोड़ा जा रहा है। उस सड़क को जोड़ा गया है नुकेरा से धोलनगर ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नियमों में 2 सप्लीमेंट्री पूछने की अनुमति दे सकता हूं । पहले एक सप्लीमेंट्री पूछ लें, उसका उत्तर दे देते हैं फिर आप लगातार ही बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री है । (व्यवधान) नहीं, हनुमानगढ़ का है, हनुमानगढ़ का । (व्यवधान) हनुमानगढ़ का मामला है ।

श्री अध्यक्ष : अभी उसका जवाब आने दीजिए ।

श्री के. सी. विश्नोई : एक तो यह 36 आर. डी. का है, उसमें कोई जनगणना हुई हो, यह गलत है। एक जो नम्बर 7 रोड है, जो नुकेरा से माला रामपुरा बननी थी, वह रोड बनी है नुकेरा से धोलनगर । इनका मेरे को बता दिया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि संगरिया मण्डी की एक सड़क सादुल शहर रोड से सादुल ब्रांच 48 आर. डी. से 36 आर. डी. वाया अजमेर सिंह की ढाणी के लिये स्वीकृत की गयी थी। उसके बाद में तथ्य सामने लाए गये। वह जो ढाणी थी, वह आगे पड़ती थी, वाया पहले आना चाहिए था, निश्चित रूप से वह गलत था। लेकिन फिर स्वीकृति में सुधार करके उस सड़क को वाया हटाकर के उसके बाद कर दिया गया।

दूसरी चीज, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सड़क जो स्वीकृत हुई है, वह 22.2.97 को हुई है। पिछली सरकार के समय जो नीति तय की गयी थी उस नीति के अनुरूप । नीति में गड़बड़ नहीं है। नीति तो इन्होंने बनाई थी लेकिन वरीयता लांघकर के तत्कालीन सरकार के समय ये सड़कें सेंक्शन हुई थी और जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया है कि कहीं जनसंख्या नहीं थी, उसके बावजूद भी बना दी गयी। तथ्यों के आधार पर, रिकार्ड के आधार पर जो मैंने जवाब दिया है, वह सही दिया है। यदि फिर भी माननीय सदस्य को संतोष नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी शिकायत, जितनी अनियमितताएं वे समझते हैं, मुझे सूचित कर दें, लिखकर के दे दें। एक महीने में पूरी इंक्वायरी करवाकर के जिस व्यक्ति का दोष होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। एक तो मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं। दूसरी बात, जो गलतियां पहले की जा चुकीं हैं, तत्कालीन पूर्व सरकार की, उनमें यह सड़क बनी, तो चूंकि उसमें सुधार करने की स्थिति में मैं हूं नहीं लेकिन कहीं खामी रही है, किसी अधिकारी ने कोई गलती

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

की है और वह गलती की सजा का हकदार है तो वे मुझे लिखकर दे देंगे तो एक महीने में जांच करवा करके कार्यवाही कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी ।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का भाग संख्या पहला है कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क बनाने के क्या मानदण्ड है ?

इसके आधार पर मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सड़क मार्ग, जो एक जिले से दूसरे जिले के समीप जोड़ते हुए हैं, और उस जिले का, कृषि का जितना भी उत्पादन है, दूसरे जिले में आता है, क्या उन सड़कों को निर्माण करने के लिये, बनाने के लिये भी सरकार कोई विचार रखती है । मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, ब्यावर कृषि मण्डी है, जहां पर पूरी जैतारण, रायपुर और राजस्थान का सारा कपास और ऊन आती हैं ।

श्री के.सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन मेरा है । (व्यवधान) ये उलझा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ब्यावर मण्डी के एडजोइनिंग में रायपुर तहसील, जैतारण तहसील पड़ती है। क्या इस प्रकार की नीति अपनाकर के...(व्यवधान)

श्री के.सी विश्नोई : अध्यक्ष, महोदय, मूल मेरा प्रश्न मेरा है । मंत्रीजी को उलझा रहे है, वे (व्यवधान) मेरा प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कृषि मण्डी से एडजोइनिंग क्षेत्र से माल आता है वहां सरकार निर्माण करने का विचार करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ऐसे केवल ब्यावर मण्डी नहीं है। बहुत सारे जिलों में इस प्रकार पड़ौस के जिले को टच करते हुए मण्डी बनी हुई है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं । (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

श्री हीरासिंह चौहान : और उस क्षेत्र का माल आता है लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं । हालांकि यह प्रश्न अलग है, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं। जैसे कि आपने भावना व्यक्त की...(व्यवधान) ...

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं,क्या नीतिगत सवाल पूछे जा सकते है। (व्यवधान) नीतिगत सवाल उठ ही नहीं सकते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मैं आगे निवेदन कर रहा हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसी माननीय सदस्य

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)
की भावना है, मेरे सामने अन्य सदस्यों ने भी इस बात को उठाया, और पिछली सरकार की बनी हुई नीति में कोई सुधार करना आवश्यक होगा। इसलिए मैं इस सदन को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां नीति के अनुसार कहीं परिवर्तन करने के पश्चात् गांवों के विकास में सड़क बनने में कहीं नीति बाधक होगी, तो उसमें सुधार करके आप, जन–प्रतिनिधियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और कृषि उपज मण्डी एक स्वायत्तशासी संस्था है, किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, समय पर वह किसान अपनी उपज को मण्डी पहुंचा सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरा प्रयास करेगी। धन्यवाद।

श्री के.सी. विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रमजान खान : ब्यावर से जगमालपुरा सड़क है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से पाली जिले के अन्दर जगमालपुरा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब है ? (व्यवधान) आप प्रश्न पूछ लीजिए । (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सिर्फ आधा किलोमीटर फासला है, आधा किलोमीटर । इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसकी एम्बीट में तो आता नहीं है ।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, बड़ा नीतिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री क्या पूछ रहे हैं ? इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं मंत्रीजी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या कृषि मंत्रीजी पूर्ववर्ती सरकार की सड़क नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया उन्होंने। मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने ही कर दी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप क्यों खड़े हो रहे हो, आप यह मुझे बताइये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं सचेतक हूं । आपने ही कर दी है । (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप क्यों खड़े हो रहे हो ? आपको क्या दिक्कत आ रही है ? आप कृषि मंत्री हो क्या ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : बैठ जाओ। मैं सचेतक हूं ।

डा. किरोड़ी लाल : आप मेरे को बैठाने वाले कोई नहीं होते... (व्यवधान) अध्यक्ष बैठे हैं, वहां तो, अध्यक्ष होते हैं। आप कौन होते हैं मुझे बैठाने वाले ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं सचेतक हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष जी भी हमारे को बोलने नहीं देते। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी की

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत) तत्कालीन सरकार नहीं सोचती थी। वर्तमान सरकार माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप किसान के हित में कोई भी निर्णय लेने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरजीराम बुरड़क । क्या ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने नीतिगत प्रश्न यहां पर उठाया था, पूर्व सरकार का... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : वह नीतिगत का उन्होंने...

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उनके गांव से लेकर के बाड़ा बुजुर्ग तक की सड़क किस नीति के तहत बनी थी ? बाड़ा बुजुर्ग आते ही...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं—नहीं, उनका...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : पूरा हुआ था। आप नीति को तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप मंत्रीजी से पूछो न, मेरे से क्यों पूछ रहे हो ? कृषि मंत्रीजी से पूछो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग यह जो परस्पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृषि मंत्रीजी से पूछो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आपकी सरकार है, कर लो जो करना है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह परम्परा ठीक नहीं है। आप हमसे श्री सवाल पूछ रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री मदन दिलावर : उनको यह बात भी पता नहीं है कि प्रश्न किससे पूछा जाता है। यह भी पता नहीं कि प्रश्न किससे पूछा जाता है।

डा. किरोड़ी लाल : सवाल किसे पूछा जाता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : आखिर यह मुख्य सचेतक कैसे बन गये ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सवाल किससे पूछा जाता है, यह भी पता नहीं है। (व्यवधान)

तहसील लाडनूं में सहायक कलेक्टर कार्यालय की स्थापना

102. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण राजस्व अधिकारियों का न्यायिक कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य में अधिक समय देना है ? यदि हां, तो सरकार न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग—अलग क्यों नहीं कर रही है ? क्या राज्य की अधिकतर तहसील स्तरों पर सहायक जिला कलेक्टरों के कोर्ट मौजूद हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले में सभी तहसील मुख्यालयों पर सहायक कलेक्टरों के कार्यालय खुले हुए हैं ? यदि हां, तो तहसील लाडनूं में यह कार्यालय क्यों नहीं खोला गया तो अब कब तक खोल दिया जाएगा ?

(4) क्या जिन तहसील मुख्यालयों पर सहायक कलेक्टरों के न्यायालय नहीं हैं, उनके लिए जहां पर उपखण्ड अधिकारी और सहायक कलेक्टर दोनों कार्यालय है, वहां से सहायक कलेक्टरों के कार्यालयों को स्थानान्तरित किया जा सकता है ? यदि हां, तो कहां–कहां पर कब तक और नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दिनांक 31.12.98 तक 2,63,577 मामले लम्बित हैं । लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण बाबत् समय–समय पर राजस्व मण्डल स्तर पर समीक्षा की जाकर आवश्यक निर्देश जारी किये जाते रहे हैं ।

(2) कुछ राजस्व अधिकारियों के पास न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्य भी होते हैं ।

न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अलग–अलग करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राज्य की 78 तहसील मुख्यालयों पर सहायक कलेक्टर के न्यायालय स्थापित है।

लम्बित मामलों के तत्परता से निस्तारण हेतु कुछ अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ।

(3) जी, नहीं । लाडनूं तहसील उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के अधीन आती है । उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के यहां 31.12.98 तक 1158 दावे एवं 413 प्रार्थना पत्र,कुल 1571 मामले विचाराधीन हैं, जिनमें से तहसील लाडनूं के कुल 420 मामले विचाराधीन हैं । ऐसी स्थिति में तहसील लाडनूं में सहायक कलेक्टर न्यायालय खोलने का औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता है।

(4) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर दिया कि करीब पौने तीन लाख के आस–पास मुकदमे विभिन्न राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन हैं । और बारबार यह मांग उठायी गयी थी कि राजस्व न्यायालय अलग करके, प्रशासनिक अधिकारियों को अलग करके इन मामलों को सलटाया जा सकता है ।

आपने भाग दो में कहा है कि कुछ राजस्व अधिकारियों के पास न्यायिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्य भी हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कौनसा राजस्व अधिकारी है, जिसके पास केवल न्यायिक कार्य है और प्रशासनिक कार्य नहीं है ? आपने कहा कुछ, कुछ क्या, सारे के सारे प्रशासनिक कार्यो में लगे रहते है। आपको मालूम है कि आजकल जो नई–नई स्कीम्स चली हैं, वे राजस्व अधिकारी फैसलें कराने के बजाए उन गांवों में दौरा करते रहते हैं । जगह–जगह अखबारों में फोटो छपवाते रहते हैं और उसमें वे ज्यादा रुचि लेते हैं। राजस्व मामले का कोई फैसला करे तो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उनका नाम अखबार में आता नहीं है। विभिन्न स्तरों पर आपने सारा काम दूसरों को दे रखा है। आपने यह भी कहा है कि राजस्व मामलों को निपटाने के लिए हम अन्य उपाय कर रहें हैं। तो आप अन्य उपाय क्या कर रहे है ? यह सर्व–सम्मत सुझाव सभी तरफ से आया था कि राजस्व न्यायालयों का काम अलग से किया जाए। इसके लिए आपके पास जो ए.सी.एम. कोर्ट है, उनको आप अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें आपने प्रश्न पूछ लिया। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा, आपने यह कहा है कि लाडनूं में मामलों की संख्या कम है। तो क्या आप यह बता सकते हैं कि आज की तारीख में इससे कम संख्या की जगह पर ए.सी.एम. कोर्ट नहीं है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व अधिकारी को राजस्व मामले ही अधिकतर देखने हैं। समय–समय पर कुछ ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं, जैसे कोई चुनाव के मुद्दे हो या कोई लोकल बोडिज के चुनाव के मुद्दे हो, उस वक्त में इन राजस्व अधिकारियों को भी दायित्व सौंपे जाते हैं अन्यथा, मुख्यतः इनका काम अपने राजस्व मामलों को निपटाने का और राजस्व के अन्तर्गत आने वाले मसलों पर कार्यवाही करने का ही रहता है। कुछ ऐसे एस.डी.ओ., कुछ का मतलब मेरा एस.डी.ओ. से है कि तहसीलदार, ए.सी.एम., ये तो अधिकतर अपने रेवेन्यू कार्यों में रहते हैं। एस.डी.ओ. को कभी–कभी प्रशासनिक कार्यों के अन्दर भी नियोजित किया जाता रहा हैं। आपने जो एक प्रश्न पूछा कि कुछ और ऐसी तहसीलें हैं जहां पर इस तरह के कम मामले हैं लेकिन फिर भी वहां पर ए.सी.एम. आफिस है। इस तरह का मेरे पास विवरण तो अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई भौगोलिक या व्यावहारिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन समय पर वहां ए.सी.एम. कार्यालय खोले गये हों। लेकिन वर्तमान में अभी हमारे प्रदेश के अन्दर 78 तहसील मुख्यालयों पर ए.सी.एम. कार्यालय हैं लेकिन 163 तहसील मुख्यालयों पर ए.सी.एम. के पद सृजित नहीं हैं। अभी भी बहुत सी तहसीलें छूटी हुई हैं और मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि लाडनूं में एस.डी.ओ. डीडवाना की तरफ से हर माह के द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह में दो दिन का कैम्प–कोर्ट किया जाता है जिससे कि वहां के मसले निस्तारण किये जा सकें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का ऐसे उत्तर दिया कि जैसे कोई पूर्व सरकार ने उत्तर तैयार करके रखा हो। आप यह बता दें ...

श्रीमती कमला : नहीं, मैंने किया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, एक मिनट सुन लो। एस.डी.ओ. का जो कैम्प कोर्ट लगना शुरू हुआ वह कब शुरू हुआ और आज तक एस.डी.ओ. ने कैम्प–कोर्ट मे कोई एक भी फैसला किया ? अधिकतर फैसले वे डीडवाना से दे देते हैं। फरीक वहां पर चला जाता है। पेशी वह, डीडवाना से वकील लेता है। दोनों में आपस में कोई मेल नहीं बैठता।

दूसरा, मैंने यह स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि आपने भाग दो के उत्तर मे कहा है कि ...

श्रीमती कमला : हां, वह रह गया।

श्री हरजीराम बुरड़क : लम्बित मामलों के तत्परता से निस्तारण हेतु कुछ अन्य उपाय भी किया जा रहा है। तो वह अन्य उपाय क्या है, वह भी आप बता दें। कैम्प कोर्ट में फैसले कितने किये हैं, आप वह भी बता दें।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : एक मिनट।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं उनका जवाब दे दूं।

श्री आर.पी शर्मा (भरतपुर) : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में पूछ ले, क्या प्रश्न है ? लेकिन यह जवाब तो आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले अभी यह...

श्री आर.पी. शर्मा : एक मिनट में मैं पूछ लूं। साथ–साथ जवाब दे दें। क्या राजस्व अधिकारियों के केसेज के निस्तारण के लिए सरकार ने कोई कोटा फिक्स कर रखा है ? यदि नहीं कर रखा है तो क्या सरकार भविष्य में कितने केसेज का निस्तारण वे कम से कम करें, उसके लिए सरकार इस बात का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। ठीक है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व न्यायालयों की निगरानी, उनकी व्यवस्थाएं राजस्व मण्डल के अधीन कार्य करती है। राजस्व मण्डल ने समय–समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करके कुछ विशेष निर्देश जारी किये हैं। इसमें पहला निर्देश उन्होंने दिया है कि राजस्व अपील अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर्स अपने कार्य क्षेत्र में स्थित तहसील स्तर एवं उप तहसील में कैम्प–कोर्ट करेंगे।

दूसरा उन्होंने दिया कि कैम्प–कोर्ट में उस क्षेत्र के एक ही प्रकृति के मुकदमों को छांटकर के उनकी तिथियां कैम्प–कोर्ट में निश्चित की जाएं। इस हेतु आवश्कतानुसार सम्बधित एडवोकेट्स की भी सहमति ले ली जाए।

तीसरा निर्देश यह दिया कि कैम्प कोर्ट्स में ऐसे मुकदमों को आवश्यक रूप से रखा जाए जिनमें कि पक्षकारों की आपसी सहमति हो तथा राजीनामे के आधार पर ही मौके पर यह सब प्रकार के प्रकरण निस्तारण किये जा सकें।

चौथा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 212 प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण छह माह की अवधि में अनिवार्य रूप से कर दिया जाए जिला कलेक्टर, धारा 212(क) निरीक्षण के समय

(12 : 00 बजे)

राजस्व मंडल के सदस्यगण, संभागीय आयुक्त एवं प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करने में यदि ऐसे प्रार्थना–पत्र छह माह से अधिक अवधि से लम्बित पाये जाएं तो संबंधित राजस्व अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। राजस्व अधिकारी विशेषतः उपखण्ड अधिकारी प्रति सप्ताह सोम, मंगल, और बुधवार को अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय पर रहकर कोर्ट करें और वादों की सुनवाई करें। निर्धारित समयावधि में नोटिस तामिल कराना सुनिश्चित करें। उप खण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में कम से कम पांच ऐसे आदर्श ग्रामों की योजना बनाएं जिनको राजस्व वादों से मुक्ति दिला सकें। यह समीक्षा के बाद निर्देश दिये गये हैं। सरकार ने इन सबको ध्यान में रखते

(श्रीमती कमला)

हुए यह तय किया है कि इन सारे निर्देशों की प्रभावी ढंग से मोनिटरिंग करके, इनको क्रियान्वयन करने की व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की जाए। इस सिलसिले में राजस्व मडंल के अधिकार क्षेत्र में क्या व्यवस्था हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस बारे में व्यवस्था कायम करने की सोच रही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री आर.पी.शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त । नहीं,नहीं, आप नहीं पूछ सकते । प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

श्री आर.पी. शर्मा : मेरा प्रश्न कन्टीन्यू है। मैंने प्रश्न पूछा था कि सरकार का कोई कोटा फिक्स है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री आर.पी.शर्मा : माननीय मंत्रीजी, आप बताएं क्या सरकार ने कोई राजस्व मामलों में कोटा फिक्स कर रखा है क्या ? (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : (व्यवधान) राजस्व मामला है । काश्तकारों की बात है । (व्यवधान) ये गवर्नमेंट हमारी सुन ले ।

अध्यक्ष महोदय, ये काश्तकारों की बड़ी भारी समस्या है । दो मिनट मेरी सुन लें । (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर । आसन पैरों पर । प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री आर.पी.शर्मा : (व्यवधान) कितने केसेज वह कम से कम करें, यह भविष्य में उनके लिये जिम्मेदारी फिक्स करें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री आर.पी.शर्मा, आसन पैरों पर । श्री देवीलाल जी, आसन पैरों पर,आसन पैरो पर, आसन पैरों पर । (व्यवधान)

श्री आर.पी शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपने मुझे परमिट किया था । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, कोई नहीं पूछ सकता ।

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, यह काश्तकारों की बड़ी भारी समस्या है ।... (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : माननीय मंत्री महोदया, जवाब तो दें इस बात का ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त । प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री आर.पी.शर्मा : आपने मुझे परमिट किया था पूछने के लिये और मैंनें क्वेश्चन पूछा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद में आपने प्रश्न कर दिया । ठीक बात है । आप बैठें ।

श्री आर.पी. शर्मा : नहीं, पहले पूछा है, अध्यक्ष महोदय, मैंने ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं गलत परम्परा मैं नहीं डालूंगा । प्रश्नकाल समाप्त ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-। देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी, चूरू का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रकरण

131. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) :** क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य आयोजना अधिकारी, चूरू ने दिनांक 9 अक्टूबर, 1992 को कुछ चतुर्थ कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की थी ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वापस सेवा में लेने हेतु श्रम न्यायालय, बीकानेर ने दिनांक 23 नवम्बर, 1993 को आदेश दिये थे ? क्या उक्त आदेशों के विरुद्ध सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी ? उक्त अपील का क्या निर्णय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कर्मचारी को सरकारी सेवा में पुनः लेने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दिनांक 2 फरवरी, 1998 को एस. वी. सिविल रिट सं. 4115/94 के अन्तर्गत निर्णय दिया ? यदि हां, तो निर्णय की पालनार्थ सरकार क्या करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 09.10.1990 को एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (रामकुमार पुत्र सीताराम) की सेवाएं समाप्त की है।

(2) जी हां। श्रम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि "श्रमिक रामकुमार की दिनांक 26.09.1990 से की गई सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है । इसे इसके पद पर संवेतन नियोजित घोषित किया जाता है। इसकी सेवा में निरन्तरता कायम रहेगी।" राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय बीकानेर के निर्णय को कायम रखा ।

(3) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 02.02.1998 के विरुद्ध डी. बी. स्पेशल अपील संख्या 21/98 दायर की गई थी परन्तु एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध डी.बी. स्पेशल अपील दायर करने में विलम्ब हो जाने से उच्च न्यायालय ने डी.बी. स्पेशल अपील मियादबाद प्रस्तुत करने के कारण स्वीकार नहीं कर दिनांक 23.11.1998 को खारिज कर दी गई। विधि विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर नहीं किये जाने के संबंध में दिनांक 27.03.99 को निर्णय लिया गया है । अब विभाग द्वारा श्री रामकुमार पुत्र श्री सीताराम के संबंध में माननीय श्रम न्यायालय बीकानेर द्वारा दिनांक 23.11.93 को दिये गये निर्णय के संबंध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है ।

राज्य कर्मियों के लेखों में ब्याज की राशि का समायोजन

132. **श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :** क्या राज्य बीमा, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में राज्य कर्मियों खातों के अपूर्ण रिकार्ड के कारण

(श्री बाबूलाल नागर)
जमा से अधिक भुगतान होने के मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) क्या सरकार ने ऐसे प्रकरणों की जांच की है ? यदि हां, तो जांच में कौन–कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या जिम्मेदारियां आयद की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सेवानिवृत्त होने वाले तथा भविष्य में ऋण लेने वालों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ताकि ब्याज की गणना के पश्चात् सम्पूर्ण राशि के आकलन के पश्चात् भुगतान हो सके ?

उत्तर

(1) सरकार की जानकारी में कतिपय बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि खातों में ऋण एवं अन्तिम भुगतान के प्रकरणों में अधिक भुगतान होने के 20 मामले प्रकाश में आये हैं । इन प्रकरणों में अधिक भुगतान का कारण सम्बन्धित बीमेदारों/खातेदारों के आवेदन पत्रों में कटौतियों की फर्जी सूचनाएं निर्दिष्ट किया जाना रहा है।

(2) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कुल 20 प्रकरणों, राज्य बीमा के अन्तर्गत 15 प्रकरणों एवं प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत 5 प्रकरणों में, क्रमशः 4, 83, 981/– एवं 1,00,928/रुपये के अधिक भुगतान ऋण अथवा अन्तिम भुगतान के प्रकरणों में किये जाने पाये गये हैं। विभाग द्वारा इन प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से जहां एक ओर सम्बन्धित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई वहीं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को इन प्रकरणों में हुई अनियमितताओं में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने हेतु भी लिखा गया। इन प्रकरणों में की गई कार्यवाही के फलस्वरूप राज्य बीमा के प्रकरणों से सम्बन्धित 3,60,659/– एवं प्रावधायी निधि योजना से सम्बन्धित 22,532/–रुपये वसूल हो चुके हैं। कार्यवाही वर्तमान में प्रभाव में है।

(3) सेवा निवृति पर राज्य कर्मियों को विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अविलम्ब पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने इस आशय के कड़े प्रबन्ध किये हैं। विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा सभी सम्बन्धित राज्य कर्मियों को अन्तिम भुगतान हेतु दावा प्रपत्र प्रेषित कर दिये गये हैं एवं विभिन्न कार्यालयाध्क्षों से निरन्तर सम्पर्क के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी स्वत्व प्रपत्र समय पर प्राप्त हो जाये। समस्त सम्बन्धित पत्रावलियों में भी आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किये जा रहे हैं एवं ब्याज गणना सम्बन्धी कार्य को पूर्ण किया जा रहा है ताकि समस्त अन्तिम भुगतान एवं प्रकरणों में बिना असुविधा के राज्य कर्मियों को योजना के लाभ मिल सके।

इन दोनों योजनाओं में खतौनी कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कर्मचारियों की पासबुकों को भी सत्यापित किया जा रहा है एवं जिला कार्यालयों के यह निर्देश दिये गये हैं कि वे वर्ष 97–98 तक का ब्याज लगाकर ऋण प्रदान करें। अतः भविष्य में पूरा ब्याज सहित समय पर ऋण प्राप्त हो सके, इसकी माकूल व्यवस्था की गई है।

कोटा शहर के विकास हेतु मास्टर प्लान

133. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा शहर को मैगनेटिक सिटी के रूप में विकसित करने और आगामी 20 वर्षों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु कितनी-कितनी राशि कहां-कहां से जुटायी जावेगी तथा भारत सरकार इसमें कितना सहयोग करेगी ?

(3) अब प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कोटा शहर को काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है । जो आधारभूत सुविधाओं से संबंधित है।

(2) प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात् नेशनल कैपीटल रीजन बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात् नेशनल कैपीटल रीजन बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

राठी पेट्रोल पम्प जयपुर का अनधिकृत निर्माण प्रकरण

134. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोडाला जयपुर की को-आपरेटिव कालोनी के पास स्थित राठी पेट्रोल पम्प को कितनी भूमि कब आवंटित की गई थी ? आवंटित भूमि का नक्शा मय रकबे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त पैट्रोल पम्प के मालिकों ने उन्हें आवंटित भूमि से अधिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त पैट्रोल पम्प के निर्माण में कितनी भूमि काम में ली हुई है ? नक्शे की प्रति मय रकबे के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमियों द्वारा को-आपरेटिव कोलोनी में जाने के रास्ते पर अतिक्रमण कर रख है, जिसके कारण उक्त कालोनी के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है ? क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन नहीं किया गया। यद्यपि पेट्रोल पम्प हेतु भूमि का आवंटन जविप्रा द्वारा नहीं किया गया है तथापि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से प्राप्त दस्तावेजात से विदित होता है कि पेट्रोल पम्प प्रारम्भ से (सन् 1960 से) 150X100 फीट भूमि पर स्थापित किया गया था। वर्तमान में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन एवं श्री मोहनदास राठी (राठी सर्विस स्टेशन) के मध्य इकरारनामे भी इतनी ही भूमि पेट्रोल पम्प हेतु

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
अंकित की हुई है।

(2) वर्तमान में मौके पर पेट्रोल पम्प के मालिकों ने उक्त भूमि 150X100 फीट से अधिक पर कब्जा नहीं कर रखा है। पेट्रोल पम्प के निर्माण में 150X100 फीट भूमि काम में ली गई । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से प्राप्त नक्शे की छाया प्रति संलग्न है।

(3) चूंकि इस कालोनी का उप विभाजन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है अतः रास्ते में अतिक्रमण के रूप में कोई रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है। किन्तु रास्ते पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में ज.वि.प्रा. को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(नक्शा विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर निगम,जयपुर में कनिष्ठ लिपिकों का भर्ती प्रकरण

135. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) एवं **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशालय स्थानीय निकाय राजस्थान, जयपुर द्वारा नगर निगम जयपुर व अन्य निकायों में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु माह जनवरी/फरवरी, 1990 में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गयी थी ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों हेतु कितने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये तथा प्रत्येक आवेदक से कितना—कितना शुल्क लिया गया ? शुल्क राशि सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर निगम जयपुर में फरवरी, 1990 के बाद कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों पर ठेकेदारों के अतिरिक्त सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन—किन की और किस आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों (कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु) के कितने प्रकारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर एवं नगर निगम जयपुर के विरुद्ध रिट सं. 1043/93 एवं 5633/96 दायर की हुई है ? क्या उक्त दोनों याचिकाओं का निर्णय हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकरणों में आपसी समझौता कर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का विचार रखते हुये विचाराधीन वाद प्रकरण को समाप्त कराने की कार्यवाही की पक्षधर है ? यदि नही, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त रिट याचिका में सम्मिलित 4 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के माध्यम से कन्ष्ठि लिपिक के पदों पर दिनांक 22 जनवरी,1996, 26 मार्च, 1997 एवं 28 अप्रैल, 1998 को नियुक्ति दे दी गई है ? यदि हां, तो किन—किन को ? नामावार मय आदेशों की प्रति के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) नगर निगम जयपुर में वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के कितने पद रिक्त हैं ? क्या निदेशक स्थानीय निकाय राज. जयपुर ने अपने आदेश संख्या 1091 दिनांक 9—4—97 के द्वारा नगर निगम जयपुर मे 15 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों के लिये कुल 19,512 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थियों से 10/रुपये एवं अनुसूचित जाति/जनजाति से 2.50 रुपये तथा जिन आवेदकों ने विज्ञापन संख्या 7/84 के अन्तर्गत आवेदन किया था उन्हें इससे मुक्त रखा गया है। इस पद हेतु कुल 1,52,295/रुपये की राशि प्राप्त हुई है । विवरण प्रस्तुत हैं ।

(2) नगर निगम द्वारा फ़रवरी, 1990 के बाद चार नियुक्तियां अनियमित रूप से सर्वश्री विजय कृष्ण शर्मा, श्री राजेश जोशी, श्री विनीत किशोर पारीक एवं श्री अनिल पारीक की कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई है जिसे राज्य सरकार सही नहीं मानती है। उक्त मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु निम्न अभ्यर्थियों के मामले राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है :—

1. ओंकार प्रसाद गोस्वामी पुत्र श्री राम प्रसाद रिट नम्बर 5634/96

2. सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री मूंजीलाल रिट संख्या 5635/96

3. योगेश शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा रिट संख्या 5633/96

4. बन्नाराम पुत्र बुद्धाराम रिट सं. 5632/96

5. गिनित पारीक पुत्र श्री कमल किशोर पारीक रिट संख्या 1043/95

6. अनिल किशोर पुत्र रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी रिट संख्या 1043/95

7. राजेश जोशी पुत्र रामकिशोर जोशी रिट संख्या 1043/95

8. विजय कृष्ण शर्मा पुत्र गोपाल कृष्ण शर्मा रिट संख्या 1043/95

9. सुरेश चन्द पारीक पुत्र कैलाश चन्द पारीक रिट संख्या 1043/95

10. राजेश पारीक पुत्र स्व. आर.एस. पारीक रिट संख्या 1043/95

(4) जी हां। उक्त दोनों याचिकाओं का निर्णय नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(5) भाग संख्या 2 के उत्तर में संख्या 5 का उत्तर भी सम्मिलित है ।

(6) वर्तमान में नगर निगम, जयपुर में कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है, क्योंकि चुंगी समाप्ति के पश्चात् काफी स्टाफ अधिशेष हो गया है । जी हां। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट -2 पर देखें)

विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर की सफाई व्यवस्था

136. **श्री अमराराम चौधरी**(पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधायक नगर (पश्चिम) में सफाई की अव्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कचरे के ढेर को हटाने का विचार रखती है ?

(श्री अमराराम चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि विधायक नगर के अन्दर चारों ओर रोड लाइट बन्द है ? क्या सरकार इन्हें चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधायक नगर पश्चिम में सफाई की नियमित व्यवस्था है। वर्तमान में यहां कोई कचरे का ढेर नहीं है।

(2) विधायक नगर के अंदर 5 सोडियम लाइटें बंद थी, जिनको ठीक करवा दिया गया है । वर्तमान में सभी लाइटें चालू हैं ।

नगरपालिका गंगाशहर (बीकानेर) का पट्टा आवंटन प्रकरण

137. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगाशहर बीकानेर में नगरपालिका, गंगाशहर द्वारा गरीब तबके के लोगों को पट्टे देने की स्कीम के तहत आवासीय भू—खण्ड वर्ष 1976 में आवंटित किये थे ? यदि हां, तो क्या आवंटियों को पट्टे के कब्जे दे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या श्रीमती जड़ाव देवी बोथरा ने पट्टे का शुल्क 69 रुपये 60 पैसे जमा करवा दिये थे ? यदि हां, तो क्या अब सरकार इस गरीब महिला को माफिक पट्टा कब्जा देने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1976 में नगरपालिका गंगाशहर द्वारा ग़रीब तबके के लोगों को पट्टे देने की स्कीम के तहत पट्टे आवंटित कर कब्जे दे दिये गये थे।

(२) जी हां । श्रीमती जड़ाव देवी ने राशि जमा कर दी थी एवं उसे पट्टा और कब्जा दिया जा चुका है, इसलिए अब पुनः कब्जा दिलाने की पालिका के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है।

नगर परिषद् ब्यावर में व्याप्त अनियमितताएं

138. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् ब्यावर में कुछ व्यक्तियों ने भवन निर्माण की अनुमति चाही थी ? यदि हां, तो कब—कब ? क्या अधिनियम में वर्णित समय में स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त मामलों में आवेदकों की सुनवाई नहीं कर नगर परिषद् ने अपनी मनमानी की है ?

(2) नगर परिषद् ब्यावर के संबंध में जनवरी, 1995 से दिसम्बर, 1998 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? उक्त शिकायतें किन—किन के संबंध में प्राप्त हुई और शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक की जायेगी ?

(3) क्या उक्त नगर परिषद् के संबंध में शिकायतें पेवर की सड़क बनाने, ब्लाक्स निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य एवं चुंगी में भ्रष्टाचार और अन्य कार्यों के संबंध में थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)
तो क्यों ?

(4) क्या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 173 में भू-परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान है ? क्या यह सही है कि नियमानुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर ही शुल्क देय होता है ? धारा 173 में क्या संशोधन हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

(5) उक्त नगर परिषद् में नक्शे पास करने के लिए किसको नियुक्त कर रखा है ? क्या उक्त लिपिक द्वारा नागरिकों को परेशान किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में कई शिकायतें भी प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(6)राजस्थान नगरपालिका अधिनियम एवं उपनियम के अन्तर्गत गृह कर निर्धारण कम से कम कितने अन्तराल में किया जाता है ? क्या यह सही है कि प्रत्येक तीन वर्ष में गृहकर पुनः निर्धारण होना चाहिए ?

(7) क्या यह सही है कि नगर परिषद ब्यावर में पुनः गृह कर निर्धारण नहीं करके पुराना गृह कर ही बार–बार लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब गृह कर का पुनः निर्धारण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदनकर्ताओं से 1995 से लगातार 31 दिसम्बर, 1998 तक प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है। विवादित या अपूर्ण मामलों को छोड़कर अधिनियम में वर्णित समय में नियमानुसार स्वीकृतियां दी गई है ।

(2) नगर परिषद, ब्यावर के संबंध में अलग–अलग शाखाओं में मौखिक एवं लिखित शिकायत आती रहती है। नक्शों से संबंधित जनवरी 1995 से दिसम्बर 1998 तक कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त शिकायतें सभापति एवं पार्षदों व एक लिपिक से संबंधित थी, जो जिला कलेक्टर एवं नगरपालिका को टिप्पणी एवं जांच हेतु भिजवाई गई; जिनकी जांच विचाराधीन है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सदन की मेज पर रखी जा सकेगी। जांच शीघ्र प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। शिकायतों की प्रारम्भिक जांच उपखण्ड अधिकारी ब्यावर एवं फैरोब्लाक क्रय संबंधी शिकायत की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो, अजमेर द्वारा की जा रही है ।

(4) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 में भू–परिवर्तन संबंधी प्रावधान नहीं है । नियमानुसार भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन बाबत राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.12.91 के अनुसार शुल्क देय होता है। धारा 173 में कोई संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि राजस्थान नगरपालिका 1959 की धारा 173 के बाद पृथक से धारा 173 (ए) का प्रावधान 1974 में किया गया था, उसमें भू–परिवर्तन का प्रावधान है ।

(5) उक्त परिषद में नक्शे पास करने के लिए वर्ष 1995 से दिसम्बर, 1998 तक निम्नांकित लिपिक कार्यरत रहे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है एवं शिकायत जुलाई, 1997 में निदेशालय में प्राप्त हुई थी, उसकी जांच जारी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

है। जांच परिणाम उपरांत ही पता लगेगा कि क्या किसी ने परेशान किया है।

1.श्री जौहरीलाल सांड, व.लि.प्रभारी दि. 4.12.96 से 10.2.99 तक

2.श्री मालम सिंह, क. लि. 2.5.95 से 2.8.95 तक

3.श्री सत्यनारायण क. लि, 2.5.95 से 6.10.95 तक

4.श्री दुर्गालाल क.लि. 5.7.93 से 2.6.95 तक

5.श्री कैलाश चन्द भट्ट क. लि. 2.8.95 से 6.10.95 तक

6.श्रीमती दमयन्ती, क. लि. 6.10.95 से 4.12.96 तक

7.श्री मनोज शर्मा, क. लि. 4.12.96 से 21.11.97 तक

8.श्री जाहिद हुसैन, क. लि. 21.11.97 से 22.3.99 तक

(6) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 119 (1) के अन्तर्गत गृहकर निर्धारण कम से कम 3 वर्ष के अंतराल में किये जाने का प्रावधान है। जी हां ।

(7) यह सही है कि नगर परिषद ब्यावर में गृहकर पुनर्निर्धारण वर्ष 93—94 के पश्चात् वर्ष 1996—97 में होना चाहिए । वर्ष 1996—97 में गृहकर निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका था। मगर कर निर्धारक के स्थानान्तरण हो जाने के कारण गृहकर पुनः निर्धारण का कार्य पूरा नहीं हो सका । अब गृहकर का पुनः निर्धारण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जो वर्ष 1999—2000 में लागू किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3देखें)

हिण्डौन सिटी का गंदा नाला प्रकरण

139. **श्री भरोसी लाल**(हिण्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन सिटी शहर के मध्य एक गंदा नाला निकला हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त नाले की सफाई कराने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में बजट आवंटित किया था ? यदि हां,तो कितना ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाले की अभी तक सफाई नहीं कराई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नाले की गन्दगी के कारण शहर में भयानक बीमारी फैल रही है ?

(4) क्या अब सरकार उक्त गंदे नाले को साफ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त नाले की सफाई व पक्का निर्माण आदि कार्यो के लिए अब तक 59.89 लाख की राशि आवंटित की गई है ।

(2) उक्त नाले की सफाई का कार्य करवाया

(स्वायत्त शासन मंत्री)

गया था ।

(3) जी नहीं ।

(4) इस संबंध में संबंधित उच्चाधिकारियों से विचार–विमर्श कर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे है।

जयपुर शहर का गृह कर वसूली प्रकरण

140. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर नगर सीमा के अन्दर नागरिकों से गृह कर वसूलती है ? यदि हां, तो गृह कर वसूलने के क्या नियम हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि गृह कर वसूलने के बदले विभाग उपभोक्ताओं को कोई सुविधा भी प्रदान करता है ? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो गृह कर वसूलने का क्या औचित्य है ?

(3) गृह कर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है एवं इसका निर्धारण किस पद का अधिकारी/कर्मचारी करता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि गृह कर का भुगतान कई वर्ष से निर्धारण होने उपरांत भी वसूला नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि जगतपुरा (सांगानेर)की शिवराम कालोनी, रेल्वे फाटक के पास का भी वर्ष 1995 से गृह कर निर्धारण किया है ? यदि हां, तो किस आधार पर वर्ष 1995 से अब तक कितने लोगों ने गृह कर की राशि जमा करवाई है एवं कितनों ने नहीं कराई ? जमा करवाने वाले भूखण्डधारियों के नाम व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के भूखण्डधारियों द्वारा गृह कर जमा करवाने के उपरांत भी अब तक कोई सुविधा विभाग द्वारा नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब इस कालोनी को सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) वर्ष 1999–2000 में इस कालोनी के लोगों को विभाग क्या–क्या सुविधा प्रदान करने जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या यह सही है कि नगर निगम कर्मियों द्वारा निर्धारित की गई गृह कर राशि अत्यधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूखण्डधारियों के हितों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण के आधार पर गृह कर वसूलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जयपुर नगर निगम सीमा के अंदर निर्मित भवनों पर नगर निगम, जयपुर गृहकर वसूलती है। राजस्थान नगरपालिका (भूमि एवं भवन कर)नियम 1961 के तहत गृहकर वसूला जाता है । नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) गृहकर के बदले किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने की निगम पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है फिर भी नगर निगम

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अपने क्षेत्र में आवश्यक सुविधाएं यथा—सफाई, रोशनी एवं सड़कों/नालियों आदि की सुविधा तो उपलब्ध कराती है ।

(3) गृहकर का निर्धारण वार्षिक किराया मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है एवं इसका निर्धारण निगम के कर निर्धारकों द्वारा किया जाता है ।

(4) जी हां। कुछ मामलों में गृहकर राशि समय पर वसूली नहीं होने के कई कारण होते हैं यथा—भवन मालिक के अन्यत्र रहने तथा कानूनी कठिनाई या वसूली प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में होने सहित अनेक कारण हो सकते हैं ।

(5) जी हां। गृहकर निर्धारण का आधार प्रश्न के भाग तीन के उत्तर में सम्मिलित है । वर्ष 1995 से अब तक जगतपुरा के (सांगानेर) की शिवराम कालोनी, रेल्वे फाटक के पास के 6 भवन मालिकों ने गृहकर राशि जमा करवाई है एवं 58 भवन मालिकों ने राशि जमा नहीं करवाई है। राशि जमा करवाने वाले भूखण्डधारियों के नाम एवं राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(6) जी नहीं । जैसा कि प्रश्न के भाग दो में स्पष्ट किया जा चुका है कि इस कर के बदले सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी निगम ने उक्त क्षेत्र में सफाई, रोशनी एवं नालियों की सुविधा उपलब्ध करवाई है ।

(7) वर्ष 1999—2000 में इस कालोनी में जहां अभी तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है , वहां अपने आगामी स्वीकृत बजट एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर निगम सुविधाएं प्रदान कर सकेगी।

(8) जी नहीं । प्रश्न के भाग एक के उत्तर में अंकित नियमों में पृथक से ऐसे किसी वर्गीकरण किये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(प्रति व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द के गंदे पानी का निकासी प्रकरण

141. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका क्षेत्र राजसमंद की नालियों का गन्दा पानी राजसमंद झील की नगरपालिका क्षेत्र से गुजरती नहर से मिलता है, जिससे सिंचाई का पानी खेतों में प्रदूषित होकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है ?

(2) क्या इसी नहर का पानी शहरवासी घरेलू उपयोग एवं मवेशियों को पिलाने में भी लेते हैं ?

(3) क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र राजसमंद में गन्दे पानी की निकासी हेतु कोई पृथक् से योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि आंशिक रूप से कहीं कहीं पर नालियों का गंदा पानी पालिका क्षेत्र से गुजरती नहर से मिलता है, जिसको रोकने हेतु समय—समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं। फसलों के नुकसान होने संबंध में कोई शिकायत पालिका को प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) सामान्य रूप से नहर का पानी सिंचाई

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के काम ही आता है, लेकिन नहर के पानी के अन्य उपयोग में लेने की संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया जा सकता है।

(3) नगरपालिका मण्डल, राजसमन्द का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को इस विषय में प्राप्त नहीं हुआ है।

नगरपालिका करौली में अवैध नियुक्ति प्रकरण

142. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत(करौली) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगरपालिका करौली में पैरोकार के पद पर किसी को नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो किन प्रावधानों में उक्त नियुक्ति की गई ?

(2) क्या नगरपालिका करौली में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर किसी की नियुक्ति की गई ?

(3) क्या उक्त दोनों नियुक्तियों में सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक था ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगरपालिका करौली में श्री पुष्पेन्द्रकुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता की दैनिक वेतन पर दिनांक 10.7.98 को पालिका के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की गई थी, लेकिन स्वीकृति के अभाव में दिनांक 9.2.99 को सेवा से पृथक कर दिया गया है ।

(3) जी हां ।

जयपुर के रिसोर्ट्स के विचाराधीन प्रकरण

143. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) एवं **श्री यशवन्त सिंह (रामू)** (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार के पास मै. लोक होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स तथा मैं. शिवानी एन्क्लेव जयपुर का कोई मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मामले का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या सरकार के पास उक्त दोनों फर्मों की राशि जमा है ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों मामलों में सरकार पर खराब वित्तीय स्थिति होते हुए भी देनदारी का व्यय भार बढ़ रहा है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी, नही। उक्त प्रकरण, नगर निगम, जयपुर के स्तर पर विचाराधीन है । मैं. लोक होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रकरण की पत्रावली नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृति बाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चले जाने के कारण तथा मैं. शिवानी एन्क्लेव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के कारण लम्बित है। दोनों प्रकरणों में क्रमशः भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किये जाने के उपरांत ही तद्नुसार निपटारा किया जा सकेगा ।

(2) जी नहीं, । मैं. लोक होटल्स एण्ड

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
रिसोट्र्स की मानचित्र स्वीकृति के पेटे नगर निगम, जयपुर में राशि रुपये एक करोड़ चौवन लाख रुपये जमा है, किन्तु मै. शिवानी एन्क्लेव की कोई राशि निगम में जमा नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग दो के उत्तर के बाद प्रश्न के भाग तीन के उत्तर दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उप तहसील की स्थापना

144. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सब तहसील खोलने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उप तहसील खोलने हेतु विभाग को सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब—कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1999—2000 में इस क्षेत्र में उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां—कहां पर और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उप तहसील सृजित करने हेतु मजिठिया समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य उप तहसील के लिए 15 पटवार वृत्तों एवं रेगिस्तानी इलाकों के लिए 10 पटवार वृत्तों एवं ट्राइबल एंव पहाड़ी ऐरिया के लिए 8 पटवार वृत्तों का मापदण्ड होना निर्धारित किया है ।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

ग्राम पंचायत, दुर्गाकाबास (आमेर) में दलितों की भूमि का कब्जा प्रकरण

145. **श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** (आसीन्द) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की ग्राम पंचायत दुर्गाकाबास, तहसील आमेर में भूमाफिया द्वारा दलित व पिछड़े वर्ग की आबादी भूमि पर कब्जा करने हेतु गिरदावर व पटवारी की मिलीभगत से आबादी भूमि को गलत तरीके से नपा कर हड़पने की कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या गिरदावर व पटवारी को आबादी भूमि के नाप हेतु तहसीलदार या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मियों ने नाप किस आदेश के तहत की ?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मियों को भविष्य में बिना आदेश इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में पाबंद करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) उक्त कर्मियों द्वारा बिना आदेश के कोई कार्यवाही नहीं की है ।

पंचायत बूसी (पाली) का आबादी भूमि विस्तार प्रकरण

146. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की बूसी पंचायत गत तीन वर्षो से आबादी भूमि विस्तार की मांग कर रही है ? यदि हां, तो आबादी भूमि विस्तार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार अब कब तक विस्तार की अनुमति प्रदान करेगी ।

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नं. 1006 में 15 बीघा भूमि की मांग की गई थी ? यदि हां, तो पंचायत प्रस्ताव के अनुसार मांग कब की गई ? क्या आज तक उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि समस्या समाधान शिविर दिनांक 21 अगस्त, 1998 में अन्य दूसरे खसरा नम्बरान की मांग भी प्रस्तुत की गई थी और मौका मुआयना एस.डी.ओ. व तहसीलदार ने देख लिया था ? यदि हां तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई और नही, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि ग्राम पंचायत बूसी ने प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 29.1.97 एवं प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29.11.97 द्वारा आबादी विस्तार की मांग की गई । प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 29.1.97 द्वारा प्रस्तावित भूमि ख. नं. 1006 एवं 1001 रकबा 15 बीघा गोचर भूमि पर 9 व्यक्तियों का अतिक्रमण है, अतिक्रमित भूमि पर अलग–अलग स्थानों पर कब्जे एंव पक्के मकान बने हुए हैं । जिसमें परिवार निवास करते हैं । प्रस्ताव संख्या दिनांक 29.11.97 प्रस्तावित भूमि ख.नं. 588, 684, 639, 689, कुल रकबा 24 बीघा में से ख.नं. 639 एवं 689 की भूमि गै.मु. रास्ता है, रास्ता की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि का प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार पाली ने पत्र क्रमांक राजस्व/261 दिनांक 6.3.99 के द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को लिखा है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

(2) जी हां । यह सही है कि ख. नं. 1006 में से 11.10 बीघा व ख. नं. 1001 में से 3.10 कुल 15 बीघा भूमि का प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 29.1.97 द्वारा मांग की गई । प्रस्तावित भूमि गोचर है। पूर्व में 15 बीघा आबादी विस्तार हो चुका है । गोचर में से 4 हैक्टेयर तक आबादी विस्तार किया जा सकता है। शेष 15 बीघा भूमि ख.नं. 684 व 688 में से आबादी विस्तार करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत बूसी स्वयं उपस्थित होकर तहसीलदार पाली को सहमति दी एवं ख. नं. 1006 एवं 1001 की मांग वापस ली गई । खसरा नम्बर 684 एवं 688 का नया प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां । यह सही है कि ग्राम बूसी के ख.नं. 588,684, 689 कुल रकबा 24 बीघा भूमि की मांग की गई थी । प्रस्तावित भूमि का उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया गया । ख. नं. 689 रास्ता की भूमि होने से प्रस्ताव लौटाया गया । उसके स्थान पर नया प्रस्ताव चाहा गया है । प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज का भू-आवंटन प्रकरण

147. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या

(श्री कन्हैयालाल)

राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या एफ. 6(78) राज/8/95, दिनांक 16 जनवरी, 1997 से एन.ई.आई. को गोपालपुरा जयपुर की कृषि भूमि कुल रकवा 36.41 एकड़ अस्पताल व इससे संबंधित कार्यो के लिए आवंटित की/सीलिंग की छूट प्रदान की है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2)क्या यह भी सही है कि इस कृषि भूमि के लिए अब एन.ई.आई.ने व्यापारिक/व्यवसायिक और आवासीय काम्प्लेक्स बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया है ? यदि हां, तो एन.ई.आई. के प्रार्थना–पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग–2 में वांछित छूट क्या प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार प्रश्न के भाग–2 की छूट को मांग के आधार पर वर्ष 1997 में प्रदान की गयी छूट को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(78) राज/ ग्रुप–8/95 दिनांक 16 जनवरी, 1997 के द्वारा मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. कम्पनी को ग्राम गोपालपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की कृषि भूमि ख नं331/366,331,343,344,345,346,347,355, 355/367 एवं 355/368, में 36.41 एकड़ भूमि पर बिड़ला सेंटर फोर मेडिकल रिसर्च अस्पताल की सहायक सेवाओं के लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 22(2) के तहत छूट प्रदान की गई है । अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं ।

(3) भाग 2 के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दूदू में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भू-आवंटन प्रकरण

148. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में सीलिंग नियमों के तहत कितनी–कितनी भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के किन–किन को कब–कब आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त आवंटित भूमि पर वर्तमान में आवंटियों का ही कब्जा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब उक्त आवंटियों को कब्जा दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में वर्ष 1974 में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किन–किन को ? आवंटी का नाम, खसरा नम्बर एवं कब्जा रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में सीलिंग नियमों के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को निम्नानुसार भूमि का आवंटन किया गया है :–

नाम तहसील	आवंटियों का विवरण		
	अ.जा./ अ.ज.जा. के व्यक्तियों की संख्या	आवंटित रकबा बीघा	बिस्वा
दूदू	329	2313	05
फूलेरा	118	936	09
योग :	447	3249	14

आवंटन वर्ष 1972, 1973, 1975 व इसके बाद के वर्षो में हुआ है । आंवटियों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(2) उक्त आंवटित भूमि पर 389 आवंटियों का वर्तमान कब्जा है, शेष 58 आंवटियों का मौके पर वर्तमान में कब्जा नहीं है उनका विवरण निम्नप्रकार है :–

आवंटियों की संख्या	कब्जा नहीं होने का कारण
1	2
10	भूमि का बेचान कर देने का कारण
8	न्यायालयों में वाद लम्बित होने के कारण
2	राजस्व रेकार्ड की खामी के कारण
1	प्रिमियम जमा नहीं कराने के कारण नाम खारिज होने से
1	न्यायालय से अन्य व्यक्ति के नाम डिक्री हो जाने के कारण
36	अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण

उक्त गैर कब्जाधारी आवंटियों को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1995 की धारा 183 बी/सी के अर्न्तगत कार्यवाही कर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी नहीं ।

इस क्षेत्र में वर्ष 1974 में सीलिंग भूमि का आवंटन नहीं हुआ है ।

(विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में काबिल काश्त भूमि का आवंटन

149. **श्री फतेह सिंह**(कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री फतेह सिंह)

(1) जिला बांसवाड़ा की किन–किन तहसील क्षेत्र में कितनी–कितनी भूमि किस–किस गांव में काबिल काश्त पड़त भूमि है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ क्षेत्र में काबिल काश्त जमीन पर भूमिहीनों का कब्जा है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में तहसीलवार काबिल काश्त भूमि निम्नानुसार है:– (रकबा एकड़ में)

नाम तहसील	कमाण्ड क्षेत्र	अनकमाण्ड क्षेत्र
बांसवाड़ा	4204.00	453.00
गढ़ी	17047.00	649.41
घाटोल	3524.00	2136.00
बागीदौरा	4708.00	3150.00
कुशलगढ़	--	1799.58
योग	29483.57	8196.99

कमाण्ड क्षेत्र की सूचियां परिशिष्ट–अ एवं अनकमाण्ड क्षेत्र की सूचियां परिशिष्ट–ब संलग्न है ।

(2) जी हां । विधान सभा क्षेत्र में काबिल काश्त भूमि पर भूमिहीनों का अतिक्रमण है, परन्तु अतिक्रमियों का कब्जा अलग–अलग वर्षों में रहा है । और उन्हीं लोगों का निरन्तर कब्जा नहीं है ।

(3) जी हां । भूमि आवंटन सलाहकार समितियों की बैठकें आयोजित कर भूमि का आवंटन किया जाता रहा है । जो आगे भी जारी रहेगा ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील बौंली में राजस्व न्यायालय की स्थापना

150.**डा. किरोड़ी लाल**(बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :–

(1) क्या यह सही है कि बौंली तहसील मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्यालय स्वीकृत होने के बाद भी कार्य का संचालन सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) अब बौंली में उक्त कार्यालय का विधिवत कार्य कब से चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । बौंली तहसील मुख्यालय पर सहायक कलेक्टर का न्यायालय स्थगित नहीं किया गया है। अधिसूचना संख्या पं 9(23) राज–1/96 दिनांक 10.8.98 के द्वारा जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर पर एवं सहायक कलेक्टर का न्यायालय सृजित किया गया।

(2) सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर का कैम्प कोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में दो–दो दिवस एवं तृतीय एवं चतुर्थ

(राजस्व मंत्री)

सप्ताह में तीन–तीन दिवस तहसील मुख्यालय बौंली पर लगाने के आदेश जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने दिनांक 30.1.99 को जारी किये है ।

राजस्व ग्राम घोषित करने के विचाराधीन प्रस्ताव

151. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में बड़ी ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के कितने मामले विचाराधीन हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टरों के प्रस्ताव भेजने के बावजूद भी गत पांच वर्षो से सरकार ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करने में ढिलाई बरत रही है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत व विचाराधीन ढाणियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार राज्य में प्रस्तावित ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में बड़ी ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के 12 मामले विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के जिला कलेक्टरों के प्रस्ताव राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर नियमानुसार नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की कार्यवाही की जाती है। गत 5 वर्षों में घोषित एवं विचाराधीन राजस्व ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखी दी गई है।

(3) जी हां । जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 व इससे अधिक है, उन मजरे/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला कलेक्टरों द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, उनका परीक्षण कर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाते हैं और यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

''रानी आयल मिल'' अलवर का लीज प्रकरण

152. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर रेलवे स्टेशन के समीप "रानी आयल मिल" स्थित भूमि सरकार द्वारा उद्योग लगाने हेतु "लीज" पर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर उद्योग कई वर्ष पूर्व बन्द हो गया है ?

(3) यदि हां, तो क्या उद्योग बन्द होने की स्थिति में उक्त भूमि सरकार में निहित हो गई है ?

(4)उक्त भूमि को कब्जा लेने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । यह भूमि तत्कालीन अलवर स्टेट द्वारा वर्ष 1884 से 10 वर्ष के लिए फ्री

(राजस्व मंत्री)
आफ कास्ट हरमुखराय गोविन्दराम खुर्जा निवासी को उद्योग लगाने हेतु लीज पर दी गई थी। जिसकी लीज अवधि 10-10 वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी । जिस पर रायल्टी देय थी । वर्ष 1904 में 10 वर्ष के लिये पुनः लीज अवधि बढ़ाई गई, जो मार्च 1914 को समाप्त होनी थी। उसके बाद अप्रेल 1914 में उक्त उद्योग को चलाने के लिये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करके आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में मांगे गये थे।

(2) जी हां । उक्त भूमि पर स्थित उद्योग बहुत समय पूर्व ही बन्द हो गया था ।

(3) उक्त भूमि हरमुखराय गोविन्दराम को केवल लीज पर उद्योग लगाने हेतु दी गई थी। स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही था। उद्योग बन्द होने पर भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई है ।

(4) राज्य सरकार के मार्ग दर्शन के आधार पर जिलाधीश अलवर ने दिनांक 25.6.73 को एस. डी. ओ./तहसीलदार अलवर को बेदखली की कार्यवाही के आदेश दिये और नगर सुधार न्यास को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये । नगर सुधार न्यास द्वारा तोतालाल पुत्र चम्पा लाल को नोटिस दिनांक 10.9.73 जारी कर के 15 दिन की अवधि में फैक्ट्री को मटीरियल हटाकर कब्जा वापस करने का निर्देश दिया, लेकिन राजस्व रिकार्ड में भूमि हरसुखराय गोविन्दराम के नाम खातेदारी की दर्ज थी, इसलिये बेदखली की कार्यवाही नहीं हो सकी और खातेदारी के इन्द्राजात को हटाने के लिये दिनांक 27.2.75 को राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भेजा गया। राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 6.2.84 के द्वारा हरमुखराय गोविन्दराम के खतेदारी के इन्द्राजात राजस्व रेकार्ड से दिनांक 23.2.96 को हटाये गये, जिसके विरुद्ध पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत करने व रीविजन राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होने पर यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश प्रभावी होने के कारण कब्जा नहीं लिया गया। उक्त रीविजन का निर्णय दिनांक 31.7.98 व संशोधित निर्णय दिनांक 8.9.98 को दिया गया । कब्जे की कार्यवाही विचाराधीन है ।

तहसील सिवाना की गोचर भूमि पर अवैध कब्जों का नियमन

153. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर के तहसील सिवाना में गोचर भूमि पर मकान बनाकर कितने अवैध कब्जे किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त कब्जों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के तहसील सिवाना में गोचर भूमि पर कच्चे/पक्के मकान बनाकर 300 अवैध कब्जे किये गये हैं । सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) पशुधन की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार गोचर भूमि में हुए अतिक्रमणों को नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती

(राजस्व मंत्री)

है । क्योंकि गोचर भूमि पशुधन के हित में ग्राम पंचायत की देखरेख में दी हुई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम खींवास (जमवारामगढ़) की गैर मुमकिन तलाई भूमि का अतिक्रमण प्रकरण

154.**श्री अमराराम चौधरी**(पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींवास, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में वर्ष 1995 में दायर वाद सिविल न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर में न्यायालय ने फैसले में अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमी माना है ? यदि हां तो, उक्त फैसला किस तिथि को दिया गया था ? फैसले की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा दिनांक 26-7-95 को न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ को अतिक्रमणियों के विरुद्ध पुनः सुनवाई करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक कितनी बार सुनवाई की गई और नहीं, तो अब तक एक भी सुनवाई नहीं करने के क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तलाई की भूमि पर से अतिक्रमण की बेदखली हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर) ने दिनांक 10 मार्च, 1989 को कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिरिक्त कलक्टर जयपुर के यहां अपील की थी ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सही है कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय), जयपुर ने उक्त प्रकरण में अपील होने पर अतिक्रमणियों की सजा के विरुद्ध स्थगन आदेश प्रदान किये थे ? क्या उक्त स्थगन आदेश में बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थगन की आड़ में अधिकारी/कर्मचारियों ने अतिक्रमणियों से सांठ—गांठ करके अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है ?

(7) क्या सरकार उक्त बेदखली के आदेश की पालना नहीं कर प्रकरण को अटकाये रखने वाले अतिक्रमी एवं दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम खेमावास तहसील जमवारामगढ़ में ख.नं. 71 गै. मु. तलाई के अतिक्रमण के संबंध में वर्ष 1995 में रामजी लाल बनाम सरकार मुकदमा नम्बर 283/95 सिविल न्यायालय(प्रथम)न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट जयपुर में विचाराधीन था । जिसमें दिनांक 27.2.99 को निर्णय पारित हो चुका है।

(राजस्व मंत्री)

न्यायालय ने अतिक्रमणकर्ताओं को अपने फैसले में अतिक्रमी माना है । फैसले की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा दिनांक 26.7.95 को न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अतिक्रमियों को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया था ।उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण में 17 बाद सुनवाई की गई थी । इसी प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.96 निर्णय पारित होने तक प्रकरण यथा–स्थिति रखने के आदेश पारित कर रखे थे। इसलिये न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा उक्त न्यायालय के आदेश की पालना की गई है।

(3) जी हां । उक्त तलाई की भूमि पर से अतिक्रमी को बेदखली करने हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.10.89 को निर्णय पारित किया था । जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है । प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी हां। न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ के आदेश दिनांक 20.10.89 के विरुद्ध अतिक्रमी ने न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर (द्वितीय) के यहां अपील प्रस्तुत की थी । न्यायालय नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 20.10.89 में अतिक्रमी को शास्ति एवं बेदखली से ही दण्डित किया गया था । न्यायालय अति. कलक्टर(द्वितीय) ने आदेश क्रमांक 2652 दिनांक 23.12.89 द्वारा अतिक्रमी को 2500/–रु. जमा कराने पर बेदखल नहीं करने के आदेश दिये थे । इस पर अतिक्रमी ने उक्त राशि जमा करा दी थी।

(5) जी नहीं । न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर ने अतिक्रमियों को सजा के विरुद्ध कोई–स्थगन आदेश प्रदान नहीं किया था । उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने का आदेश दिया था ।

(6) जी नहीं । स्थगन में स्पष्ट आदेश था कि अतिक्रमी 2500/–रु. जमा कराये तो बेदखली ताहुक्म सानी स्थगित रखी जावे । इस पर उक्त अतिक्रमी ने 2500/–रु. जमा करा दिये थे ।

(7) जी नहीं । बेदखली आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ दिनांक 20.10.89 एवं 27.4.94 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) के निर्णय दिनांक 30.11.92 एवं न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) के निर्णय दिनांक 26.7.95 द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ को प्रकरण में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये थे। इसी बीच इसी प्रकरण में सिविल न्यायालय में मु.नं. 283/95 जैरकार होने पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 8.8.96 को विवादित भूमि को यथास्थिति रखने के स्थगन आदेश दिये गये । उक्त आदेश निर्णय होने तक प्रभावित रहे हैं। उक्त सिविल न्यायालय में दिनांक 27.2.99 को यह निर्णय पारित हुआ कि अतिक्रमणकर्ता अतिक्रमी हैं । अतः अब उक्त अतिक्रमी को न्यायालय अपर कलक्टर

(राजस्व मंत्री)

(द्वितीय) के निर्णय दिनांक 30.11.92 तथा न्यायालय कलक्टर (प्रथम) के निर्णय दिनांक 26.7.95 के क्रम में पुनः न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा सुनवाई कर शीघ्र निर्णय पारित कर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसलिये इस प्रकरण में कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

(8) प्रश्न के भाग (7) के उत्तर अनुसार।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-155

(स्थगित)

जिला बाड़मेर में श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन

156. **श्री वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटित करती है ? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में अब तक किन—किन गांवों एवं शहरों में ऐसी भूमि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार अब विचाराधीन प्रकरणों को निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन—जिन ग्रामों में मौके पर श्मशान/कब्रिस्तान हेतु भूमि है, उसका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं है । ऐसी भूमियों को राजस्व अभिलेखों में श्मशान/कब्रिस्तान के नाम इन्द्राज करने की कार्यवाही बाड़मेर जिले में की जा रही है । इस जिले में इस प्रकार के 74 ग्रामों में श्मशान/कब्रिस्तान की भूमियां आरक्षित की गई है। जिसकी सूची संलग्न है।

(2) विचाराधीन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला अजमेर की औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण निवारण संयंत्र

157. **श्री कयूयूम खान** (मसूदा) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं ? उनमें से कितनी इकाइयों ने प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण—पत्र प्राप्त किये बिना ही कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में जिला अजमेर में 409 प्रदूषण कारी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं । इनमें से 342 औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र (उद्योग

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

चलाने हेतु सम्मति) प्राप्त कर रखे हैं, सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी हां । 67 इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण—पत्र (उद्योग चलाने की सम्मति) प्राप्त किये बिना ही कार्यरत हैं । मण्डल द्वारा इन औद्योगिक इकाइयों को समय—समय पर नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सम्मति हेतु आवेदन नहीं किया है । ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही के विवरण सहित, परिशिष्ट 'ब' (क से घ) पर संलग्न है।

(3) मण्डल द्वारा उद्योगों का समय—समय पर निरीक्षण किया जाता है, और उनसे किसी भी प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होने सम्बन्धी सम्भावना होने पर कानूनी नोटिस देकर सम्मति निरस्त करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत दोषी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

(सूची, विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता

158. **श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर)** : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति सोजत, रायपुर तथा जैतारण में सस्ते अनाज की दुकानों पर कितने—कितने क्विंटल अनाज लेने को अधिकृत कर रखे हैं ? क्या आवंटित अनाज दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सामान्य राशनधारी व गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवार को अलग—अलग दर पर अनाज दिया जाता है या अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ? पाली जिले में चयनित परिवारों की प्रत्येक पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला पाली में वर्ष 1997—98 व 1998—99 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा उक्त में से कितने मामलों का चालान कोर्ट में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला पाली की पंचायत समिति सोजत, रायपुर तथा जैतारण में सस्ते अनाज की दुकानों पर वितरण हेतु गेहूं का आवंटन क्रमशः 1750 क्विंटल, 1370 क्विंटल एवं 1500 क्विंटल प्रतिमाह हो रहा है। जिसका प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों को उनके यहां पंजीकृत यूनिटों के आधार पर उप वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत समिति की मांग को ध्यान में रखकर अतिरिक्त आवंटन भी किया जाता है। अधिकतर आवंटित गेहूं का उठाव एवं वितरण हो रहा है।

(2) जी हां । पाली जिले में चयनित परिवारों की पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जिला पाली में वर्ष 1997—98 एवं वर्ष 1998—99 में कुल 43 मामले कालाबाजारी के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दर्ज किये । तीन प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई । किसी भी प्रकरण में कोर्ट में चालान नहीं किया गया है। विभागीय कार्यवाही की गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

कृभको द्वारा ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र की स्थापना

159. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृभको द्वारा राजस्थान में विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने की पेशकश की गई थी तथा 25 लाख रुपये की लाइसेन्स फीस की राशि भी जमा करवा दी थी ? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ?

(2) उक्त संयंत्र से कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य था और उक्त योजना किन कारणों से अभी तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी और अब किस स्थिति में है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृभको द्वारा राजस्थान के झुंझुनूं जिले में 200 मेगावाट क्षमता का नेफ्था आधारित विद्युत गृह लगाने हेतु पेशकश की थी तथा उक्त संयंत्र हेतु दिनांक 14.8.1996 को 25 लाख रुपये,डवलपमेंट सिक्योरिटी के रूप में जमा कराये थे ।

(2) उक्त संयंत्र से 288 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित था व राज्य सरकार द्वारा इस हेतु सहमति प्रदान कर दी गई थी । कृभको ने पत्र दिनांक 14.7.1998 के द्वारा राज्य सरकार को, निम्न कारणों से परियोजना लगाने में अपनी असमर्थता जाहिर की :—

(i) परियोजना के लिए ईधन (नेफ्था) (जिसकी जिम्मेदारी कृभको की थी) उपलब्ध न हो पाने के कारण :

(ii) परियोजना के लिए झुंझुनूं जिले में भू-तलीय जल की उपलब्धता न होने तथा भूगर्भीय जल का उपयोग करने पर उसका किसानों पर दुष्प्रभाव के कारण ।

राज्य सरकार द्वारा सचिव स्तर पर पत्र दिनांक 1.8.98 द्वारा कृभको से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया, परन्तु कृभको ने अपने पत्र दिनांक 5.8.98 के द्वारा पुनः डवलपमेंट सिक्योरिटी वापस करने के लिए लिखा है । मुख्य मंत्री ने भी पत्र दिनांक 8.9.1998 द्वारा केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री से इस मामले में पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था परन्तु कृभको द्वारा निर्णय बदलने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई । उपरोक्त परिस्थितियों के कारण कृभको की डवलपमेंट सिक्योरिटी की राशि वापस करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जलदाय विभाग डीडवाना का विद्युत लाइन प्रकरण

160. श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दोदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर में ग्राम रताऊ ग्रिड सब स्टेशन से सीधी लाइन के लिए जलदाय विभाग डीडवाना ने विद्युत मण्डल कार्यालय डीडवाना में राशि जमा कराई ? यदि हां, तो कब कितनी राशि ? उक्त लाइन का कार्य विद्युत मण्डल ने कब शुरू किया ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त लाइन का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम दोदोली तहसील डीडवाना जिला नागौर को ग्राम रताऊ के 33/11 के.वी. सब स्टेशन से एक सीधी लाइन खींचने हेतु जलदाय विभाग, डीडवाना द्वारा सहायक अभियन्ता (प.व.सं.) डीडवाना में दिनांक 12.2.99 को 7,99,765/—रु, की राशि जमा करवाई गई थी । उक्त लाइन का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(2) उक्त लाइन के लिये कुछ आवश्यक मैचिंग सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। लेकिन अब सामान उपलब्ध करवा दिया गया है तथा लाइन का कार्य माह अप्रेल, 1999 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

तहसील डेगाना के सामान्य श्रेणी के लम्बित कृषि कनेक्शंस

161. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा(डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में सामान्य श्रेणी के कुल कितने कृषि कनेक्शन किस वर्ष से बकाया हैं ? संख्या सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन वर्ष 1986—87 से बकाया हैं ? यदि हां, तो कुल कितने—कितने ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1999—2000 के दौरान उक्त श्रेणी के कितने कनेक्शन किस वर्ष तक के डेगाना तहसील के जारी किए जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में सामान्य श्रेणी के कुल 13961 आवेदन पत्र कृषि कनेक्शन हेतु बकाया थे जिनका तहसीलवार एवं वर्षवार विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र. सं. तहसील का नाम	वर्ष जिससे बकाया है	बकाया कृषि आवेदनों की संख्या
1. नागौर	1987—88	2475
2. खिंवसर	1989—90	1138
3. मेड़ता	1986—87	2889
4. डेगाना	1986—87	1401
5. जायल	1987—88	853
6. मकराना	1986—87	741
7. नावां	1986—87	1984
8. परबतसर	1985—86	1122
9. डीडवाना	1986—87	868
10. लाडनूं	1991—92	490
	योग :	13961

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां । तहसील डेगाना में सामान्य श्रेणी के वर्ष 1986–87 से 1998–99 तक कुल 1401 आवेदन पत्र लम्बित हैं । जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) डेगाना तहसील जिला नागौर में वर्ष 1999–2000 के दौरान निर्धारित नीति व आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही कृषि कनेक्शन दिये जा सकेंगे ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट- 6 देखें)

जगतपुरा (जयपुर) में अनियमित विद्युत आपूर्ति

162. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जगतपुरा (सांगानेर) जयपुर की रेल्वे फ़ाटक के पास शिवराम कालोनी में कम वोल्टेज आने की शिकायत मण्डल/सरकार को मिली है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 एवं 1998 के मध्य उक्त कालोनी के लिए अलग से एक नया ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या उसके उपरांत भी इस कालोनी के लोगों को सही वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार वोल्टेज सुधार हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जगतपुरा (सांगानेर) जयपुर की रेल्वे फाटक के पास स्थित शिवराम कालोनी में वोल्टेज सुधार हेतु एक 100 के. वी. ए. क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाकर व सम्पूर्ण कालोनी की सिंगल फेज लाइनों को तीन फेज लाइन में परिवर्तित कर शिकायत का निवारण कर दिया गया है ।

(2) जी हां । वर्ष 1997–98 में वोल्टेज सुधार हेतु उक्त कालोनी में 100 के.वी.ए. क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाकर सम्पूर्ण कालोनी में सिंगल फेज लाइनों को तीन फेज लाइनों में परिवर्तित करके वोल्टेज समस्या का हल किया जा चुका है । वर्तमान में वोल्टेज सम्बन्धी कोई शिकायत बकाया नहीं है, फिर भी उक्त कालोनी के स्थान विशेष की शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

तहसील देसूरी में प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

163. **श्री केसाराम चौधरी**(खारची) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देसूरी तहसील के ग्राम कोलर में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इस कार्य को अब तक क्यों नहीं चालू किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति घेनड़ी के ग्राम राणी में 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उसका कार्य चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त कार्य को इसी वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । देसूरी तहसील के ग्राम कोलर में 33 के. वी ग्रिड सब स्टेशन का कार्य

(ऊर्जा मंत्री)

प्रारम्भ करने हेतु मण्डल द्वारा ठेके दिये जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, लेकिन तहसीलदार, देसूरी द्वारा भूमि आवंटन नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। भूमि आवंटित होने पर कार्य सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी हां । ग्राम राणी में 33 के. वी. सब स्टेशन का कार्य इसी वर्ष में पूर्ण करना प्रस्तावित है, जिसके लिए ठेके दिए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, लेकिन तहसीलदार, देसूरी द्वारा भूमि के आवंटन नहीं किये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। भूमि आवंटन के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपखण्ड लाडनूं के ग्रामों का विद्युतीकरण

164. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996-97 से 1998—99 में खण्ड सुजानगढ़ के उपखण्ड लाडनूं में कौन से नये गांव विद्युतीकृत किस—किस माह में किए गए, तथा उनमें कितने—कितने कनेक्शन कब—कब दिए गए ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विद्युतीकृत किये गये गांवों में उपभोक्ताओं को मांग—पत्र कब—कब जारी किए गए तथा कब—कब जमा हुए ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्युतीकृत किये जाने के बाद मांग—पत्र जारी करने एवं मांग—पत्रों की राशि जमा होने में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं तथा इसके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धरित है ? यदि हां, तो क्या—क्या और उसकी पालना उक्त मामलों में कहां तक हुई ?

उत्तर

(1) खण्ड सुजानगढ़ के उपखण्ड लाडनूं में वर्ष 1996—97 से 1998—99 में कुल 5 गांवों को विद्युतीकृत घोषित किया गया, जिनकी विद्युतीकरण की दिनांक व दिये गये कनेक्शनों की स्थिति निम्नप्रकार है :—

क्र. सं.	गांव का नाम	विद्युतीकरण दिनांक	कनेक्शन की स्थिति
1.	डोबरों का बास	31.3.97	अभी कनेक्शन नहीं हुआ
2.	जैसलान	5/97	"—"
3.	गोदारा का बास	31.3.98	"—"
4.	सान्डास	31.3.98	"—"
5.	बाडेला	27.2.99	"—"

(2) उक्त विद्युतीकृत किये गये गांवों में आवेदकों द्वारा जमा आवेदन, जारी मांग पत्र व जमा मांग पत्रों का विवरण निम्नप्रकार से है :—

क्र. स.	गांव का नाम	आवेदन सं./श्रेणी	मांग पत्र जारी करने की तिथि	मांग पत्र जमा करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	डोबरो का बास	19 अप्रैल 1997	4.10.1997	6.11.1997 में 4.12.1997 में
2.	बाडेला	25 दिसम्बर 1998	जारी नहीं हुआ	—
3.	गोदरा का बास	8 अप्रैल 1998	20.3.1999	—

(ऊर्जा मंत्री)

1	2	3	4	5
4.	सान्डास	55 अप्रैल, 1998	जारी नहीं हुआ	-
5	जैसलान	146 जून, 1997	11.3.1998	13.4.1998

(उक्त आवेदन घेरलू श्रेणी के हैं)

(3) मांग पत्र जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन मांग पत्र जमा कराने की अवधि, मांग पत्र जारी होने से 6 महा तक की रहती है । सामान्यतः जो कनेक्शन सर्विस लाइन से दिय जा सकते हैं। उनको मांग पत्र शीघ्र दिये जाने के प्रयास किये जाते है तथा जिनमें 11 के.वी व एल.टी. लाइन का कार्य होता है,उनमें संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार मांग पत्र जारी किये जाते हैं। इसमें कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है।

तहसील चौहटन के ग्रामों का विद्युतीकरण

165. **श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चौहटन (बाड़मेर) क्षेत्र में गत पांच वर्षो में कुल कितने कृषि कनेक्शन दिए ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में नर्सरी कनेक्शन भी दिए गये हैं ? यदि हां, तो किन—किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि नर्सरी कनेक्शन अब बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो जरूरतमंद किसानों को सरकार अब कब से कनेक्शन देने के लिए योजना बना रही है ?

(4) क्या यह सही है कि तालसर से सोमराड़ तक बिजली के पांच साल पहले खम्बे खड़े किए गये थे ? यदि हां, तो उन पर आज तक तार नहीं खींचने का क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के करीब बीस अनुसूचित जाति के बेरों का जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब उक्त खम्बों पर कब तक तार खींच दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील चौहटन (बाड़मेर)क्षेत्र में गत पांच वर्षो में कुल 636 कृषि विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं । वर्षवार संख्या सूची निम्नप्रकार है :—

वर्ष	दिये गये कनेक्शन
1993—94	46
1994—95	32
1995—96	30
1996—97	210
1997—98	318
कुल :	636

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कुल 362 नर्सरी कनेक्शन दिये गये है, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां । जिन आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा है उनको नियमानुसार कनेक्शन दिये जा रहे हैं । जरूरतमंद किसानों को निर्धारित कृषि नीति एवं आवंटित लक्ष्यों के अनुसार भविष्य में कनेक्शन दिये जा सकेंगे ।

(4) जी हां । तालसर से सोमराड़ तक 6 कि.मी. लाइन स्वीकृत थी । इस कार्य को ठेके पर दिया गया था तथा ठेकेदार द्वारा वर्ष 1993—94 में खम्भे खड़े किये थे । खम्भे, सर्वे के अनुसार न होने से कार्य पूरा नहीं हो सका । माह जुलाई, 1998 में पुनः सर्वे करवाकर 5 कि.मी. लाइन खींचने का निर्णय लेकर कार्य शुरू किया गया, परन्तु ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण तार नहीं खींचे जा सके ।

(5) जी नहीं । उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जाति का कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। ग्रामवासियों का आपसी विवाद सुलझते ही खम्भों पर तार खींचे जा सकेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम खींवास (जमवारामगढ़)की सरकारी भूमि पर अवैध कनेक्शन

166. श्री अमराराम(धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन जारी करने से पूर्व आवेदनकर्ताओं को उस भूमि पर मालिकाना हक का प्रमाण—पत्र देना होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम खींवास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर की खसरा नं. 71 की भूमि जो कि (गैर मुमकिन तलाई) सरकारी भूमि है पर किसी के नाम से कनेक्शन जारी किया हुआ है ? यदि हां, तो किसके नाम एवं किस आधार पर ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खसरा नं. 71 के मालिकाना हक का आवेदनकर्ता ने जो प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया था, उसके फर्जी होने के संबंध में ग्रामवासियों ने मण्डल को कोई शिकायत/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो कब ? उक्त प्राप्त शिकायतों/प्रतिवेदनों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो की गई कार्यवाही के विवरण सहित प्राप्त शिकायत/प्रतिवेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार अब उक्त कनेक्शन को निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने से पूर्व आवेदनकर्ता से सम्बन्धित पटवारी/तहसीलदार द्वारा जारी कुएं/जमीन का मालिकाना हक का प्रमाण पत्र लिया जाता है ।

(2) जी हां । यह सही है कि दिनांक 29.12.1998 को सम्बन्धित पटवारी द्वारा खसरा

(ऊर्जा मंत्री)

नं. 71 की भूमि जो गैर मुमकिन तलाई ग्राम खींवास की बताई गई सीमा में मण्डल द्वारा एक लघु उद्योग कनेक्शन आरा मशीन हेतु जारी किया हुआ है । उक्त कनेक्शन श्री केदार पुत्र हरसहाय शर्मा के नाम से सम्बन्धित सरपंच, ग्राम पंचायत, नेवर द्वारा जारी जमीन व मकान का मालिकाना हक के प्रमाण पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.10.1987 के आधार पर जारी हुआ है ।

(3) ग्राम खींवास के खसरा नं. 71 के मालिकाना हक के कथित प्रमाण पत्र के बारे में खींवास के ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र/शिकायती पत्र सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ़ को दिनांक 28.1.1999 को प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता (ग्रामीण), राराविमं, जयपुर के पत्र संख्या 3811 दिनांक 26.3.1999 के द्वारा कलेक्टर, जयुपर एवं तहसीदार जमवारामगढ़ को मामले की जाचं कर रिपोर्ट भेजने हेतु निवेदन किया जा चुका है । पूर्ण विवरण परिशिष्ट " अ" पर संलग्न है ।

(4) कलेक्टर जयपुर/तहसीलदार जमवारामगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जाचं निष्कर्षो के सदंर्भ में नियामानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखे)

तहसील फलौदी के ग्रामों का विद्युतीकरण

167.श्री रामनारायण विश्नोई(फलौदी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1981 से 1997 तक तहसील फलौदी में नये घोषित राजस्व गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) तहसील फलौदी में सहायक अभियंता एवं सहायक अभियंता बाप के कार्यालय में 1 अप्रेल, 1990 को कितने घरेलू कनेक्शन के आवेदन—पत्र लम्बित थे एवं 31 दिसम्बर, 1998 तक कितने नये आवेदन—पत्र प्राप्त हुए ? उनमें से कितने आवेदकों को आज तक घरेलू कनेक्शन दिये गये एवं कितने आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत किन आधारों पर किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) तहसील फलौदी में वर्तमान में कितने आवदेन—पत्र कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त नये घोषित प्रत्येक राजस्व गांव में दो कृषि कनेक्शन दिया जाना अनिवार्य करने की नीति लागू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 से 1997 तक तहसील फलौदी में नये घोषित राजस्व गांवों में से 37 गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) तहसील फलौदी में सहायक अभियंता कार्यालय, फलौदी व बाप में 1 अप्रेल 1990 को कुल 3132 आवेदन पत्र घरेलू कनेक्शन हेतु लम्बित थे । 1 अप्रेल,1990 से 31 दिसम्बर, 1998 तक इन कार्यालयों में कुल 14,694 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7975 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। उपरोक्त

(ऊर्जा मंत्री)

अवधि में फलौदी व बाप कार्यालयों में 4415 आवेदन पत्र मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण निरस्त कर दिये गये । सहायक अभियन्ता कार्यालय, फलौदी व बाप में प्राप्त आवेदन पत्रों, दिये गये कनक्शनों व निरस्त किये आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) तहसील फलौदी में सहायक अभियंता कार्यालय, फलौदी व बाप में सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन हेतु कुल 1577 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट"स" सदन के पटल पर रख दिया है।

(4) वर्तमान में नये विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है । नई कृषि कनेक्शन नीति फिलहाल विचाराधीन है एवं वर्ष 1998—99 के आवेदनों, जिनमें मांग पत्र की राशि जमा करा ली गई है के निस्तारण के पश्चात् नई नीति की घोषणा किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें).

जिला श्री गंगानगर में विद्युत चोरी के प्रकरण

168.श्री राधेश्याम गंगानगर(गंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य विद्युत मण्डल के सतर्कता दस्ते ने श्रीगंगानगर में चालू वित्तीय वर्ष में मार्च, 1999 तक बिजली चोरी के कितने मामले पकड़े हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में किस—किस व्यक्ति से कितना जुर्माना वसूला है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त अभियानों के दौरान लगाए गये जुर्माने की कितनी राशि वसूल कर ली है तथा कितनी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के सतर्कता दस्ते ने श्री गंगानगर में चालू वित्तीय वर्ष में माह मार्च 1999 तक कुल 999 विद्युत चोरी के मामले पकड़े हैं। सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) उक्त 999 चोरी के पकड़े गये मामलों में से 842 मामलों में रुपये 38.22 लाख जुर्माना राशि वसूल की गई। इन 999 चोरी के पकड़े गये मामलों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(3) उक्त पकड़े गये चोरी के मामलों में रुपये 39.71 लाख का राजस्व निर्धारण किया गया तथा जिनमें से 38.22 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है । कुछ मामलों में जुर्माना राशि वसूल करना शेष है तथा कुछ में मण्डल के नियमानुसार मुकदमे दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुहिक विवाह हेतु सहायता राशि

169 श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ीसादड़ी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अन्तरजातीय विवाह,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विधवा विवाह, विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह, सामुहिक विवाह हेतु राशि उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो वर्ष 1998—99 में कितनी राशि दी गई ?

(2) क्या जितने प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुए उन सभी को उक्त लाभ दिया गया ? यदि हां, तो उक्त वर्ष में उक्त विवाह हेतु कितनी राशि का वितरण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, अन्तरजातीय विवाह व विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करवाई जाती है तथा सामुहिक विवाह हेतु राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

वर्ष 1998—99 में निम्नप्रकार राशि उपलब्ध करवाई गई :—

1. अन्तरजातीय विवाह	—
2. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु	33.20 लाख
3. सामुहिक विवाह हेतु	9.44 लाख

(2) वर्ष 1998—99 में उक्त विवाह हेतु वितरित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट—1 व 2 पर संलग्न है ।

पैंडिंग रहे प्रार्थना पत्र

1. अन्तरजातीय विवाह		।—आवश्यक पूर्ति किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
2. विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु ।	572	बजट अभाव के कारण
3. सामुहिक विवाह हेतु ।	18	पात्रता नहीं रखने के कारण ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

मारवाड़ जंक्शन का छात्रावास प्रकरण

170. **श्री केशाराम चौधरी**(खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन में छात्रावास भवन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी ? क्या स्वीकृति के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कराकर बच्चों को नये भवन में शिफ्ट कर दिया जायेगा ?

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्रों को क्या—क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। मारवाड़ जंक्शन छात्रावास का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । शीघ्र छात्रों को नये भवन में शिफ्ट कर दिया जायेगा ।

(2) छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को निम्न सुविधाएं दी जाती है :—

1. भोजन, पोशाक, जूते मौजे, तेल—साबुन, बाल कटिंग, बिजली पानी, पत्र पत्रिकांए आदि के लिए प्रतिछात्र माह 450/—रु. व्यय किया जाता है व आगामी सत्र से बढ़ाकर 675/—रु. कर दिया गया है ।

2. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पुस्तक

(समाज कल्याण मंत्री)

एवं स्टेशनरी हेतु 60/रु. प्रतिछात्र प्रति सत्र तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/— रु. प्रतिछात्र प्रतिसत्र नकद भुगतान।

3. वर्ष में चार माह नवम्बर से फरवरी तक गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, जैसे कठिन विषयों के लिए विशेष कोचिंग हेतु प्रति विषय प्रतिमाह 200/—रु.।

4. आवास, बर्तन, एवं बिस्तर इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

जिला पाली के छात्रावासों पर व्यय राशि

171. **श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996—97 से 1998—99 में पाली जिले में किस—किस छात्रावास को कितनी—कितनी सहायता राशि दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में किस—किस छात्रावास में कितने—कितने छात्र किस—किस कक्षा के रहते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में समाज कल्याण विभाग की कौन—कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और गत तीन वर्षों में कितनी—कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसी संस्था को अनुदान देकर भी चलाती है ? यदि हां, तो संस्था का नाम मय गत तीन वर्षों के अनुदान राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996—97 से 98—99 में पाली जिले के निम्न छात्रावासों को निम्नानुसार राशि दी गई।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र सं.	राशि का आवंटन (लाखों में) 96—97	97—98	98—99	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बालक छात्रावास रायपुर	अनु.जा.	25	0.927	0.583	1.013	
2.	—"— खौड	—"—	25	0.781	0.829	1.091	
3.	—"— बूसी	—"—	25	0.59	0.908	0.668	
4.	—"— बागरी	—"—	25	—	0.40	1.135	
5.	—"— फालना	—"—	90	1.619	1.072	1.174	
6.	—"— जैतारण	—"—	55	1.901	1.835	2. 23	
7.	—"— सोजत सिटी	—"—	50	1.467	1.355	1.665	
8.	—"— सादड़ी	—"—	25	0.931	0.71	1.05	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.—"—	सुमेरपुर	अनु.ज.जा.	25	0.611	0.526	0.69	
10.—"—	आनंदपुर (कालू)	—"—	25	0.698	0.695	1.102	
11.	कन्या छात्रावास पाली	—"—	25	0.535	0.829	1.132	
12.	बालक छात्रावास रोहट	अनु.ज.जा.	25	—	0.611	1.073	
13.—"—	रानी स्टेशन	—"—	50	1.175	1.058	1.46	
14.—"—	सैवाड़ी	—"—	60	2.07	1.735	2.018	
15.—"—	नाडोल	—"—	25	0.592	0.715	0.853	
16.—"—	बेड़ी	—"—	25	0.928	0.826	0.783	
17.—"—	बाली डीडीएनटी	—"—	50	1.452	1.462	1.393	
18.—"—	पाली डीडीएनटी	—"—	60	1.60	1.007	1.17	
19.—"—	सोजत सिटी	—"—	25	0.841	0.872	0.945	
20.	बालक छात्रावास पाली स्वच्छकार		25	0.529	0.432	0.522	
21.—"—	मारवाड़ जं.	—"—	25	0.304	0.316	0.559	
22.—"—	देसुरी	—"—	25	0.926	0.942	0.934	
23.	अनुदानित बालक छात्रा. नाणा	एसटी	35	1.268	1.30	1.034	

(2) उक्त जिले में छात्रावासों में कक्षावार निम्नानुसार छात्र रहते है :—

क्र. सं.	नाम छात्रावास	योजना	स्वीकृत छात्र सं	कक्षावार छात्रों की संख्या का विवरण 6	7	8	9	10	11	12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बालक छात्रावास रायपुर एसटी	25	1	1	6	4	1		3	9	25
2.—"—	खीड	—"—	25	5	4	3	5	—	3	5	25
3.—"—	बूसी	—"—	25	—	—	—	7	1	8	4	18
4.—"	बागड़ी	—"—	25	2	7	3	6	—	3	4	25
5.—"—	फालना	—"—	90	4	5	5	4	7	5	2	32
6.—"—	जैतारण	—"—	55	4	5	15	4	7	5	12	52
7.—"—	सोजत सिटी	—"—	50	6	1	1	3	5	13	12	41
8.—"—	सादड़ी	—"—	15	—	—	2	1	8	6	8	25
9.—"—	सुमेरपुर	—"—	25	1	—	—	3	3	2	4	13

(समाज कल्याण मंत्री)

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10.—"—आनंदपुर (कालू)	—"—	25	1	1	1	2	4	10	6	25
11.कन्या छात्रावास पाली	—"—	25	9	4	3	4	4	—	1	25
12.बालक छात्रावास रोहट	एस.टी.	25	3	2	3	9	3	2	3	25
13.—"— रानी स्टेशन	—"—	50	10	9	7	2	3	3	3	37
14.—"— सेवाड़ी	—"—	60	6	2	9	7	9	11	7	51
15.—"— नाडोल	—"—	25	1	—	1	2	3	4	1	12
16.—"— बेडा	—"—	25	3	2	3	4	10	1	2	25
17.—"— पाली डी.टी.एन.टी	—"—	50	4	2	—	8	1	9	8	3
18.बालक छात्रावास पाली	डी.टी.एन.टी	60	—	3	5	4	2	8	8	30
19.—"— सोजत सिटी	—"—	25	—	—	9	2	3	3	4	21
20. —"— पाली स्वच्छकार		25	1	—	1	2	3	3	4	14
21. —"—मारवाड़ जक्शन—"—		25	1	2	1	3	1	4	3	15
22. —"— देसूरी	—"—	25	—	1	2	—	6	7	5	21
23. अनुदानित बालक छात्रावास नाना	एसटी	35	10	7	5	3	5	2	1	33

(3) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(4) पाली जिले में आदिम जाति सेवक संघ द्वारा नाना में अनुदानित छात्रावास अनुसूचित जनजाति योजना में चलाया जा रहा है। गत तीन वर्षो के अनुदान राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	अनुदान राशि लाखों में
96—97	1.268
97—98	1.30
98—99	1.034

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर अनुसूचति जाति विकास निगम द्वारा प्रदत्त सहायता

172.**श्रीरामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो किस—किस परिवार को कितनी—कितनी ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(2)क्या उक्त व्यक्तियों को राशि देने के मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । स्वीकृत राशि सूची परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है ।

(2) जी हां । निर्धारित मानदण्ड निम्न है :–

1. आवेदक (लाभान्वित होने की इच्छा रखने वाला) अनु.जाति/जनजाति का व्यक्ति हो ।

2. आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अर्थात परिप्रेक्ष्य में उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 रु. एवं शहरी क्षेत्र में 11,800 रु. से कम हो ।

3. वह उसी क्षेत्र का मूल निवासी हो ।

4. आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो एवं पूर्व में निगम की किसी भी योजना से लाभ प्राप्त किया हुआ नहीं हो ।

5. उस पर किसी बैंक अथवा अन्य संस्था का अवधि पार ऋण बकाया न हों ।

6. निगम द्वारा संचालित योजना में अधिकतम अनुदान 6000/ रु. होगा जिसमें मूल लागत का 50 प्रतिशत या 6000 रु. दोनों में जो भी कम हो देय होता है ।

7. राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों के माध्यम से संचालित योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में रु. 22000/– एवं शहरी क्षेत्र में रु. 23700/– तक आय वर्ग के परिवारों को भी लाभान्वित किया जाता है जिन्हें अनुदान राशि देय नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आदिवासी कृषकों को कृषि कनेक्शन में अनुदान

173. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उप योजना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों को कृषि कनेक्शन देने के लिए प्रति कनेक्शन 10,000/– रुपया अनुदान दिया जाता था ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि अब भी दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जनजाति उप योजना मद में धनराशि उपलब्ध होते हुए भी अनुदान देना बन्द कर दिया गया ? क्या सरकार पूर्व की भांति पुनः अनुदान की राशि कृषकों को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासी कृषकों को कृषि कुओं के विद्युतीकरण हेतु प्रति कनेक्शन रुपये 10,000/–अनुदान दिया जाता है । वर्ष 1998–99 के बजट में इस कार्यक्रम हेतु राशि नहीं रखी गई थी ।

(2) अनुदान बन्द करने की वर्तमान सरकार की मंशा नहीं है । आदिवासी कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता देते हुए वर्ष 1999–2000 में इस योजनान्तर्गत रुपये 296.85 लाख का प्रावधान किया गया है ।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना

174. **डा. जसवन्त सिंह यादव**(मुण्डावर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की

(डा. जसवन्त सिंह यादव)
कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वर्तमान में कहां–कहां कृषि उपज मण्डी कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में एक भी कृषि उपज मण्डी नहीं होने से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है ? क्या मण्डी के अभाव में किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कहीं भी कृषि उपज मण्डी समिति/गौण मण्डी यार्ड कार्यरत नहीं है ।

(2) जी नहीं । कृषि उपज मण्डी नहीं होना क्षेत्र के विकास में बाधक नहीं है । तहसील मुण्डावर का कुछ क्षेत्र खैरथल मण्डी के क्षेत्राधिकार में आता है । खैरथल मण्डी समिति द्वारा इस क्षेत्र में 40.7 कि.मी. लम्बी 15 सम्पर्क सड़कों का निर्माण समय–समय पर कराया गया है । मुण्डावर क्षेत्र के कृषक अपनी उपज को विक्रय हेतु खैरथल मण्डी समिति में ही लाते हैं ।

(3) जी नहीं । निर्धारित सख्या में अनुज्ञापत्रधारियों के नहीं होने तथा वांछित न्यूनतम मण्डी शुल्क प्राप्त नहीं होने के कारण कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित किया जाना संभव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में सड़क निर्माण कार्य

175. **श्रीमती यास्मीन अबरार**(सवाई–माधोपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत वर्ष में कितनी सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया तथा कितनी पर कार्य प्रारम्भ हुआ कौन–कौन से कार्य पूर्ण हुए एवं कौन–कौन सी सड़कें निर्माणाधीन हैं और निर्माणाधीन सड़कें कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(2) इस वर्ष मण्डी समिति द्वारा उक्त क्षेत्र में गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए कौन–कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में कोई सड़क निर्माणधीन नहीं है । वर्ष 1997–98 में मण्डी प्रागंण निर्माणाधीन होने तथा पूर्व में लिये गये परियोजना ऋण के भुगतान के कारण मण्डी समिति सवाईमाधोपुर द्वारा कोई नवीन सड़क प्रस्तावित नहीं की गयी थी ।

(2)कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है ।

जिला नागौर में राहत कार्य

176. **श्री रिछपालसिंह मिर्धा**(डेगाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्ष 1998–99 के दौरान कुल कितने ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए थे ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अकाल राहत में कुल कितने कार्य स्वीकृत किए गए ?

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

ग्रामवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिला नागौर में राहत मद में कितनी सड़के स्वीकृत की गई ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

(4) अकाल राहत में स्वीकृत किए गए कार्यो में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अभी अपूर्ण हैं ? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1998—99 के दौरान 1456 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया । तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट—1)

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में स्वीकृत कार्य, ग्रामवार सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट—2)

(3) राहत मद में 43सड़कें स्वीकृत की गई है। विवरण तहसीलवार संलग्न है । (परिशिष्ट—3)

(4) अकाल राहत में स्वीकृत कार्यो में से 206 कार्य पूर्ण हो गये है तथा 226 कार्य प्रगति पर है । पूर्ण हुए कार्यो का तहसीलवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट—4)

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला होलसेल सहकारी भण्डार का बंद प्रकरण

177. डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के एकमात्र महिला होलसेल सहकारी भण्डार को बंद करने की योजना है ?

(2) दिनांक 25 जनवरी,1999 को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान एवं 27 जनवरी,1999 को माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार को भण्डार के कर्मचारियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों पर कोई प्रभावी जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्या उक्त ज्ञापनों के आधार पर भण्डार के कर्मचारियों को अनुचित तरीके से दण्डित किया गया हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, । जांच की तथ्यात्मक रिपोर्ट परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है । उक्त ज्ञापनों के आधार पर भण्डार कर्मचारियों को अनुचित तरीके से दण्डित नहीं किया गया है ।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवा सहकारी समिति मलिकपुर(सीकर) द्वारा ऋण वितरण

178. श्री अमराराम(धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मलिकपुर (सीकर) में वर्ष 1990 से फरवरी,1999 तक कितना ऋण वितरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त ऋण किस—किस में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा उक्त ऋण वसूली बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अमराराम)

(4) क्या उक्त समिति लाभ में या हानि में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मलिकपुर (सीकर) में वर्ष 1990 से फरवरी 1999 तक कुल राशि रुपये 1,02,50,495/—का ऋण वितरण किया गया है ।

(2) सदस्यवार बकाया की सूची परिशिष्ट 'एक' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति के अनुरोध पर बैंक द्वारा उक्त ऋण वसूली की कार्यवाही राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अतंर्गत की जा रही है। जिन मामलों मे कार्यवाही की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट 'एक' में अंकित कर दिया गया है ।

(4) उक्त समिति वर्ष 97—98 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार संचित लाभ में है ।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शोकाभिव्यक्ति

सर्व श्री गमीर लाल, रामप्रसाद बोहरा, लालाराम एवं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आये भूकम्प से मृत व्यक्तियों के निधन पर शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व माननीय सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आये विनाशकारी भूकम्प से मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

पूर्व विधायक श्री गमीर लाल मीणा का जन्म 5 अप्रेल, 1944 को उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा के ग्राम पालबोरी में हुआ । आपने मिडल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की ।

वर्ष 1965 से राजनीति में सक्रिय हुए श्री मीणा छठी विधान सभा (1977—80) व नौवीं विधान सभा (1990—92) में उदयपुर जिले के सराड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे । विधान सभा में आप वर्ष 1990—92 में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा वर्ष 1991—92 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, समान्य प्रशासन, राजनैतिक, मंत्रिमंडल सचिवालय, भ्रष्टाचार निरोधक, वित्त व करारोपण विभाग, रावी—व्यास नदियों के सिस्टम से संबंधित कार्य, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, जन अभियोग निराकरण, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, आयोजना, आयोजना (जन शक्ति), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों की संसदीय परामर्श—दात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री मीणा ग्राम पंचायत कुंडा के सरपंच तथा पंचायत समिति, सराड़ा के प्रधान भी रहे। आप समाज सेवा के साथ—साथ आदिवासियों के सुधार हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे ।

श्री गमीर लाल मीणा का दिनांक 29 मार्च, 1999 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री रामप्रसाद बोहरा का जन्म आश्विन कृष्णा 11, संवत 1975 को झालावाड़ जिले के असनावर ग्राम में हुआ । आपने मिडल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामप्रसाद बोहरा झालरापाटन निर्वाचन क्षेत्र से चौथी विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

(1967—72) में निर्दलीय तथा पांचवीं विधान सभा (1972—77) में कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे । आप वर्ष 1942—48 में कोटा स्टेट प्रजा मण्डल की असनावर शाखा के अध्यक्ष तथा वर्ष 1948—54 में आप ग्राम पंचायत असनावर के सरपंच रहे ।

श्री बोहरा वर्ष 1956 में जिला विकास बोर्ड के सदस्य तथा वर्ष 1964—66 में झालावाड़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे । समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री रामप्रसाद बोहरा का ग्रामीण विकास व कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । श्री रामप्रसाद बोहरा का दिनांक 17 मार्च, 1999 को निधन हो गया

पूर्व विधायक श्री लालाराम का जन्म वर्ष 1924 में उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के ढाला ग्राम में हुआ । आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की । श्री लालाराम पांचवीं राजस्थान विधान सभा (1972—1977) के लिये फलासिया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गये । आप लम्बे समय तक ग्राम पंचायत के सरपंच रहे । समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री लालाराम गरीबों तथा शोषित वर्ग के हितों की रक्षा के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे । विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिये भी निरन्तर जागरूक रहे ।

श्री लालाराम का दिनांक 3 जुलाई, 1998 को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में गत रविवार दिनांक 28 मार्च, 1999 को देर रात आये विनाशकारी भूकम्प से प्रदेश के चमोली, रूद्रप्रयाग और नई टिहरी क्षेत्र में सौ से अधिक लोग मारे गये तथा बड़ी संख्या में लोग हताहत और बेघर भी हो गये। यह शताब्दी का सबसे भीषण भूकम्प था । जिससे प्रभावित क्षेत्र में भारी तादाद में जान—माल की क्षति हुई है । लगभग 40 सैकण्ड तक धरती को हिला देने वाले इस भूकम्प का केन्द्र चमोली के पास नन्दप्रयाग में स्थित था। इस भूकम्प के झटके उत्तर भारत के अनेक क्षेत्र में महसूस किये गये । मैं, इस प्राकृतिक आपदा में मारे गये व्यक्तियों तथा दिवंगत पूर्व माननीय सदस्यों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे ।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आफिसर गैलेरी से फिर जा रहे हैं । आसन पैरों पर है। (व्यवधान) क्या फर्क पड़ता है, कौन बोला क्या फर्क पड़ता है। हाउस की एक गरिमा होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : फर्क कैसे नहीं पड़ता । (व्यवधान) यह भी कोई बात हुई। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री यशवन्त सिंह रामू एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में जाटों को आरक्षण नहीं मिलने से उनमें व्याप्त रोष के संबंध में ।

2. श्री अरूण सिंह व अन्य 7 सदस्य, विधान सभा की ओर भरतपुर जिले का आबंटित यमुना का जल उपलब्ध नहीं करवाने से किसानों में व्याप्त रोष के संबंध में ।

3. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के ग्राम पंचायत अलाय के कालानाड़ा के प्राथमिक विद्यालय नम्बर–4 की भूमि कुर्क करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

4. श्री गुलाब चन्द कटारिया, एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के उपरान्त भी बेरोजगार नवयुवकों के लिये भर्ती की कोई योजना नहीं होने से उनमें व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. किरोड़ीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बेरोजगारों का मामला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जिस बात को लेकर हमने 60 से 58 वर्ष किया और नौजवानों में इस आशा का संचार करने का प्रयास किया कि अब निश्चित रूप से जो हजारों पद खाली हैं और जो खाली होने वाले हैं, उन पर हम को नौकरी मिलेगी। इस आशा और विश्वास के साथ वो अपने आपको लिये बैठे थे। हमने विधिवत कल, 31 मार्च को 12 हजार लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया । पहले भी हमारे कई पद रिक्त चल रहे हैं फिर भी आज की तारीख तक भी हम इस बात का निर्णय नहीं कर सके कि इन पदों को हम भरेंगे कैसे और उनको भरने में हम को समय कितना लगेगा। मैं यह कह सकता हूं कि यह केवल एक तरह से उन नौजवानों को एक लुभावना नारा देकर धोखा हुआ उनके साथ । वास्तविक स्थिति तो यह भी कि आज की तारीख के साथ ही उनकी भर्ती की कार्यवाही की घोषणा भी अगर साथ की साथ होती । अभी तो आप यह तय ही नहीं कर पाये, विज्ञापन ही जारी नहीं किया तो विज्ञापन जारी करके उनको नौकरी तक लेने की प्रक्रिया में भी चार छः महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी मंशा ईमानदारी से इन पदों पर इन नवयुवकों बेरोजगारों को नौकरी देने की है भी कि नहीं, या केवल अपने आप में इन खाली पदों के पैसे बचा कर वित्त मंत्री जी अपने घाटे की पूर्ति करने का कोई षडयंत्र तो इसमें दिखायी नहीं दे रहा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत समान्य विषय नहीं है, हजारों नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है । दगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी मंगायी गयी है । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : घोषणा पत्र में कहा था ...

श्री अध्यक्ष : सामान्य विषय नहीं है, सरकार से जानकारी मांगी गयी है । (व्यवधान) सरकार से जानकारी मांगी गयी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा पत्र में कहा था....(व्यवधान)...

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस की बाईबल में यह लिखा हुआ है, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ... (भारी व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : यह बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय है । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की बाईबल में लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लिखा है नौजवानों को नौकरी देंगे ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ीलाल : कांग्रेस की बाईबल में लिखा हुआ है यह ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वाह–वाही तो लूट ली ह लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । (भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने उस बाईबल में दिखा दिया कि हम यह करने वाले हैं और हमारा काम निकाल करके और 150 की संख्या में आकर के हमने उनके साथ धोखा किया, दंगा किया ।·(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें उनकी घोषणा भी साथ करनी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी के लिए भेजा है । कल तो स्थगन आया ही है, आ जायेगी । (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जानकारी की क्या बात है । (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : सरकार क्या करने जा रही है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार ने कह दिया हमने कमेटी बना दी, क्या करेगी कमेटी ? (भारी व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितने लोग रिटायर हुए हैं, किस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह 9 साल तक क्या करते रहे थे ? (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को नौकरियों से कोई मतलब नहीं है । (भारी व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : बेरोजगारों को ...

कई माननीय सदस्य : नौकरी दो ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री आर .पी. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी को, बच्चों को नौकरी दिलाने से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने तो बिलकुल पूर्ण रूप से नौकरियां बंद कर दी थीं। (व्यवधान) नौकरी मिलेगी बच्चों को , तसल्ली रखिये । (व्यवधान) नाई–नाई कितने बाल, सब सामने आ जायेंगे, रोजगार मिलेगा, यह सरकार रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है। (व्यवधान)नौकरी मिलेगी आपके सामने मिलेगी, आपको पता लग जायेगा । (व्यवधान) यह सरकार नौकरी देना चाहती है । आपको नौकरियों से कोई मतलब नहीं है, आपने तो नौकरी बिलकुल बंद कर दी । (व्यवधान) आपने तो कैजुअल भर्ती तक बंद कर दी । आपके समय में तो कैजुअल भर्ती तक बंद हो गयी थी । (व्यवधान) अब बच्चों को नौकरी मिलेंगी, नियमानुसार मिलेंगी समयावधिनुसार मिलेगी। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने टाइम में कैजुअल भर्ती बंद कर दी । (भारी व्यवधान) आप लोगों ने कितनों को नौकरी दी ? आप बता सकेंगे । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके शासन में किसी को रोजगार नहीं मिला । (व्यवधान) आपके शासन में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. ने 9 साल तक क्या किया ? अब यह बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) और नारे लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : बेरोजगारों को ..

कई मानीय सदस्य : नौकरी दो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी नारेबाजी)

श्री हीरालाल विश्नोई : बेरोजगारों को नौकरी हम देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, अब रोजगार मिलेगा। (भारी व्यवधान) यह सब युवाओं के दुश्मन हैं। युवाओं के दुश्मन. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप लोगों ने कितनों को रोजगार दिया है आप बता सकेंगे। आपके शासन में तो किसी को रोजगार नहीं मिला आपके शासन में क्या हुआ ?

श्रीमती शांति पहाड़िया : आप लोगों ने कितनों को रोटी दी ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बेरोजगारों के साथ दगा किया है। क्या करेगी मंत्रिमंडल कमेटी ? क्या निर्णय करेगी ? (भारी व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, हमारी सरकार रोजगार देगी । शर्म आनी चाहिये । अब रोजगार मिलेगा सब को। फालतू की बात करते हो। (व्यवधान) + + + (भारी व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब जो जगही खाली हुई है। हमारी सरकार बहुत जल्दी रोजगार देने जा रही है। उनको दुःख हो रहा है इस बात का, कि अब तो जगह खाली हो गयी, लोगों को रोजगार मिलेगा । (भारी व्यवधान) हमारी सरकार रोजगार देगी । शर्म आनी चाहिये । (व्यवधान)

(व्यवस्था—सूचक घंटी)

डा. किरोड़ी लाल : बेरोजगारों को।

कई माननीय सदस्य : नौकरी दो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नानेबाजी)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं तो विरोधी दल को बहुत तकलीफ हो रही है। (व्यवधान) पहले इन्होंने ही दो साल उम्र बढ़ा दी तब कोई तकलीफ नहीं हुई । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके राज में एक भी रोजगार नहीं दिया । (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अन–एम्प्लाइड को आज एम्प्लायमेंट मिलने जा रहा है तो इनको घबराहट हो रही है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : एक भी रोजगार नहीं दिया और आज बेरोजगारों की बात करते हैं । शर्म आने की बात है । बैठ जाओ आप । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई रोजगार नहीं दिया आपने । हमारी सरकार रोजगार दे रही है.... (भारी व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : + + + (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई रोजगार नही दिया आप लोगों ने। + + + (व्यवधान) + + + शर्म आने की बात है आपको। (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

आपने एक भी रोजगार नहीं दिया। (व्यवधान) हमारी सरकार रोजगार देगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनके साथ अन्याय किया । जिनके सहारे आप यहां आकर बैठे उनके साथ अन्याय किया । (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : असत्य बोले थे आप तो यह कि नौजवानों को नौकरी देंगे वोट दो । झूठा लुभावना नारा दिया था आपने तो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी फोटो छपी है। (व्यवधान) हमको शर्म आ रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी फोटो छपी है । (व्यवधान) इसमें लिखा हुआ है बेरोजगारों को नौकरी देंगे। (भारी व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : आजकल आपने बी.जे.पी का घोषणा पत्र पढ़ना बंद कर दिया, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ करके इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं आप । (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कह दो हम नौकरी नहीं देना चाहते ...(व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : नौकरी देंगे हम। (भारी व्यवधान) नौकरी मिलेगी । आपको नौकरी से मतलब नहीं है। आप हल्ला मचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नौकरी हम ही देंगे, आप नहीं दे पाओगे। (व्यवधान) नौकरियां कांग्रेस ही देगी ।

श्री आर. पी. शर्मा : मेरा मकसद केवल हंगामा करना नहीं है । मेरा मकसद है कि.. (व्यवधान)... नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सत्तारूढ़ पार्टी के हो, शालीनता सीखो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नौकरियां केवल नयी सरकार दे पायेगी। (भारी व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आठ साल में क्या किया आपने ? आपको शर्म आनी चाहिए। भाषण दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बैठ जाइये । आप शालीनता सीखिए मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, बैठाइये इन्हें । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : + + +

डा. करण सिंह यादव : ठेक पर देने वाले लोग आठ साल राज कर गये । प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद ठेके पर दे दिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री परसादी लाल मीणा : ....(व्यवधान) यह दुर्गति नहीं होती । वहां से वहां नहीं बैठना पड़ता ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शालीनता से बात करें । अध्यक्ष महोदय, इन्हें शालीनता सिखाइये।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) झांसा देकर वोट मांगे हैं आपने नौजवानों को नौकरी दिलाकर ....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : असत्य कह रहे हैं आप । यहां नहीं बैठते आप भाषण दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : सब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। 14 हजार जगह खाली हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : 31 मार्च को जो पद रिक्त हुए हैं, उनकी भर्ती के सम्बन्ध में कल आपने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और सरकार से जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं समझता हूं उस वक्त समय होगा कि आप...(व्यवधान) नहीं, अब आप आज बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना दायित्व समाप्त कर रहे हैं फिर बाद में आप क्वेश्चन नहीं पूछे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत(नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सरकार यहां बैठी है और कल लगभग जैसा कि समाचार पत्रों में आया है, कई समाचार पत्र कहते हैं कि 12 हजार लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, कई 16 हजार कहते हैं। आखिर 12 या 16 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं, पोस्ट खाली हो गयीं । उनके जिम्मे कोई न कोई काम था, बेकार नहीं बैठे थे जिनको आपने सेवानिवृत्त कर दिया । सेवानिवृत्त की घोषणा आज के चार महीने पहले कर दी कि हम 60 से 58 करेंगे और एक बात से उनको सेवानिवृत्त कर दिया। यह सरकार का फैसला है वह करे उनका औचित्य है, जो भी यह फैसला करना चाहे कर ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि जिस समय 1 मार्च को रिटायर्ड होने की घोषणा कर रहे है तो 31 मार्च से पहले उनकी नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाता तो इधर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पोस्ट खाली होती और उधर उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में, या नयी भर्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू हो जाती। आज कार्यवाही चालू नहीं हुई। इस कार्यवाही को शुरू करने में आप जानते हो अध्यक्ष महोदय, कि साढ़े छह महीने पहले ये इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं हो सकती। मैंने परसों माननीय वित्त मंत्रीजी का प्रेस में दिया हुआ एक समाचार पढ़ा था, जिसमें इन्होंने यहां तक कह दिया कि जो पोस्ट खाली होंगी उनकी जगह हम किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं करेंगे। मान लीजिए कहीं एक पोस्ट के ऊपर... (व्यवधान) आपका अखबार में आया है।

श्री चन्दन मल बैद : आप अखबार पर विश्वास कर रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मना कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने तो पद समाप्त कर दिये। बैठ जाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं, मैं उसको मान लेता हूं कि वह जो कुछ छपा है वह सही नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने तो पद ठेके पर दे दिये। ठेके चला दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :... और जो भी विधिवत प्रमोशन होते हैं, वह होंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि आप छह महीने की प्रतीक्षा क्यों करना चाहते हैं, छह महीने तक पोस्ट खाली क्यों रखना चाहते हैं ? एक तो कारण यह है कि छह महीने तक वेतन और भत्ते उनके बचेंगे, और यह वित्त मंत्रीजी का एक कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम उनका पूरा हो जायेगा। लेकिन इसके कारण से मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी यहां हैं, ये स्पष्ट रूप से कह दें कि जितने भी 12 या 16 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी पोस्ट भरने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ? और न हमारे पासे कोई काम हैं ? इसलिए कोई भर्ती नही करेंगे। एक तो यह इश्यु है। और भर्ती करने की इच्छा हो चार महीने तक अभी तक यह प्रोसेस चालू क्यों नहीं हुआ ? यह प्रोसेस कब चालू होगा ? कितने दिन में भर्तियां होंगी ? यह तो सरकार यहां बैठी है और मैं ऐसा नहीं मानता कि इस प्रश्न के ऊपर इन्होंने विचार नहीं किया होगा, जो भी उनका निर्णय है वह सदन में अभी कह दें। इसमें कोई एडजोर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार से, कोई नोटिस दिया है, आप जानकारी ले रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। यदि सरकार को इतनी सी भी जानकारी नहीं है, तो जानकारी क्या होगी इसका आप अन्दाजा लगा लें। ज्यादा दुःख इस बात का है कि इस घोषणा पत्र पर आपकी फोटो है, बड़ी सुन्दर फोटो है। ऐसी सुन्दर फोटो शायद मैंने आपके घर में नहीं देखी होगी। इसलिए मैं कहता हूं और अशोक जी की भी फोटो सुन्दर है। ये दो सुन्दर फोटो छपी है। सुन्दर कागज हो, सुन्दर प्रिन्ट हो और इस प्रकार की स्थिति में... (व्यवधान) और घोषणाएं हों तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी अभी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें तो आपको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न सरकार के उत्तर की आवश्यकता होगी। मुख्य मंत्रीजी की क्या इच्छा है, सरकार की नीति क्या है, उसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : जितने भी अधिकारी या कर्मचारी 31 मार्च सेवानिवृत्त हुए हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खूबसूरत फोटो है ,साहब ।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने देख लिया । खूबसूरत शब्द का प्रयोग भी आपका टोन्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, टोन्ट नहीं है । अगर आप टोन्ट समझते है तो मैं क्षमा चाहता हूं। टोन्ट नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : नजर मत लगा देना ।

श्री अध्यक्ष : जो पद रिक्त हुए हैं, कइयों में पदोन्नति होंगी, और पदोन्नति आप जानते हो कि वहां से नीचे वाले लोग ऊपर आयेंगे । कइयों में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा । इसलिए सरकार से जानकारी मांगी गयी है और जानकारी आने के बाद इस पर चर्चा हो तो इससे ज्यादा आप और सदन लाभान्वित होगा और पूरी जानकारी मिल जायेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी की तारीख तो तय करवा दीजिये। जानकारी कब तक आ जायेगी यह तो बता दें ?

श्री चन्दन मल बैद : शीघ्रताशीघ्र।

श्री अध्यक्ष : शीघ्रताशीघ्र।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शीघ्रताशीघ्र की तो कोई परिभाषा नहीं होती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपसे ही सीखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से ही सीख रहे है न । मुझे खुशी है इस बात की। मेरा तो शीघ्रताशीघ्र का मतलब था दो दिन । आपका मतलब कितना है ?

श्री चन्दन मल बैद : आपसे ज्यादा अनुभव इस विधान सभा में और किसको है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताऊं .मेरा शीघ्रताशीघ्र का मतलब था दो दिन। आपका मतलब कितना है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, दो हफ्ता। दो हफ्ते के बाद फिर स्टेटमेंट दिया कि देख लेस्यूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा(सरदारशहर) : हो जासी, देख लेंस्या, कर लेस्यां ।

श्री बुलाकीदास कल्ला(शिक्षा मंत्री) : माननीय, आपने तो पूरा बेन लगा रखा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखो, आप बिराज जाओ । आप क्यों झगड़े में पड़ रहे हो कल तो जान बची है मुश्किल से। आप फिर पड़ रहे हो। मैं तो मुख्य मंत्री जी से ही सुनना चाहता हूं । खेतसिंह जी, आपकी तो मुख्य मंत्रीजी मानते नहीं हैं, चलती भी नहीं है । इसलिए मुख्य मंत्री जी खुद बोल दें कि किस समय उसका वक्तव्य देंगे । यह बता दीजिये ।

श्री चन्दन मल बैद : डी.ओ.पी. मिनिस्टर साहब खड़े हुए तो उनको तो आपने बैठा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको छोड़िये ।

श्री चन्दन मल बैद : क्यों छोड़ेंगे, ये डी. ओ.पी. मिनिस्टर हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मुख्य मंत्रीजी को शर्म आती है बोलने में ?

श्री चन्दन मल बैद : नहीं, शर्म तो आपको नहीं आती । शर्म आती तो कल आपके.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शर्म नहीं आती तो मुख्य मंत्रीजी बोलकर बता दें । दो दिन में ,तीन दिन में, कब जवाब देंगे ? मेरी समझ में नहीं आता आप सारे मिनिस्टर्स मिलकर मुख्य मंत्री जी पर दबाव क्यों रखना चाहते हैं । मतलब कोई दूसरा बोले ही नहीं ? धीरे-धीरे मुख्य मंत्रीजी की ऐसी स्थिति हो जायेगी जिसके कारण से...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्रीजी से यह पूछ लें कि हमारे कहने से वे नहीं बोलना चाहते हैं और मंत्रियों के दबाव में खुद बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि सारे अधिकार इन्होंने मंत्रियों को दे दिये । इसलिए शायद नहीं बोल रहे हो । तो कम से कम यह बोलकर तो कह दे कि कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आज प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सारे अधिकार मिनिस्टर्स को दे दिये और आपका कल स्टेटमेंट यह था.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल मैंने जो देखा है न । मैं आज भी बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी बता दूं कि सरकार का अधिकार नियुक्तियों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को ही है । उस बिजनेस मैन्युअल में जो अमेंडमेंट किया है, उनको नहीं है अधिकार । आप देख लेओ, आपको कल दिया है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं दिया है तो आप कह रहे हो अभी यह मंत्रियों से दब रहे हैं और मंत्रियों से क्या घबरा रहे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह दब रहे हैं, मंत्रियों से दब रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : कल तो आप कह रह थे कि यह सब लैटर्स अपने पास रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाउस में, अध्यक्ष महोदय, यह दब रहे हैं मंत्रियों से । यह सही है क्योंकि अगर यह मंत्रियों से दब नहीं रहे होते तो...

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों से काहे के लिए दब रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कह देते कि आज देऊंगा; कल देऊंगा या चार दिन के बाद में देऊंगा । इसमें क्या कल्ला साहब की शक्ल देख रहे हैं यह।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे मुख्य मंत्री जी किसी से दबने वाले नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है धीरे-धीरे आप ही दबा देओगे । बेफिक्र रहो । इसलए मुख्य मंत्री जी बता दें ।

श्री अशोक गहलोत(मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब स्पीकर साहब ने कोई व्यवस्था दे दी कि शीघ्रताशीघ्र। उसके बाद में कोई सवाल उठना नहीं चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व्यवस्था तो हम मानते हैं इससे काम नहीं चलेगा मुख्य मंत्री जी, यह हाउस है । इससे काम नहीं चलेगा। इसमें सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं और आप इसको लाइटली लेना चाहते हैं । इस प्रकार की स्थिति नहीं रहे । मैं इसलिए चाहता हूं कि आप चाहे दो दिन, चार दिन,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
पांच दिन कभी भी बता दें कि पांच दिन में स्थिति स्पष्ट कर देऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । नहीं करना चाहे तो वह मना कर दें ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता जैसा अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि बहुत अनुभवी हैं, और मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जमाने में कितनी बार आप लोगों ने जब रिटायरमेंट होने जा रहे थे तब पहले ही आपने प्रोसेस शुरू कर दिया ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसेस पहले शुरू हो गया था।

श्री अशोक गहलोत : आपने कब पहले ही प्रमोशन तय कर दिये और मैं समझता हूं कि आपके जमाने में ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : कांट्रेक्ट पर रखे हैं आप लोगों ने ।

श्री अशोक गहलोत : किस मैरिट के आधार पर आपने 58 से 60 एज की और उसके क्या कारण थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी बता दूंगा।

श्री अशोक गहलोत : आपके जमाने में किस प्रकार से उनको सैलेरी देने की जो स्थिति बनी हुई थी....

श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : आपका चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी दूर करने का ... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया कि 60 से 58 वापस, दुबारा, की गयी । तो मैं समझता हूं कि उसके बाद में एक ऐसा फैसला हुआ जिसका स्वागत आपकी तरफ से भी होना चाहिए था कि सरकार ने कम से कम बोल्ड स्टेप लिया। आपसे राजस्थान की आर्थिक स्थिति कोई छिपी हुई नहीं है । आप बराबर रुचि लेते रहे हैं ।

आपको मालूम है कि किस प्रकार से पिछले आठ वर्षों में राजस्थान में जो बार बार हम कहते हैं । तो आपने उसका भी जवाब दिया कि हमने परिसम्पत्तियां कायम की, इसलिए हमने कर्जा लिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बजट की डिबेट में आ जाएगा । आप बोल देना उस समय, अब बोलने का कोई समय नहीं है ।

श्री अशोक गहलोत : अगर मुझे इजाजत दें तो मैं पूरी बात कह दूं । आपने यह भी कहा कि हमने जब कहा कि आपने छः हजार करोड़ के कर्जे सरकार जब गयी थी तो छोड़े आज वह 23 हजार करोड़ तक पहुंच गये । आपने बिना कोई सोच समझ करके 27 हजार 750 करोड़ रुपये का आकार बना दिया इस नवीं पंचवर्षीय योजना का । और आपका पहला वर्ष जो था एन्युअल प्लान, वह भी आपको छोटा करना पड़ा । आपके पास में तर्क नहीं है । इतना बड़ा फैसला सरकार ने अगर किया है कि हम 60 से 58 वापस ला रहे हैं, तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे विपक्ष के नेता महोदय, कि इतने बड़े फैसले में कुछ तो राजस्थान को जो गाड़ी पटरी से आपने उतार दी, उसको वापस लाने के लिए समय लगेगा ।

वित्त मंत्री ने सरकार बनते ही कमेटी का

(श्री अशोक गहलोत)

निर्माण किया । यह सोच कर कि जो कुछ फैसले हम करेंगे, आज हमने अगर कोई फैसला सौ करोड़ रुपये किसान को बिजली देने का किया तो हमने कोई ऐसे ही नहीं कर दिया । हम जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तब यह इसलिए किया कि सौ करोड़ रुपये हम देंगे किसान को तो एक हजार करोड़ की फसल जमीन से पैदा होगी । किसान की जेब में पैसा जाएगा। किसान की माली हालत सुधरेगी, उसके परिवार की हालत सुधरेगी। वह पैसा वापस मार्केट में खर्च होगा और राजस्थान समृद्धिशाली बनेगा । हमारा एक-एक फैसला, आज एक हजार करोड़ का अगर हम कहते हैं कि 58 करने से हमारे ऊपर भार पड़ेगा, तो लांग टर्म की प्लानिंग में आप अपनी आत्मा से पूछिएगा कि जो सरकार ने कदम उठाया है उसके आधार पर किस प्रकार से आज जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अनबिल्ट जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर हम सब बातों को साथ लेकर नहीं चलेंगे और खाली बोलने के लिए हम यहां खड़े होकर बोलते रहेंगे कि आपने मैंने, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, जब मैं आप लोगों के हाथ में और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री शेखावत साहब के हाथ में जब मेनिफेस्टो की कापी देखता हूं तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कम से कम पचास साल में पहली बार एक विपक्ष के नेता को मेनिफेस्टो कांग्रेस ने हाथ में लेकर के बात करना सिखाया । इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता।

श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : यह तो अपनी + + + का पुलिन्दा दिखाने के लिए किस तरह + + + बोलकर बैठी है ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार जो हमने कहा है मेनिफेस्टो के आधार पर सरकार काम करना चाहती है तो राजनीति में सब बातें चलती हैं पर माननीय विपक्ष के नेताजी, आपको इस बात को एप्रिसिएट करना चाहिए कि सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति प्रकट करके मेनिफेस्टो के आधार पर काम करने का निणर्य लिया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात कहनी चाहिए । इसलिए आप आज यहां खड़े होकर कहें कि आप जवाब कितने दिन में दे देंगे, मैं समझता हूं कि जब माननीय स्पीकर महोदय ने कह दिया कि शीघ्रताशीघ्र दे देंगे इसके मायने क्या हुए ?

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : टाइम बताया ।

श्री अशोक गहलोत : आप कम से कम यह तो देखते, एक बार तो कम से कम मौका देकर देखते सरकार को, कि इनके कमेन्ट का सरकार ने क्या मीनिंग निकाला है। हो सकता है वह जवाब हम आपको कल देते , सात दिन में देते । थोड़ा तो आप इन्तजार करते । उस बात को आपने अन्यथा लिया इस बात का मुझे बहुत दुःख है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट के सम्बन्ध में बोलना चाहिए था। उसकी कई बातों का उल्लेख किया है । यहां प्लान की भी बात कही, कर्जे की भी बात कही । मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान भर में कोई राज्य ऐसा नहीं है आज के दिन जिस राज्य में

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वार्षिक योजना से ज्यादा कर्जा लिया हो यह पहला राज्य है हिन्दुस्तान में । जिसने पांच हजार दो सौ करोड़ की योजना बनायी और छह हजार करोड़ के लगभग कर्जा लिया है ... (व्यवधान).. मैंने भी, हमने भी सुना है अब आप सुन लीजिए थोड़ा ।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं जो बार-बार यह 23 हजार करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं कर्जा लिया कौनसी राज्य सरकार है जिसने कर्जा नहीं लिया है। हमारा सातवां या आठवां नम्बर आता है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप ही कहा करते थे .. (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ। आप बोलोगे तो कहोगे यह जानबूझकर बोल रहे हैं एक दूसरे से । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कौनसी राज्य सरकार है ? अध्यक्ष महोदय, सब ने कई राज्य सरकारें ने आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने श्वेत पत्र जारी किया । वहां उन्हीं की पार्टी की राज्य सरकार थी। उन्होंने श्वेत पत्र जारी किये और जारी करके असलियत बताकर यह वातावरण बनाने की कोशिश की । हम इस श्वेत पत्र के आधार पर टैक्स किस प्रकार लगाएंगें मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि चन्दन मल जी ने इस वर्ष जितने टैक्स लगाये हैं, वह राज्य के इतिहास में नहीं, हिन्दुस्तान का कोई राज्य नहीं होगा, राजस्थान तो है ही जिसमें एक वर्ष में इतने ज्यादा टैक्स लगाये हों। 462 करोड़ रुपये के, 462 करोड़ रुपये के टैक्स लगाना यह मामूली बात नहीं है । यहां मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों बैठे हैं । आप पुराना रिकार्ड उठाकर देख लें आज तक भी इतने टैक्स एक वर्ष में राजस्थान में 1952 से लेकर इस वर्ष तक नहीं लगे । यह पहला आपने रेकार्ड बनाया है। इस बात का बानाया कि हम वह कर्जा, एक तो रेकार्ड यह बनाया है कि प्लान साइज से ज्यादा आने कर्जा लिया। यह आपने रिकार्ड बनाया है । दूसरा आपने रेकार्ड यह बनाया कि एक वर्ष में आपने कितने टैक्स लगाये जो आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में एक साथ इतने टैक्स नहीं लगे ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियुक्तियों का प्रश्न है, यह नियुक्तियों का प्रश्न नीतिगत प्रश्न है । और यह हमने 58 से 60 क्यों किया था, इसके पीछे कारण है जो चन्दन मल जी समझते हैं, आप शायद नहीं समझते । उसका कारण यह है कि इधर तो पे-कमीशन का दबाव। एक साल में 1800 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा और एन्युअल 1200 करोड़ के लगभग का भुगतान करना पड़ेगा। आज इन पैन्शनर्स के कारण लगभग 800 करोड़ रुपये की लायबिलिटी, तुरन्त लायबिलिटी आती थी । इस लायबिलिटी से बचने के लिए यह काम किया था। आप उससे बचने का उपाय कर लें।

डा. चन्द्रभान : बाद में देना पड़ता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में देते लेकिन ... (व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चहता हूं कि अगर यह यूं ही बोलेंगे फिर तो बोलने में कोई कसर छोड़ने वाले हम भी नहीं हैं ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर 18 सौ करोड़ की लायबिलिटी अगर एक साथ आती हो, 12 सौ करोड़ रुपये की लायबिलिटी एक साथ आती हो तो उसके सामने कोई न कोई, जो भी इस प्रकार के उपाय, हो सकते हैं वह उपाय किये हों । प्रश्न यह आता है, आपकी बात से ऐसा लगा कि अब जो भी वैकेन्सीज खाली हुई हैं, इस फाइनेंशियल क्रंच के कारण से आप उनको भरना नहीं चाहते हैं । यह नहीं भरना चाहते इसका यह मतलब लें या यह लें कि आप भरना चाहते हैं यह विवाद नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दे दी है उस व्यवस्था को हम नहीं माने । अध्यक्ष महोदय कह देंगे जो व्यवस्था देऊंगा वही हम मानेंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं है । लेकिन आपने जो आज बात कही, उससे तो अर्थ यह निकलता है कि चूंकि यह फाइनेंशियल क्रंच इस प्रकार का है कि जिसके कारण नियुक्तियां सम्भव नहीं है । यह स्थिति स्पष्ट होती है । इसलिए बाकी की जो बातें कही हैं, इसका जवाब तो जब मैं बजट पर बोलूंगा आपको जब देऊंगा कि हमारी फाइनेंशियल पाजीशन कैसी थी , आज कैसी है। चन्दमल जी एक्सपर्ट हैं इस मामले में । यह अभी जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं अध्यक्ष महोदय, उनका पेंशन का हिसाब 31 मार्च को जो साल खतम हो रहा है उसके अन्दर शामिल किया है बाकी उस आधार पर यह बताया जा सके कि इस साल कितना खर्चा हुआ है । यह कोई ईमानदारी नहीं है । 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं । साहूकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर क्या है यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये। मैं समझता हूं पेमेन्ट होगा एक अप्रेल को। किसी को 31 मार्च तक पेमेन्ट नहीं होगा पेमेन्ट होगा। एक अप्रेल को ।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : मैंने कहा कि यह सरकार आपका पैसा नहीं देने वाली है। मैंने कहा एक अप्रेल नहीं, मैं 31 मार्च को दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं कहा आपने ।

श्री चन्दन मल बैद : यह मेरी साहूकारी है । और आप इस तरह से कह रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं,नहीं। मैं समझ गया आपकी बात, आप बैठिये तो सही।

श्री चन्दन मल बैद : आपने यह प्रचार करवाया कि सरकार पैसा नहीं देने वाली है। हमने यह कहा है एक अप्रेल को नहीं, मैं आपको पैसा 31 मार्च को ही दे देऊंगा। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय को तकलीफ इसलिए हो रही है कि सरकार ने जो कहा कि 31 मार्च तक हम पैमेन्ट कर देंगे । 31 मार्च तक पैमेन्ट हो गया... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट बनाने की जो सैंक्टिटी है , उस सैंक्टिटी के खिलाफ है कि एक अप्रेल को जो पैसा देना है, उसको 31 मार्च को भुगतान बता कर, भुगतान अभी किया नहीं है 31 मार्च को भुगतान बता कर 1998—99 का बजट डेफिसिट कैसे ज्यादा से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा बढ़ाकर बताया जाये,ताकि टैक्स लगाने की लोगों पर छूट हो जाये । यह आप मान कर चलिए अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है। मैं एक बात और बोल देता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो लगाये हैं 6 सौ, 7 सौ करोड़ रुपये के टैक्स। लेकिन एक वर्ष के अन्दर, एक वर्ष का आप मानकर चलिये, डाक्टर चन्द्रभान जी रोज कहते हैं मैं बिजली के पैसे बढ़ाऊंगा, एक तो वह ही बढ़ायेंगे, उधर अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही बरसात खतम हो जायेगी, बरसात तक तो यह करेंगे नहीं, फिर पानी का शुल्क बढ़ायेंगे और उसी बीच में ट्रांसपोर्ट का शुल्क बढ़ायेंगे। यह सारा बजट का भार एक हजार करोड़ रुपये से कम, एक वर्ष में नहीं होगा। इस एक हजार करोड़ रुपये का भार जनता पर डाल कर फिर भी जिनको वायदा किया है कि आपको नौकरियां देंगे, वह उनको नौकरी देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आप फैसला करिये कि सरकार से जब भी जवाब लेना चाहें आप जवाब लीजिए, और आप जवाब देंगे उस दिन भी चर्चा और कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैं पूर्व में कह चुका हूं और राज्य सरकार इस बात को सुन रही थी कि शीघ्रताशीघ्र जानकारी जो है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके हुक्म की तामील होगी । (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : कल कौनसा कर आयेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जजिया कर जो लगाया है उस पर । आप चिन्ता मत करो, जा औरंगजेब ने लगाया था वह कर चन्दनमलजी ने लगाया है उस पर बोलूंगा मैं । (व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1)श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर में सैकड़ों अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2)श्री सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला अजमेर के भिनाय क्षेत्र में सांसद–विधायक कोष से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में ।

(3)श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कुशलपुरा में जोगीयान समाज के काबिजों को बेदखल करने की कार्यवाही को निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

(4)श्री रामसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला चूरू की तहसील श्रीडूंगरगढ़ को जिला बीकानेर में मिलाने के सम्बन्ध में ।

(5)श्री हीरासिंह चौहान,सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की सोजत तहसील के ग्राम अटपड़ा में अविलम्ब पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बध में ।

(6)श्री वृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर शहर को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु मोहनगढ़ से बाड़मेर पाइप लाइन योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में ।

(7)श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से व्यावसायिक शिक्षा से सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षित

(श्री अध्यक्ष)

बेरोजगार अध्यापकों को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बध में ।

(8)श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत मण्डल के सीकर वृत्त में किसानों के विद्युत कनेक्शन पर वास्तविक लोड से अधिक लोड बताकर जुर्माना वसूलने के सम्बन्ध में ।

(9)श्री महादेव सिंह खण्डेला, विधान सभा की ओर से जयपुर से झुंझुनूं, नीमकाथाना, खेतड़ी, चिड़ावा एवं नारनोल आदि स्थानों में जाने वाली रोडवेज बसों का संचालन पूर्व की भांति ग्राम कांवट होकर करने के सम्बध में ।

(10)श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में गुन्दलपुर चरी पीपली मुदरा तालाब सड़क निर्माण का शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाये जाने के सम्बध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी । श्री यशवन्त सिंह ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव 22, तारीख को मैंने आपको दिया, मुख्य सचिव के वक्तव्य के विषय में, कल आपने गृह मंत्रीजी को यह निर्देशित किया था कि वह जानकारी आपको उपलब्ध करवायें।

(12.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, 22 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसकी सूचना, आसन से यह निर्देश दिया गया था, गृह मंत्रीजी को, कि उसकी जानकारी उपलब्ध करवायी जावे । उसकी जो ग्रेविटी है, अब अध्यक्ष महोदय चले गये... नहीं 127 वाला नहीं है यह अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सूचना के लिए उपाध्यक्ष महोदय, कल निर्देश दिया था आसन से ।

श्री उपाध्यक्ष : कल रख देंगे आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : भिजवा दिया है, साहब मैंने ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 127 में मैंने भी एक नोटिस दे रखा है। और उसके बाद भी आसन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के किक्रेट मैच के बारे में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : 127 की व्यवस्था यहां नहीं दी जाती, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो कहां दी जाती है...(व्यवधान) चैम्बर में । तो व्यवस्था तो बतायेंगे कि क्या हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : जैसे–जैसे सूचना आयेगी वैसे–वैसे आपको बता देंगे । अभी सूचना नहीं आयी है । माननीय अमीन खां । (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

रेगिस्तानी सीमावर्ती जिलों में अध्यापकों के रिक्त पद

श्री अमीन खान (शिव) : महोदय, जिला बाड़मेर, जैसलमेर सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र है । सारे देश में साक्षरता का स्तर सबसे नीचे है ।

(श्री अमीन खान)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर के गरीब ग्रामीण लोगों के साथ व्यवहारिक न्याय सरकार की तरफ से नहीं मिलता है । क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर जिलों में जबसे मैरिट के आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती की है, उसके बाद स्थानीय अध्यापक ज्यादा नहीं लगने से बाहर के मास्टर भर्ती होने के बाद अपने–अपने जिलों में चले जाते हैं । बाड़मेर, जैसलमेर में सैकड़ों पद अध्यापकों के हमेशा से आज तक अधिकांश स्कूलें खाली रहती है। और यहां की जनता के साथ धोखा हो रहा है । आज भी बाड़मेर जिले में करीब 900 व जैसलमेर जिले में 2000 अध्यापकों के पद खली पड़े हैं।

अदालतों के स्टे की वजह से वहां की जिला परिषदें अध्यापकों की नियुक्ति नहीं दे सकती जिससे कई अध्यापक आवर एज जो जाएंगें। बेरोजगारों की भी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है जिससे स्थानीय जनता में व बेरोजगार युवकों में भारी असंतोष बढ़ रहा है ।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपकी व इस सदन की मार्फत सरकार से निवेदन है कि खाली अध्यापकों के पद भरने की विशेष तौर से व्यवस्था करायी जावे ताकि वहां की पिछड़ी हुई जनता को भी दूसरों के बराबर आने का अवसर मिले ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल ।

भिनाय (अजमेर) क्षेत्र में सांसद-विधायक कोष से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत राशि

श्री सांवरलाल(भिनाय) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिनाय जिला अजमेर के विभिन्न स्थानों पर विद्युतीकरण हेतु सांसद व विधायक कोष से विभिन्न कार्यो हेतु राशि स्वीकृत की गयी परन्तु विभाग की लापरवाही, संवेदनहीनता के कारण कार्य सम्पादित नहीं होने से लागों को लाभ नहीं मिला है जो चिन्ता का विषय हैं ।

कृपया अविलम्ब समुचित कार्यवाही करने का का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं विधान सभा क्षेत्र में जोगीयान समाज के काबिजों को बेदखल करना

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कुशलपुरा में खसरा नम्बर 646 रकबा .68 (ख) पुराना खसरा नम्बर 489 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा तथा ठिकाना सामोद के खसरा नम्बर 2145 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा है । जिस पर करीब 215 वर्ष पूर्व की जोगीयान समाज की समाधियां बनी हुई हैं जो आज के करीब 215 वर्ष पूर्व ठिकाना समोद से नियमानुसार नजराना दे... इसी उपयोग हेतु जोगी समाज की समाधि लगाने हेतु दी गई थी, जो सामोद ठिकाना की पट्टा बही में दर्ज है तथा उसी के समय से यह समाज की निजी श्मशान सम्पत्ति है एवं अब तक कब्जा काबिज है, व श्मशान के उपयोग में ली जा रही है । रेवन्यु के रेकार्ड में खसरा नम्बर 489 गैर मुमकिन श्मशान एवं नये खसरा नम्बर 646 के रेकार्ड में श्मशान कब्रिस्तान के नाम से दर्ज कर दी गयी है । इस श्मशान का उपयोग केवल जोगी समाज ही करता है एवं श्मशान की रक्षा भी करता आया है तथा अन्य पंचायत द्वारा इस भूमि के ऊपर आबादी हेतु

(श्री भगवान सहाय सैनी)

दिये गये पट्टे को भी समाज ने उच्च न्यायालय से निरस्त करवाया है । इस श्मशान की रक्षा व हिफाजत को बनाये रखने के लिये जोगी समाज द्वारा ग्राम पंचायत कुशलपुरा उक्त भूमि पर तारबंदी एवं दीवार बनाने हेतु आवेदन किये जाने पर ग्रम पंचायत कुशलपुरा के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 18.4.94 एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 10, दिनांक 11.6.94 द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिये जाने पर पंचायत की स्वीकृति क्रमांक 75 दिनांक 15.6.94 को जोगी समाज को अपने खर्चे पर, तारबंदी या पुख्ता दीवार की स्वीकृति समाज के खर्चे पर दी गयी। इस पर जोगी समाज ने रक्षार्थ तारबंदी कर पेड़ लगाये थे। अब करीबन 4 वर्ष पश्चात् 18.7.98 को तहसीलदार चौमूं द्वारा पुलिस बल के साथ बिना किसी पूर्व सूचना के इस श्मशान भूमि की तारबंदी को तुड़वा दिया तथा अन्य किये गये अतिक्रमणों को यथावत रहने दिया, व ग्रामीण जनता को इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग की बता कर बवण्डर खड़ा कर दिया। जिससे ग्रामीण जनता समाधियों के साथ-साथ हरे वृक्षों को भी नुकसान पहुंचा रही है एवं सार्वजनिक सम्पत्ति समझ कर खाद, कूड़ा, करकट आदि डाल रही है तथा ग्राम पंचायत में भूमि की किस्म बदलने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिये हैं एवं कइयों के द्वारा उक्त भूमि को पट्टा प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र भी दिये जा चुके हैं। इस प्रकार की कार्यवाही से जोगी समाज तो श्मशान से बेदखल तो होंगे ही, साथ ही यह भूमि दो पंचायतों के बीच होने के कारण भयंकर विवाद का कारण बन जावेगी जिससे कोई भी अप्रिय घटना किसी भी समय घट सकती है ।

अतः तहसीलदार चौमूं द्वारा की गई बेदखली की कार्यवाही को अविलम्ब निरस्त करते हुए जोगी समाज को क्षति पूर्ति दिलवायी जाकर इन्हें श्मशान की भूमि पर पूर्व स्थिति बहाल कर उपयोग करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंहजी ।

श्रीडूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाना

श्री रामसिंह(सादुलपुर) : मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने के लिये पिछले 250 दिनों से लोक संघर्ष समिति का धरना जारी है। उक्त तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने की मांग क्षेत्र की जनता पिछले 20 वर्षों से करती आ रही है । श्रीडूंगरगढ़ तहसील के सभी ग्राम पंचायतों, नगरपालिका, मण्डल व पंचायत समिति सर्वसम्मत प्रस्ताव तत्कालीन व वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय व राजस्थान सरकार को भेजा जा चुका है । जिला कलेक्टर चूरू, जिला कलेक्टर बीकानेर, सम्भागीय अयुक्त बीकानेर, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्री डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाने को उचित मानते हुए राज्य सरकार को सिफारिश की जा रही है तथा सिफारिश में लिखा कि किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ भूकम्प, अकाल आदि के समय प्रशासन समय पर जनता को राहत प्रदान कर सकेगा तथा क्षेत्र की जनता को कृषि विश्वविद्यालय, कृषि उपज

(श्री रामसिंह)

मण्डी, ऊन मण्डी, उरमूल डेयरी, शिक्षा निदेशालय, लकड़ी व लोहा मण्डी, उपनिवेश आयुक्त , सम्भागीय आयुक्त कार्यालय से जनता को राहत मिलेगी ।

27 जुलाई, 98 से उक्त क्षेत्र के सभी राजनीति दलों, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रधान, सरपंच जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व गणमान्य नागरिकों द्वारा क्रमवार धरना दिया जा रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय ने उस क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही कार्यवाही कर दी जावेगी। जनता ने आपकी मांग को पूरा कर दिया है।

अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि जनता की उचित मांग एवं आवश्यकता हो देखते हुए श्रीडूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में मिलाकर जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष :श्री हीरासिंह चौहान ।

सोजत तहसील के ग्राम अटपड़ा में पेयजल उपलब्ध कराना

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के बाबत 8 हजार की आबादी के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अविलम्ब पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के क्रम में ।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पाली जिले की सोजत तहसील की ग्राम पंचायत मुख्यालय अटपड़ा लगभग 8 से 9 हजार आबादी का राजस्व गांव है । इस गांव में सीनियर सैकण्ड्री विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, डाक तार घर व अन्य सरकारी कार्यालय अटपड़ा में बने हुए हैं । खनन विभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र है तथा लाइम स्टोन के कई भट्टे लगे हुए हैं। उस स्थान पर वहां के रहने वालों के अलावा सैकड़ों लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है । इतना सब कुछ होते हुए भी सरकार द्वारा पेयजल की तत्कालीन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की जा रही है क्योंकि इस गांव में खारा पानी होने से हैण्ड पम्प गांव में खोदे नहीं जा सकते हैं। पेयजल की स्कीम वर्षो पहले बनी हुई है, लेकिन उक्त स्कीम का पानी पीने के उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। पहले की स्कीम के स्थान पर वर्ष 91—92 में पेयजल की एक नयी स्कीम सरकार द्वारा अलग से बनायी गयी । उस स्थान पर भी पानी खारा ही पाया गया लेकिन पाइप लाइन ऊपर डालने से तोड़ दी गयी। गांव के लोग प्रति टैंकर एक—एक हजार रुपये देकर पानी बोयल गांव के निजी कुएं से लाते हैं । उस निजी कुएं का 2—3 माह पहले बिजली का कनेक्शन भी बिजली विभाग द्वारा काट दिया गया। इस प्रकार ट्रेक्टर द्वारा लाया जाने वाला पेयजल भी बंद हो गया है ।

5—6 माह पूर्व जनता द्वारा पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु आवाज उठाने पर गजनाई बांध से अटपड़ा तक पेयजल पहुंचाने की नयी स्कीम पेयजल विभाग द्वारा करोड़ों रुपये की लागत की दो-तीन माह पूर्व बनायी गयी है लेकिन यह स्कीम कब स्वीकृत होगी,

(श्री हीरासिंह चौहान)

इसके विषय में सरकार अवगत कराये ।

अतः मेरा निवेदन है कि अटपड़ा गांव एक ही आबादी समूह में बसा हुआ 8–9 हजार की आबादी का गांव है जब तक स्कीम चालू नहीं होती है तब तक जिले में उपलब्ध 5–6 टैंकर इस गांव में पेयजल पहुंचाने को नियमित लगवाने की व्यवस्था कर पेयजल उपलब्ध कराया जावे ताकि तत्कालीन समस्या का समाधान हो सके ।

(13:00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन ।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के गांवों की जल समस्या का निदान

श्री वृद्धिचन्द जैन(बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर, जैसलमेर जिले के 147 ग्राम एवं बाड़मेर जिले के 411 गांव जिनमें अधिकांश ग्राम शिव तहसील के हैं और जल संकट की समस्या से ग्रस्त हैं।

उक्त क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के थार क्षेत्र के मध्य में स्थित है। उक्त क्षेत्र में पीने का पानी खारा है और बहुत गहराई पर और वह भी बहुत कम उपलब्ध होता है।

उक्त क्षेत्र में चाडखा, नींबला एवं फतहगढ़ आदि में नलकूप बने हैं, उनकी गुणवत्ता में दिनों–दिन गिरावट आ रही है । टी.डी.एस. में वृद्धि हो रही है जिसके कारण मनुष्य के पीने का पानी पीने योग्य नहीं रहा हैं । पर्याप्त पुनर्भरण के नहीं होने से उन नलकूपों का जल स्तर दिनों–दिन गिर रहा है ।

बाड़मेर शहर का मुख्य स्रोत भाडखां है। भाडखां में नलकूप औसतन 2–3 वर्ष चलते हैं। पचास नलकूप एबेन्डेड घोषित किये गये हैं। बाड़मेर शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जो सन् 2001 में एक लाख को भी पार कर लेगी । भाडखां नलकूप से बाड़मेर नगर की पाइप लाइन योजना अविश्वसनीय है। अभी हाल में राज्य सरकार ने बाड़मेर शहर की पुनर्गठित योजना बनाई वह भी स्थायी हल नहीं है।

इंदिरा गांधी नहर के मोहनगढ़ से बाड़मेर पाइप लाइन योजना राज्य सरकार ने प्राथमिक तौर पर बनाई है और जिसका प्राथमिक तौर से सर्वेक्षण भी हुआ है जिसे विस्तृत सर्वेक्षण कर सम्पूर्ण योजना बना कर स्वीकृत कर स्थायी हल करना जनहित के लिये आवश्यक है ।

यदि उक्त स्थायी योजना को पांच वर्ष के अन्दर–अन्दर राज्य सरकार ने चालू नहीं किया तो बाड़मेर शहर एवं बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के गांवों की जनता को पानी के संकट से मजबूर होकर पलायन करना होगा । यह भी गंभीर समस्या है एवं लोक महत्व की है ।

अतः इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए उपरोक्त वर्णित योजना मोहनगढ़ से बाड़मेर पाइप लाइन योजना को तुरन्त से तुरन्त स्वीकृत कर क्रियान्वयन किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार ।

व्यावसायिक शिक्षा सहित एस. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति

श्री श्रवण कुमार(पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम

(श्री श्रवण कुमार)

295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार द्वारा 1986 में शुरू की गई नई शिक्षा नीति 10+2 व्यावसायिक शिक्षा से सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण छात्रों ने प्राइमरी अध्यापक प्रशिक्षण (दो वर्ष) उत्तीर्ण कर मई , 1998 में आवेदन मांगकर वरीयता सूची तैयार कर ली थी। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर इन्हें अयोग्य करार दिया।

परेशान होकर छात्रों को न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय ने छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया। सरकार ने मामला लटकाए जाने के उद्देश्य से डी.बी. में डाल दिया । राज्य सरकार ने 1997 तक व्यावसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण छात्रों को योग्य माना है तब उन्हें अध्यापक पद पर नियुक्तियां दी हैं । इस वर्ष एस. टी. सी. में प्रवेश परीक्षा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन की तिथि बढ़ाकर आवेदन पत्र मांगकर एस. टी. सी. प्रवेश में शामिल किया है ।

अतः इन्हें अध्यापक पदों पर नियुक्तियां देने की कृपा करें जिससे शिक्षा क्षेत्र का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

सीकर वृत्त में किसानों से विद्युत कनेक्शन पर अधिक लोड बताकर जुर्माना वसूली

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि सीकर वृत्त में जहां विद्युत तंत्र सम्पूर्ण रूप से ओवर लोड है, जिसके कारण किसानों को निम्न बोल्टेज मिलते हैं। जिससे किसानों को पानी पूर्ण नहीं मिलता है तथा उपकरण भी अधिक जलते हैं । विभाग फ्लाइंग दस्ते भेजकर अकारण ही 10 एवं 12 1/2 एच. पी. की विद्युत मोटरों को विभाग 20 एवं 25 एच. पी. की बताकर 15 से 25 हजार रुपये जुर्माने के रूप में विभाग लगा देता है तथा किसान के जमा नहीं करवाने की स्थिति में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी जाती है।

अगर किसी भी किसान का बकाया पर कनेक्शन कट गया तो री-कनेक्शन पर फीस मात्र 225 रुपये होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों ने सीकर वृत में 1725 रुपये वसूल हैं । 1500 रुपये लेबर चार्ज वसूल कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार न तो नियमानुकूल है तथा न ही न्यायसंगत है । किसानों द्वारा समय पर बिल जमा नहीं होने पर 36 प्रतिशत ब्याज की राशि अत्यधिक है जो किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं लगती है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से इन समस्याओं का तुरन्त समाधान कराने का कष्ट करें।

डा. चन्द्रभान(ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विशेष उल्लेख के जरिये सदन के सामने जो अपनी ओर से बातें रखी हैं, इनके सम्बन्ध में ये मेरे से मिल भी चुके हैं और मैंने इनके सामने ही चेयरमैन, आर. एस. ई. बी. को निर्देश दिये हैं कि ज्यादा हार्स पावर की मोटरें बताकर के किसानों को परेशान किया जा रहा है । उसकी जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद में जो भी निष्कर्ष आयेंगे उसके मुताबिक कार्यवाही होगी । जहां तक इन्होंने कहा है कि री–कनेक्शन के लिये ज्यादा फीस ली जाती

(डा. चन्द्रभान)

है। उसके लिये भी मैंने विद्युत मण्डल को निर्देश दिये हैं और ऐसा नहीं होने देंगे । फीस का जो शिड्यूल है, उसके मुताबिक ही किसानों से फीस ली जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह खण्डेला।

जयपुर से चलने वाली रोडवेज की विभिन्न बसों को पुनः ग्राम कांवट होकर संचालित करना

श्री महादेव सिंह(खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं :—

जयपुर से झुंझुनूं, नीमकाथाना, खेतड़ी चिड़ावा नारनौल आदि स्थानों को जाने वाली रोडवेज की बसें वर्षों से ग्राम कांवट होते हुए जाती थी। गांव में इस हेतु बुकिंग स्टेशन भी कायम किया हुआ है। किन्तु कुछ समय से गांव कांवट से एक —डेढ़ किलोमीटर पहले बाई पास नं. 1 से ही बसों का संचालन हो रहा है एवं गांव में बसों का आवागमन कतई बंद कर रखा है। इसे ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं सामान आदि लाने, ले जाने में भी भारी परेशानी होती है ।

ग्रामवासियों की परेशानी को मध्य नजर रखते हुए मेरा आग्रह है तत्काल प्रभाव से उपरोक्त सभी बसों को पूर्व की भांति ग्राम कांवट होते हुए जाने —आने की सख्त हिदायत जारी करें एवं बुकिंग आफिस भी खुलावें ताकि जनता को राहत मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के तालाब, सड़क निर्माण कार्य

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं काय संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र तीन पंचायत समितियों की पंचायतों से मिलकर बनती है । दो पंचायत समितियां डुगला एवं बड़ी सादड़ी आपस में सड़क मार्ग से पूर्णतया जुड़ी हुई है एवं आवागमन के साधन भी हैं, लेकिन पंचायत समिति प्रतापगढ़ 18 पंचायतें इस विधान सभा से सड़क मार्ग से आज भी नहीं जुड़ पाई है । पूर्व में बड़ी सादड़ी पंचायत समिति के पास से बोरखेड़ा, गुन्दलपुर होती हुई एक कच्चा रास्ता चरी पीपली पंचायत, पंचायत समिति प्रतापगढ़ से जोड़ने का प्रयास किया । आधे से अधिक मार्ग ग्रेवल एवं डामर बनाया भी गया पर शेष मार्ग पूर्ण नहीं होने से दोनों पंचायत समितियों के लोगों को आने—जाने में या तो सम्पूर्ण धरियावद क्षेत्र होकर बड़ी सादड़ी आना पड़ता है । जिसकी दूरी 70 किलोमीटर होती है या फिर प्रतापगढ़ वाया छोटी सादड़ी होकर बड़ी सादड़ी आना पड़ता है या दूरी भी 65 किलोमीटर के लगभग है । यदि गुन्दलपुर चरी पीपली, मुदरा तालाब सड़क का शेष कार्य प्राथमिक के आधार पर पूर्ण करा लिया जाता है तो यह विधान सभा क्षेत्र एक दूसरे से सड़क मार्ग से जुड़ा सकेगा एवं यहां की जनता को भी विकास एवं प्रशासनिक कार्य में गति मिल सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : अल्पावधि की सूचना । माननीय राजेन्द्र राठौड़ ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय आबकारी मंत्री जी सदन में बिराज रहे हैं । मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बार के बजट में आपने आबकारी राजस्व से 1193 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा, उसमें से आपने 11 करोड़ 30 लाख रुपए शराब के ठेकों से राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा । उपाध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक दर्जन से ज्यादा बार इन्होंने निविदाएं आमंत्रित की । यह सारा इसलिए हुआ कि छोटे शराब के ठेकेदार प्रतिस्पर्द्धा से बाहर चले जाएं। पहले 173 समूह थे, उनको तोड़ कर इन्होंने 64 समूह किए, 64 समूह इसलिए किए कि गरीब और आम व्यक्ति इस व्यवसाय में नहीं आ सके । पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए इन्होंने इस तरह का कुकृत्य किया। इसका नतीजा यह निकला कि आज 811 में से 440 करोड़ रुपये के शराब के ठेके उठे हैं, 11 जिलों में उठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का तरीका निकाल लिया है कि फ्रेंचाइज के अंदर इन 11 जिलों में शराब बिकने का काम चालू करेंगे । फ्रेंचाइज के अंदर जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि कोई भी आदमी आएं उसकी दरख्वास्त ले लो और उसको शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दो । मैं आबकारी मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने बीयर बार बंद किए। आपका बड़े जोर शोर से बयान आया कि युवकों में नशे की प्रवृत्ति बंद कर रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं ? आप इस फ्रेंचाइज के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम करने जा रहे हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है इस मामले में मैं पूछना चाहता हूं कि आप में हिम्मत है तो आप गंगानगर शुगर मिल से चलाने की बात करें, आप नीति स्पष्ट करें । आप इस सदन को बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं। यह राजस्थान के राजस्व का मामला है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आबकारी मंत्रीजी से जवाब चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर।

डा. किरोड़ीलाल(बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी ने जो मामला उठाया है, बहुत गम्भीर है, राजस्व की हानि सरकार को हो रही है। आखिर सरकार इसमें करना क्या चाहती है ?

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं है जवाब देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के राजस्व का मामला है, जवाब तो दें कि करना क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर, बिराजिए। (व्यवधान) नो, नो, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) ऐसा है कि बजट भाषण होगा ,आपके सब प्रश्नों का जवाब आएगा। अभी आपने प्रश्न उठा लिया, माननीय मंत्री महोदय के दिमाग में आ गया । यह इसका जवाब जब उचित समय होगा तब दे देंगे । माननीय मदनजी दिलावर। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी(छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं आबकारी मंत्रीजी से ।

एक माननीय सदस्य : इसमें कोई सवाल—जवाब होता ही नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय राजेन्द्रजी ने जो बात कही है, उससे अलग बात कहना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा यह आरोप है कि सरकार उन लोगों को संरक्षण देना चाहती है जिन माफियाओं ने चंदा दिया है। सरकार करना क्या चाहती है । पूंजीपतियों का संरक्षण करना चाहती है यह सरकार, मेरा आरोप है । यह सरकार उन लोगों का शोषण करना चहाती है जिन्होंने चुनावों के समय चंदा दिया है ...(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य(नोहर) : माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ के ज्यादा ठेके दिखते हैं, इसलिए पैरवी करे रहे हैं... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जिन जिलों में शराब के ठेके नहीं उठे, वहां सरकार नशाबंदी लागू करने जा रही है या नहीं , मैं यह पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मदनजी दिलावर, बोलो आप।

डा. किरोड़ीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है, 11 जिलों में ठेके नहीं उठे, बड़े—बड़े माफियाओं को ठेके दे दिए, छोटे ठेकेदार मारे गए । सरकार राजस्व को हानि हो गई, यह बड़ा गम्भीर मामला है। वित्त मंत्रीजी सुन ही नहीं रहे हैं 295 को, तो तैयबजी से बात कर रहे हैं. .. (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद(वित्त मंत्री) : आप बात नहीं कर रहे हैं क्या आपस में...(व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : आप गुस्सा मत करें, आप हमारे पिता तुल्य हैं... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं समझ रहा हूं कि माननीय सदस्य यह प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है। मैं दबाव में आने वाला नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय वित्त मंत्रीजी के स्वास्थ्य की चिंता है । वित्त मंत्रीजी गुस्सा मत करो।

श्री मोहनलाल मोदी(नीमकाथाना) : आप जब चिकित्सा मंत्री थे तब तो स्वास्थ्य की चिंता की नहीं ।

डा. किरोड़ीलाल : वित्त मंत्रीजी को पता लग गया कि क्वेश्चन क्यों उठाया गया है तो फिर हमें इसकी जानकारी दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई दबाव की बात नहीं है, आप जानते हैं तो जानकारी दे दें ।

एक माननीय सदस्य : फ्रेंचाइज के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : चिकित्सा मंत्री थे तब तो उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं हुई थी, हाथ—पैर तोड़ दिये थे उनके, आज चिंता हो रही है आपको उनके स्वास्थ्य की। लाठियां चलाई, आपको शर्म आने की बात है ।

श्री मोहनलाल मोदी : तब तो लाठियां चलाई थीं उनके ऊपर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्वास्थ्य की चिंता पहले भी थी, स्वास्थ्य की चिंता आज भी है ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
हम आपकी तरह घड़ियाली आसूं नहीं बहाते, मुझे पूरी चिंता है। यह छाती है हमारे चूरू जिले की । इस तरह थोड़े हैं, दबाव डाल कर कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहते हैं, वित्त मंत्रीजी. जरा मुस्कराकर जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : हमारी परम्परा है दादाओं पर लाठियां चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर ।

श्री मदन दिलावर(अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 फरवरी को बारां जिले के भंवरगढ़ थानान्तर्गत एक 13 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया । बालिका के पिता श्री उदय लाल गुर्जर तभी से लगातार पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगा रहा है और कोई इस गरीब आदमी की सुनने वाला नहीं है, आज तक किसी प्रकार का प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। जिस तेरह वर्षीय बालिका का अपहरण हुआ है, उसको ढूंढ़ा नहीं गया है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिला सदन में बलात्कार हुआ था, आप मंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले ? आज बात करते हैं महिलाओं की, बालिकाओं की ।

श्री मदन दिलावर : + + +मेरी बहन का, मेरी बेटी का अपहरण हुआ है, 13 वर्षीय बालिका है, उसके पिता मेरी उम्र तुल्य है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : मैं दखल डालूंगा। रामस्वरूपजी के साइलेंसर लगवाओ, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों के बराबर का लगवाना पड़ेगा ।

डा. किरोड़ीलाल : नहीं, नहीं, मेरे नहीं ।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले आपके लगवाना पड़ेगा, पहले आपके लगेगा, हम आपसे दबने वाले नहीं हैं ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : यह जीरो आवर है ।

श्री मदन दिलावर : जीरो आवर है। यदि समझ में नहीं आता है तो बैठो । (व्यवधान) लड़की के पिता ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई, वह नामजद थी कि खालिद नाम का व्यक्ति उस लड़की को उठा कर ले गया है। नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी लड़की का अभी तक पता नहीं लगा, बहुत भयंकर बात है। कितनी लड़कियों का अपहरण होगा।

कभी खेड़ली काण्ड, कभी पराड़िया काण्ड, कभी दो चचेरी बहनों का हत्या काण्ड कोटा में। मैं आपको बता दूं कि 63 छोटी-छोटी बालिकाओं का अपहरण हो चुका है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस बालिका का पता लगाया जाए, अदरवाइज वहां कोई अनहोनी घटना हो सकती है, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, जिस प्रकार लड़की अपहरण करके ले जाई गई है। सरकार इस पर चुप है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को दिशा निर्देश दें क्योंकि गृह मंत्रीजी यहां नहीं हैं, उनको इसकी गम्भीरता का पता नहीं है कि जीरो आवर क्या होता है । आप इस बात को वहां तक पहुंचा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

डा. किरोड़ीलाल : आखिर यह कौन कर

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(डा. किरोड़ीलाल)

रहा है ? इतना तो पता लगे।

श्री उपाध्यक्ष : नोट हो रहा है, सब हो रहा है, कितने मंत्री बैठे हैं, नोट नहीं होगा तो क्या होगा।

डा. किरोड़ीलाल : कृषि मंत्रीजी कर रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी ।

श्री मदन दिलावर : गुलाब का अपहरण हुआ है, जो 13 वर्ष की है...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बारां जिले से सम्बन्धित है, मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि साम्प्रदायिक सद्भाव बारां जिले में बिगड़ सकता है, इसलिए इस मामले को गम्भीरता से लें और लड़की को बरामद करवाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप नियम से बोलें, इन्होंने बोल दिया इसलिए आप बोलेंगे, यह नहीं । अमरारामजी।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सब्जियों के भाव चाहे वह गोभी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे गाजर हो, जो भी हो, गिर रहे हैं। राजस्थान के किसान सब्जी उत्पादन करके साढ़े चार करोड़ लोगों को पहुंचाने का काम करते है, आज उनकी दुर्दशा हो रही है । हालत यह है कि चाहे वह सीकर की मण्डी हो, चाहे जयपुर की मण्डी हो, सब्जी खेत से तोड़ कर मण्डी में लाने का किराया उनको नहीं मिलता । आज 33 पैसे किलो के हिसाब से गोभी मार्केट में बिक रही है। राजस्थान की सरकार और उसके विपणन मंत्री बैठे हुए हैं, हालत यह है कि आज तक कोई आकलन सरकार ने नहीं किया है । जितनी भी सब्जी मण्डियां हैं, उनके लिए मार्केटिंग बोर्ड जो करोड़ों रुपये सड़क के लिए इंवेस्टमेंट करता है। भवनों के लिए इंवेस्टमेंट करता है, लेकिन वह सब्जी उत्पादित करने वाले किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाता । शायद राजस्थान में मार्केटिंग बोर्ड ने किसी एक भी सब्जी मण्डी में नहीं बनाया है और मैं समझता हूं, आगे कोई प्रयोजन नहीं है । न यह आकलन करने के लिए सरकार तैयार है कि कितनी सब्जी पैदा होगी, राजस्थान में कितनी आवश्यकता है और उस किसान को उस मार से बचाने के लिए उस सब्जी को बाहर कहां भेजा जा सकता है। क्योंकि किसान इस स्थिति में नहीं है कि सब्जी को बाहर जहां अच्छे भाव मिल सकते है वहां तक पहुंचा सके । इस नयी आर्थिक नीति और नई कृषि नीति से किसान बर्बाद हो रहा है और निश्चित रूप से जो सब्जी पैदा करने वाला है, जहां–जहां बड़े शहर हैं उनके आसपास के वे किसान हैं जो लघु और सीमान्त हैं, उनकी छोटी जमीनें हैं, वे केवल सब्जी पैदा करके अपना जीवनयापन करना चाहते हैं । अगर ऐसी ही स्थिति रही तो निश्चित रूप से जो कपास पैदा करने वाले किसान हैं। आसाम में जिन्होंने टमाटर पैदा किए हैं, जिन्होंने आत्महत्या की हैं, उसी तरह से राजस्थान में लाखों की संख्या में जो किसान सब्जी पैदा करके राजस्थान की जनता को खिला रहा है, यही भाव अगर रहे और इसी तरह की स्थिति रही, उनकी चिन्ता नहीं की, तो निश्चित रूप से वह दुर्दिन राजस्थान के किसानों को भी देखना पड़ेगा । किसानों के माथे पर कलंक

(श्री अमराराम)

आए इसके लिए समय रहते हुए राजस्थान की सरकार उपाय करे और उन किसानों को उचित मूल्य मिले इस बात की व्यवस्था राजस्थान की सरकार करे, यह मेरा सरकार और मंत्रीजी से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम में विगत दिनों अग्निकाण्ड हुआ था । ग्राम बीजलवाड़ा में अग्निकाण्ड हुआ जिसमें दाताराम कोली के घर में आग लगी, प्रहलाद कोली के घर में आग लगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों कोलियों के घरों में आग लगी और उनके घर का सारा समान जल गया। खाने को अनाज नहीं रहा। पशुओं को चारा नहीं रहा । इसी तरह से रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री धन्नालाल शर्मा के घर में भी आग लगी और उसके कारण से उसके घर में एक जर्सी गाय, जो ब्याने वाली थी वह गाय उसी में जल कर राख हो गई ।

इसी तरह से प्रहलाद कोली की एक भैंस जिसकी कीमत 15 हजार रुपये थी वह भैंस भी ब्याने वाली थी जिसको उसने अपने अन्दर बांध रखा था, उस छप्पर में आग लग गई और वह भैंस भी जल कर मर गई । इसी तरह से राजू कोली का भी एक छप्पर का मकान था उसका भी सारा सामान जलकर राख हो गया। धनश्याम का भी एक पाटोर–पोस मकान था जिसमें आग की लपटों के कारण सारी पाटोरें टूट गई और भीतर जितना भी सामान था वह जलकर राख हो गया । यह घटना ग्राम बीजलवाड़ा की है।

इसी तरह से दूसरा अग्निकाण्ड दूसरे दिन हुआ । वह ग्राम गांवड़ी में हुआ था । मोहनपुरा गांवड़ी गांव में किसानों की चार लाख की सरसों जलकर नष्ट हो गई थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें निम्नलिखित काश्तकारों को नुकसान हुआ है। श्री राजूलाल पुत्र श्री मिश्रा मीणा, 50 मन सरसों, 30 हजार रुपये। श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जिन्सीलाल मीणा, इसकी 75 हजार रुपये की सरसों जल गई । रामहरी पुत्र जिन्सी मीणा की 64 हजार की सरसों जल गई । मोहन पुत्र पुरसा मीणा की 60 हजार की सरसों जल गयी । हरिमन पुत्र गोपीराम मीणा की भी 65 हजार की सरसों जल कर राख हो गई । इसी प्रकार धनसी पुत्र मिश्रा मीणा की भी 70 हजार की फसल जल कर राख हो गई। यह रिपोर्ट थाने के अंदर 454/99 दर्ज हुई है जिसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही किसानों के बारे में नहीं हुई । प्रशासन की ओर से तहसीलदार जी जरूर वहां गए, लेकिन माननीय जिलाधीश महोदय आज तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल इसके लिए सहायता दे, क्योंकि किसानों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है । उनके खून और पसीने की कमाई,जिस प्रकार से एक जवान बेटा किसी का मर जाता है, उसी प्रकार आज किसान की आग के कारण सरसों सारी फसल नष्ट हो गई है। कितनी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मेहनत और लागत से उन्होंने सरसों की फसल को उगाया था, तैयार की थी आज वे वहां रो रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद किसानों के घर गया हूं उनके खलिहानों को भी देखा है। किस प्रकार से हा-हाकार गांव में मचा हुआ है, किस प्रकार से बीजलवाड़ा गांव में एक गाय जल गई, भैंस जल गई, उन परिवारों के साथ क्या गुजर रही है..। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने मुख्य मंत्री कोष से उन गरीबों की सहायता करें ताकि उन गरीबों को सहायता मिल सके । इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से हमारा जो प्रशासन करौली जिले के अंदर है उसको मैं कहना चाहता हूं कि वह तुरन्त ही इसकी रिपोर्ट बनाकर उनको मुआवजे की व्यवस्था करावे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये 295 पढ़ रहे हैं या फिर...

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं अति महत्वपूर्ण मामले को उठा रहा हूं, मैं 295 नहीं पढ़ रहा हूं । अग्निकाण्ड के कारण इन परिवारों की तबाही हो गई है। मुझे विश्वास है कि हमारी संवेदनशील सरकार है ।

श्री हरिसिंह(महुवा) : माननीय सदस्य, ये तो आपके राज में भी ऐसे ही बढ़ा सकते थे ।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार कोई व्यवस्था किसानों के बारे में करना चाहती है क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री मदन दिलावर : यह ज्यादती हुई है। इसमें सारा माल जल गया है। माननीय सदस्य के आसूं आ रहे हैं ।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई कोग्नीजेंस ले रहा है क्या ? ये चारों तरफ हो रही हैं ।

श्री मदन दिलावरः इनकी आत्मा रो रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि हमारी संवेदनशील सरकार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत दयालू हैं, हमारे दूसरे मंत्रीजी भी बहुत दयालू हैं वे निश्चित रूप से मेरी बात को सुनेंगे। इनकी तरह +++ निकम्में नही है। इन्होंने कभी हमारी बात को सुना ही नहीं था। मुझे तो भरोसा है उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमारी बात को सुनेगी, किसानों को मुआवजा भी देगी।

श्री हरिसिंह(महुवा) : बिजली मांगी तो तो आपकी टांग तोड़ दी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, इन्होंने टांग तोड़ दी, पानी मांगा तो हाथ तोड़ दिया वित्त मंत्रीजी का ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : +++

डा. किरोड़ीलाल : ये आपकी आंख फोड़ देंगे ।

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो असंसदीय शब्द बोले हैं वे कार्यवाही से हटाएं । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े—बड़े काम किए हैं आपने। बड़े—बड़े तगड़े काम किए हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको सहायता दिलायी जाए और उनको मुआवजा दिलाया जाए, यही मेरा निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि । अधिसूचना । माननीय श्री चन्दन मल बैद, वित्त मंत्री वित्त विभाग की 91 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने भी जीरो आवर में एक सवाल दिया था । (व्यवधान) मैंने भी एक गम्भीर समस्या आज ही दी थी कि तारीख 28 मार्च को...

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह नियम बना हुआ है कि 4—5 शॉर्ट नोटिसेज से ज्यादा नहीं लेते हैं ।

श्री हीरासिंह चौहान : तो आश्वासन दे दीजिए, कल ले लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पांच लिए थे...

श्री हीरासिंह चौहान : आश्वासन दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान : कल के लिए रख दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कल विचार करेंगे, अध्यक्ष महोदय ।

श्री हीरासिंह चौहान : आप भी तो आश्वासन दीजिए कि कल रख दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आश्वासन क्या करेगा। अधिसूचनाएं । माननीय वित्त मंत्री जी ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री चन्दन मल बैद(वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 91 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :——

(1) अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त /कर अनुभाग/99—125 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किये गये हैं,

(2)अधिसूचना संख्या एफ.4 (4) एफ.डी/कर अनुभाग/99—126 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(14)एफ. डी./टैक्स—डिवी/98—16 दिनांक 9 जुलाई, 1998 (समय—समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए विक्रय कर दरों को सुसंगत किया गया है,

(3)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.

(श्री चन्दन मल बैद)

डी/टैक्स–डिवी/99–127 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को कर–मुक्त किया गया है,

(4) अधिसूचना संख्या एफ.4 (4) एफ. डी/टैक्स–डिवी/99-128 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को 31.3.2000 तक कर में छूट प्रदान की गई है,

(5)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–129 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा मूल्य आधारित कतिपय वस्तुओं की कर मुक्ति की सुविधा तथा पोस्व दाने की कर मुक्ति को समाप्त किया गया है,

(6)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–130 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी./टैक्स–डिवी/98–67 दिनांक 28 जुलाई, 1998 को विखण्डित किया गया है,

(7)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–131 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली 20 नामजद औषधियों को कर मुक्त किया/गया है,

(8)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–132 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)एफ. डी./ग्रुप–14/87 दिनांक 23.5.1987 में संशोधन किया गया है,

(9)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–133 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)एफ. डी./ग्रुप–4/87(समय–समय पर यथा संशोधित)में संशोधन किया गया है,

(10)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–134 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(66)एफ. डी./ग्रुप–4/82–72 दिनांक 26.9.1987 में संशोधन किया गया है,

(11)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–135 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा 1987 की ब्रिकी कर आस्थगन योजना(केन्द्रीय)को संशोधित कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर को निश्चित अवधि पश्चात् ऐसी इकाइयों से कर वसूली करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार दिये गये है,

(12)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–136 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)एफ. डी./ग्रुप–4/87–38 दिनांक 6.7.1989 में संशोधन किया गया है,

(13)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–137 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)एफ. डी./ग्रुप–4/87–39 दिनांक 6.7.1989 में संशोधन किया गया है,

(14)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99–138 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66)एफ.डी./ग्रुप–4/82–40 दिनांक 6.7.1989 में संशोधन किया गया है,

(15)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99–139 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(66)एफ.डी./ग्रुप–4/82–41 दिनांक 6.7.1989

(श्री चन्दन मल बैद)

में संशोधन किया गया है,

(16)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99–140 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 14(8)एफ.डी./टैक्स–डिवी/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है,

(17)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99–141 दिनांक 26 मार्च,1999 जिसके द्वारा 1998 की ब्रिकी कर आस्थगन योजना का लाभ स्टेनलैस स्टील री–रोलिंग मिल को भी दिया गया है,

(18)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–142 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा 25 मार्च, 1999 तक परिष्कृत खाद्य तेल के विक्रय को सशर्त कर से मुक्ति प्रदान की गई है,

(19)अधिसूचना संख्या एफ.(4) एफ. डी/टैक्स–डिव/99–143 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अपरिष्कृत तेल को परिष्कृत तेल में प्रसंस्करण को विनिर्माण नहीं माने जाने की व्यवस्था की गई है,

(20)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–ड़िवी/99–144 दिनांक 26 मार्च 1999 जिसके द्वारा अधिूसचना संख्या एफ.4(1)एफ. डी./टैक्स–डिवी/37–111 दिनांक 12.3.1997 में संशोधन किया गया है,

(21)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–145 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफ. डी./ग्रुप–4/95–78 दिनांक 27.3.1995 में संशोधन किया गया है,

(22)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–146 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा आटा, मैदा, सूजी विनिर्माण में प्रयुक्त गेहूं को कच्चे माल के रूप में दिनांक 27.3.1995 से 1 प्रतिशत की कर दर से क्रय करने की सशर्त छूट दी गई है,

(23)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–147 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा चना, तिलहन, जीरा व धनिया को भी आकस्मिक वस्तुएं घोषित की गई है,

(24)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–148 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा एल्यूमिनियम फॉयल के अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय की रियायती कर दर 1 प्रतिशत दिनांक 31.3.2001 तक बढ़ाई गई है,

(25) अधिसूचना संख्या एफ.4 (4)एफ. डी./टैक्स–डिव /99–149 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4 (14)एफ.डी/टैक्स–डिवी /98–33 दिनांक 9.7.1998 में संशोधन किया गया है:

(26)अधिसूचना संख्या एफ.4 (4) एफ. डी/टैक्स– डिव /99–150 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा बुलियन को राज्य में सशर्त 0.4 प्रतिशत की दर से विक्रय करने की सुविधा कतिपय कार्पोरेशन एवं बैकों को दी गई है:

(27)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–151 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.डी.4(7)एफ. डी./टैक्स –डिवी/98–101 दिनांक 28.9.1998 में संशोधन किया गया है:

(28) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.

(श्री चन्दन मल बैद)

डी/टैक्स /99—152 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा सत्तू/ इण्डिया मिक्स के विनिर्माण में प्रयुक्त गेहूं की कर दर को 2 प्रतिशत किया गया है:

(29) अधिसूचना संख्या एफ.4(4) एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—153 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(26)एफ.डी./ग्रुप–4/94—21 दिनांक 8.9.1994 को विखण्डित किया गया है;

(30) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./ टैक्स–डिवी/99—154 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (66)एफ. डी./ग्रुप-4/94—97 दिनांक 21.2.1995 को विखण्डित किया गया है;

(31)अधिसूचना संख्या एफ.4(4) एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—155 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफ.डी./ग्रूप–4/95—4 दिनांक 3. 5.1995 को विखण्डित किया गया है;

(32)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव/99—156 दिनांक 26मार्च, 1999, जिसके द्वारा कर लग चुके धान से बने चावल की अन्तर्राज्यिक बिक्री को कर मुक्त किया गया है;

(33)अधिसूचना संख्या एफ.4(4) एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—157 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(74)एफ.डीवी/95—43 दिनांक 9.7.1998 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय अतिरिक्त वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए नई अधिसूचना प्रचलित की गई है;

(34) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/99—158 दिनांक 26मार्च 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(74)एफ. डी/टैक्स–डिवी/95—44 दिनांक 9.7.1998 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय अतिरिक्त वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए नई अधिसूचना प्रचलित की गई है;

(35)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—159दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(74)एफ.डी./टैक्स–डिवी/95—45 दिनांक 9.3.1998 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है;

(36)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—160 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिससूचना संख्या एफ. डी/टैक्स–डिवी/95—46 दिनांक 9.3.1998 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है;

(37)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—161 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है;

(38)अधिसूचना संख्या एफ.4.(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—162दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा डी.ई.पी.बी. व सिल को 8 जुलाई, 1999 तक कर मुक्ति प्रदान की गई है;

(39) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी/99—163 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा डी.ई.पी.बी. व सिल को दिनांक 9 जुलाई, 1998 से 25 मार्च, 1999 तक 4 प्रतिशत से अधिक देय कर से मुक्ति प्रदान

(श्री चन्दन मल बैद)

की गई है;

(40) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–164 दिनाकं 26 मार्च 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(4)एफ.डी./ग्रुप–4/89–13दिनाकं 23.3.1989 में संशोधन किया गया है;

(41)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी /99–165 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(36)एफ.डी./ग्रुप–4/90–16 दिनांक 27.6. 1990 में संशोधन किया गया है,

(42)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी /99–166 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(14)एफ.डी./टैक्स–डिवी/98–50 दिनांक 9. 7.1999 को अतिष्ठित करते हुए सभी प्रकार के प्रवेश दरों के लिए समान रूप से 100 प्रतिशत मनोरंजन कर अधिसूचित किया गया है,

(43)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी /99–167 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा केबल टेलीविजन नेट व्रर्क हेतु 10 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह की दर दायिता अधिसूचित की गई है,

(44)अधिसूचना संख्या एफ.10(6)एफ. डी/टैक्स–डिवी /99–168 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 9(10)एफ.डी./ग्रुप–4/841 दिनांक 16.10.1985 एवं अधिसूचना संख्या एफ.(9)10 एफ. डी/ग्रुप–4/8 दिनांक 8.5.1986 को अतिष्ठित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कर मुक्त किया गया है,

(45)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिवी /99–169 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 17(1)एफ.डी./ग्रुप–4/94–4 दिनांक 29.4.1994 को अतिष्ठित करते हुए सिगरेट आदि को लक्जरी टैक्स की कर दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है,

(46)अधिसूचना संख्या एफ.4(46)एफ. डी/टैक्स–डिव /84–170 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4(8)एफ.डी./ग्रुप–4/94–82 दिनांक 7.3.1994 को अतिष्ठित करते हुए विद्युत शुल्क की विभिन्न दरें नियत की गई है,

(47)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–171 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा प्रोफेशन टैक्स की दर वेतन या मजदूरी अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए रुपये 50 प्रतिमाह से रुपये 200 प्रतिमाह अधिसूचित की गई है,

(48)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–172 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा प्रोफेशन टैक्स की दर वेतन या मजदूरी अर्जित करने वाले व्यक्तियों से भिन्न अन्य के लिए रुपये 50 प्रतिमाह से रुपये 200 प्रतिमाह अधिसूचित की गई है,

(49)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–173 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा प्रोफेशन टैक्स भुगतान के लिये समय सीमा अधिसूचित की गई है,

(50)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–174 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कतिपय व्यक्तियों को

(श्री चन्दन मल बैद)

प्रोफेशन टैक्स से मुक्त किया गया है,

(51)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–175 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा विदेशी मदिरा आदि पर नया एन्ट्री टैक्स लगाया गया है,

(52)अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ. डी/टैक्स–डिव /99–176 दिनांक 26 मार्च, 1999 जिसके द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पदास्थापित विभिन्न अधिकारियों को नये एन्ट्री टैक्स विधेयक,1999 के अधीन अधिकारिता प्रदान की गई है,

(53)अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर अनुभाग/99–177 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के चालान का नया प्रारूप अधिसूचित व सम्बन्धित नियम में संशोधन किया गया है,

(54)अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर अनुभाग/99–178 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा मनोरंजन कर चालान का नया प्रारूप अधिसूचित किया गया है,

(55)अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर अनुभाग/99–179 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम,1970 में संशोधन किया गया है,

(56)अधिसूचना संख्या एफ.4(10)वित्त/कर अनुभाग/99–180 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान विलासों(तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर नियम, 1994 में संशोधन किया गया है,

(57)अधिसूचना संख्या एफ.4(10)वित्त/कर अनुभाग/99–181 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा लक्जरी टैक्स होटल आदि का नया चालान अधिसूचित किया गया है,

(58)अधिसूचना संख्या एफ.2(26)एफ.डी. टैक्स डिव/98–182 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.2(1)एफ. डी./टैक्स–डिवी/95 दिनांक 21.3.1997 और एफ.2(3)एफ.डी./टैक्स–डिवी/93 दिनांक 25. 3.1997 को विखण्डित किया गया है,

(59)अधिसूचना संख्या एफ.2(6)एफ. डी/टैक्स–डिव//98–183 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के पक्ष में अचल सम्पति के दान पर स्टाम्प शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई है,

(60)अधिसूचना संख्या एफ.2(18)टैक्स डिवी/97–184 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा केन्द्रीय आबकारी नियम,1944 के वहन निष्पादिक प्रतिभूति बन्ध पत्र पर प्रभार्य मुद्रांक कर घटाकर 0.10 प्रतिशत किया गया है,

(61)अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफ. डी/टैक्स–डिवी/98–185दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा पैतृक कृषि भूमि के विभाजन पत्र के दस्तावेज को मुद्रांक कर से मुक्त किया गया है,

(62)अधिसूचना संख्या एफ.2(16)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–186 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संगणित स्टाम्प शुल्क के कम से कम 75 प्रतिशत संदाय का सबूत प्रस्तुत करने पर ही रजिस्ट्रीकरण करने की व्यवस्था की गई है,

(63)अधिसूचना संख्या एफ.2(16)एफ.

(श्री चन्दन मल बैद)

डी/टैक्स–डिव/99–186 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा मुख्त्यारनामों का पंजीयन सम्बन्धित जिले/उप जिले में करने की व्यवस्था की गई है,

(64)अधिसूचना संख्या एफ.2(40)वित्त/कर अनुभाग/98–188 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम,1955 के विद्यमान नियम 59–ख के अन्त में परन्तुक जोड़ा गया है,

(65)अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफ. डी/टैक्स–डिव/99–189 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा 6 माह से अधिक समय के मुख्त्यारनामों को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया गया है,

(66)अधिसूचना संख्या एफ.2(3)एफ. डी/टैक्स–डिव/91–190 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी नहर, भाखरा एवं गंग नहर क्षेत्र के भूमि विक्रयों से संबंधित पंजीयन कराने वाले क्रेता को 1981 की मतदाता सूची/मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में विक्रय के ऐसे दस्तावेजों को लोक नीति के विरुद्ध घोषित किया गया है,

(67)अधिसूचना संख्या एफ.8(14)एफ. डी/टैक्स–डिवी/91पार्ट–191 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था व विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि या भवन को 1.4.99 से कर मुक्त किया गया है,

(68)अधिसूचना संख्या एफ.20(1)एफ. डी/ग्रुप–4/99–192 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा लक्जरी टैक्स होटल आदि की कर को 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 7.50 प्रतिशत किया गया है,

(69)अधिसूचना संख्या एफ.10(14)एफ. डी/टैक्स–डिवी/96–193 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन कर और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन करने हेतु राजस्थान मनोरंजन कर और विज्ञापन कर (संशोधन)नियम,1999 विरचित किये गये है,

(70)अधिसूचना संख्या एफ.4(5)एफ. डी/टैक्स–डिव/91–194 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान वृति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर नियम, 1999 विरचित किए गए है,

(71)अधिसूचना संख्या एफ.4(5)एफ. डी/टैक्स–डिव/98–194 दिनांक 26मार्च, 1999 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधयेक, 1999 विरचित किए गए है,

(72)अधिसूचना संख्या प.10(7)वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 20 जनवरी, 1999 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म (हम आपके दिल में रहते हैं) के एक शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(73)अधिसूचना संख्या प.10(7)वित्त/कर–अनु/98पार्ट दिनांक 23 जनवरी, 1999 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म (हम आपके दिल में रहते हैं) के एक शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(74)अधिसूचना संख्या प.10(7)वित्त/कर–अनु/98पार्ट दिनांक 30 जनवरी, 1999 जिसके द्वारा एक अंग्रेजी फिल्म 'टुमारी नैवर डाइस'

(श्री चन्दन मल बैद)

के एक शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(75)अधिसूचना संख्या प.10(7)वित्त/कर–अनु/98पार्ट दिनांक 30 जनवरी, 1999 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म (बार्डर) के चार शो को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(76)अधिसूचना संख्या प.10(47) वित्त/कर–अनु/93 दिनांक 4 फरवरी,1999 जिसके द्वारा पांच बाल फिल्मों को दी गई मनोरंजन कर की अवधि 9.9.1999 तक बढ़ाई गई है,

(77)अधिसूचना संख्या प.4(29)वित्त/कर–अनु/97–120 दिनांक 19 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा सचिव, उत्तर रेलवे महिला संगठन, बीकानेर द्वारा संचालित लक्की ड्रा पर उदग्रहणीय विक्रय या क्रय पर लगने वाले कर को छूट प्रदान की गई है,

(78)अधिसूचना संख्या प.10(2)वित्त/कर–अनु/99 दिनांक 20 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा मैसर्स दै म्यूजिक एण्ड मैगजीन्स लिमिटेड, मुम्बई द्वारा निर्मित हिन्दुस्तानी पंजाबी फिल्म 'ट्रैन टू पाकिस्तान' को तीन माह की अवधि तक 50 प्रतिशत की मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है,

(79)अधिसूचना संख्या प.10(11)वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 20 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा आई श्री खोडियार फिल्म्स, मुम्बई द्वारा निर्मित राजस्थानी फिल्म 'सुहाग री मेहन्दी' के प्रदर्शन पर 75 प्रतिशत मनोरंजन कर से छूट एक वर्ष की अवधि तक प्रदान की गई है,

(80)अधिसूचना संख्या प.10(47)वित्त/कर–अनु/93 दिनांक 20 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा पांच बाल फिल्मों को दी गई मनोरंजन कर मुक्ति की अवधि दिनांक 31.12.1999 तक बढ़ाई गई है,

(81)अधिसूचना संख्या प.1(12)वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 5 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा नोहर, खाजूवाला, रायसिंहनगर, पीलीबंगा, चौमूं जयपुर, तृतीय, भीनमाल, सुमेरपुर को पूर्णकालीन उप पंजीयक का पद सृजित कर पंजीयन का अधिकार प्रदान किया गया है,

(82)अधिसूचना संख्या प.1(12)वित्त/कर–अनु/97 दिनांक 25 फरवरी, 1999 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण उप जिला जयपुर के द्वितीय एवं तृतीय की सीमाएं निर्धारित की गई है,

(83)अधिसूचना संख्या प.2(5)वित्त/कर–अनु/99 दिनांक 4 मार्च, 1999 जिसके द्वारा दिनांक 31.3.1999 तक जमा करने वाले बकाया कर, शुल्क एवं शास्ति को ब्याज से मुक्त किया गया है,

(84)अधिसूचना संख्या प.2(10)वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 4 मार्च, 1999 जिसके द्वारा 1.3.1999 से 31.3.1999 तक की जाने वाली रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है,

(85)अधिसूचना संख्या प.4(29)वित्त/कर–अनु/97–121 दिनांक 5 मार्च, 1999 जिसके द्वारा इंजिन पार्क रेल्वे स्टेशन, जयपुर में दिनांक 20.3.1999 एवं 21.3.1999 में संचालित किये जाने वाले लक्की ड्रा और रैफल को विक्रय व क्रय कर से मुक्ति प्रदान की गयी है,

(86)अधिसूचना संख्या प.4(29)वित्त/कर–अनु/97–122 दिनांक 5 मार्च, 1999 जिसके

(श्री चन्दन मल बैद)

द्वारा इंजिन पार्क रेल्वे स्टेशन, जयपुर में दिनांक 20.3.1999 एवं 21.3.1999 को आयोजित मेलों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है,

(87)अधिसूचना संख्या प.2(7)वित्त/कर–अनु/99 दिनांक 6 मार्च, 1999 जिसके द्वारा कलैक्टर (मुद्रांक) के यहां विचाराधीन प्रकरणों पर देय मुद्रांक कर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है । इसी प्रकार 31.3.1999 तक पंजीयन हेतु पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है,

(88)अधिसूचना संख्या प.14(8)वित्त/कर–अनु/98–123 एवं 124 दिनांक 9 मार्च, 1999 जिसके द्वारा 'प्रधान सचिव' के उद्योग के स्थान पर 'प्रधान सचिव/ उद्योग और आयुक्त उद्योग के स्थान पर आयुक्त/ निदेशक उद्योग को संबंधित स्क्रेनिंग कमेटी में सदस्य बनाया गया है,

(89)अधिसूचना संख्या प.2(42)वित्त/कर–अनु/98 दिनांक 10 मार्च, 1999 जिसके द्वारा स्वनिर्मित तीन या अधिक मंजिल के फ्लेटों के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत दिनांक 31.3.1999 तक निष्पादन किये जाने वाले विलेखों पर की गई है,

(90)अधिसूचना संख्या प.10(1)वित्त/कर–अनु/96पार्ट दिनांक 17 मार्च, 1999 जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य दिनांक 14.3.1999 को इन्दिरा गांधी स्टेडियम, अलवर में आयोजित किये जाने वाले मैच को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है,

(91)अधिसूचना संख्या प.10(1)वित्त/कर–अनु/96 दिनांक 18 मार्च, 1999 जिसके द्वारा दिनांक 24.3.1999 को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में अयोजित किये गये किक्रेट मैच को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री तैयब हुसैन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम,1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,1999

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन विधेयक), 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत(राज्य मंत्री,कृषि विपणन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक,1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन)विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन विधेयक),1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

आय- व्ययक पर वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य वाद विवाद माननीय श्री रामनारायण चौधरी।

डा. जसवंत सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक किसान नेता एक किसान विरोधी बजट का फेवर करे, यह कोई न्याय संगत बात नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय आपकी बड़ी कृपा हुई कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। हम राजस्थान निर्माण की गोल्डन जुबली मना रहे है। इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान को जो बजट दिया, और बजट पेश करते समय उन्होंने उन लोगों को याद किया, उन विभूतियों को याद किया, जिन्होंने राजस्थान के निर्माण में अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई । देश की आजादी के अंदर जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, देश आजाद हुआ। हमारे प्रदेश की आज से 50 साल पहले सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, 1949 को इसकी घोषणा की थी। उनको याद करते हुए, उन्होंने जो एक बहुत महत्वपूर्ण और उचित समय पर उचित कार्य किया, उनको याद किया, उनका सम्मान किया और उनके सम्मान में राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही राशि को एक हजार से साढ़े बारह सौ किया, यह प्रशंसीय है और चिरस्मरणीय रहेगा। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तावों को पेश करते हुए जो हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मैंने भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के अंदर, सब लोगों से मिलने की चेष्टा की है। मैं मेरे क्षेत्र में गया। जयपुर में भी मित्रों से मिला। विधान सभा में मैंने माननीय सदस्यों से विचार विमर्श किया। मान्यवर, मुझे इस बजट के बारें में प्रतिक्रिया स्वरूप किसी ने यह नहीं कहा कि बजट अच्छा नहीं है। वह मौन हो गए, लेकिन मौन स्वीकृति भी बजट के पक्ष में थी। व्यापारी वर्ग से भी मैंने सम्पर्क किया। उनकी भी प्रतिक्रिया यह थी उपाध्यक्ष महोदय, कि बजट अच्छा है, और उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया खराब नहीं दी। मान्यवर, अभी हमारे मीडिया के लोग, उनकी भी प्रतिक्रिया जो जन मानस की प्रतिक्रिया होती है, वह उनके जरिए हमें प्राप्त होती रहती है। उनका भी दृष्टिकोण बजट के पक्ष में सकारात्मक और रचनात्मक रहा। मान्यवर, आज मैंने एक समाचार पढ़ा, समाचार पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि यह बजट मानवीय बजट है। जिन लोगों के राहत दी जानी चाहिए थी, उन लोगों को वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट में मदद देने की कोशिश की है। कल प्रतिपक्ष की तरफ से चूरू से आने वाले माननीय विधायक महोदय बोल रहे थे । वह श्वेत पत्र के अंदर उलझ गये, और

(श्री रामनारायण चौधरी)

श्वेत पत्र को लेकर के उन्होंने सारा समय उसमें लगाया। श्वेत पत्र किसी भी सरकार का पहले का और आगे के कार्यक्रम का एक दस्तावेज है। जो दस्तावेज है, जैसा है वैसा आया है। उसके ऊपर वह उलझे रहे। यह श्वेत पत्र जो पिछली सरकार ने किया 90 के बाद, मान्यवर, आठ साल में कांग्रेस का शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का राज था। पिछले 50 साल के अंदर मान्यवर, 90 से 98 और 77 से 80, दस साल का जो समय रहा है उसमे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जस्ट तत्कालीन जनता दल इन का कोएलिशन प्रावधान रहा और बाकी शेष काल के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा। मान्यवर, एक आश्चर्य होता है कि चूरू से आने वाले माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि हमने इतनी सड़कों का निर्माण किया, हमने यह किया, हमने यह किया। कांग्रेस के मुकाबले वो अपनी उपलब्धियों का जिक्र कह रहे थे। राजस्थान क्या था, बनने से पहले,क्या स्थिति थी क्या गांव..की स्थिति है, क्या शहरों की थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं साक्षी है कि जहां जिस राजस्थान के अंदर, हम तो देशी रियासतों से सारा प्रदेश देशी रियासतों से शासित था। यहां अंग्रेजी हुकूमत तो सीधी नहीं थी, सिर्फ एक अजमेर बोर्ड ऐसा था कि वहां अंग्रेजों का शासन था, वहां कमिश्नरी थी। मान्यवर, आज का आठ सौ गांवों का जिला झुन्झुनूं। वहां पर जयपुर स्टेट की, पूरे जिले के अंदर। आज मान्यवर, हाईऐस्ट, सबसे अधिक जनसंख्या, शिक्षित लोगों की अगर कहीं भी है तो सबसे अधिक झुन्झुनूं जिले की है। झुन्झुनूं जिले के आज आप किसी भी जिले के अंदर किसी भी हिस्से में चले जाइये, राजस्थान के....

श्री चन्दन मल बैद : महिला शिक्षा में तो एक नम्बर है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जोड़ तोड़ की बात है, कई जगह हमारे बड़े शहर नहीं है। जयपुर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, अलवर, यह शहरों की संख्या मिल जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, जितना बड़ा विस्तार आपने झुन्झुनूं जिले में किया है, आज आप राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाइये, या तो आप केरल की लड़की को वहां पाएंगे कि वह केरल से चलकर आपके यहां राजस्थान के गांव के अंदर बैठी हुई मिलेगी। झुन्झुनूं जिले, या किसी भी जिले के अंदर आप चले जाइये, राजस्थान के किसी भी हिस्से में, वहां झुन्झुनूं की पढ़ी लिखी लड़की या तो अध्यापिका मिलेगी, या ए. एन. एम. का काम करती हुई नजर आयेगी। अब झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने जिक्र किया कि पुलिस में भी मिलेगी। यह बात भी सही है मान्यवर । तो यह कैसे, यह चमत्कार क्यों, हुआ। उस जिले में जहां सरकार की तरफ से एक प्राथमिक विद्यालय के अलावा कोई विद्यालय नहीं था। आज गांव गांव में ढाणी–ढाणी में, शहरों की तो कोई गिनती नहीं है, इतना विस्तार शिक्षा का हुआ है। वह सब कांग्रेस के शासन में हुआ है, जो साक्षात् में नजर नहीं आता। सड़कों का जिक्र यह कह रहे थे। कांग्रेस के शासन में इतनी सड़कें बनी, हमारे राज में

(श्री रामनारायण चौधरी)

इतनी सड़कें बनी जयपुर से बीकानेर की सड़कों का निर्माण चूरू से आने वाले माननीय सदस्य के जमाने में हुआ मेरे ख्याल से, और जयपुर से दिल्ली तक, जयपुर से गंगानगर तक सारे राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज बना हुआ नजर आता है, वह सारा कांग्रेस की देन है। अब आपने कहीं एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए मिट्टी डाल दी, उस पर आपने कंकर डाल दिए। वैसे उसको आप सड़कों के अंदर जोड़कर संख्या बताते हैं, इतने किलोमीटर हमारी बनी, यह यथार्थ नहीं है। आपने जितनी कांग्रेस के शासन में बनी हुई सड़कें थी, उनकी मरम्मत नहीं करवाई। आठ साल तक उनकी मरम्मत नहीं हुई। जो परिसम्पति राजस्थान की थी उसको तोड़ फोड़ करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप, माफ करिएगा, बुरा मत मानिए, आज जो सबसे बड़ा बर्डिक्ट गांव—गांव में गया आपकी इन सड़कों का भी। बी.जे.पी. के शासन के अंदर सड़कों की जो हालत थी, वो बच्चे—बच्चे, हर आदमी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस का राज आते ही, अपने अनुभव के आधार पर हमारी सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने सबसे पहले ऐसी सड़कों के लिए डामर की व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन जो खड्डे पड़े हुए थे, उन खड्डों को भरवाने के अंदर लेबर लगाकर के एक काम किया जिससे पता चला कि राज्य में एक तब्दीली आई है। तो यह सड़कों का जिक्र कर रहे थे, शिक्षा का जिक्र कर रहे थे। मान्यवर, शिक्षा के बारे में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी व्यवस्था की। आगे मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 16 हजार स्कूल आप गांवों मे खोलने के लिए जा रहे हैं। 16 हजार स्कूलों में आप 1200 रुपये पर मन्थ एक टीचर को देंगे और उसकी योग्यता आपने आठवीं पास रखी है। 16 हजार की नियुक्ति, उनका संचालन ग्राम पंचायत करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों के अन्दर 10 हजार रुपये पर मन्थ पाने वाला अध्यापक गांव वालों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है, वह उस स्कूल में मिलता नहीं है तो 1200 रुपये महीने का कर्मचारी, अध्यापक मिडल पास है, वह एक से पांचवी कक्षा तक पढ़ाने की क्या क्षमता रखेगा यह मुझे बहुत संदिग्ध लगता है। आप यह करेंगे और करने में भी यह प्राथमिक शिक्षा का जो प्रोग्राम है वह आपका ब्रिटेन से, अंग्रेजों की मदद से ब्रिटिश राज की मदद से मिलने वाला धन है और उस धन का आप उपयोग करेंगे। मान्यवर, मैं सिद्धान्त मेरे मन की बात कहता हूं कि मुफ्त के धन से कोई परोपकार और विकास नहीं होता है। उसका जो असर होता है वह असर ऐसा होता है कि उसमें कोई निर्माण नहीं होता। उससे कोई समाज में सम्पति नहीं बनती। यह आप करेंगे और करिये भी लेकिन जब आप अपनी एक एक स्कूल के अंदर 10—10 हजार रुपये, 8—8 हजार रुपये में अध्यापक बिठाकर ग्रामीण लोगों को शिक्षित नहीं कर सकें, बराबर में नहीं ला सके तो वह आठवीं पास लड़का कैसे कर सकेगा और कैसे ग्राम पंचायत उस पर नियंत्रण रख सकेगी।

मान्यवर, आज ग्राम पंचायतों की हालत क्या है। सरपंच वहां कौन है, महिला है, पुरुष है, कौन से वर्ग का है मान्यवर, आज ही नहीं, गांव में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब डाक्टर भीम राव अम्बेडकर, जो संविधान को पायलट कर रहे थे तो उन्होंने गांवों के बारे में

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहा कि : "Village is a den of ignorance and a sink of casteism and communalism." यह बात उस वक्त की है जब भारत का संविधान बन रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहां गांव को डेन आफ इग्नोरेंस और सिंक आफ कास्टिज्म एण्ड कम्युनेलिज्म कहा। आज उससे 100 गुना ज्यादा गांवों की हालत जातीय और धार्मिक आधारों पर घर घर में गांव गांव में बंट गयी। उसका सरपंच शिक्षा की व्यवस्था कर देगा? मान्यवर, आपकी योजना बहुत अच्छी है लेकिन इसको अंजाम आप कैसे दे पायेंगे इसमें मुझे बहुत शंका है, संदेह है। शंका इसलिए है कि आज कई गांव ऐसे है जहां स्कूल नाम की कागजों में है, अध्यापक रोज जाता है, 10 हजार रुपये उसको तनख्वाह मिलती है लेकिन एक भी लड़का उस स्कूल में नहीं है। दो साल से वह स्कूल चल रहा है। मैं जानता हूं लेकिन नाम नहीं बताना चाहता कि मैं किससे दुश्मनी मोल लूं शहरो में ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी लड़का नहीं है लेकिन 4–4 अध्यापक हैं वहां लड़कें कहां से है ? जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल बनी हुई है। उन लड़कों का नाम इनमें लिखा हुआ है वह लड़कें दो जगह है। वह उनसे मिले हुए है। तो जो पेराफरनेलिया हमारे पास है उसको भी हम सुचारू रूप से चलाकर रिजल्ट नहीं ला पाये। सबसे ज्यादा इन 9 साल में हुआ है। 1990 के बाद जो हमारे समाज के अन्दर, हमारे प्रदेश के अन्दर, प्रदेश के गांवों में जो गिरावट आयी है वह गिरावट इतनी भयंकर आयी है कि जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,वित्त मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव किये है उनका मैं समर्थन करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बजट के एक एक पैसे का इस तरह से सदुपयोग करायें कि रिजल्ट आये। रिजल्ट आये और भावी पीढ़ी का निर्माण हो, राजस्थान का निर्माण हो, राजस्थान के गांवों का निर्माण हो, राजस्थान के युवक और युवतियों का निर्माण हो।

मान्यवर, आज शिक्षा के बारे में, एक दिन तो आजादी के बाद ऐसा था जब अंग्रेजी को हम भूलना चाहते थें और आज यह स्थिति आ गयी कि हम तीसरी कक्षा से अंग्रेजी को अनिवार्य करने के लिए विवश हो रहे है और सुझाव आ रहे हैं कि तीसरी कक्षा से ही क्यों प्रथम क्लास से क्यों नहीं हो। वह ठीक आ रहा है, प्रस्ताव ठीक आ रहा है। एल. के. जी. और यू. के. जी. आप गांवों के अन्दर क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज एक क्रेज अंग्रेजी की तरफ जो बढ़ रहा हैं इसके कारण हो सकते है। और कारण है भी। आज हम जो ग्रामीण क्षेत्र की वेषभूषा, भाषा और रहन– सहन के लोग है और आज की संस्कृति और सभ्यता जो शहरों की हैं, ऊंचे वर्ग के, सर्विस क्लास के और साधन सम्पन्न समाज की जो सन्तान हैं उनके मुकाबलें गांवों में रहने वाले सीधे– सादे लोग काम्पीटीशिन समाज में, सर्विस में, किसी भी चीज में करने में वह सक्षम नहीं है। सक्षम इसलिए नहीं है कि शिक्षण के मामले में जो गुमिंग जिस तरह से होनी चाहिए वह उस मुकाबले में नहीं हो पा रही है। आज आज सर्विसेज को देखिये, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि किसानों के इतने आई ए एस, इतने आई पी एस आने चाहिए कहां से आयेंगे आई ए एस,

(श्री रामनारायण चौधरी)

आई पी एस किसानों से ? अगर देहात की ग्रामीण पाठशाला में, ढाणी की प्राइमरी स्कूल के अन्दर आठवी पास टीचर से शिक्षा लेकर सेंट जेवियर, सेंट एंजिला, सोफिया, स्टीफंस, एस. एम. एस. और एम. जी. डी. में पढ़ने वाले लड़कों से मुकाबला वह ढाणी के अन्दर आठवी पास टीचर जिसको पढ़ायेगा और वहां पर बच्चें पढ़कर आयेंगे तो वह कैसे होगा। इससे भेद—भाव, डिस्पेरिटी बढ़ेगी।

वित्त मंत्री महोदय, यह शिक्षा का मद है लेकिन जो ओवर—आल बजट है, आपने अपने बजट में कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा नहीं जिसको आपने टच नहीं किया हो। आपने परम्पराओं से हटकर भी कुछ बातें की हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं वे अच्छी हैं। अच्छा होता है कि कुछ और आगे बढ़ते । लेकिन आपने उसे थोड़ा सा सीमित रखा। यहां,वहां इधर, उधर और उससे थोड़ा और आगे बढ़ते तो उसका और व्यापक समर्थन होता। जो किया वह बहुत अच्छा लेकिन जो रह गये उनके बारे में भी आपकों सुझाव इस वक्त दूंगा तो वह उसकी आलोचना, प्रत्यालोचना हो जाती है पर जो कुछ आपने यह दस्वातवेज तैयार किया है, इस दस्तावेज में मै कहीं कमी नहीं पाता हूं। नियोजन जिस तरीके का किया है वह बहुत प्रशंसनीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के अन्दर परिसम्पत्तियां और सम्पत्तियां, यह एक ताकिया कलाम बनता जा रहा हैं हमारी विकास दर बढ़ें। आज भारत की विकास दर 4 पर्सेट है हमारे भारत के अर्थशास्त्री, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं तो एक गांव का किसान हूं, आज भारत की विकास दर 5 पसैण्ट है और हमारे अर्थशास्त्री कहते है कि 7 और 8 पर्सेट होनी चाहिए जबकि विश्व के प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जिनको स्टाकहोम में अभी नोबल प्राइज मिला हैं, उनके विचार देखिये वे कहते हैं कि विकास दर अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ यही नहीं है। सब कुछ देश के अन्दर जब तक गरीब तबके को, देश के उस तबके को जिसको सम्भालने की जरूरत है, जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो गरीब है, पिछड़ी हुई महिला है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन लोगों को भी आप ऊंचा उठायें। यह विकास दर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि आप यह बात मनगढ़त कह रहे है। मैं मनगढ़त नहीं कह रहा हूं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य दुरस्त करें। अमर्त्य सेन, वित्त मंत्री कौन आपने भारत का ? भारत विकास दर की समीक्षा करे। भारत विकास दर की समीक्षा करे, अपने निचले तबकें के उत्थान पर अधिक ध्यान दिया जाये। यह अमर्त्य सेन ने स्टाकहोम में अपने दूरदर्शन के अपने साक्षात्कार के अन्दर कहा है। स्टाकहोम में अर्थशास्त्री के नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता आकाशवाणी को दिये गये साक्षात्कार में प्रोफेसर सेन ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जनसंख्या के सभी वर्गों को बेहतर जीवनयापन के लायक कैसे बनाया जाये। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए अवसर मिले। उन्होंने कहा कि इस तरह का अवसर का विस्तार निश्चित रूप से ज्यादा महत्व रखता है। वृद्धि दर, इसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र की अन्तरात्मा कहे जाने वाले श्री सेन का मानना है कि आर्थिक वृद्धि अपने आपमें महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन विश्वास का एक बड़ा जरिया हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अमर्त्य सेन का जो सिद्धान्त है उसका अपने नियोजन में पूरे तरीके से प्रतिपादित किया है आप कहेंगे, कैसे ? देखिये, अब तक जिस वृद्ध वरिष्ठ दम्पति को 150 रुपये मिल रहे थे। जो आपने एक साथ 300 रुपये किये है। एक वृद्ध को पेंशन के रूप में 100 रुपये मिल रहे थे, उसको आपने एकदम से 200 रुपये किये है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने जो किया है, वो नब्ज है गांवों की, शहर की नहीं, आज जो गांव के अन्दर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वह कितने लोग उसका फायदा उठायेंगे मैं नहीं कह सकता लेकिन आज नहीं तो कल उठायेंगें कि ऐसे माता पिता जिनके पुत्र—पुत्रियां सब कुछ होते हुए भी उनकी बड़ी भारी उपेक्षा हो रही हैं और कुछ लोग दर—दर भटक रहे है। वहां इनकी भी बहुत पहुंच है व भी तो उन्होने कहां कि एसे लोग सक्षम अधिकारी के सामने यह लिख देगे कि मेरी व्यवस्था नहीं है, मेरे लड़कें मेरी व्यवस्था नहीं कर रहे है। तो सक्षम अधिकारी तुरन्त उस दम्पति के लिए व्यवस्था करेगा, पेंशन 200 रुपये मंजूर करेगा। यह बहुत बड़ा काम है। यह मानवीय दृष्टिकोण है। इस मानवीय दृष्टिकोण के सम्बन्ध में देखेंगे तो महिलाओं के प्रति, वृद्धों के प्रति, बीमारों के प्रति, बच्चों के प्रति और गरीब तबके के प्रति इसमें जो दर्शाया गया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है। हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कल सिर्फ श्वेत पत्र में उलझे रहे। श्वेत पत्र अपनी जगह है, यह सरकारों का काम है। आप उलझे रहे कर्जे में। कोई भी सरकार रहे, माननीय वित्त मंत्री जी चन्दनमल जी बैठे हैं, ये मेरी बात से सहमत नहीं होंगे लेकिन में कहता हूं, कोई भी अच्छी सरकार जायेगी, जो भी जवाब देह सरकार होगी जो जनता की होगी, जनता के प्रति रेस्पोंसिबल होगी, उसको उनका काम करना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। विकास करना पड़ेगा तो साधन जुटाने पड़ेंगे । साधन जुटाने पड़ेंगे तो कर्जा भी लेना पड़ेगा । कर्जा लेना पड़ेगा, लेंगे; लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो उसका सदुपयोग हो, ऐसा नहीं हो कि उनको एक्वेंडर—अवे कर दिया जाये उनको खतम कर दिया जाये। ऐसा नहीं हो, सदुपयोग होना चाहिए। राजस्थान कैनाल कैसे बनी है। क्या उसमें कर्जा नहीं लिया गया ? आज कई ऐसे जो बड़े काम हैं, बिजली का विस्तार हो, राजस्थान में बिजली का विस्तार कैसे होगा ? आज 39,000 के लगभग गांव है राजस्थान में जिसमें मेरे ख्याल में 34—35,000 के आसपास ही गांव इलेक्ट्रिफाइड हुए है। और जो इलेक्ट्रिफाइड हुए हैं, वह भी एक टोकन हैं एक गांव के अन्दर एक लोटिया चासा हुआ है। वह कोई विद्युतीकरण नहीं है। अब यह सारा विस्तार होगा तो पैसा कहां से आयेगा। पैसा तो जहां है वहीं से आयेगा। वह चुकाया जायेगा, उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग करने के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ेगा । कर्जा लेंगे भी, लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो वित्त मंत्रीजी कि जैसा पिछले आठ सालों के अन्दर ये कहते है कि हमने परिसम्पतियां बनाई। मैं चैलेंज करता हूं, आप गांव गांव में टीम भेज

(श्री रामनारायण चौधरी)

दीजिये, कितनी परिसम्पतियां बनी है। जितना इन्होंने रिकार्ड बनाया है उसकी 25 प्रतिशत परिसम्पतियां भी आपको वहां पर नहीं मिलेगी। सारा पैसा चला गया। खा गये, सर्विसेज खा गई । मुझे बहुत दुःख है मान्यवर, कि मैं पचांयती राज की उत्पति हूं। मैं वर्षो तक प्रधान रहा हूं मैं जिला बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं और उसके बाद विधान सभा में आया। मेरा इतना मोह था पंचायत में लेकिन मैंने जब देखा कि हमारे सरपंचों को, सबको ठेकेदार बना दिया और हमारे ठेकेदार सरपंच इतने सब कांट्रेक्टर बना रहे है। एक गांव की पंचायत, में नहीं कह सकता प्रतिपक्ष और पक्ष के माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी हैं, मैंने देखा है कि हर ग्राम पंचायत का सरपंच पैसे ले गया। ले जाकर, जाते ही उसने ठेका दे दिया कि मेरा तो 10 प्रतिशत है। एक लाख के दस हजार रुपये उसने ले लिये । 90000 में ठेका दे दिया कि भाई, जैसा भी गार– गोबर कराकर काम कर ले, सरकारी अधिकारियों के निबटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरा 10 प्रतिशत में कोई किसी का लेना देना नहीं है, बाकी तू सब देख लें। यह मेरा अनुभव है, आपके लिए मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे अनुभव को सब पर नहीं थोप रहा हूं । यह पोजिशन है कि जबकि मान्यवर, यह रूपरेखा है, यह आउटलाइन है कि इस तरह से लेबर ली जायेगी, इस तरह से स्किलड लेबर होगी, इस–इस केटेगरी की होगी, इतना स्माल फारमर होगा या लैंडलैस होगा, यह एस.टी.का होगा, यह एस.सी. का होगा, इतना महिलाओं की होगी, कोई मतलब नहीं है। सारा सब फर्जी मस्टररोल सब फर्जी सब इनके अधिकारियों के भरोसे है। हम डी.आर.डी.ए की मीटिंग में कहे तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज के हमारे विधान सभा के अध्यक्ष महोदय, अब नहीं बोल सकते लेकिन जब वह प्रतिपक्ष में थे तो मैंने पूछा कि साहब, यह डी.आर.डी.ए. में जो कुछ हो रहा है, यह कोई हमारे साथ ही ज्यादती हो रही है या आपके यहां भी हैं तो उन्होंने क्या कहा, वह रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कहा कि रामनारायण जी, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, सब कलक्टर कर रहा है । एक रोज मैंने शुरू शुरू के अन्दर, 1994 के अन्दर एक फैम्पलेट पढ़ा था जिसमें नाम था माननीय बैदजी और हमारे उस समय के विधायक इन्द्रसिंह जी का, कि हमने इस इस गांव के अन्दर ये–ये काम मंजूर करवा दिये। मैं देखकर चकराया। मैंने कहा कि इन्होंने तो बड़ा भारी गजब कर दिया। कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा, मैंने उनसे पूछा तो नहीं, लेकिन जब हमने देखा कि डी.आर.डी.ए की मीटिंग में, उसके अन्दर प्लान बनाया गया था उसमें सब नाम हमने भी जुड़वा दिये । मेरे ख्याल से बैदजी ने और इन लोगों ने भी वह सब नाम जुड़वा दिये होंगे। वह काम, उनमें से भी कलक्टर ने जिनको ठीक समझा, डी.आर. डी.ए के चेयरमैन ने और अधिकारियों ने ठीक समझा, उनको ले लिया, बाकी को सब बट्टे खाते में डाल दिया। यह स्थिति हुई। जहां जो कुछ भी किया है, वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला इस जनता पार्टी के राज में हुआ। आप कहते है कि यह बहुत अच्छी स्कीम है। वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम

(श्री रामनारायण चौधरी)

पुरानी है, आज की नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय जानते हैं जहां अधिकांश खारे पानी है, सलाइन वाटर है, आपका और मेरा अधिकांश हिस्सा भी इनसे लगता हुआ है, इसलिए मेरे ऊपर भी खारे पानी की छाया है। तो वहां, अपने यहां पर टांका, जिसको हम जोहड़ा बोलते है, तालाब बोलते हैं,वह कच्चे तालाब होते थे, खुदवाते थे। गांव वाले अपने मन से खुदवाते थे । जमीन जो पैदावार होती थी, उससे वह खुदवाते थे। वह चंदे से नहीं खुदवाते थे। वह जोहड़ पानी को भरते थे। उससे वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। आज जो वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपयों का इंजीनियर, सरकारी अफसर, हमारे जन प्रतिनिधियों ने पचायत के सरपंच लोग, इन्होंने मिलकर जिस तरीके से गार–गोबर किया है इस सारी स्कीम का, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। मैं कौन–कौनसे गांव आपको गिनाऊं,ये सारा पैसा खा गये। अरबों रुपये इस देश का वाटर हार्वेसिटग के नाम से जा रहा है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह विकट तो है ही, यह पार्ट, अपना जो बजट है, यह फाइव ईयर प्लान में सारा समावेश इसके अन्दर है और वह पैसा भी इसके अन्दर है। अब इसको थोड़ा सा आप 1–2–4–5 बार देखा तो सही अपनी आंखों से होगा तो वही जो राम रचि राखा, लेकिन आप अपनी आंखों से देखो कि क्या हो रहा है, तो (व्यवधान)... तो उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति आज के हमारे विकास की है।

(14.00 बजे)

हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन की मान्यवर, मैं दाद देता हूं । मैंने भी चुनाव लड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी लड़ा है सब ने ही लड़ा है। गांवों में हम गये थे। लोगों ने कहा कि हमारे यहां स्कूल होना चाहिए, यह होना चाहिए, हमने कहा कि हम करेंगे। यह तो हमें पता था कि आपका, उपाध्यक्ष महोदय, राज आने वाला है और वित्त मंत्री चन्दनमल जी बनने वाले है, यह भी हमें पता था। चीफ मीनिस्टर भी अपेरेन्ट था। तो हमने सोचा कि इतने कैसे होंगे। लेकिन मैं मेरी अन्तरात्मा से कहता हूं कि मैंने तो सोचा था कि इतने हाई स्कूल अपने मिल जाये इतने मिडल बन जायं और इतने प्राइमरी स्कूल मिल जायं और इतने हायर सैकण्डरी मिल जायं। मैं तो आप को ठीक कहता हूं कि इस बजट के अन्दर मेरी तो जो मांग थी, वित्त मंत्री महोदय ने उसका समावेश कर दिया। क्योंकि इन्होंने एक हजार मिडल स्कूल खोले हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि पांच तो आयेंगी ही। पांच आयेंगी तो मेरा तो सारा हिसाब बैठ जाता है। और हाई स्कूल इन्होंने रखी है 400,उसमें भी दो आ जायेगी, और इन्होंने हायर सैकण्डरी रख ही 200, तो उसमें भी एक आ जायेगी। तो मेरा प्रोग्राम तो जो चुनावों के अन्दर था, और प्राइमरी स्कूलों की तो कोई गिनती ही नहीं है, जिसकी मांग भी मेरे पास नहीं है, मेरे यहां तो कोई ऐसी ढाणी और गांव नहीं है। अब मैं क्रियेट करुगा कि कहां कौन सी ढाणी के अन्दर मैं व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि मेरे यहां पर बिजली का विस्तार होने से गांव खाली हो गये गांव सब खेतों में चले गये ढाणियां बन गई इसलिए वहां पर अब प्राइमरी स्कूल ...

श्री उपाध्यक्ष : आप दूसरों को दे देना वह स्कूल।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो सब आप ही की है। आप जितनी चाहो उतनी रख लेना। आप तो मालिक है। मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे।

डा. चन्द्रभान : वह तो गये।

श्री रामनारायण चौधरी : गये ? किस दृष्टि से देखेंगे। (व्यवधान) तो आप मुझे बताइये कि यह किस बात का प्रतीक है, कौनसी चीज का यह द्योतक है।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : आप जैसा फरमा रहे है। वैसा हिस्सा सब को बराबर मिलेगा क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : अब यह राजस्थान के लिए हैं। जैसा आने दिया था, वैसा ही आपको भी मिल जायेगा। जैसा आपने बोया है पहले, वैसा आप भरेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अच्छा बोया हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छा बोया है तो मिलेगी। अच्छा क्या बोया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा(सरदारशहर) : सास के लिए बहू वाला पात्र याद करो कटारियाजी।

श्री रामनारायण चौधरी : कटारियाजी को तो मै उलाहना नहीं देता। लेकिन कटारियाजी के जो ऊपर बैठे हुए थे, वह क्या था। कटारियाजी ने मेरे यहां पर एक हायर सैकण्डरी दे दी और वहां पर दूसरे लोग पहुंचे, कहा कि साहब, आपने कहा दे दी, यह तो सारा गांव रामनारयण जी का है, इसमें यह है और वह हैं। तो कटारियाजी, आपके और उनके बीच की बात मैं खोलता नहीं, लेकिन आपको जिन शब्दों में वह कहा, कोई भी राजस्थान का मुख्य मंत्री ऐसा कह नहीं सकता। मैंने ऐसा कोई मुख्य मंत्री नहीं देखा, उपाध्यक्ष महोदय। हीरालाल लाल जी शास्त्री से लेकर आज तक जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, सब के पास मेरा आना-जाना रहा है। सब के पास। लेकिन इस प्रकार की बात तो साबिका मुख्य मंत्रीजी ने कही मेरी एक स्कूल के बारे में, मुझे इतनी वेदना हुई, मैं गया फिर उनके पास। मैंने कहा कि किसी जाति विशेष के लोग अगर वहां ज्यादा हैं तो क्या कोई अपराध है? बोले, क्या हुआ? बोले, बात तो सच्ची है यह। वो बात जब सच्ची है तो क्या हम स्कूल नहीं ले सकते, क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं ? बोले, मैं यह कर दूंगा। इतना उन्होंने दिलासा दिया।

श्री परसादी लाल मीणा : कर देस्यूं किया होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कर देस्यूं देख लेस्यूं नहीं, मेरे को सीधे कहा- कर दूंगा। लेकिन आज तक वह नहीं हुई और फिर किया क्या। लोग-बाग आये, वह लोग-बाग आये जो उनके पास आते जाते रहते थे, उन्होंने उसको करवा दिया। वह हो गई। नेक्स्ट ईयर में जाकर हुई। (व्यवधान) हो तो गई, सुनिये मैडम, हो तो गई, लेकिन उदघाट्न करने यह वहां गये तो जिन्होंने करवाई थी, ना, वह मंत्री थे, उनके जिम्मे किया था, उस मंत्री को गांव वालों ने उस स्कूल के अन्दर घुसने नहीं दिया कि हमारी स्कूल तो खुल गई थी बारह महीने पहले, कटारियाजी ने खोल दी थी,क्योंकि गांव वाले इनसे मिल गये थे। इन्होंने गांव वालों को कह दिया। फिर यह पता चल गया कि किसने

(श्री रामनारायण चौधरी)

काटी, वह काटने वाले मंत्री वहां गये। सच कहता हूं वह पांच सौ गज दूर से गांव के जोहड़ के पास वहां मीटिंग करके दो सौ, तीन सौ आदमियों की, वहीं से रिमोट कन्ट्रोल से उन्होंने उद्घाटन कर दिया, बोले कि यहां से उद्घाटन करता हूं स्कूल में नहीं घुसने दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : कटारियाजी को तो करने देते।

श्री रामनारायण चौधरी : कटारियाजी को करने देते। यह तो गये नहीं । इन्होंने तो कहा था कि साहब, सब कुछ करना पड़ता है, कुछ इनकी भी माननी पड़ती है। तो इन्होंने कहा, नहीं—नहीं यह नहीं होगा। अब देखिये, उस स्कूल को, मेरी वाली को तो काटा। मेरी वाली को इसलिए काटा कि वहां पर सब वोट रामनारायण चौधरी को मिलने वाले थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह हकीकत थी कि उस वक्त मेरे कहने से हायर सैकण्डरी बनती तो एक वोट भी मेरे खिलाफ वहां नहीं जाता। इस ढंग का मेरे गांव का मेरे प्रति लगाव था। फिर गये तो सभी, मेरे ही आये वह भी। लेकिन वह काटी मेरी इसलिए है कि वहां एक जाति विशेष का मामला है और खोली कहां ? वह खोली दूसरे गांव में। वह भी मेरे मित्र हैं, उसके कहने से खोली। वहां पर इनकी बी जे पी का एजेन्ट नहीं बैठा। वह भी मिले। वहां पार्लियामेंट के चुनाव में उनका ऐजेन्ट नहीं बैठा, एक वोट बीजेपी को उस गांव के अन्दर नहीं पड़ा, वहां खोली। तो यह मान्यवर, जैसा आप कह रहे थे कि सब को मिलेगा, वह तो जैसा आपने बोया है न वैसा ही काटना पड़ सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, एक—एक स्कूल के बारे में मै पांच साल का आपके सामने लाकर रखूंगा कि मैंने क्या किया, एक एक मेम्बर की मेरी पास सूची है कि मैंने क्या किया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया मान्यवर। देखो, मैंने आपके प्रति काम्पलीमेंट्स दिये है।

एक माननीय सदस्य : आपने तो भट्टा बैठा दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो सब आपके ऊपर वाले...(व्यवधान) यह स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब आप भट्टा बैठाओगे।

श्री चन्दन मल बैद : स्कूलें बेचूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, हम स्कूल खोल दें और शिक्षा की व्यवस्था कर दें, इतने से ही समाज का निमार्ण नहीं होगा। इसके साथ दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई है। समाज बढ़ता जायेगा, एक तरफ बढ़ता जायेगा, उससे काम नहीं चलेगा। किस प्रकार से व्यवस्था हो। आज राजस्थान की जनता के पास न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। आज कहीं किसी को कोई इन्साफ नहीं मिलता है। इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए वित्त मंत्री महोदय जिस तरीके से स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने गांव के विकास के लिए एक प्राइमरी स्कूल, एक ग्राम पंचायत और एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का एक पैटर्न दिया, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप कि आप भी एक पंचायत समिति का एक पैटर्न दीजिए कि लोगों

(श्री रामनारायण चौधरी)

को इन्साफ मिल सके। एक पुलिस स्टेशन, उसके साथ में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट उसी क्षेत्र के अन्दर। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है कि 30 न्यायालयों को इसमें प्रोवीजन किया हैं। इससे बड़ी मदद मिलेगी। आज गांव के अन्दर दूर—दूर से लोगों को कहां—कहां से चल कर आना पड़ता है। एक पुलिस स्टेशन, एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, दोनों का एक काम्बीनेशन होगा। आज लोग जिला हैडक्वार्टर्स पर तथा ऐसी जगह पर दौड़—दौड़ कर आते हैं, वहां कोर्ट उनकी व्यवस्था नहीं होती ? कोई सुनवाई नहीं होती। वही का फैसला हो जाय, उसको एक राहत मिलेगी। आपने जो 30 न्यायालय खोलने की इसमें व्यवस्था की है, यह बहुत प्रशसंनीय काम आपने किया है। मुझे दिखता है आपने महसूस किया है, आपको कहीं न कहीं यह चीज स्ट्राइक हुई है उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्कूलों के हमारे पुलिस प्रशासन के बारे में भी आपने काफी इसमें व्यवस्था की हैं। अब, मान्यवर, पुलिस की आप कितनी भी व्यवस्था करें, आज जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा, आज की मान्यताएं बदल रही है। समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आज कैसे इसको नियंत्रित किया जायेगा। यह आपने इसमें माकूल व्यवस्था की है। इस देश के लिए प्रशिक्षित पुलिस, प्रशिक्षित अनुभवी मजिस्ट्रेट्स और प्रशिक्षित अनुभवी अधिकारी, आज पुलिस उस डण्डे से नहीं चला सकती गांव को और शहर को, जो उस जमाने में था। हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य तो यह सूची ले आये कि इन 121 दिन के शासन के अन्दर इतने बलात्कार। कोई अच्छा काम भी आपको सूझता था ? आज ये समस्याएं तो गांव—गांव, ढाणी ढाणी,शहर—शहर, मोहल्ला—मोहल्ला और वार्ड—वार्ड में पनप रही है। आज ऐसे आरोप तो आपके...

श्री हीरासिंह चौहान : वह तो माननीय आपने ही बजट भाषण में शुरूआत की थी। आप लोगों ने ही शुरूआत की थी, हमने नहीं की।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, आप अमेरिका में क्लिंटन की हमने शुरूआत की क्या ? अमेरिका में क्लिंटन को वहां का पार्लियामेंट के सामने फेस करना पड़ा। देश के सामने फेस करना पड़ रहा है वह आप और हम करने गये थे क्या ? ये तो एक तब्दीली आ रही है समाज के अन्दर इसमें आप क्या करोगे ? जे.सी. बोस छात्रावास कांड हुआ था वह हमारे जमाने में हुआ था क्या ? और हमने करवाया था क्या वह वह आपने ही करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो समाज में एक विकृति आ रही है और विकृति का एक कारण है...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वे सब कांग्रेसी उनके साथ थे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं कांग्रेस के नहीं देखिये, आप ये पार्टीबाजी की बात मत करिये। ये संकुचित भावना नहीं। आज टेलीविजन, आज आपका सिनेमा, आज आपके इन्टरनेशनल टेलीविजन्स का क्या नाम है,मैं तो जानता भी नहीं, कितने केबिल लगते हैं जिसमें बाहर से कहीं भी लगा सकते हैं। उसका मान्यवर, यह असर है कि वह सर्वशक्तिमान क्या है मेरा छोटा सा दोहिता है 6 साल का वह, यह क्या है, शक्तिमान। वह शक्तिमान का वर्णन करता हैं। आज

(श्री रामनारायण चौधरी)

वह बंद किया, बंद इसलिए किया मान्यवर, कि बच्चे मर गये कूद–कूद कर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी बंद नहीं हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : हो गया वह तो बच्चे ही जानते है। मेरा बच्चा कह रहा था कि नानाजी अब वह बंद हो गया। मैने कहा कि क्या था शक्तिमान तो वह बोला कि शक्तिमान यह चीज थी। मैं सच कहता हूं मुझे नहीं पता। तो मान्यवर, आज यह शिक्षा हम दे रहे हैं। इस शिक्षा से हम वंचित नहीं रह सकते। आज अमेरिका के अन्दर जो बात होती है वह हिन्दुस्तान में हाथ के हाथ आएगी उसमें एक सैकंड नहीं लगता। बटन दबाते ही फौरन यहां पता चलता है। संसार जो इतना एक हो गया इतनी क्लोजनेस आ गई उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक जगह का असर दूसरी जगह पड़ेगा। तो वित्त मंत्री महोदय, समाज को शिक्षित, प्रशिक्षित अनुशासित और सब दृष्टियों से प्रशासनिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, बौदिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से सब दृष्टियों से देखभाल सार सम्भाल करने का दायित्व सरकार का है। सरकार का गठन ही इसलिए हुआ था वरना तो सारा समाज फ्रीलांस चलता थी पहले। समाज का गठन ही इसलिए हुआ था कि समाज ने सोचा कि सरकार के बगैर काम नहीं चलता। तो यह आपका दायित्व है अब आप इस बजट के द्वारा जो नियोजन किया है उसके द्वारा आपने दूसरी प्रस्तावना की है उनके द्वारा इसको किस प्रकार से आप करते हैं इसके द्वारा सबका सहयोग लेकर के आप राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे, इसमें हमारी सबकी शुभकामनाएं है। हमारा आपके साथ सहयोग है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट एस्टीमेट्स पेश किये है, उनका मैं समर्थन करता हूं जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतन लाल जी ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी(जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान विधान सभा में 1999–2000के बजट के वाद–विवाद में जब चर्चा करते हैं तब हम राजस्थान निर्माण की उस पृष्ठभूमि से, जिसकी लम्बी यात्रा से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका कुछ विवेचन करना प्रासंगिक होगा।

मान्यवर, राजस्थान कई रजवाड़ों और जागीरदारी क्षेत्रों से जुड़ा हुए एक नया नाम है जब राजस्थान की हम चर्चा करते हैं आजादी के उस आंदोलन से हमको राजस्थान को जोड़ना होगा। इन नेताओं को विरासत में अंग्रेजों की गुलामी के साथ–साथ सामन्ती जुल्म ज्यादतियों का यह राजस्थान रहा है, उसको उबारने के लिए आजादी के आंदोलन और जनसंघर्ष करने पड़े, तब जाकर आज राजस्थान उभर कर हमारे सामने आया है। राजस्थान के उन नेताओं ने राजस्थान के गरीबों को, किसानो के उत्पीड़न को सबको देखा और उस मानसिकता के साथ राजस्थान के निर्माण की पृष्ठभूमि में उनके अनुभव आंखो देखा हाल और उनकी समस्याओं से राजस्थान कैसे बढ़ सके, यह मानसिकता उनके विचारों में और कार्य पद्धति में रही है। हम उस राजस्थान की चर्चा करना चाहते है, विरासत में जो राजस्थान हमको मिला। उस समय राजस्थान के हालात क्या थे उसको हमको सबसे पहले देखना होगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि

(श्री रतन लाल ताम्बी)

राजस्थान में पांच हजार गावों में जागीरदारी प्रथा प्रचलित थी और इसके साथ 22 रजवाड़ों की राजशाही प्रचलित थी उसके बाद उनका उन्मूलन करना एक बहुत टेढ़ी बात थी। वह राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। और राजस्थान बना। और राजस्थान उस समय क्या था जिस राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली हो, जिस राजस्थान में करीब 23 हजार कुल मिलाकर विद्यालय हों । सड़कों के नाम पर 13553 किलोमीटर कुल सड़कें हो और करीब 4300 प्राथमिक विद्यालय हो और साक्षरता 8.95 प्रतिशत मात्र हो। उस राजस्थान को बनाना..

श्री देवीसिंह भाटी : फारेस्ट के बारे में भी कह दो।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह सब आप कहेंगे, तो 8.95 प्रतिशत जहां शिक्षा हो, उस राजस्थान को बनाने का काम मैं समझता हूं बड़ा कठिन काम था। उस समय के बाद 89–90 में जब राजस्थान में कांग्रेस शासन छोड़ कर 8–9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित मिली जुली पार्टियां अलग–अलग विचारों से जुड़कर राजस्थान में रही, उनके बीच में जो विकास की स्थिति बनी उसका आगे जाकर मैं चित्रण करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाह रहा था कि राजस्थान में उस समय मात्र 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। उस राजस्थान में कांग्रेस सरकार के प्रयत्नों से 2712 मेगावाट बिजली पैदा हुई । यह अपने आप में उपलब्धि की कहानी है। इस राजस्थान में राजस्थान निर्माण के पहले मात्र आजादी के पहले मे 42 बस्तियों में बिजली जलती थी, वह भी राजा– महाराजाओं के महलों में।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी सो रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं साहब, बहुत जागरूक हैं आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री जी सो नहीं रहे, गौर कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चिन्तन कर रहे हैं चिन्तन।

श्री रतन लाल ताम्बी : 27166 गावों में विद्युतीकरण का प्रकाश जगमगाता आजादी के बाद पहली बार झोपड़ियों में गरीबों में देखा। तब राजस्थान की कांग्रेस ने निश्चित रूप से उन गरीबों की चेतना का संचार किया और उनको यह अहसास कराया कि आजादी और राजस्थान के विकास की कहानी जो कांग्रेस ने कही थी आजादी के पहले, वह प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नजर आती है। जिस राजस्थान में 13553 किलोमीटर सड़कें ऊबड़–खाबड़ जैसी–जैसी थी, उस जमाने की उन सड़कों के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने राज छोड़ा , तब 56956 किलोमीटर दे गये थे,बनी बनाई, अच्छी। और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, जिसको कुशासन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 8–9 वर्षों में जहां ढांचा इस प्रकार का बना था उसको आगे बढ़ाने के बजाय इस ढांचे को बिगाड़ने का काम बहुत ज्यादा किया और उसका उदाहरण राजस्थान की सड़कें हैं। उन सड़कों में जगह– जगह गहरे गड्डे हैं। उनकी हालत की इतनी दुर्गति की थी जिसकी जगह–जगह रोज चर्चा सामने आती थी। तो

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इस प्रकार के राजस्थान को बनाकर इस कांग्रेस शासन में आगे बढ़ाया था। हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने कल इस बजट पर बड़े प्रहार किये। मुझे अचरज इस बात का हुआ कि हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य काफी जागरूक भी हैं पढ़े-लिखे भी हैं। इस सारे बजट का चिन्तन करते, मनन करते तो दाद देते माननीय चन्दनमल जी बैद वित्त मंत्री जी को, पर पता नहीं क्या उनकी दुर्भावना है, क्या सोच और चिन्तन है। इस बजट में कुल मिलाकर आपने जो आलोचना ही आलोचना की है जैसे इस बजट में कुछ है ही नहीं...

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य दुर्भावना नहीं है। जब मैं बजट पेश कर रहा था तो, तब तो ये तालियां बजा रहे थे।

श्री रतन लाल ताम्बी : अच्छा यों है क्या।। पता नहीं आप दोंनो की क्या बात है। मैं यह कहना चाहता हूं इस बजट के अच्छे पक्ष का चित्रण कहीं उन्होंने नहीं किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था आपने राजस्थान की इस नयी सरकार को सौंपी है, आश्चर्य मुझे भी हो रहा था, मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि इस अर्थव्यवस्था के बीच में यह राजस्थान की सरकार जिसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राजस्थान की जनता को यह आधार बता कर दिया था कि राज हमकों सौंपोगे तो हम इस आधार पर काम करेंगे, और उन्होंने शुरूआत इसी प्रकार की। अभी कोई चर्चा हो रही थी एक प्रश्न के जवाब में, जीरो आवर्स में, कि 60 वर्ष से 58 वर्ष की उम्र कर दी गई है और उन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराये जाने की बात सोची जा रही है। इसके साथ यह भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछली सरकार और इस सरकार में बड़ा अंतर है। पिछली सरकार को हम किसान विरोधी सरकार बताते थे, तब आप उसको हास्यास्पद मानते थे। बिजली का आंदोलन करते थे, बिजली नहीं मिलती थी तो आप उसको ठीक प्रकार से नहीं लेते थे, स्वस्थ परम्परा नहीं थी आपकी। इस सरकार ने यह सिद्ध कर दिया, इस सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि आठ घंटे बिजली देंगे चाहे एक करोड़ रुपये रोजना का घाटा उठाना पड़ रहा हो। उसके बाद भी राजस्थान की सरकार ने यह अहसास करा दिया, पहली सरकार है जिसने लगातार किसानों को फसल के मौके पर आठ घंटे बिजली उपलब्ध करवाई है। और बिजली उपलब्ध कराने से इस अकाल के बावजूद भी जो कुछ उत्पादन होगा, वह इस कांग्रेस सरकार की सोच और बिजली की नियमित उपलब्धि का कारण है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं यह कांग्रेस सरकार गरीबों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण का सोच हमेशा रखती रही है और इस बजट को हम पूरी तरह से देखें तो वास्तव में यह बजट गरीबों को समर्पित है। आज समाज कल्याण की दिशा में जो छात्रावासों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मासिक व्यय बढ़ा कर निश्चित रूप से उन गरीब बच्चों की महंगाई की मार से राहत दी गई है। अनुसूचित जाति,जनजाति के बच्चे जो मकानों में रहते थे और उनको पूरा पैसा नहीं मिलता था इस सरकार ने उसमें दिशा दी है। नये छात्रावास...

श्री रामनारायण चौधरी : दोगुना कर दिया।

श्री रतन लाल ताम्बी : गरीब,आश्रित बुढ्ढे, यानि कोई ऐसा समाज का उपेक्षित और परेशान या इस तरह का तबका जिसका आज की हालत में जिंदा रहना मुश्किल था, उन सबको इस बजट में निश्चित रूप से सहायता देने की कोशिश की है। यह गरीबोन्मुखी बजट कहा जा सकता है। यह किसानों का हितैषी बजट कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में 23 हजार करोड़ से अधिक का घाटा जिस पर 2200 करोड़ से अधिक का ब्याज, प्रतिव्यक्ति साढ़े 6 हजार के आसपास जहां कर्जा हो, उस राजस्थान में इस प्रकार के हालात में प्रस्तुत करना किसी कुशल शिल्पी का ही एक द्योतक कहा जा सकता है। और उस कुशल शिल्पी के रूप में आप चाहे कितनी ही आलोचना कर लें, मैं श्रम और साधना के रूप में माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में इन्होंने एक शानदार बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया है। इस बजट में कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ और सुझाव हो सकते हैं, वो रचनात्मक सुझाव आपको देने चाहिये, वो आप नहीं दे पाये। बजायं सारे बजट पर आपने इस तरह से कोसने की कोशिश की जैसे बजट बेकार सा बना हो, जिसमें गरीबों को राहत नहीं मिल रही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सोच हमेशा रहा है कि आप बड़े लोगों की पार्टी, उनके हितों की सोचने वाले व्यक्ति रहे हैं इसलिए यह बजट आपको अच्छा लग भी नहीं सकता। यह बजट आपको अच्छा नहीं लगने का कारण यह है कि आपका सोच और चिंतन उनके प्रति हमेशा ठीक नहीं रहा है।

मौटे तौर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में खास तौर से जो योजना आपके सामने आई है उस योजना का आधार यह रहा है कि इसमें सामान्य सेवाओं को, आर्थिक सेवाओं को, सामाजिक सेवाओं को जिस प्रकार विवेचित किया गया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में लगातार पिछली सरकार ने जो कमियां रखी है इस सरकार ने उनको महत्व दिया है। आज इतनी बड़ी तादाद में, 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलना राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इस बार हो रहा है। एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलना, चार सौ सैकण्डरी स्कूलों का खोलने का प्रावधान और दो सौ सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में और उस सरकार में बड़ा अंतर है। खास तौर से पिछली सरकार के प्रावधानों में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं में कितना अंतर था, विषमता थी उसका चित्रण मैं करना चाहता हूं। कृषि में 1286.92 का प्रावधान था जिसमें से 1124.98 का आपने उपयोग किया, कितनी बड़ी विषमता है। 11.19 प्रतिशत के स्थान पर 9.47 प्रतिशत खर्च होना कृषि के प्रति आपका कैसा चिंतन है इसको दर्शाता है। ग्रामीण विकास के लिए 1021.75 का प्रावधान पिछली बार था उसको 871.59 उपयोग कर पाये। इस तरह से 7.35 लाख रुपयों का आपने प्रयोग किया है। सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए भी 1919.99 प्रावधान के मुकाबले 1840.48 का प्रयोग किया। ऊर्जा में जहां

(श्री रतन लाल ताम्बी)

3755.49 के प्रावधान थे 3099.11 यानि 26.12 प्रतिशत का आपने उपयोग किया। इस तरह की सेवाएं जो समाज के लिए आवश्यक थी। उन सेवाओं में भी आपका कभी भी यह सोच नहीं रहा कि उपलब्धियां प्राप्त करें। इस प्रकार से आपने बजट का उपयोग जो निर्धारित किया है, उसमें भी आपकी कुशलता इसी बात की होनी चाहिये थी, पर आपने ध्यान नहीं दिया।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण की दिशा में पिछली सरकार का जो सोच रहा और इस सरकार के सोच में जो अंतर है, वह इस बजट के प्रावधानों में मौजूद है। इसलिए आज के दिन हमको इस बात का प्रयत्न करना होगा कि वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं है, उनका किस प्रकार से उपयोग सही ढंग से हो। उसके लिए प्रावधानों की जो आवश्यकता है वह इस सरकार ने पूरी की है।

मैं इस मौके पर मौटे तौर से दो-तीन प्रश्नों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकार पंचायती राज के बारे में मानसिकता कभी नहीं रखती थी। यह राजस्थान है जिसने 1959 में पंचायती राज की स्थापना कर के देश में अपना विशिष्ट स्थान बनाया था और पंडित नेहरू ने नागौर में आकर जिस पंचायत राज की शुरूआत की थी उस पंचायती राज का कुंडा पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। आपने चुनावों को भ्रष्टाचार का आधार बना दिया। चुनाव इतने मंहगे हो गये, दल बदल कर जोर जबरदस्ती से बहुमत कराने का काम आप लोगों ने इस पंचायती राज में किया। मेरे पूर्ववर्ती वक्ता महोदय ने भी बताया था कि पंचायती राज के कामों को आपने ठेका पद्धति से शुरू कर दिया। और जब से आपने यह पद्धति शुरू की पंचायती राज की अवधारणा, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो गई। भौतिक रूप से रुपया बहुत आ रहा है। योजना में रुपया बहुत लगा, पर उसकी वास्तविकता में जाकर देखें तो उस तरह का काम आपको मिलेगा नहीं। और काम की गुणवत्ता आप देख लें कि इस साल कोई बिल्डिंग बनी है, अगले साल पट्टी टूटी मिलेगी। दीवारों में दरारें मिलेंगी, किवाड़–खिड़की नहीं मिलेंगे। फर्श उखड़ी मिलेगी। आपने भ्रष्टाचार को पंचायती राज का आधार बना दिया। जिस पंचायती राज की महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने कल्पना की, और जिस पंचायती राज ने पंडित नेहरू के सपनों को साकार राजस्थान में किया, उस पंचायती राज को आपने 9 साल में चौपट कर के रख दिया। आज जनता में इसके प्रति अविश्वास बढ़ गया और पंचायती राज की यह स्थिति आपने पैदा कर दी। पंचायती राज का जितना राजनीतिकरण आपने किया, जितना भ्रष्टाचार आपने उसमें बढ़ाया उससे आम लोगों में पंचायती राज की जो धारणा राजस्थान में थी, उसको सामाप्त कर दिया। इसलिए राजस्थान की कांग्रेस ने यह कहा है कि पंचायती राज को मजबूत बनायेंगे और अधिकार सम्पन्न बनायेंगे। आपने अधिकार क्या दिये ? पिछले तीन–चार साल में आपने देख लिया, जो सरकार एक्ट लागू होने के बाद दो वर्षों में उसके नियम बनाकर नहीं दे सकती वह सरकार कैसे गतिशील सरकार हो सकती है, इसका प्रदर्शन आपने किया है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से यह निवदेन करना चाहता हूं कि

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आप पंचायती राज को अधिकार देने से पहले उनको सक्षम बनाइए, मजबूत कीजिए और फिर निश्चित रूप से उनको आगे से आगे बढ़ाइए ताकि गांवों की सारी समस्याओं का समाधान हो सके, गांवों के विकास का आधार पंचायती राज रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपने ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने का फैसला किया। राजस्थान में पंचायती राज अब ग्राम सभाओं के माध्यम से मजबूत होगा। साल में चार ग्राम सभाएं आपने अनिवार्य की और इसके साथ अगले 10 साल में राजस्थान के गांवों में क्या काम होने चाहिये उसका ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्णय करके एक योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न किया हैं। उस ढांचे को आप लागू करके गांवों के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह आपने सिद्ध किया है।

मैं इस मौके पर राजस्थान की उस गंभीर समस्या की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आपने प्रावधान किया है, वह है पेयजल समस्या। पेयजल के लिए आपने अच्छा प्रावधान किया है। फ्लोराइड के लिए आपने प्रावधान किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से योजना ऐसी बनाइए जो दूरगामी परिणाम लाने वाली हो कंटिंजेंसी प्लान के नाम पर करोड़ों रुपये हम हर साल खर्च करते हैं। उसके सार्थक परिणाम नहीं आते हैं। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि बजट के माध्यम से आपने जो प्रावधान रखे हैं उसमें दूरगामी दृष्टि से प्राथमिकता दें। खास तौर से बनास नदी से बीसलपुर बांध जो आपने कुछ जिलों को पानी दिया, और बीसलपुर के साथ के जो जुड़े हुए, जहां से पानी आता है वे जिले आज भी भूखे प्यासे हैं। चम्बल नदी के माध्यम से राजस्थान के 7–8–10 जिलों में पानी की समस्या का समाधान हो सकता है, उस दिशा में आपका चिंतन होगा। और साथ में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 9 साल में इस सरकार ने जिस प्रकार हर योजनाओं को लम्बित रखने की प्रवृति, समय पर काम नहीं करना, कार्य टालने की प्रवृति बढ़ा दी उसको आप गतिशील बनाने के लिए इस संवेदनशील प्रशासन की आपने बात कही है, जवाबदेही की बात कही है, हमको निश्चित रूप से प्रशासनिक संवेदनशील धारणा के साथ आप जिम्मेदारी के साथ में जवाबदेही निर्धारित कीजिये। और आज भी राजस्थान के बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अनेक ऐसे विभाग हैं, जिनके पास कार्य भार की कमी है। वहां दुनिया भर का अमला और स्टाफ है। उसकी बचत करके आप राजस्थान में अच्छे ढंग से शासन की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपकी आय में काफी करवंचना होती है। गड़बड़ी काफी होती है। उसको गम्भीरता से देखा नहीं जाता। मैं आपके द्वारा एक प्रकाशित पुस्तिका के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह वाणिज्य कर विभाग का ही प्रतिवेदन है। उसमें पृष्ठ 8 पर बकाया बिक्री कर नवसृजित प्लान्ट का एक पैरा नम्बर दो है, उसमें यह लिखा है कि 531.88 करोड़ रुपये की मांग सृजित की गयी। 14.6 करोड़ रुपये अपील इत्यादि से कम किये गये तथा 110.92 करोड़ रुपये वसूल किये गये। इस प्रकार

(श्री रतन लाल ताम्बी)

31.1.99 तथा 406.90 करोड़ रुपये की राशि अवशेष रही। इतनी बड़ी राशि अवशेष रही है। करवंचना, इसमें जो काम किये गये हैं वह सब और इसी के साथ आगे बताया कि 1.4.98 को बकाया पुराना 846.53 करोड़ रुपये रहा था इसमें से माह जनवरी 99 तक 77.80, मैंने पहले तो गत वर्ष की बतायी है और अब बता रहा हूं पुराना उससे भी 77.80 करोड़ रुपये अपील इत्यादि से कम किये गये तथा 252.37 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी। इस प्रकार 516.36 करोड़ रुपये की राशि अवशेष रही जिसमें स्थगन के अन्तर्गत 97.2 करोड़ 0.92 करोड़ रुपये किस्तों में 6.3 करोड़, अभियोजन मे 10.23 करोड़ रुपये, लिक्विडेशन में 27.95 करोड़ रुपये, भू–राजस्व में 22.62 करोड़ रुपये, ब्याज की दरों में 8.72 रुपये, घोषणा पत्र में 89.11 करोड़, रुपये नॉन ट्रेसेबल 47.71 करोड़ रुपये एवं अन्य में 16.92 करोड़ रुपये शेष रहा। इस प्रकार विभाग के पास शुद्ध वसूली के योग्य राशि केवल 45.97 करोड़ रुपये है। इस तरह यह जो मामले छूट के और लम्बे खींचने के पता ही नहीं लगा रहा मामले का कहां तक चले गये। ट्रेसेबल नहीं हो रहे हैं। और यह जो मामलें हैं, मैं समझता हूं वित्त मंत्री महोदय आपकी सर्तकता, आपकी कर्मठता का, आपका भय सब लोगों को रहता है। उसके बावजूद हर विभाग को आप देखेंगे तो बहुत बड़ी करवंचना भी हो सकती है, अपव्यय भी हो सकता है और राजस्थान की इतनी बड़ी घाटे की जो अर्थव्यवस्था आपको सौंपी है, उसमें आप सुधार करने की दिशा में भी कुछ अर्थशास्त्रियों की, विशेषज्ञों की राय उनको महत्व देते हुए, उनको कुछ जिम्मेदारी देकर इस दिशा में राजस्थान को आप उबारने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं, इतनी बड़ी समस्या का राजस्थान जो आपको 9 साल में अवसर मिला है, इस दिशा में आपको काफी मेहनत करनी होगी।

अब मैं, वापस पंचायत राज के अगले चरण के लिए बात करना चाहता हूं। अगले वर्ष पंचायत राज के चुनाव होंगे, नई व्यवस्था है, इसमें कुछ संशोधन भी विचार किये जा रहे है क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राजीव गांधी ने ढांचा दिया था, उसमें राज्य सरकार को जो कुछ करना था, उसमें काफी कमियां रख दीं जिससे पंचायत राज आज जनता की उतना आशा रखने वाला नहीं रहा। खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पंचायत राज में सरपंच पंचायत समिति का मेम्बर नहीं, प्रधान जिला परिषद के मेम्बर नहीं, यह तालमेल ही नहीं है एक दूसरे में। मैं सोचता हूं इसको तो आप सोच ही रहे हैं, पुनर्गठन के मामले में 1981 की जनसंख्या के आधार पर पिछली सरकार ने ताबड़–तोड़ ढंग से नाटक तो बहुत किये थे, सुनवाई के, और वह सब। पर करना उनको जो था वो ही किया। इसलिए मैं चाहता हूं पंचायत पुर्नगठन की प्रक्रिया के लिए अभी से आपको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। वह आटोमेटिक नहीं होगा कि आपने कह दिया कि पंचायत राज में पंचायत समितियों व पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे। इसके लिए जिलाधीशों को अभी तक आपने नोटिफिकेशन करके अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं,

(श्री रतन लाल ताम्बी)

इस पंचायत राज को आप अभी से ठीक प्रकार से मजबूत करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल कर पुनर्गठन की प्रक्रिया को इस तरह शुरू करें, जिससे राजस्थान की जनता को पंचायत राज के 2–2 हजार के आसपास की जनसंख्या पर पंचायत गठित हो जायं, वह अपने गांव का विकास ढंग से कर सके। इन बड़ी पंचायतों में छोटे गांवों का तो कोई धणी धोरी ही नहीं है, उनके यहां तो विकास हो ही नहीं पाता है। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने भूमि सुधार और जागीर उन्मूलन के मामले बहुत ढंग से सम्पादित किये और सम्पादित करने से कांग्रेस के प्रति एक धारणा बनी थी कि एक क्रांतिकारी सरकार, जो कि गरीबों को, गांवों को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछले 9–10 साल में जिस प्रकार की सरकार राजस्थान में आयी, उसने भूमि सुधार को भूला दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार को भूला दिया। तो आज भी आवश्यकता इस बात की है कि इन भूमि सुधार के कार्यक्रमों को हम फिर से शुरू करें और राजस्थान में जिस कांग्रेस सरकार ने जागीर उन्मूलन करके किसानों को धरती का मालिक बनाकर एक नये इतिहास की रचना की थी, उस कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की जनता ने इस चुनाव के जरिये फिर से जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए मैं इस मौके पर यह सुझाव देना चाहूंगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम को आप हाथ में लीजिये। अभी भी राजस्थान के लाखों ऐसे परिवार हैं, जो कृषि पर आधारित हैं। उनके पास 20–25 प्रतिशत जमीन होगी या 30 होगी, इससे अधिक नहीं होगी। बाकी अभी भी 20–30 प्रतिशत तो ऐसे परिवार हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीने हैं। अगर वे जमीनें छोटे लोगों के पास जायेंगी तो उन लोगों के लिए जीवन-यापन का आधार बनेगा। राजस्थान नहर पर बड़ी मात्रा में आपके पास जमीन है, कुछ जमीन तो ऐसे भूमिहीनों के लिए अलग निकालिये जिनको जमीन सामान्य दरों पर मिले। बाकी बड़ी मात्रा में जमीन जो आपके पास उपलब्ध है, बड़े लोगो में नीलामी पद्धति से पैसा अर्जित करें ताकि राजस्थान का विकास भी हो। मगर छोटे लोगों के लिए आपको इसके लिए कोई व्यवस्था सोचनी चाहिए। राजस्थान नहर का इतना बड़ा काम कांग्रेस ने किया, इतना बड़ा विकास किया तो उसके आधार पर उन लोगों का विकास तभी होगा जब उनको जमीनें ठीक ढंग से मिल सकेंगी।

एक माननीय सदस्य : आपके पास जमीन है कि नहीं, साहब।

श्री रतन लाल ताम्बी : है, मेरे पास 80 बीघा जमीन है। एक, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछली सरकार ने गैर– योजना व्यय पर अंधाधुंध खर्चा करके जो हालात पैदा किये हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं इसकी भी आप पूरी समीक्षा करवायें गैर– योजना व्यय में कमी और भविष्य में अंकुश लगे इस प्रयोजन की दृष्टि से बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है। प्रशासनिक खर्चों में कमी की बात बार बार होती है। मितव्ययता की बातें बार बार होती है। पर उसको कर दिखाना, आप जैसे कुशल वित्त मंत्री से राजस्थान की जनता आशाएं लगाये बैठी है। मैं समझता हूं आप इसको ठीक ढंग से देखेंगे, इसके सार्थक परिणाम आयेंगे। कई बार पिछली सरकार ने जाते जाते और

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बाद में भी कई छूटें दी। छूटों का परिणाम क्या हुआ ? इसका उपभोक्ताओं को कोई लाभ मिलता है, यह आज देखने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी आप यह छुट देते हैं, यह भी देखा जाना चाहिए कि इसका मूल उपभोक्ता को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। बिचौलिये उसका लाभ उठा लेते है और उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलता है। इसलिए ये सारे ऐसे मामले हैं इनको आपको हमको देखना होगा। प्रतिव्यक्ति आय में भी, पिछली सरकार ने भारत में जो राष्ट्रीय आय है, और हमारे राजस्थान की जो आय है इस बीच में बहुत, कोई पांच सौ कुछ रुपये के आसपास अन्तर आ गया । उस अन्तर को कैसे पाटा जाय। जब कांग्रेस ने राज छोड़ा था तब दो सौ कुछ रुपये थे। इसके बाद यह क्या हुआ ?

कला और संस्कृति क्षेत्र में राजस्थान की पिछली सरकार ने इसको गढ़ों में, हवेलियां में और किलों तक सीमित कर दिया। कला और संस्कृति राजस्थान में इतनी बिखरी पड़ी हुई हैं, गरीब लोग गांवों में कला और संस्कृति के आज भी पारखी मिल सकते हैं, उनको खोज करके उनकी कला और संस्कृति को आज भी महत्व दिया जाना चाहिए। उनको आगे लाना चाहिए ताकि राजस्थान की वह पुरानी कला संस्कृति आम जनता से जुड़ी हुई मिले। और राजस्थान की कला संस्कृति जो इतिहास में और देश में हर दृष्टि से महत्व रखती है, उसको हम कैसे मजबूत बना सकते है, कैसे उसको कायम रख सकते हैं, कैसे हम गरीबों की कला संस्कृति और प्रदर्शन के माध्यम से राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं, इस दिशा में भी हमको देखना होगा। पिछली सरकार गरीब को गणेश की बहुत बात करती थी कि हम गरीब को गणेश मानते हैं। पर गरीब को गणेश क्या माना उसका परिणाम तो राजस्थान की जनता ने आपको दिया है।

अब मैं चाहता हूं, वह अंत्योदय की बातें,नारे अच्छे हैं, कहने को बहुत बातें हैं। परन्तु आज उस गरीब को गणेश इस सरकार ने इस बजट के माध्यम से माना है। चाहे समाज कल्याण के बजट को देख लें, चाहे जनजाति विकास की योजनाओं को देख ले। चाहे शिक्षा और चिकित्सा को देख लें। ये सारी बातें हैं। इसलिए हमको इस बात के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि सन् 88 तक के अकाल में, उस समय की सरकारों ने 40 वर्ष में 8000 करोड़ रुपया खर्च किया और 88–89 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा और देश में कांग्रेस का राज था, राजीव गांधी स्वयं 3 दिन तक राजस्थान में घूमे तथा लगभग साढ़े 6000 करोड़ रुपये एक वर्ष में राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को दिया।

मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि दिल्ली में आपका राज है। राजस्थान अकाल से गुजरा है। आपने जब आप राज में थे, करीब साढ़े 1100 करोड़ रुपये की योजना अकाल के लिए बनाकर भेजी। अब राज पलट गया, पलटते ही, क्या हो गया, राजस्थान में अकाल नहीं रहा। आपकी यह सरकार, दिल्ली में बैठी है, न तो संवेदनशील है, यह पहली भारत सरकार ऐसी बैठी है कि राजस्थान के करोड़ों लोग आज अकाल से गुजरे हैं। घास की आप चर्चा कर रहे थे। पानी की आप चर्चा कर रहे थे, भारत सरकार ने विभिन्न याजनाओं में 16

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हजार करोड़ रुपया कम किया है, उसमें से 14 हजार करोड़ रुपया तो जो राज्यों को मिलता है वह कम किया है। उसमें 700–800 करोड़ रुपया राजस्थान का काटा है। आप बड़ी चर्चा करते हैं कि राजस्थान की योजना में पिछली सरकार ने कमी कर दी है। मैं कहता हूं कि जो भारत सरकार को देना था वह आज दिया नहीं। इसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने अपने संसाधनों से थोड़ा सा ही तो कम खर्च किया है, बाकी तो खर्च करके दिखा दिया। अभी भी 5028 करोड़ की योजना इस गम्भीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी राजस्थान में दी है। यह राजस्थान की कुशल सरकार ... और माननीय राठौड़ साहब, दिल को बड़ा रखिये, दिमाग को बड़ा रखिये। चन्दनमल जी साहब, के प्रयत्नों को आपको दाद देनी होगी। इसलिए यह राजस्थान की सरकार ने इतने कम साधनों के बावजूद,वित्तीय संकट के बावजूद जो कुछ किया, वह ठीक किया। कर लगाने की बात भी आपकी आयी है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : फेमिन में काम करने वाले मजदूरों को 12 रुपये मिलते हैं, 12 रुपये मिल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह सुनिये। आप इनकी बात सुनिये। हां, पंडितजी, जरा स्पष्ट कर दो।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, नहीं, ये मिल रहे होंगे। मैं इससे इन्कार नहीं करता । राठौड़ साहब, आपके राज में 12 से भी कम मिले है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अकाल में फेमिन का काम चल रहा है क्या ?

श्री रतन लाल ताम्बी : और आपके राज में मस्टररोल भी भर देते थे,वहीं बैठ–बैठ करके।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यहां, राजस्थान में फेमिन का काम चल रहा है क्या, जवाब दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं चल रहा है। यही तो निवेदन कर रहा हूं मैं आपको यहां कहने के बजाय, दिल्ली की सरकार को मजबूर करने की जरूरत है। यह 9 सौ करोड़ रुपये, राजस्थान की सरकार को अकाल के लिए, जो अध्ययन दल आया था, जो विवरण बनाकर दिया, मेमोरण्डम दिया, उसके आधार पर राजस्थान की जनता को क्यों नहीं दे रहे है। आज वह रुपया हो तो राजस्थान की जनता अकाल पीड़ित नहीं होती, परेशान नहीं होती। आप राजनीतिक बदले की भावना से, राजस्थान की जनता के साथ, चुनावों की उस राजनीति में, आपकी प्रजा के साथ बदले के लिए तैयार लगते हो। आपकी सरकार इस बात का अहसास करवा रही है। इसलिए अकाल जैसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप भी भारत सरकार पर दबाव डालें और 8 सौ करोड़ रुपये राजस्थान को उपलब्ध कराएं। यह बहुत आवश्यक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब कांग्रेस का राज आया, आपने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पहले कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में नरसिंहरावजी बैठे थे, तब आप राज में थे। तब अकाल राहत का रुपया दिया कि नहीं दिया। उस उदाहरण को आप सामने रखकर चले। मैं समझता हूं कि

(श्री रतन लाल ताम्बी)

आपको इस दिशा में सोचने के लिए आज हम मजबूर करना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से...

एक माननीय सदस्य : खुद की सरकार के बजट का विरोध कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि 30 जनवरी के पश्चात् एक भी नया अकाल राहत कार्य कहीं खुला हो तो आप बता दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं इस मौके पर खुद मान रहा हूं कि राजस्थान के अकाल की स्थिति गम्भीर है। राजस्थान सरकार ने अपने वित्तीय साधनों से कुछ प्रावधान बढ़ाये हैं। इस बजट में भी संकेत दिया है और फिर भी आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है।

श्री बाबूलाल नागर : नहीं, खुला है। हमारे इलाके में खुला है। जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य खुला है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस के लोग ही बजट के ऊपर विरोध कर रहे है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ी है। 1990 में 2.4 लाख थे, आज 4.62 लाख के करीब बेरोजगार बढ़े है। वित्त मंत्री महोदय, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने स्टेट गारण्टी देकर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपायक्ष महोदय, सदन में गर्मी महसूस हो रही है। कृपया ए.सी. चलवा दें। गर्मी महसूस हो रही है हम लोगों को, ए.सी.चलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री रतन लाल ताम्बी : स्टेट गारण्टी देकर अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनोरिटी और बेकवर्ड क्लास के नौजवान युवकों को 6 प्रतिशत ब्यांज पर भारत सरकार पैसा दे सकती है। उसके आधार पर आन्ध्र प्रदेश ने पैसा लिया, महाराष्ट्र ने पैसा लिया, वैसा ही राजस्थान में लेकर काफी बड़ी तादाद में लोगों को उद्योग में लगाया जा सकता है, काम पर लगाया जा सकता है। इस दिशा में मैं सोचता हूं कि आप प्रयत्न करेंगे। इसके सार्थक परिणाम राजस्थान में आएंगे।

मैं इस मौके पर राजस्थान सरकार के मौटे तौर से, जो शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों के क्षेत्र में, सिंचाई, बिजली के क्षेत्र में पशुपालन, समाज कल्याण और जनजाति के क्षेत्र में जो वित्तीय प्रावधान और योजनाएं रखी है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बजट का तहे दिल से समर्थन करना चाहता हूं कि वित्तीय संकट के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में प्रावधान किया है। आपको मेहनत जरूर करनी पड़ रही है और काफी परेशान उठानी पड़ती है। इस मौके पर अन्तिम एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं व्यवसाय कर के नाम से एक नया कर आपने लगाया हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जजिया कर।

श्री रतन लाल ताम्बी : अब इसमें जो दे सकता है, वह दे, जो नहीं दे सकता है उसके

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बारे में आपको सोचना है। मेरी बात सुनिये। शोरूम पर भी 200 रुपया, कचौरी बेचने वाले को भी 200 रुपये, इस विषमता को आप दूर कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भीख मांग रहे है क्या ? दे सकता है दे, नहीं दे सकता है, नहीं दे। हम लोग तो भीख मानते हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : एक नया एडवोकेट पहली बार आकर वकालत करेगा...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस कर के बारे में इतना सा बता दें कि राजनीति को भी व्यवसाय मानकर यह कर लगाया है या नहीं लगाया है। इस बारे में भी बता दें।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो कोई नया वकील नया इनरोल होगा, उसको भी 200 रुपये, जो 40 साल से वकालत कर रहा है, एडवोकेट उस पर भी 200 रुपया...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजनीति को व्यवसाय मानकर लगा रहे हैं क्या ? (व्यवधान) मेरे से तो ले लें, आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में इस प्रकार से इस कर को ...

श्री चन्दन मल बैद : चूरू के माननीय सदस्य से पूछिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे से ज्यादा ज्ञान आपको है। इसलिए बैदजी, आपको मालूम है कि राजनीति व्यवसाय है क्या, आप ज्यादा वरिष्ठ हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके जजिया कर के कारण अलवर में वकीलों ने हड़ताल कर रखी है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : इसलिए इस कर में आप विस्तार से विचार करें, समीक्षा करें, तब इतना आप ख्याल रखें कि बड़े—बड़े शोरूम वाले और कचोरी बेचने वाले के बीच में अन्तर जैसा है, वैसा रहने वाला है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नहीं, राजनीति को भी व्यवसाय मानकर (व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये पकोड़ी बेचने वाले भी हड़ताल करेंगे। आप चिन्ता मत कीजिए। आया टाइम वह, जैसा आपने जजिया कर लगाया है।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह तो पहले महाराष्ट्र में आपकी सरकार ने भी लगाया है। वहां पर भी लागू है। इसलिए इसमें जहां विसंगतियां और विषमता है उसका पुनरावलोकन जरूर कीजिए और जिसकी जितनी शक्ति है, जितना सहन कर सकता है उसमें उतना, और जो सम्पन्न है उसमें उतना, इस प्रकार का अन्तर नजर आना चाहिए। इस प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं राजस्थान सरकार के इस बजट का, जो किसान का हितेषी बजट है, गरीबों का हितेषी है, कल्याणकारी योजनाएं लिये हुए है, और चूरू के विकास करने का बजट है, इसलिए इस बजट का मैं तहे दिल से समर्थन करता हुआ इसको राजस्थान की जनता की आशा और आंकाक्षाओं के अनुसार विकासोन्मुखी बजट मानता हुआ, अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिन्द।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वित्त मंत्रीजी बता दें कि राजनीतिज्ञ को भी...

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य काफी परेशान हो रहे हैं और इस बात का बड़ा प्रचार कर रहे हैं, जैसी कि इनकी आदत है । प्रचार करना तो इनका खास मकसद है, ध्येय है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : और बचा ही क्या है, इनके पास।

श्री चन्दन मल बैद : एक निवेदन मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि व्यवसाय कर मैंने ही नहीं लगाया है, महाराष्ट्र में जहां आपकी सरकार है, आपकी साझे की सरकार है, और आपकी तो हमेशा साझे की सरकार रही है । स्वतंत्र सरकार तो आज तक आपकी कभी रही नहीं, यहां राजस्थान में भी। पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन मैंने यह निर्णय किया हुआ है कि व्यवसाय कर उन्हीं पर लगेगा जो इन्कम–टैक्स के असेसी होंगे। इसके अलावा किसी पर नहीं लगेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजनीति के अन्दर, कोई व्यवसाय मानकर आप टैक्स लगा रहे हैं क्या, यह भी बता दें।

श्री चन्दन मल बैद : मैंने कह दिया ना कि राजनीति का व्यवसाय करने वाले तो आपके बगल में बैठे हैं। मैं नहीं करता हूं लेकिन मैंने यह कह दिया कि जो इन्कम टैक्स के असेसी हैं,उन्हीं पर यह प्रोफेशन टैक्स लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि राजनीति का व्यवसाय करने वाले सदन में बैठे हैं। तो आप राजनीति के अन्दर क्या ड्रम बजाने आये थे ? (व्यवधान)...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप +++ बोलना भूल जाओगे, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दुर्गाप्रसाद जी।

श्री चन्दन मल बैद : मैं तो वी.पी.सिंह साहब, आपका जवाब ही दे रहा था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने स्पेसिफिक सवाल किया है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एम.एल.एज. को जो तनख्वाह मिलती है उस पर इनकम टैक्स देय है क्या ? हमारे पर लगेगा या नहीं यह तो आप बता दें। इतना तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : यह साफ है न कि जिस पर इनकम टैक्स लगेगा उस पर लगेगा। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : जितने भी इसमें असेसी व्यक्ति हैं अगर आप इनकम टैक्स के असेसी हैं तो आप पर लगेगा और आप असेसी नहीं हैं तो नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो सब पर लगेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं देता तो ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं देता तो एग्जम्प्ट होंगे। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार आपलोपित किया गया ।

श्री चन्दन मल बैद : आप इनकम टैक्स के असेसी हैं तो लगेगा। इनकम टैक्स के असेसी नहीं है तो नहीं लगेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब वित्त मंत्रीजी आपने बजट में यह लिखा था कि पांच हजार से कम जिसका टर्न–ओवर है उनको तो नहीं लगेगा। पांच हजार से ज्यादा, पचास, पांच हजार से दस हजार तक सौ और उसके बाद में दो सौ तो वह सारी बात जो आपने बजट में रखी है वह ठीक नहीं है क्या ? आपने उसको संशोधित कर दिया ? (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो ...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो कर... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : बातें कही हैं, और मेरे माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं उस पर मैंने गम्भीरतापूर्वक विचार किया और मैंने निर्णय लिया है कि इनकम टैक्स के जो असेसी हैं उन्हीं पर यह टैक्स लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह माने कि आपने बजट में जो बात रखी और अभी आपका जवाब बजट का आया नहीं है, उसके पहले ही आपने सारे इस चीज में, व्यवसाय कर के बारे में संशोधन कर दिया है और आदेश जारी कर दिये हैं कि यह सिर्फ असेसी पर लगेगा, यह मानें हम ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लिखा कुछ और है और अब घोषणा कुछ और कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : आप सब बैठिये। आर्डर प्लीज। एक मिनट आप बैठिये। आप इस बात को समझिये। एक मिनट बिराजिये। आप इस बात को समझते हैं कि जो बजट पेश हुआ है उस पर आप सबके विचार सुनने के बाद परिवर्तन होता रहता है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने आपके जो विचार अभी सुने है, उसके बाद उनके मन में जो भावना प्रकट हुई है वह प्रकट की है। उसमें आपको क्या आपत्ति है ? दुर्गाप्रसादजी।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं। कोई आपत्ति नहीं है। माननीय, एक सैकण्ड में मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने अभी कहा कि जो इनकम टैक्स के असेसी हैं, उन्हीं पर टैक्स लगेगा। आपने अपने बजट प्रस्ताव में रखा कि जो आमदनी पांच हजार एक रुपया है, उस पर टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स का असेसी होना एक बात है और पांच हजार एक रुपया आमदनी होना दूसरी बात है। बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं लेकिन उन पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। तो क्या पांच हजार एक रुपये से आठ हजार रुपये तक, आपने स्वयं लिखा है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ? असेसी वाली बात छोड़ों। पांच हजार रुपये महीने से जिसकी

(श्री शिवनाथ सिंह)

इनकम ऊपर है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, इस बात को आप स्पष्ट कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनके जवाब का इन्तजार कीजिये। यह जवाब बाद में देंगे न जल्दी क्या है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बहस चालू हो गयी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...(व्यवधान)...

श्री चन्दन मल बैद : मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो इनकम टैक्स असेसी है उन्हीं पर टैक्स लगेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी ने अभी जब इस बहस को चालू कर दिया है तो मैं चाहता हूं कि इस सदन के सामने सारी स्थिति स्पष्ट हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने इस बजट के अन्दर केटेगरीज दीं, पांच हजार एक से दस हजार तक, दस हजार से लेकर के बीस हजार तक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो प्रस्तावित है। फैसला थोड़े ही हो गया है, यह तो प्रस्तावित है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रस्तावित है। अच्छा रहता कि वित्त मंत्रीजी उत्तर देते वक्त और जो रियायतों की घोषणा करते और हमारे प्रतिपक्ष की मांग पर इस जजिया कर को समाप्त करने की बात कहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके विचार का ख्याल रखेगें। माननीय दुर्गाप्रसादजी।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको परेशानी इस बात की है कि यह कल इस बात को लेकर के प्रचार करने वाले थे, वह प्रचार इनका पंक्चर हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा पंक्चर नहीं हुआ। पंक्चर तो आप लिखकर के वापस लौटे, यह पंक्चर आप हुए हो। यह कहो कि आपने यह...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो बैठ जाओ।

श्री चन्दन मल बैद : अब तक जितने भी प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन सब प्रस्तावों को मैं संशोधित कर सकता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमन्, तीन दिन पहले आपने जो भाषण 26 तारीख को रखा उसमें तो आपने माना और अब + + + स्थिति आपकी आयी है। क्या बात करना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा : दिल्ली में किसने + + + दिल्ली में किसने । पैट्रोल पर आपने पैसे बढ़ाये हैं और + + + दिल्ली में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह हड़बड़ाहट में बनाया हुआ बजट है इसलिए पूरे बजट प्रस्ताव को दुबारा से संशोधित करें। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुर्गाप्रसादजी, शुरू करिये आप।

श्री आर.पी.शर्मा : आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। आप जो कर रहे हो उसका तो आपको याद नहीं आता और जो दूसरे कर रहे हैं उसको आप याद रखते हो। दिल्ली में, केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने बजट में खाद में पैसे बढ़ाये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री आर.पी. शर्मा : पेट्रोल पर पैसे बढ़ाये और दूसरे दिन ही वापस ले लिये। वह किसने +++(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पंक्चर की बात नहीं है, यह बर्स्ट होने वाला है। और इतना बड़ा बर्स्ट होगा कि याद रखेंगे कांग्रेस के लोग... (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : 33 से नीचे भी जाने वाले है क्या ? 33 से नीचे जाने वाले है, क्या, बर्स्ट होगा तो ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ज्यादा खुशी मत मनाओ आप। आप इतने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, इतराओ मत। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भूल जाते हैं कि इतिहास बताता है कि बहुत सारी ऐसी बाते हुई हैं कि जब सैकण्ड वर्ल्ड वार के अन्दर चर्चिल ने जिताया था इंगलैंड को, उसके बाद क्या हुआ ? उनको हरा दिया। सैकण्ड वर्ल्ड वार में जिताने वाला भी हार सकता है। ऐसी बात नहीं है, आप ज्यादा खुश मत हो।

श्री दुर्गाप्रसाद(गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का एक निर्दलीय विधायक हूं। मैं किसी पार्टी पोलिटिक्स में नहीं पड़कर मैं रचनात्मक विरोध अथवा रचनात्मक सहयोग में विश्वास रखता हूं यदि सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा और यदि सरकार कोई गलत काम करेगी तो मैं उसकी आलोचना करूंगा। इसी भावना को मन में रखते हुए मैं आज इस बजट पर वाद–विवाद में भाग ले रहा हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने जो सन् 1999–2000 का बजट प्रस्ताव इस सदन के पटल पर रखा, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। बजट प्रस्ताव व्यवहारिक व विकासोन्मुख है व आम जनता को राहत देने वाले हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो बजट प्रस्ताव रखे गये हैं, उनसे बेहतर प्रस्ताव मैं सोचता हूं कि नहीं रखे जा सकते ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ माननीय सदस्य इस बात से रूष्ट हैं कि बिजली की दरें बढ़ायी गयी हैं। सिंचाई शुल्क बढ़ाया गया हैं हमारे कुछ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि किसानों को बिजली और पानी मुफ्त दिया जाना चाहिए। हमारे कुछ माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि खाद और बिजली किसानों को और भी अनुदानि रेट पर दिया जाना चाहिए। हमारे कुछ माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि गरीबों को अनाज दो रुपये किलो की दर से, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश में तेलगुदेशम पार्टी ने दिया है, उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। हमारे कुछ माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि गरीब लोगों को जो कर्जा

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

दिया जाता है वह कर्जा देने के बाद में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं जिस प्रकार हमारे माननीय सदस्य अव्यावहारिक रूप से सोचते है और मैं उनकी सोच को दाद देता हूं । हमारे कुछ माननीय सदस्य मान बैठे हैं कि सरकार के पास कुबेर का खजाना है या पूर्ववर्ती सरकार ने इस नई सरकार को धन,खजाना भरकर दिया है और उस खजाने से आज की वर्तमान सरकार गरीबों को दोनों हाथ से पैसा लुटा सकती है। सेवा कर सकती है। जब भी कोई बात का करारोपण की आती है तो हमारे माननीय सदस्य उबलने लगते हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है। देश में लोकतांत्रिक सरकार है और यहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश में शासन करते हैं। यह राजा—महाराजाओं का राज नहीं है। या किसी डिक्टेटर का राज नहीं है जो कि अपनी सुख—सुविधाओं के लिए जनता पर कर लगाते थे। अपने महल बनाने के लिए कर लगाते थे। अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाने के लिए कर लगाते थे। आज तो जनता के प्रतिनिधि जो कर लगाते हैं, जनता की सुख—सुविधाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए लगाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि इन सब बातों को जानते हुए भी हमारे कुछ माननीय सदस्य केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं जबकि रचनात्मक विरोध होना चाहिए। मैंने देखा है कि हमारे बी.जे.पी के कुछ माननीय सदस्य तो कसम खाकर आते हैं कि विरोध करना है। और हर बात पर विरोध करते हैं।

(15.00 बजे)

मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि सदन में बिना किसी बात को लेकर यहां हमारे बी.जे.पी. माननीय सदस्य झुण्ड के झुण्ड, जब चाहे खड़े हो जाते है और इस सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देते। जबकि, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह मानना है कि रचनात्मक विरोध होना चाहिये और रचनात्मक सहयोग होना चाहिये। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे बी.जे.पी. के माननीय सदस्य ऐसी आलोचना करने से, ऐसे वाद—विवाद करने से हमारी जनता की क्या सेवा करना चाहते हैं। यह जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और किसी प्रकार हमारे देश का विकास करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय सदस्यों को केवल यही कहूंगा कि इस सदन की गरिमा को बढ़ाते हुए और देश के हालात को देखते हुए रचनात्मक विरोध करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की दरों का सवाल है, मैं अपना रूख भी इस बारे स्पष्ट करना चाहता हूं। केवल बिजली के लिए तार गाड़ने से और तार बिछाने मात्र से बिजली की समस्या का निदान नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि बहुत से गांवों में हफ्तों तक बिजली नहीं आती। हमारे दांगिया के क्षेत्र में हफ्तों बिजली नहीं आती। किन्हीं-किन्हीं गांवों में बिजली आती है तो दिन में घंटे दो—घंटे आती है। यह भी पता नहीं पड़ता कि कब बिजली आयेगी और कब चली जायेगी। ऐसी बिजली आने से जनता को क्या

(श्री दुर्गाप्रसाद)

फायदा हो सकता है। (व्यवधान) अब मैं पहले आपकी प्रशंसा कर रहा था तो आप चुप थे। अब मैं कुछ कह रहा हूं तो आप नाराज हो रहे हैं। नाराज मत होइएगा। मैं निष्पक्ष बात कहूंगा। जो हकीकत है, वही मैं बयान कर रहा हूं। (व्यवधान) देखिए, आपकी बात कोई प्रशंसा की होगी तो मैं उसकी भी प्रशंसा करूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं निष्पक्ष राय व्यक्त करूंगा। मैंने पहले ही कह दिया आप नाराज हो तो हो लीजिएगा और खुश हो तो खुश हो लीजिएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था कि केवल लाइन के बिछाने मात्र से बिजली की लाइन, बिजली के तार बिछाने मात्र से बिजली की समस्या का निदान नहीं होता। अभी मैंने बजट में यह देखा है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है और कहा है कि इस साल 700 गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया जाएगा। इसी प्रकार यह कहा गया है कि 30 हजार कुओं में बिजली के कनेक्शन दिये जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन गांवों को इलेक्ट्रिफाई मत करिएगा। आप कुओं में नये कनेक्शन मत करिएगा। आप तो केवल इतना कर दीजिएगा कि जिन गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, वहां पर बराबर बिजली मिलती रहे। अन्सर्टेन, अनियमित बिजली देने से न तो किसान का भला होता है, न ही गांवों में कुटीर उद्योग–धन्धें पनप सकते हैं। न ही उस बिजली के भरोसे किसान का बच्चा पढ़ाई पढ़ सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले आप समुचित बिजली पैदा करने की योजना बनाएं। और फिर यदि बिजली बचती है तो फिर बचे हुए गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर दीजिएगा और गांवों में, कुओं में बिजली के कनेक्शन दिला दीजिएगा।

(15.03 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी,सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि पहले आप पावर स्टेशन स्थापित करें। इतनी बिजली पैदा करें कि जहां बिजली पहुंच गयी है वहां पर भरपूर बिजली मिले। फिर उसके बाद में नये स्थानों को बिजली मिलें। इसके लिये यदि टैक्स लगाये जाते हैं तो मैं सोचता हूं कि कोई अनुचित बात नहीं हैं।

सभापति महोदय, अब सिंचाई की बात मैं करूं। सिंचाई शुल्क के बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने भारी रोष प्रकट किया है। मैं इस बारे में निवेदन कर दूं कि जिन स्थानों पर नहरें पहुंच चुकी हैं, वहां पर किसान बहुत आराम से बिना ज्यादा पैसा खर्च करे अपने खेतों में पानी देते हैं। भरपूर पानी देते हैं और कुछ पानी को जाया भी करते हैं। उन स्थानों पर जहां पर कि किसान कुओं से पानी निकालकर अपने खेतों को पानी देते हैं, वहां उसे पानी देने के लिए बिजली के पेटे पैसा खर्च करना पड़ता है,डीजल के पेटे पैसा खर्च करना होता है। तो जो कुओं से किसान पानी लेकर अपने खेतों को पानी देते हैं, वहां पर उनको ज्यादा खर्च करना होता है और जहां नहरें हैं वहां पर किसानों को कम खर्च करना होता है। ऐसी स्थिति में यदि सिंचाई शुल्क नहरी इलाके के किसानों पर लगाया गया है तो मैं इसे अनुचित नहीं मानता । जरूरत तो इस बात की है कि जिन स्थानों पर नहरें नहीं गयी हैं वहां पर नहरों के जाल बिछाये जाएं और यदि इसके

(श्री दुर्गाप्रसाद)

लिए कोई शुल्क लिया जाता है तो इसे अनुचित नहीं कहा जाएगा। अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री सभापति : सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वे चाहते हैं आप अध्यक्ष महोदय बने।

श्री परसादी लाल मीणा : मदेरणा जी नहीं हैं, रामनारायण जी बैठे हैं।

श्री दुर्गाप्रसाद : आदरणीय सभापति महोदय, आने वाला समय जिस हिसाब से पलट रहा है और नई शताब्दी में हम आने वाले हैं। 21 वीं शताब्दी में हम थोड़े दिनों में पदार्पण करेंगे और 21 वीं शताब्दी साइंस और टैक्नोलाजी की शताब्दी होगी। यह शताब्दी सूचना, प्रौद्योगिकी की, इन्फोर्मेशन, टैक्नोलाजी की शताब्दी होगी। वह शताब्दी कम्प्यूटर और इंटरनेट की शताब्दी होगी। सभापति महोदय, यदि हमने समय रहते अपने बच्चों को कम्प्यूटर और इंटरनेट की जानकारी नहीं दी तो आप सच मानिए कि नई शताब्दी में विकसित देशों के साथ हमारे बच्चे खड़े नहीं हो सकेंगे। सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इंटरनेट या कम्प्यूटर की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बजट में इस ओर भी ध्यान देना होगा। यदि हमें समय के साथ चलना है तो हमें अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर महाविद्यालय तक इस कम्प्यूटर शिक्षा को देना होगा। मैं अपने आप में आज की तारीख में यह महसूस करता हूं कि मैं कम्प्यूटर का जानकार नहीं हूं और जब छोटे बच्चे कम्प्यूटर को चलाते हैं, तो हम मूकदर्शक की तरह से, एक बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति की तरह से उनके मुंह को ताकते रहते हैं। सभापति महोदय, कम्प्यूटर की ज्ञान होना नई पीढ़ी को बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें यदि इस बजट में कुछ प्रावधान करना है तो बेहिचक प्रावधान होना चाहिये मैं सोचता हूं कि सब बातें पैसे की कमी के कारण हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी(ओसियां) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बिलकुल सही फरमा रहे हैं और इनकी जो केन्द्र की सरकार है, आज राजस्थान में यह स्थिति है कि जयपुर में कम से कम इंटरनेट के कनेक्शंस की पेंडिंग लिस्ट पांच हजार से ऊपर है। आप अपने विपक्ष के नेता के गुड आफिसेज को यूज करिये और आपके टेली कम्युनिकेशन मंत्रीजी को फरमाइए कि राजस्थान के इंटरनेट के सब कनेक्शंस तुरन्त रिलीज हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भगवान के लिए पहले जो किसान कुएं पर कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसकी तरफ चिन्ता करिये। इंटरनेट की चिन्ता नहीं करें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सदस्य को अस्पताल में भर्ती करवा दें।(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें। प्लीज। प्लीज।

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि आज की माडर्न पढ़ाई के लिए धन की कमी अखर रही है। धन की कमी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री दुर्गाप्रसाद)

के कारण हम कम्प्यूटर की और इंटरनेट की व्यवस्था अपने विद्यालयों में नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। सभापति महोदय, कठोर निर्णयों में अनुदान है। अनुदानों को बिलकुल खतम करिये।

मेरा एक सजेशन है। मैं यह कहूंगा कि जो सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनको बिलकुल बंद करियेगा और उनको निजी क्षेत्र में दीजियेगा। आप कठोर निर्णय लीजिएगा और इसके साथ में मैं विरोधी पक्ष के साथियों से भी कहूंगा कि आप राजनीति को छोड़कर प्रैक्टिकल प्रोपोजिशंस की तरफ ध्यान दीजिएगा और अपने बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे बच्चे पीछे रह गये तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी। इस ओर आपको ध्यान देना होगा। यह असत्य राजनीति है। आप केवल राजनीति के लिए राजनीति मत करिएगा। विरोध के लिए विरोध मत करिएगा। आप प्रैक्टिकल सकारात्मक विरोध करें तो मैं सोचता हूं कि इस देश की सेवा करेंगे, आम जनता की सेवा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में 12.12.1996 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में माइनिंग लीजेज, जो माइन्स हैं, इस क्षेत्र की, इस राज्य की वह एक तरह से ठप सी पड़ गयी है। बड़े—बड़े माइनिंग माफिया, जिस प्रकार से दारू के माफिया होते हैं, जिस प्रकार से तस्कर माफिया होते हैं, उसी प्रकार माइनिंग के माफिया भी उभर रहे हैं। सरकार को इनकम नहीं मिल रही है। सरकार की रायल्टी खतम हो रही है और माइनिंग माफिया पैसे कमा रहे हैं।

सभापति महोदय, 12.12.96 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो एक तरफा + + + फैसला था कि आज फैसला हुआ, कल से लागू। एक ऐसा + + + फैसला था जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। खैर, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि 12.12.1996 के फैसले के अनुसार जितनी भी माइनिंग लीजें फोरेस्ट एरिया में चल रही थी, वे सब एक साथ एक आवाज के साथ बंद कर दी। सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि माइनिंग एरिया लिमिटेड एरिया होता है जो कि मैं सोचता हूं कि हमारी पूरी भूमि है उसका .004 परसेंट होगा। केवल उस माइनिंग एरिया में ही पेड़ लगाये जाने चाहिये क्या ? एक छोटा सा पिट है सौ फीट का, दौ सौ फीट का, पांच सौ फीट का। क्या उसमें ही पेड़ लगा करके हरियाली कायम की जा सकती हैं ? उस पिट को छोड़ कर पूरी जगह पड़ी हुई है, वहां पर पेड़ लगा लीजियेगा। कम से कम माइनिंग एरिया को तो छोड़ियेगा। माइनिंग नहीं रहेगी तो फिर इंडस्ट्रीज कैसे पनपेंगी ? देश में बेरोजगारी फैल जायेगी और सरकार की इनकम भी खतम होगी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिये और कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहिये कि 1980 से पहले की जितनी भी माइनिंग लीजेज हैं, वह फोरेस्ट एरिया से बाहर निकलनी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं फिर सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। नमस्कार।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगलजी काबरा।

श्री जुगल काबरा(जोधपुर शहर) : सभापति महोदय, वर्ष 1999–2000 के लिये माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका मैं समर्थन करता हूं।

जिस तरह के आर्थिक हालात पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश और देश में रहे हैं, जर्जर आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुए पटरी से उतरी हुई गाड़ी को पुनः पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्रीजी ने जो प्रयास किये हैं वे निश्चय ही सराहनीय हैं।

सभापति महोदय, पिछले वर्षों में जो नवीं पंचवर्षीय योजना बनी वो एक आशा और आकांक्षा के साथ बनायी गयी थी। इतनी बड़ी योजना बनने के बाद राजस्थान की जनता को यह अहसास हुआ था कि राजस्थान का द्रुत गति से विकास होगा। किन्तु योजना के शुभारम्भ के साथ ही पहले और दूसरे वर्ष में जो कटौती हुई, योजना की राशि में जो कमी हुई उससे इन सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया और जनता को यह महसूस होने लगा कि जो धनराशि नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित की गयी, उस पूरी समुचित राशि का इन पांच सालों के अन्दर उपयोग नहीं हो पायेगा। यह हम पिछले दो सालों के हालातों से देख रहे हैं किन्तु इस बार यह प्रयास किये गये हैं, तीसरी साल की वार्षिक योजना को कम नहीं होने दिया जाय। राजस्थान की नयी सरकार ने इसी भावना से संसाधनों पर अधिक जोर दिया है कि किसी भी तरह से हम अपने संसाधन जुटा कर के इन योजनाओं को पूरा करें और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनकी पिछले आठ दस सालों के अन्दर अवहेलना हुई हैं वे आवश्यकताएं हम पूरी करें।

सभापति महोदय, आजादी के बाद भूखा,नंगा राजस्थान मिला था किन्तु यह कांग्रेस की सोच थी कि जिसने एक सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हमारे इस प्रदेश में निर्मित किया जिसके कारण आज राजस्थान में चारों तरफ हम विकास की गंगा देख रहे हैं। जो आवश्यक सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिये थीं उसके लिए आधारभूत ढांचा ही हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ है। किन्तु पिछले वर्षों के अन्दर इस ढांचे को चरमरा दिया गया। जो निवेश किया जाना चाहिये था, जो आवश्यक सुविधाएं जनता के लिए जुटायी जानी चाहिये थीं, वे सारी छोड़ दी गयी किन्तु इस बार सरकार ने उन सभी बातों पर प्राथमिकता दी हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो और चाहे अन्य मौलिक,मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं हों, इन सब पर राजस्थान की सरकार ने ध्यान दिया है।

शिक्षा का हाल यह रहा, प्रारम्भिक शिक्षा पर पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहने को कहा जाता है कि विद्यालयों को खोला गया प्रारम्भिक क्षेत्र के अन्दर किन्तु वास्तविकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद कर दिया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा का जो अवमूल्यन पिछले आठ-दस सालों में हुआ है उसका हश्र हम देख रहे हैं। एक राजनीतिकरण किया गया शिक्षा का। एक विशेष विचारधारा से शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया गया। वह दुर्भाग्यपूर्ण था। राजस्थान का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हम धर्म–निरपेक्ष विचारधारा के अन्दर विश्वास करते हैं, भाईचारा और सद्भाव लेकर हम चलते हैं। हम सामाजिक सद्भाव और

(श्री जुगल काबरा)

धार्मिक सद्भाव के साथ में एक-दूसरे के रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं और शिक्षा भी हमारी जो पुरातन समय से चली आ रही है, आजादी के बाद में जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास था, हमारे कवियों और साहित्यकारों का इतिहास था, जिस शिक्षा के अन्दर वीर सेनानियों का इतिहास था, उस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। यह एक उचित कदम नहीं था। इसके साथ ही साथ शिक्षा के अन्दर जो भर्तियां की गयीं, उसके अन्दर भी जानबूझकर के एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए, उन भर्तियों के अन्दर प्रोत्साहित किया गया, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि शिक्षा के अन्दर जिम्मेदारी का अभाव हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में जो पिछले वर्षों के अन्दर नियुक्तियां हुई हैं, उन्होंने जिम्मेदारी से काम करना छोड़ दिया हैं। विद्यार्थियों के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं रह गया है। और शिक्षा के अन्दर जो विद्यालयों की स्थिति है, वह भी सोचनीय और दयनीय बनती जा रही है। पिछले आठ-दस साल के अन्दर विद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बदबूदार गंदगी भरे वातावरण के अन्दर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता रहा है। बैठने के लिए टाटपट्टी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया, रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। विद्यालय के अन्दर बालक समय पर आता है या नहीं आता है। अनुशासन है या नहीं है, शिक्षक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं और कई-कई जगह तो विद्यालयों के लिए इमारतों का भी प्रबन्ध नहीं किया गया। किन्तु नयी सरकार ने इन सारी बातों को देखा है कि जहां पर खुली छत के नीचे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां पर विद्यालय भवन निर्माण के लिए नये बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है। जहां विद्यालयों की चार दीवारी टूट गयी है, वहां विद्यालयों की चार दीवारी बनाने का प्रावधान किया गया है। जहां पर बदबूदार और सीलनदार कमरे हैं वहां हवा और रोशनी का प्रर्याप्त प्रबन्ध करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ फर्नीचर और टाट्पट्टी का प्रबन्ध करने के लिए, ब्लैक बोर्ड का इंतजाम करने के लिए नये बजट के अन्दर प्रावधान किया गया है । कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के ढांचे को सुधारने के लिए नयी सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है और यह प्रयास किया है कि हमारी जो नयी पीढ़ी है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है उन बालकों को, हम सही तरीके से शिक्षा दे और उसके लिए उचित वातावरण की आवश्यकता है। उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए बजट के अन्दर पर्याप्त ध्यान देकर यह कोशिश की गयी है कि हम बालकों को उचित तरीके से शिक्षा प्रदान करें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्रीजी ने अंग्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किया है। हमने पिछले वर्षों में देखा कि चाहे नगर हों या गांव हों, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कुकुरमुत्ते के छत्तों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हर गली-मोहल्ले में दो कमरे किराये पर लेकर अंग्रेजी माध्यम का बोर्ड लगा कर प्राइवेट स्कूलें चल रही थीं जिन पर फीस का कोई अंकुश नहीं था, मनमर्जी से फीस ली जा रही थी और शिक्षा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया था। किन्तु उसको किसी ने नहीं रोका। इस बात के लिए परिवार

(श्री जुगल काबरा)

के लोगों में, विद्यार्थियों के अभिभावकों में एक लालसा थी कि हमारे बालक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें, ताकि हम भी काम्पीटिशन में खड़े हो सकें। अच्छे परिवार के बच्चों के मुकाबले हमारे बच्चे किसी भी तरीके से अलग नहीं रहें, और हम भी उस प्रतिस्पर्धा में आगे आकर अच्छी नौकरी के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर सकें। इसी भावना से आज गरीब का बच्चा भी चाहता है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के अन्दर अध्ययन करें और उसका अभिभावक, उसके परिवार के माता—पिता अपना पेट काटकर उसको विद्यालय में भेजने का प्रयास करते हैं। किन्तु अगर सरकारी विद्यालयों का स्तर भी सुधर जाए, सरकारी विद्यालयों के अन्दर पर्याप्त सुविधाएं मिलने लग जाएं, सरकारी विद्यालयों के अन्दर भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध कर दिया जाए, पूरी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला जाए, हर विद्यालय, प्राथमिक शाला के अन्दर अंग्रेजी माध्यम का एक सेक्शन चालू कर दिया जाए, एक कक्ष चालू कर दिया जाए, तो बच्चें अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पहली कक्षा से उनको भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। और जो अभिभावक यह चाहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करके समाज के दूसरे जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महंगी फीस देकर पढ़ते हैं, उनके समकक्ष सरकार स्कूलों के अन्दर अंग्रेजी के माध्यम द्वारा मेरा बालक भी अध्ययन करे, इस मनोकामना की पूर्ति संभव हो सकती है। और इस ओर यदि हमारे शिक्षा मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी ध्यान देते हैं, मैं सोचता हूं इससे शिक्षकों का बोझ नहीं बढ़ेगा। जो शिक्षक अंग्रेजी में पारंगत हैं, उन शिक्षकों को यह दायित्व देकर अंग्रेजी को प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है।

इसी तरह से चिकित्सा सेवाओं के अन्दर पिछले सालों के अन्दर बहुत दुर्गति रही। हालात बहुत खराब रहे। चाहे गांव का अस्पताल हो या शहर का अस्पताल हो। हालात एक समान थे। बड़े—बड़े भवन बने हुए थे। उन भवनों के रख—रखाव की स्थिति शहरों में नहीं थी। गांवों के अन्दर भवन कई दानदाताओं ने बना दिये थे किन्तु वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, डाक्टर उपलब्ध नहीं थे। अगर डाक्टर्स थे तो उनके आवास की व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण डाक्टर्स गांवों में टिकते नहीं थे। ये सारे हालात बने हुए थे। इस स्थिति के ऊपर भी हमारी नयी सरकार ने ध्यान दिया है। प्रयास किया है कि चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर पर्याप्त सुधार हो और उसके लिए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट के अन्दर प्रावधान किया है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर जो बजटीय राशि बढ़ायी गयी है, जो खर्चा किया जाता था प्रति बिस्तर,वार्षिक, उसको बढ़ा करके 2400 रुपये से 4800 रुपया किया गया है। वास्तव में यह भी सराहनीय है। इतने कम खर्च के अन्दर किसी अस्पताल के अन्दर मरीजों को दवा दे पाना बड़ा कठिन काम था। उसको भोजन दिया जाता था। दस रुपया प्रति व्यक्ति, वह बहुत ही कम था

(श्री जुगल काबरा)

उसको बढ़कार 20 रुपया किया गया है। यह भी सराहनीय कार्य है। अगर हम मरीज की वास्तविक रूप से सेवा करना चाहते हैं, सही तरीके का भोजन दिलाना चाहते हैं इसके लिए हमें पर्याप्त सुविधा और उसके लिए सही तरीके के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के अलावा चिकित्सा के ऊपर जिस तरीके का ध्यान दिया गया उससे हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं के अन्दर काफी सुधार होगा। उसके लिए आवश्यकता है कि प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारा जाए। अस्पतालों की प्रबन्ध व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि आज भी अस्पतालों के अन्दर समय पर डाक्टर नहीं जाते। प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था जिस तरह से फैली हुई है, उस व्यवस्था को रोकने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसके साथ ही साथ जो दवाइयां उपलब्ध होती हैं, अस्पताल के अन्दर जितनी भी उपलब्ध होती थीं वह भी मरीजों को नहीं दी जाती थीं। खुले आम बाजार में बेच दी जाती थीं, उसके ऊपर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पिछले आठ–दस सालों के अन्दर जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था के जो हालात खराब हुए जिस तरीके से मरीजों के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर किसी दुर्घटना से ग्रस्त भी हो गया था और उस व्यक्ति को अपने घाव पर पट्टी बंधवानी होती थी तो इसके लिए उसको बाजार से पट्टी लाकर, रुई लाकर अस्पताल में जाकर पट्टी बंधवानी पड़ती थी। ऐसे बहुत विषम और बहुत ही दयनीय हालात अस्पताल के रहे थे। इसके ऊपर हमारे वित्त मंत्रीजी ने ध्यान दिया है कि चिकित्सा सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए जिससे कि हमारी चिकित्सा सुविधाएं उचित ढंग से ठीक हो सके। गांवों के अन्दर भी जो अस्पताल हैं, उनके अन्दर भी सुधार का वातावरण पैदा हो सके। इसके साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज हास्पिटल्स बनाने का प्रावधान किया गया है जिस तरीके से जयपुर के अन्दर दन्त चिकित्सालय बनाने की बात की गयी है, वह सराहनीय है। जो मेडिकल कालेजेज हैं उनके भी सुधारने का जो प्रयास किया गया है, वह भी सराहनीय है। और हायर एजुकेशन के अन्दर जो यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गयी है, वह भी सराहनीय काम है। यूनिवर्सिटीज की पिछले कई सालों से कई क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए मांग आती रही थी कि हमारे क्षेत्रों के अन्दर मेडिकल कालेजेज इंजीनियरिंग कालेजेज और यूनिवर्सिटी खोली जाएं। पिछले सालों के अन्दर सरकारों ने उच्च शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। प्रतिभाशाली छात्र प्रदेश के अन्दर से बाहर जाकर अध्ययन करते थे। कई जगह प्रदेश के बाहर जाकर छात्रों को कैपिटेशन फीस देकर एडमीशिन लेना पड़ता था किन्तु हमने अपने यहां पर संसाधन विकसित करने का कोई काम नहीं किया। नयी सरकार ने यह प्रयास किया है कि एक तरफ महाविद्यालय खोले जा रहे हैं,विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, विधि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, गर्ल्स कालेज खोले जा रहे हैं। इससे शिक्षा का एक वातावरण बनेगा। छात्रों को, बालकों को और विद्यार्थियों को अध्ययन का अवसर मिलेगा। टेक्निकल एजुकेशन के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक कालेज खोलने के लिए नयी सरकार ने प्रावधान किये हैं ताकि अच्छे इंजीनियर हमारे यहां पर तैयार होकर जा सके

(श्री जुगल काबरा)

और प्रदेश और राष्ट्र की सेवा कर सकें। टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से पालिटेक्निक कालेज के माध्यम से हमारे छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें । उन्हें दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा के लिए नहीं भटकना पड़े ये सारे प्रयास इस सरकार ने किये है। पिछली सरकारों ने कई बार वायदे किये। कई कस्बों के अन्दर बार— बार घोषणा की जाती थीं कि यह महाविद्यालय खोल दिया जायेगा। कई समारोह आयोजित किये जाते थे और उनमें यह बड़े— बड़े वायदे और घोषनाएं हो जाती थीं, किन्तु उनकी क्रियान्विति नहीं होने से आम जनता के अन्दर बहुत मायुसी होती थी। जोधपुर में भी विधि महाविश्वविद्यालय की घोषणा माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने प्रेस कांफ्रेंस में कर दी थी। आम जनता के बीच में उन्होंने वाहवाही लूट ली थी कि जोधपुर विधि विश्वविद्यालय खोल दिया जायेगा। किन्तु जब बजट पेश होता था तो उन्हें मायुस होना पड़ता था। मैं बधाई देना चाहता हूं नयी सरकार के मुख्य मंत्रीजी और विधि मंत्रीजी को, कि उन्होंने जनता की भावना को समझा और नया विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के अन्दर खोलने की घोषणा की है जिसके लिए दानदाता ने एक करोड़ दस लाख रुपया पिछले तीन साल से जमा करवा रखा था पूर्ववर्ती सरकार के कहने से फिक्स डिपोजिट के रुप में। उसको भी क्रियान्वित नहीं किया। किन्तु नयी सरकार ने इस काम को करके जोधपुर के अन्दर जो कि राजस्थान की हाईकोर्ट की प्रमुख बैच है वहां पर विधि विश्वविद्यालय खोलकर लीगल एजुकेशन को बढ़ावा देने का जो काम किया है, उसके लिए नयी सरकार बधाई की पात्र है। और जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस सरकार ने चाहे पेयजल की आपूर्ति की बात हो, चाहे नगरीय सुविधा की बात हो, चाहे सीवरेज लाइन की बात हो या अन्य सुविधाएं जो कि नागरिक क्षेत्रों के अन्दर नगरीय क्षेत्रों के अन्दर उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किये हैं। उसके लिए यह सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। नगरों की स्थिति पिछले दिनों में पिछली सरकार के राज के दौरान जिस तरीके से बिगड़ी थी, जो गन्दगी पैदा हुई थी, न पीने का पानी मिल पा रहा था, न अच्छा पेयजल मिल पा रहा था और न पर्याप्त पेयजल था। कई योजनाएं बनायी गयी थीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर कांग्रेस शासन के अन्दर इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल योजना की घोषण की गयी उसका काम कांग्रेस के शासन के अन्दर चालू कर दिया गया किन्तु जब राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आयी, जानबूझकर के इस काम को विलम्बित किया गया ताकि जोधपुर के प्यासे लोगों की प्यास नहीं बुझ सके। जैसे—तैसे जनता के दबाव के कारण कांग्रेसजनों के धरने के कारण सरकार को मजबूर होकर इस योजना को पूरा करना पड़ा। किन्तु योजना छह साल विलम्बित हो गयी और इस योजना की पूर्ति के साथ जो अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी,चाहे फिल्टरेशन प्लांट की बात हो, चाहे ओवर हैड टैंक्स की बात हो और चाहे पाइप लाइन्स बदलने की बात हो, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज जोधपुर के अन्दर

(श्री जुगल काबरा)

काफी बड़ी संख्या में ओवर हैड टैंक्स बनाये जाने की आवश्यकता है, पाइप लाइन्स बदलने की आवश्यकता है। जोधपुर में पर्याप्त पानी लिफ्ट कैनाल के द्वारा पहुंच रहा है। किन्तु फिर भी आज जोधपुर के लोग प्यासे हैं उसका कारण है कि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं किया गया। पाइप लाइनें नहीं बदली गयी। ओवर हैड टैंक्स नहीं बनाये गये। जल शुद्धिकरण संयन्त्र नहीं लगाये गये। और इस कारण आज कई एक क्षेत्र हैं जहां महीनों तक पानी नहीं पहुंचता। कई एक क्षेत्र हैं जहां पर गंदा पानी आज भी जा रहा है। बी.जे.पी. राज के अन्दर जो पी.वी.सी. पाइप लाइन खरीदी गयी थी, वह घटिया किस्म की थी। आज वह तड़क गयी है। उनके अन्दर गन्दा पानी रिस करके जा रहा है जिसके कारण गन्दे पानी की आज पूरे शहर के अन्दर आपूर्ति हो रही है। पीलिया और अन्य कई तरह के गम्भीर किस्म के रोग फैल रहे हैं किन्तु पिछली सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी नयी सरकार और नये वित्त मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है कि पेयजल की आपूर्ति के लिए पूरा ध्यान रखा जाए और जहां कहीं भी चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, पेयजल आपूर्ति का पर्याप्त प्रबन्ध किया जाए ताकि जो लोग वर्षो से प्यासे बैठें हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि हमें पानी मिलेगा, जिन्हें उम्मीद थी कि नहरें बन जाने के बाद, लिफ्ट कैनाल बन जाने के बाद इस तरह की योजनाएं बनायी जाएगी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी पानी की समस्या दूर होगी। जोधुपर के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर भी पेयजल योजना के लिए जो योजनाएं बनायी गयी हैं, उससे मैं आशा करता हूं कि आसपास के इलाकों के अन्दर अब पेयजल का संकट दूर होगा। आम जनता को जो पेयजल का संकट, जहां खारा पानी था या जहां 300—400 फुट गहरा पानी था उन क्षेत्रों के अन्दर भी अब साफ और स्वच्छ पानी मिल सकेगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के अन्दर ऊर्जा की स्थिति गंभीर शुरू से बनी हुई है। पिछली सरकार ने ऊर्जा की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसके कारण कल कारखाने भी बंद हुए और किसान भी परेशान रहा। इस स्थिति पर हमारी नयी सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने कार्य भार ग्रहण करने के साथ ही साथ मंत्री—मंडलीय उप समिति बनाकर यह प्रयास किया है कि जो भी प्रस्ताव आए हुए थे, पिछली सरकार ने निजी क्षेत्रों से ऊर्जा उत्पादन के लिए इन पर विचार विमर्श करके ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर उत्पादन का काम प्रारम्भ करवाया जाए, किन्तु अफसोस की बात है कि पिछली सरकार ने जितने भी समझौतें किये उनमें से केवल दो तीन पार्टियां ही सीरियस रही बाकी सारे लोग भाग खड़े हुए। और उनके द्वारा जो समझौते किये गये, जो आशय पत्र हस्ताक्षरित किये गये, वह सारे बेमानी हो गये। और आज भी जिन लोगों ने हां भरी है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे लोग भी ऊर्जा के उत्पादन के अन्दर आगे किसी तरह से काम करते रहेंगे।

जोधपुर में सौर ऊर्जा के द्वारा बिजलीघर लगाये जाने की पिछली सरकार ने घोषणा की थी किन्तु उसकी भी क्रियान्विति नहीं हुई। आज भी वहां पर चारदीवारी बना कर,एक चौकीदार जरूर खड़ा हुआ है। उसका उद्घाटन जरूर

(श्री जुगल काबरा)

कर दिया गया किन्तु ऊर्जा के उत्पादन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। आज नयी सरकार ने सूरतगढ़ में द्वितीय चरण लगाकर के ऊर्जा के उत्पादन का जो प्रयास किया है, वह सराहनीय है। इसके साथ ही तीसरे और चौथे चरण के लिए भी जो प्रयास किये जा रहे हैं, राजस्थान के अन्दर एटोमिक पावर हाउस के द्वारा बिजली का उत्पादन का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों के अन्दर राजस्थान के अन्दर बिजली की स्थिति में सुधार होगा। अभी बिजली का संकट है फिर भी सरकार ने किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया कि किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाए। चाहे हमें बिजली के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़े। नयी सरकार ने इसके लिए प्रावधान भी किया है कि बिजली पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध करवायी जाए। और इसके लिए रोजना एक करोड़ रुपया खर्च करके भी किसानों को बिजली दी जा रही है। वह निश्चय ही सराहनीय है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से ऊर्जा के उत्पादन के लिए नयी सरकार गम्भीरता से काम कर रही है और उसी तरीके से नये क्षेत्रों के अन्दर भी बराबर यह प्रयास किया जाएगा।

किसानों के लिए जो कृषि की अन्य सुविधाएं बढ़ाने की बात की जा रही हैं, सिंचाई के क्षेत्र के अन्दर जो प्रयास किया जा रहा है, पशुपालन के क्षेत्र अन्दर, सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर जो प्रावधान किये गये हैं वह सारे प्रावधान निश्चय ही सराहनीय है। हम आशा करते हैं कि इन प्रावधानों के जरिये नयी सरकार राजस्थान की जनता को यह सन्देश देना चाहती है कि राजस्थान की सरकार वाकई संवेदनशील सरकार है। राजस्थान की सरकार ने संवेदनशीलता का केवल नारा नहीं दिया है, जवाबदारी का केवल नारा नहीं दिया है, उत्तरदायी सरकार, संवदेनशील सरकार होने का बजट के अन्दर प्रमाण दिया गया है। सरकार ने जिस तरीके से मानवीय मूल्यों की रक्षा की कोशिश की है, जिस तरीके से स्वतन्त्रता सैनानियों का सम्मान करके उनका मानदेय बढ़ाया है, वृद्ध और अशक्त लोगों का मानदेय बढ़ाने की, पेंशन बढ़ाने की जो योजना बनायी गयी है उससे इस बात का अहसास होता है कि नयी सरकार ऐसे लोगों को पर्याप्त राहत देने की कोशिश करेगी।

मूक बधिर विद्यालय के अन्दर नयी सरकार ने आने वाले इस वर्ष के द्वारा यह प्रयास किया है कि पूरे तरीके से इन विधालयों का खर्चा सरकार वहन करे। यह इस बात का प्रतीक है कि यह सरकार मानवता के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर के गरीबों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही है ताकि विधवाओं, असहायों, गरीबों, पीड़ितों, इन लोगों को जो पेंशन दी जाती थी, उसकी राशि बढ़ा करके हमने नयी सरकार के माध्यम से जनता के अन्दर वह अहसास कराने की कोशिश की है कि राजस्थान की सरकार जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जो प्रयास किये गये हैं, वह निश्चय ही सराहनीय हैं। किन्तु संसाधन जुटाने के लिए जो कोशिश की गयी है, उसके लिए भी मैं माननीय वित्त

(श्री जुगल काबरा)

मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि संसाधन व्यवहारिक होनी चाहिए, हमारा यह किसी तरह से तात्पर्य नहीं होना चाहिए कि जो कुछ एक दफा कह दिया गया है हम उसके ऊपर किसी तरह से अड़े रहे।

आज व्यपारिक क्षेत्र के अन्दर विक्रय कर को लेकर कई तरह की चर्चा हैं। कई ऐसे उत्पाद है जिनका विक्रय कर पड़ौसी राज्यों के अन्दर कम है। तो हमें भी व्यवहारिक तरीके से विक्रय कर लागू करना चाहिए। दिल्ली के अन्दर जिस तरीके की कर प्रणाली है, हरियाणा में जिस तरीके की कर प्रणाली है, गुजरात में जो कर प्रणाली है उस तरह की कर प्रणाली हमें भी हमारे यहां लगानी चाहिए। हमारे यहां कई जिंसों के अन्दर कृषि उपज मण्डी टैक्स लगता है। पास पड़ौस के राज्यों में इस तरीके से टैक्स नहीं लगाते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, देशी घी का कर बढ़ाया गया है जिसके ऊपर कृषि उपज मण्डी शुल्क भी लगता है जो कि बहुत अधिक हो जाता है। आपने तेलों और दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थो के शुल्क में कमी की है किन्तु दूसरी तरफ देशी घी के विक्रय कर में बढ़ोतरी की है। जबकि पास पड़ौस के राज्यों के अन्दर इस तरह का ज्यादा कर नहीं है। प्लास्टिक के सामान में भी आपने विक्रय कर में बढ़ोतरी की है किन्तु पास पड़ौस के राज्यों में वहां का विक्रय कर कम है। तो हमें इन बातों को देखना चाहिए कि हमारे यहां किसी तरीके से, गलत तरीके से व्यापार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिले। इसी तरह से वाइंडिंग वायर के लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि आपने उनके कर को भी बढ़ा दिया है जबकि पिछले सालों के अन्दर बिजली के सामान के सभी करों को कम किया गया था। आपने अपने अन्य सभी आइट्म्स को तो बिजली के कम कर के साथ में रखा है, किन्तु वाइंडिंग वायर का विक्रय कर बारह प्रातिशत कर दिया है जो कि सैल्स टैक्स सरचार्ज के साथ बढ़कर बहुत अधिक हो जाता है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि सैल्स टैक्स के सभी आइट्म्स को पूरी तरह से देखे। आस पड़ौस के राज्यों के अन्दर जिस तरीके का विक्रय कर लगता है, उसी तरीकें का हम अपने यहां पर विक्रय कर लगाएं ताकि गलत और कालाबाजारी करने वाले लोगों को या गलत तरीके का व्यापार करने वाले लोगों को किसी तरीके का प्रोत्साहन नहीं मिले।

चैक पोस्टों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि जो लोग गलत व्यापार करते हैं, उनको रोका जा सके। और इसके लिए आपने प्रावधान किया है। संकेत दिया है कि नये चैक पोस्ट लगाकर के हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने चुंगी हटाने का एलान किया था। निश्चय ही सराहनीय काम था क्योंकि यह उनका वायदा था, बहुत लम्बा वायदा। सरकार ने अपने आखिरी समय में इस तरह के वायदे की पूर्ति की, किन्तु समाचार पत्रों और सभी लोगों से यह जानकारी मिली कि जिस तरीके से सरकार ने इस सदन के अन्दर यही वायदा किया और उसके तीन घंटे बाद ही उन्होंने सैल्स टैक्स, सरचार्ज कर लगाकर के जनता के साथ में जिस तरीके का विश्वासघात किया वह उचित नहीं था। चुंगी

(श्री जुगल काबरा)

हटाने की बात का तात्पर्य यह था कि चुंगी पूरी तरह से मुक्त की जाती और सैल्स टैक्स के ऊपर सरचार्ज पिछली सरकार ने जिस तरीके से लगाया, आज वे ही लोग प्रवेश कर का विरोध कर रहे हैं। जब एक तरफ संसाधन जुटाने की बात है। व्यवहारिक तरीके से मिल बैठ करके पक्ष और विपक्ष को राजस्थान के विकास के लिए टैक्स लगाने की बात करनी होगी। खास बात के ऊपर अड़ने या जिद करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जिन जिन्सों के ऊपर, जिन क्षेत्रों के ऊपर कम कर है, उस कर को ठीक किया जाये। जहां कर अधिक है, उस कर को कम किया जाये ताकि व्यवहारिक तौर पर हम हमारे प्रदेश के लोगों को सही तरीके से उनके ऊपर टैक्स लगा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी और हमारी सरकार में बैठे हुए नुमाइन्दे हमारे सुझाव, जो सदन में प्रकट किये गये, उन सुझावों को और आम जनता भी जो—जो ज्ञापन दे रही है, आम जनता जो भावनाएं प्रकट कर रही है, अर्थशास्त्री जो बात कह रहे हैं, उन पर गहन चिन्तन—मनन करके यह प्रयास करेंगे कि हमारा यह बजट संतुलित रहे, व्यवहारिक रहे और हम विकास की गति को आगे बढ़ा सके और जनता के ऊपर कम से कम बोझा लाद करके इस बजट को जनता को प्रस्तुत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बजट का समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय कटारियाजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि जब चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने इन्टरवीन किया था तो आपने फरमाया था कि आप यह व्यवसाय कर इनकम टैक्स पेईज पर लगायेंगे। लेकिन जो एग्जम्प्शन लिमिट है इनकम टैक्स की, और 5 हजार से ऊपर जो आपको टैक्स है, उसमें काफी अन्तर है। उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर 5 हजार तक पर आप लगायेंगे, इनकम टैक्स एग्जम्प्शन लिमिट 30 हजार के ऊपर है तो उस बीच वालों का क्या होगा। यह बात, आप चाहें जब उसका क्लेरिफिकेशन दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी जवाब दें इससे पहले मैं एक चीज वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह डिबेट चल रही है, यह आपसी वार्तालाप, यह कौनसे, किस नियम के तहत है। कोई नियम ऐसा नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डिबेट तो चालू है, वित्त मंत्रीजी इन्टरवीन कर रहे हैं, हमें थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। मैं एक मिनट यह पूछना चाहता हूं कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य कोई ऐसा नियम नहीं है कि बीच में आपको इजाजत दे सकूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाटीजी का नियम था वही नियम है।

श्री सभापति : माननीय श्री कटारियाजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था हमारे सामने वह बिल है जिस बिल के द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यवसाय कर लगाया उसमें तो संशोधन हुआ नहीं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्रीजी सबको जवाब दे देंगे खड़े होकर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने कह दिया कि जो इनकम टैक्स पेई हैं, उन पर ही टैक्स लगाया है।

श्री सभापति : अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आपने अपनी बात कह दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल बात नहीं होगी। आपने उत्तर दिया नहीं, इससे पहले ही आपने संशोधन किया नहीं। आपने जो दिया वही बिल हमारे पास है।

श्री सभापति : कल आप बहुत बोल चुके हैं माननीय सदस्य। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, इस शताब्दी का यह अन्तिम बजट है और इसके बाद 21 वीं सदी में हम प्रवेश करेंगे और इस बजट को बनाने के पहले राजस्थान का जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया और उसकी छाया में आप बजट प्रस्तावों को लेकर माननीय वित्त मंत्रीजी सदन में आये। मुझे आपसे इतनी ही बात का निवेदन करना है कि यह जो, जिस बात को लेकर कि राजस्थान बहुत कर्जदार हो गया और आपने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि 23 हजार 655 करोड़ रुपये के घाटे में है। कर्ज हमने ले रखा है। रिजर्व बैंक कहता है कि नहीं राजस्थान का जो टोटल कर्जा है वह 20 हजार 655 करोड़ है। अब यह एक ऐसा फिगर है कि यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। इसमें कोई कमी खामी रही है कि रिजर्व बैंक जो अपना आंकड़ा दे रहा है वह सही है या समय–समय पर आपने जो हमको रिकार्ड उपलब्ध करवाया, उनका टोटल करने के बाद कर्जा 20 हजार 655 करोड़ आता है और आप अपने इस बड़े डाक्युमेंट, जो इस शताब्दी के अन्तिम डाक्युमेंट के रूप में जा रहा है, उसमें आपने 23 हजार 32 करोड़ बताया है. इसमें सही क्या है। कम से कम इतनी बड़ी बात सम्पूर्ण देश में जायेगी कि राजस्थान के इस सदन में जो बजट रखा गया है और उस बजट में जिस बात को कहा है, इन दोनों के आंकड़ों में जो अन्तर है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर आंकड़े सही हैं या राजस्थान के इस सदन में रखे हुए आंकड़े सही हैं। इन आंकड़ों के बारे में जरूर हमें इसमें कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जो सत्यता है उसमें सुधार लाना चाहिए। नहीं तो सम्पूर्ण...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । जारी रखें भाषण।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : आप बात कर लो।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उसकी व्यवस्था सभापति महोदय देंगे, आप और आपके नेता नहीं देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि एक बहुत बड़ा प्रश्न इस राजस्थान के वित्त बजट के ऊपर आ गया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह कोई छोटे–मोटे विषय की बात नहीं है। सवाल यह है कि रिजर्व बैंक कहता है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो क्या हुआ । आप आपस में कन्सल्ट नहीं करते हैं क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कह रहा हूं। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं तो जो विषय है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ऐसा है कि आपसे तो छोटा ही हूं। आपसे तो छोटा इसलिए हूं कि जितनी आपने व्यवस्था खराब की ना शिक्षा की उतनी किसी और शिक्षा मंत्री ने नहीं की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई बात नहीं। आपके पास सरकार है आप इसका सब हिसाब किताब चुकता कर देना। मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

डा. किरोड़ीलाल : हम भाटी जी को उसी जगह देखना चाहते हैं। हमारी अभिलाषा है कि भाटी जी वहां बैठ जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : किरोड़ी लालजी, मैं उस दिन आ जाऊंगा जब आपके नेता ने 34 केसेज मेरे पर लगाये हैं ना, उसमें एफ.आर. या उसमें चालान पेश हो जायेगा मेरी सरकार से । उसके बाद ही मैं उधर आऊंगा... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं इस बिन्दु के ऊपर आपका ध्यान जरूर चाहूंगा कि क्योंकि यह हमारा बजट डाक्युमेंट है और दोनों के आंकड़ों में भारी अन्तर है। वह कहते हैं 20 हजार 655 करोड़ का कर्जा है और आपका डाक्युमेंट कहता है कि 23 हजार 532 करोड़ का घाटा है। कौन सही है इसके बारे में आप जरूर आगे कहें। मैं एक बात नहीं समझ पाया हूं कि वित्त मंत्रीजी बड़ी बात करते हैं। लेकिन 1201 करोड़ रुपया और 83 लाख रुपये का जो पिछला घाटा था, इस पिछले घाटे को,आखिर आपने किस रूप में पिछले घाटे की पूर्ति की बात कही। आपने केवल यह कह दिया कि चालू वित्त वर्ष में इस अन्तिम घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु फिलहाल राजस्थान सरकार द्वारा कोई उपाय प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हैं तो यह किसके भरोसे है आपने कहा केन्द्र सरकार के भरोसे है। तीन महीने में इसका अतापता लगेगा। मान लो इन तीन महीने में घाटे को नहीं चुकाया गया तो आपका यह घाटा जो है, जो आपने 601 करोड़ रुपये दिखाया, वह 601 करोड़ रुपये में यह 12 सौ जोड़ने की स्थिति आयी तो क्या स्थिति बनेगी। मैं समझता हूं अब तक कभी इस तरह से छोड़ा नहीं गया। जो वस्तु स्थिति है, घाटा है तो है। उसमें बताने में किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्रीजी आप हमेशा बहुत भाषण देते थे तब इस बात का बड़ा विश्लेषण करते थे। राजस्व प्राप्तियां तो 10 हजार करोड़ की हैं और राजस्व व्यय 13556 करोड़ है। इसका मतलब 3391 करोड़ का राजस्व घाटा है। यह अब तक का 50 वर्ष में सबसे बड़ा राजस्व घाटा आपने छोड़ा है यह किस बात को इंगित करता है और आपने बड़ी चतुराई से मतलब किस तरह से इस बात को 601 करोड़ रुपये का घाटा लाने का प्रयास किया। आपने पूंजीगत प्राप्तियां 7195 करोड़ और पूंजीगत व्यय आपने घटा दिया और व्यय को घटाकर 4405 करके आपने इसको बैलेन्स करने की कोशिश की। पिछली बार का बजट अपना स्वयं का पढ़ना, जब आपने यहां बजट का विरोध किया ना, तो इसी बात को बहुत जोर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जोर से +++ कहा था कि यह बेइमानी है। बेइमानी है तो अब क्या है ? यह उस समय बेइमानी थी तो आज की तारीख में यह क्या है ? मैं चाहता हूं कम से कम इस बात को अगर वास्तव में घूम फिर करके चक्री वहीं आनी है, तो फिर आलोचना करने का आपका उस दिन का हक ठीक नहीं था। दोनों में से कोई एक है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य के कथन को +++ कहने की बजाय थोड़ा सही रूप में कहना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जोर जोर से, बड़े दबाव से।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री सभापति : असंसदीय नहीं है तो शोभनीय भी नहीं है। एक माननीय सदस्य के लिए यह कहा जाये कि यह जो कुछ कह रहे हैं +++ यह शोभनीय नहीं है।

श्री अमराराम(धोद) : फिर बेइमानी को क्या कहेंगे। यह कह रहे हैं इनकी बेइमानी थी तो फिर उनकी महा—बेइमानी को क्या लिखायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, 601 करोड़ का जो घाटा था, इस घाटे की पूर्ति के लिए आपने प्रयास किया। और 762 करोड़ की आय के साधन आपने ढूंढे हैं, उसमें से तीन सौ करोड़ रुपये का घाटा, कुछ जमीन बेचेंगे और कुछ हमारी एग्रीकल्चर लैण्ड को हम आबादी में परिवर्तन करेंगे, उससे हमको 2 सौ करोड़ मिलेगा। मैं समझता हूं कि उसके बाद जो 462 करोड़ का वसूल करने का प्रयास किया, मैं सोचता हूं कि टैक्स लगाने के और कई स्थान हो सकते हैं जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है। मैं उसकी चर्चा तो आगे करूंगा। लेकिन आपने यह तो 462 करोड़ का टैक्स लगाया है इसके और कोई रास्ते भी हो सकते थे जिससे कम से कम सामान्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, गरीब प्रभावित नहीं होता। अभी राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है कि जिसमें से हम टैक्स को प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य व्यक्ति को बार—बार आपने अपने श्वेत पत्र में दिया, दीवालिया निकाल दिया राजस्थान का। राजस्थान तो दिवालिया हो गया। राजस्थान दीवालिया नहीं हुआ। आपके ही आंकड़ों से और आपकी किताब के आंकड़ों से राजस्थान देश में पहले 8 राज्यों में शामिल हुआ है इन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में। सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान ने अपना आठवां स्थान बनाया है। गुजरात नम्बर एक पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान का सकल घरेलू उत्पादन है 5.58 परसेंट। इसी तरह से अगर हम सब आंकड़ों को झुठलाकर केवल अपनी बात को थोपने का प्रयास करेंगे और सारे देश में यह कह देंगे कि राजस्थान दीवालिया हो गया, इससे राजस्थान का भला नहीं होगा। हम दीवालिया भी होते हैं तो भी घर में ढांपकर चलते हैं तब कहीं धंधा पानी करते हैं और दुकान पर दो पैसा कोई देता है कर्जे का। अगर पहले से ही हम कहें, मैं दीवालिया हूं, फिर कोई दुकान के लिए कर्ज देगा क्या ? फिर कोई फैक्टरी के लिए उधार देगा क्या ? हमने राजस्थान को दीवालिया डिक्लेयर करके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आने वाले सब जो इंवेस्टमेंट करने वाले हैं, उन सबको रोक दिया। यह हमने राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया। राजस्थान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इसके कारण से राजस्थान का विकास अगले दो, तीन सालों में आप देखोगे कितना पिछड़ेगा। राजस्थान को हम किस स्थिति में लाये थे। आपने एक बात कही कि यह तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गयी है, लेकिन जो इकोनोमिस्ट हैं वह यह कहते हैं कि आर्थिक स्थिति उस राज्य की सबसे खराब मानी जाती है जिस राज्य को जितना भी खर्चा है और उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है । अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स 50 परसेंट से ज्यादा है तो उनको दीवालिया राज्य नहीं कहा जा सकता। राजस्थान आज की तारीख में दीवालिया राज्य नहीं है। दीवालिया राज्य तो राजस्थान से पहले उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार है जिनका 50.5 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति, मतलब एक तरह से कर्जा ज्यादा है और राजस्व की प्राप्ति नहीं है। राजस्थान तो आज की तारीख में भी 50.8 परसेंट यानि उसकी राजस्व की प्राप्ति है, उसको हम यह कहें कि यह दीवालिया हो गया तो मैं सोचता हूं कि आप किस आधार पर कहते हैं। अर्थशास्त्री इस बात को कहता है, इसको दीवालिया स्टेट के रूप में नहीं कहा जा सकता और आपने केवल अपने टैक्स लगाने की इच्छा को इसी तरह से प्रतिपादित करने के लिए आपने इस विषय को उठाकर राजस्थान के साथ न्याय नहीं किया। श्रीमान् कर्जे की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो राजस्थान का जो कर्जा है वह हिन्दुस्तान के राज्यों में छठे नम्बर पर है, सातवें नम्बर पर मध्य प्रदेश कर्ज की दृष्टि से है। मैं सोचता हूं कौनसा राज्य कर्जा नहीं लेता है। उत्तर प्रदेश ने कर्जा ले रखा है 47 हजार करोड़ का, महाराष्ट्र ने ले रखा है 30 हजार करोड़ का, पश्चिम बंगाल ने ले रखा है 27 हजार करोड़ का, बिहार ने ले रखा है 23 हजार करोड़ का, आंध्र ने ले रखा है 22,800 करोड़ का, राजस्थान ने ले रखा है 20,655 करोड़ का और मध्य प्रदेश ने ले रखा है 20,178 करोड़। तो क्या कर्जा लेना गुनाह है ? कर्जा लेकर के भी यदि विकास किया जाए तो मैं सोचता हूं कि उस कर्जे के प्रति इतना दुराग्रह होने की जरूरत नहीं है, और कर्जा आपने नहीं लिया। आपने तो कर्जा ऐसा लिया कि आज तक राजस्थान ने कभी लिया ही नहीं। आपकी प्लान जो है, इस बार का जो बजट है, वह तो 5022 करोड़। आज दिन तक कभी ऐसा हुआ है कि जो कुछ हमने बजट पेश किया उस बजट से ज्यादा हमने कर्जा लिया हो। यह पहली बार है 50 साल में आपने किया। और इसके बाद भी आप कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपने इस कर्जे के आधार पर कर्जा होना स्वाभाविक है। यह जो कर्जा हुआ है, इस कर्जे को न आप टाल सकते हैं, न हम टाल सकते थे। क्या आप इस कर्जे को टालने के लिए 93–94 में, 95–96 में, 96–97 में राज्य कर्मचारियों को अंतरिम राहत की राशि जो हमने प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपये दिया, इसको ना कर सकते हैं ? इसको नहीं दी जा सकती ? यह देना अनिवार्य था जिसको दिया। यही नहीं अतिरिक्त बोनस के रूप में हमने 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमको देना पड़ा। क्या इसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप ना कर सकते थे इस कर्जे को कि हम नहीं लेंगे ? क्या आप इस बात को नहीं कर सकते थे कि 98—99 में जो पांचवां वेतन आयोग हमने दिया और राज्य कर्मचारियों के साथ जो समझौता था, उसके तहत हमने 1985 करोड़ रुपया तो पहले दिया और 1250 करोड़ रुपया प्रति साल का, हमने जो यह भार वहन किया, क्या इसको किस तरह से करते, हम किस आधार पर बिना कर्जा लिये हुए क्या यह संभव था ? जिस संभव को आप टाल नहीं सकते। यही नहीं श्रीमान्, आपको इस कर्जे के लिए जो बढ़ा है उसका कारण भी ढूंढ़ना चाहिये। आपने बात को छिपाने की कोशिश की। राजस्थान के ऊपर जो कर्जा था 1986 तक हमको जो ब्याज देना पड़ता था, वह केवल 6.4 प्रतिशत देना पड़ता था। और इसके बाद 91 के बाद इस ब्याज की दर को बदला और बदलने के कारण से 9.2 प्रतिशत ब्याज देने की स्थिति आयी और आज हमारी ब्याज की रेट क्या हो गयी ? आज हमारी ब्याज की रेट हो गयी 12.7 प्रतिशत हमको ब्याज, देना पड़ेगा। यह जो ब्याज की रेट बढ़ गयी, क्या इसको आप ना कर सकते थे ? क्या इसको आप टाल सकते हो कि हम यह नहीं देंगे। हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि जिनके कारण से हमको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसको केवल यह कह कर टालना कि ऐसा कर दिया, मैं सोचता हूं नहीं। मुझे आज यह कहते हुए श्रीमान्, बहुत प्रसन्नता है, यानि जिस पूर्ववर्ती सरकार को बदनामी करने की कोशिश की कि इन्होंने डूबो दिया, इन्होंने यह कर दिया, मैं अब अपने आंकड़े रख रहा हूं। यह मेरे आंकड़े नहीं, यह आपके द्वारा दिये हुए आंकड़ों के आधार पर है। हमने इन 8 सालों में राजस्थान को विकास की दृष्टि से जहां से उठाकर के हमने आगे पहुंचाया उसका वर्णन आप सुनिये। आपने 89—90 में राजस्थान में पंचवर्षीय योजना का जो आकार था, उसमें सम्पूर्ण देश में हमारी स्थिति क्या थी ? ग्यारहवां नम्बर था। आज हमारी स्थिति कौनसी है। हमारी स्थिति पांचवीं है। पांचवां स्थान हमने प्राप्त किया। हमने अपनी पंचवर्षीय योजना के आकार के रूप में, क्या कोई गुनाह किया ? क्या हमने राजस्थान को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया ? साक्षरता के प्रतिशत में हम 16 वें स्थान पर थे, अंतिम से एक ऊपर और उसकी जगह आज की तारीख में हम 13 वें स्थान पर आ गये सारे राज्यों के बीच में। क्या कमी की हमने ? यही नहीं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान 89—90 में 13 वें स्थान पर आता था राज्यों की गिनती में, आज हम 10 वें स्थान पर आते हैं, क्या हमने कोई कमी की ? खाद्यान्न पैदावर की दृष्टि से राजस्थान का पांचवा स्थान है हिन्दुस्तान में। क्या हमने कोई कमी की ? यहीं नहीं, खाद के उपयोग की दृष्टि से राजस्थान का 16 वां स्थान था आज 13वां स्थान है। तिलहन की पैदावार की दृष्टि से पांचवां था, आज हमारा तीसरा स्थान है। प्रति व्यक्ति बैंक क्रेडिट की दृष्टि से 13 वां स्थान था, आज हमारा 12वां स्थान है। प्रति व्यक्ति टैक्स रेवेन्यू की दृष्टि से हमारा 13वां स्थान था, आज वह 10 वां स्थान है। तो हमने कुछ किया है कि नहीं किया ? या हमने अपने मन से इन आंकड़ों को बना लिया, या हम कोई बना करके गये थे उस किताब को ही आपने हमको दी थी ? यह आंकड़ें हम नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाते, यह आंकड़े जिस प्रकार से बनाये जाते हैं, लेकिन बहुत अफसोस है कि किसी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। मैं कहता हूं कि जो हमने अच्छा किया, जो हम मिल करके अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में बात की जाए। मैं सोचता हूं कि आपने जो सातवीं पंचवर्षीय योजना पेश की थी, वह 3100 करोड़ की थी। पहले की पंचवर्षीय योजना से 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और हमने जो आठवीं पंचवर्षीय योजना 12,650 करोड़ की पेश की, वह 287 प्रतिशत सातवीं पंचवर्षीय योजना से बड़ी है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे यहां तो कुछ काम हुआ ही नहीं। प्रति व्यक्ति जो योजना व्यय था, आप के समय में वह 857 रुपया था। और हमने अपनी इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति योजना व्यय 614 रुपया किया, जो आपके व्यय के तीन गुने से भी ज्यादा था। मैं नहीं सोचता हूं कि न आंकड़ों के आधार पर और किस बात के आधार पर आप अपनी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरह से आपने लिखा...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वित्त मंत्री जी सो रहे हैं आराम से।

श्री सभापति : सो नहीं रहे हैं, चिन्तन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री चन्दन मल बैद : अगर मेरी खुली आंख आपको नहीं दिख रही तो मेरा कसूर नहीं है।

श्री सभापति : बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बंद आंख से भी जोर से बोल रहे हो तो डर लगेगा दूर से।

श्री चन्दन मल बैद : आपको मेरी खुली आंख नहीं दिख रही है तो मेरा कसूर नहीं है इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी तरह से कुओं का विद्युतीकरण जो पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना में यहां आपने 79 हजार किया था और हमने इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1 लाख 22 हजार कुओं को किया, क्या यह भी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं सोचता हूं कि विलेज से कनेक्टिंग रोड्स जो थी, मैं इन सारे आंकड़ों के आधार पर चाहे पेयजल लें, चाहे स्प्रिंकलर्स लें आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3,573 लगायें और हमने 74 हजार किसानों को स्प्रिंकलर दिये। मतलब इस चीज को कैसे नकार सकते हैं। आप इन आंकड़ों को कैसे यह कह सकते हैं यह आंकड़े ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं, चाहे उद्योग की दृष्टि से लें, विकास की और किसी दृष्टि से लें, यह सब इस बात को एक के बाद एक अब राजस्व घाटे की दृष्टि से में सोचता हूं कि आपने 38 वर्ष बजट पेश किया, कांग्रेस ने । इस 38 वर्ष में से 27 वर्ष आपने राजस्व घाटे का बजट पेश किया, राजस्व घाटे का।

(16.00 बजे)

अब आपने इस चीज की शुरूआत ऐसी कर डाली कि आज तक उसी लाइन पर जा रहे हैं। अगर आप राजस्व घाटे को गलत मानते हैं तो जिस दिन आये थे उस दिन से इसको सही पंक्ति पर ले जाते तो शायद यह दशा तो नहीं होती। जो शुरूआत आपने की और 38 बजट में से 27 बजट में आपने राजस्व घाटा दिखाया और राजस्व घाटा भी कितना 1987–88 में 54 प्रतिशत राजस्व घाटा था और हम 1996–97 में उस राजस्व घाटे को 24 प्रतिशत पर लाये और 1997–98 में इसको घटाकर के 14 प्रतिशत पर लाये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं आप किस दृष्टि से, आखिर किसी चीज को समझायेंगे। बजट को तो आंकड़ों के आधार पर समझायेंगे या आप अपने भाषण के आधार पर। मैं सोचता हूं जो इतना इंटरनल डेट, जो हमारे कर्जे का प्रतिशत है, 10 साल में 1980 से लेकर 1990 तक आपका जो कर्जा बढ़ा वह 440 प्रतिशत बढ़ा। और अगर उसको प्रति साल के हिसाब से लो तो 44 प्रतिशत के हिसाब से प्रति वर्ष कर्जा बढ़ा। और हमारा 1990 से लेकर 1999 तक का जो कर्जा बढ़ा, यह 345 प्रतिशत बढ़ा यानि 38 प्रतिशत बढ़ा जो आपसे कम है। यही नहीं Annual increase in public debt. इसकी दृष्टि से अगर हिन्दुस्तान के साथ तुलना करें तो राजस्थान का जो 1990 से लेकर 1998 तक का है, वह 21.4 प्रतिशत है। और जो केन्द्र का है वह 22 प्रतिशत है। हम उससे भी कम हैं। और 1980 से लेकर 1990 तक केन्द्र सरकार जो आपके अधीन रही थी उस समय यह जो आपका पब्लिक डैट था यह 35 प्रतिशत केन्द्र सरकार का था। हमने इसको भी कम करने की कोशिश की। लेकिन हमारी वह भी बात आपको अच्छी नहीं लगी। हमने कोई भी चीज की, क्योंकि हमने की इस कारण से, पर केपिटा इनकम की दृष्टि से भी अगर आप विचार करें तो राजस्थान का 1980—81 में 1222 रुपये था और उस समय हिन्दुस्तान का 1630 था और 1991 में यह जो पर केपिटा इनकम थी 4191 हुई। केन्द्र की उस समय 4993 थी। और उसके बाद 1997—98 में राजस्थान की पर केपिटा इनकम 9215 रुपये हुई और केन्द्र की 9650, इसको अगर प्रतिशत में बढ़ोतरी की दृष्टि से लें तो 1980—81 में 75 प्रतिशत थे हम केन्द्र से, और उसके बाद 1990—91 में 84 प्रतिशत। और अब हमारे और केन्द्र के बीच प्रति व्यक्ति आय का जो है, वह हमने 95.39 पर लाकर के खड़ा किया, तो हमने गैप घटाया था। आप तो रोज रुपये जोड़ते हो अब उन रुपयों को उस समय भी जोड़ेंगे...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : रुपये जोड़ेंगे, जनता में दुर्गति क्यों हुई ? इसका कारण क्या है ? इन आंकड़ों में से जितने आंकड़े आप बता रहे हैं, उतनी दुर्गति आपकी हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसका तो मैं आपको बता दूंगा थोड़े दिनों में ज्यादा घबराने की बात नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा(शाहपुरा) : सभापति महोदय, याने एक बात और ही बूझ लूं कि इंदिरा विकास का भवन कतरा करोड़ का दे दिया थें काश्तकार कूं, इंदिरा विकास का कतरा करोड़ का लियाथा थें ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं आपसे निवदेन कर रहा हूं सरकार टैक्स लगाये, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन जो टैक्स आपने लगाया इस व्यवसाय कर के नाम से, इसको जजिया कर नहीं कहें तो क्या कहें ? आप बिना बात, बिना कोई आधार लिये आकर के खड़े हो गये और आपने कहा कि नहीं, नहीं, हमने तो केवल इनकम टैक्स। कहा है यह कि आपने इनकम टैक्स पर लगाया है। आप यह घोषणा यहां इस रूप में कर सकते हैं ? जो कुछ आपने लगाया उसको आप यहां बोलकर इस तरह से ले सकते हैं क्या ? क्या आप उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यहां खतम कर सकते हैं ? मैं नहीं समझ पाया कि आप वित्त मंत्री जी बड़ी +++कि मैं वित्त का बड़ा जानकार हूं। मैं सोचता हूं ऐसी तो कोई आठवीं का बच्चा भी गलती नहीं करेगा कि आखिर जब बजट पेश किया, तो बजट पेश करने के बाद आपके पास अवसर आता ना, उस समय आप इसकी घोषणा करते कि हमने यह किया। आपने स्लैब किसलिए दिया... (व्यवधान) मुझे आप यह बतायें कि आपने जो स्लैब दिये कि 5001 रुपये जिसकी आमदनी होगी उससे हम 50 रुपये प्रति महीने वसूल करेंगे, और 8 हजार तक यही रहेगा। 8 हजार से 15 हजार जैसे ही उसकी आमदनी होगी उसके बाद हम 100 रुपये प्रति महीने लेंगे। और 15 हजार से लेकर भले ही 15 लाख रुपये भी कमा रहा हो उससे हम 200 रुपये महीने लेंगे। यह आपने स्लैब क्यों बनायी ? अगर आपके मन में यही बात थी तो एक ही शब्द लिख देते ना कि इनकम टैक्स पेयर से हम इतना स्लैब पर महीना लेंगे। बात खतम हो जाती, इतनी लंबी—चौड़ी रामायण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती ?

मतलब, आपने तो ना गरीब को छोड़ा, ना मजदूर को छोड़ा। आपकी मंशा तो यह थी कि उसके कपड़े उतारे जा सकते हैं तो उतारें। जब आपके दल में विरोध हुआ तो आपने नयी गली निकालने की कोशिश की, मतलब इस बात की चिन्ता नहीं थी कि 5 हजार रुपये में आज घर का गुजारा चल सकता है क्या ? जो आप उसके 50 रुपये ले लेंगे। किसी ने इसमें झांकने की कोशिश की कि 5 हजार रुपये में कोई आदमी की घर—गृहस्थी चल सकती है ? टैक्स लगाया जाये, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। जिसके पास अधिक पैसा हो उस पर लगाकर के छीना जाये। यह तो टैक्स का नियम होता है। लेकिन उस गरीब के कपड़े उतरवा करके आप खजाने को भरना चाहते हो, इस प्रकार की मंशा के आधार पर आपने इस जजिया कर को लगाने का प्रयास किया, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

आपका चुनाव घोषणा—पत्र, जिसको आप बाइबिल के रूप में रोज पढ़ते हैं उस घोषण—पत्र में आपने कहा था कि हम न्यूनतम मजदूरी बढ़ायेंगे। वह न्यूनतम मजदूरी का क्या हुआ ? आपने बहुत भाषण दिये थे ना वोट लेने के लिये। हम न्यूनतम मजदूरी 75 रुपये करेंगे, कर दी ना आपने, इस बजट में कर दी होगी, कहीं दिखाई नहीं दी होगी हमको और आपने कर दी होगी। जनता को किसी भी प्रकार से लुभावने नारे देकर, उसको ठग करके आप जो डेढ़ सौ का बहुमत लेकर के आ गये ना इसके अभिमान में ज्यादा मत रहना। रावण का अभिमान भी चूर हो गया तो आप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो। अगर जनता के साथ इस तरह के धोखा करते जायेंगे ना तो एक साल में आपका भ्रम जनता मिटा देगी। यह जितना ऊंचा चढ़ा देती है ना उतना ऊंचे से पटकना भी यह जनता जानती है। आपने उस पर इस तरीके से टैक्स लगाने का प्रयास किया ना तो मैं सोचता हूं कि शायद यह सही नहीं है।

आपने कहा 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। यह 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए कोई घर की खेती है क्या, जो कल

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खोल देंगे ? इसके लिए कोई ढांचा बनाना पड़ता है। कैसे खुलेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसकी योग्यता होगी, किसके आधार पर उसका परीक्षण होगा, चाहे जिसको लगा देंगे क्या ? यह पार्टी के लोगों को कोई रोजगार देने का धंधा निकाला है शिक्षा को, अगर यह रोजगार देने का धंधा निकाला तो यह बहुत महंगा पड़ेगा।

श्री जनार्दन गहलोत : दु:खती रग पर अब असर पड़ा कि अब आर.एस.एस. के आदमी नियुक्त नहीं हो पायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप कोई चिंता मत करें। आपको जो करना हो वह करें। लेकिन अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में इस स्तर को गिराने की कोशिश की ना तो उसके परिणाम आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और वह आपको गालियां देंगी क्योंकि यह शिक्षा कोई राजनीति नहीं है। उसको कोई न कोई सलेक्शन का तरीका निकालना चाहिये, कोई न कोई नीति और नियम बनाना चाहिए। कौन उसको करेगा, कैसे करेगा, कहां स्कूल खुलेगा। वहां यदि आप भवन बनाकर के दे देंगे, उस ढाणी में आठ तो मकान हैं। क्या आप वहां भवन बनाकर के दे सकते है ? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 16 हजार यहां के यहां पड़े रहेंगे, आपका अपना काम चलता रहेगा कि हमने 16 हजार स्कूल खोलने की बात कह दी। हुआ उसमें से कुछ भी नहीं। आपने इस बात को देखने की कोशिश नहीं की..... (व्यवधान) आपने इस बजट में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी के साथ किया तो ग्रामीण लोगों के साथ किया है। मैं अब आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। आपने कहा हम 37 हजार लोगों को ग्रामों में रोजगार देंगे और रुपया कितना रखा ? रुपया रखा है 5 करोड़ 37 हजार लोगों को रोजगार देंगे 5 करोड़ में। अगर इसको बांटें तो क्या आता है 1351 रुपये एक का होता है, 1351 रुपये में गांव के आदमी को तो रोजगार मिल जायेगा और दूसरी तरफ आपने शहर में क्या किया है ? शहर में 5680 व्यक्ति को तो आप रोजगार देंगे, और रुपया कितना रखा है, 16 करोड़। आपके दिमाग में वह जो शहर का भूत चढ़ा हुआ है ना पूरी जिंदगी आपने शहर–शहर + + + उसके कारण से आज भी शहर के आदमी को प्रति व्यक्ति आप कितना दे रहे हैं, 28169 रुपये देंगे और गांव के गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए 1351 रुपये देंगे। यही है ना आपका न्याय गांव के प्रति और इसी के आधार पर आप रोजगार देना चाहते हो। 1300 रुपये में तो मैं सोचता हूं उसका एक खोमचा भी नहीं आयेगा जिसको लगाकर के कहीं सड़क पर खड़ा रहकर के अपना रोजगार कमा सकेगा। केवल +++ करने के लिए और दिखाने के लिए आपने कह दिया।

आपने कहा कि हम ग्राम सचिव लगा देंगे। कहां से लगा देंगे ? आप सचिवों को लगाओगे अगर 3 हजार ग्राम सचिवों के पद खाली हैं तो बजट तो आपने तीन करोड़ दिया क्या आप इसमें से 800 रुपये में ग्राम सचिव लगाओगे ? ईमानदारी से कहो आप उनको ग्राम सचिव लगाना चाहते हो या केवल डेली वेजेज पर नौकर रखना चाहते हो। क्या रखना चाहते हो,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह बतायें। इनमें से कौन सी बात बताना चाहते हो...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी : काम दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई बात नहीं हमने दिया है बहुत अच्छा है कि आप हर पंचायत को ग्राम सचिव देंगे, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन जो बजट का प्रावधान किया वह इस बात को, और आपने, हमने देखा है कि पूर्व में भी हम यह कई अभ्यास कर चुके हैं आप दोनों जगह मार खाओगे। मैं आज कह रहा हूं कि यह 16 हजार, जो 1200 रुपये देकर वहां अध्यापक लगाओगे यहां भी मार खाओगे क्योंकि हमने हैण्ड पम्प स्कीम में झक मार करके राज के खजाने से, कोर्ट से जीतने के बाद सारे पैसे देने पड़े थे जिस दिन से लगा था। उस दिन तक हम इन कोर्ट केसेज को नहीं जीत सकेंगे और यह जो 1200 रुपये पर रख रहे हो ना, यह आपका आज नहीं तो कल फेल होगा और अगर कोर्ट में आप हारेंगे और उसके बाद इनको सारा पेमेन्ट करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा और इसलिए किसी भी बात को...

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोलते हुए उधर आप आंख नहीं मिलाएं और कागज उनको नहीं दिखायें। कृपया आप आपकी नजर इधर रखें...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैंने इस बजट में एक स्थान पर यह पढ़ा कि अच्छा काम करने वाली कोई निजी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, उसकी बड़ी मदद की है, उसके दिल एकदम बाग–बाग है। लेकिन उसको पढ़ा तो यह समझ नहीं आया कि राजस्थान में प्राइवेट संस्थाओं में एक ही संस्था थी क्या, कल्याण आरोग्य सदन, जिसको आपने 45 लाख रुपये दिये। राजस्थान में और कोई ऐसी संस्था नहीं थी क्या, जिसे अच्छे काम के लिए कुछ न कुछ प्रोत्साहित किया जा सकता था। इससे यह बात समझ में आती है कि या तो आपके छांटने का तरीका ठीक नहीं या आपकी पसंदगी का तरीका कोई दूसरा है।

इसी तरह राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, जो प्रत्येक मरीज से दो रुपये लेती है। इस दो रुपये लेने के पीछे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इससे जो फण्ड कलैक्ट होता है उसके पीछे मंशा यह थी कि उस अस्पताल का रख–रखाव ठीक हो, उसकी साफ–सफाई ठीक हो, लेकिन आपने अपने रेगूलर बजट के हैड में से कहीं पैसे कम पड़ते हैं तो उसमें से आप खरीदने का काम कर रहे हैं, उसमें से आप अस्पताल के सामान्य खर्चे निकालेंगे, इसमें आप उस फण्ड को काम लेंगे ? मैं सोचता हूं कि इसको लगाने के पीछे भावना यह थी कि अस्पताल में जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, वह हमको मिले। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आपको बहुत शांति से विचार करना चाहिए, यह एक चश्मा लगाकर उस चीज को देखते हैं।

आपने शिक्षा जगत में स्कूल खोलने के लिए 244 करोड़ रुपये दिए, यह स्वागत योग्य है। उसके लिए मैं आपको वास्तव में धन्यवाद देता हूं। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हैं। मैं सोचता हूं कि इसको अगर आगे बढ़ाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि बच्चे पढ़ लिखकर तैयार हों। आज नहीं तो दस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल बाद, तभी हम सही स्थिति में आएंगे और उससे प्रदेश आगे बढ़ेगा।

लेकिन हमने कुछ ऐसी बात करने की कोशिश की है जिनसे कोई मतलब नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने सब पर टैक्स लगाया, पर गाड़ियों पर परसेंटेज गिराने का कैसे ध्यान, गरीब आदमी काम में लेता है न गाड़ियां ? उस गरीब आदमी को आप राहत देना चाहते हैं। आपने तर्क दिया कि दूसरे राज्यों से हमको काम्पीटिशन करना पड़ता है, आपको उन मोटर गाड़ियों के व्यापारियों के काम्पीटिशन करना पड़ता है, आपको उन मोटर गाड़ियों के व्यापारियों के काम्पीटिशन करने का तो दर्द है, लेकिन उस किसान का दर्द क्यों नहीं है। मध्य प्रदेश की पीपला कृषि उपज मण्डी में टैक्स नहीं लगता और हमारे राजस्थान में लगता है। इस बारे में आपको चिंता नहीं है, क्योंकि इससे उस किसान को फायदा मिलेगा, इसकी चिंता नहीं है।

चश्मा जो आप लगाते हैं, हम तो लगा ही नहीं सकते, उस चश्मे की चिंता हो गई कि उसको छोड़ा जाए। कोई न कोई मिलने वाले आदमी ने कह दिया कि मेरे चश्मे का थोड़ा ध्यान रखना, तो आपने लिख दिया। कहां लिखने की जरूरत थी इसमें, इस चश्मे पर टैक्स कम करने की कहां जरूरत थी ? आपने मनोरंजन कर बढ़ाया, कभी सिनेमा हाल में जाकर बैठे हैं ? कभी देखा है कि वहां किस स्तर के लोग आकर सिनेमा देखते हैं। उसके बाद भी आपने प्रारम्भ से ही +++ की, क्योंकि मनोरंजन कर का हक नगरपालिका का था, यह हक उससे छीन लिया और छीनकर उसे आज तक ठीक प्रकार से पैसा नहीं देते हैं और उसमें भी आप 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना चाहते हैं। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ?

जिसको छूट दे सकते थे, दीजिए। समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स तो लगेगा, क्योंकि अगर हमको प्रदेश का विकास करना है तो हमको कहीं न कहीं से आमदनी जरूर करनी पड़ेगी। अब आपने बहुत मोटा आइडिया दे दिया कि 1200 करोड़ रुपये का घाटा रह गया जिसकी आमदनी का कोई सोर्स नहीं मिलेगा तो हम बचत से प्राप्त करेंगे। बचत से प्राप्त करेंगे, मतलब आप सरकारी खर्चे को कम करेंगे, आपको लगा कि कोई इण्डस्ट्री ठीक नहीं चल रही है, उस सिक इण्डस्ट्री को बेच कर उसको रोक लेंगे, उससे 1200 करोड़ रुपये मिलेंगे। जब ऐसा है तो 462 करोड़ रुपये का यह जजिया कर लगाने की क्या जरूरत पड़ी। जब आपके पास इतना बड़ा सोर्स हाथ में लग गया तो उसी को तय करते न आप, कम से कम यह जजिया कर तो नहीं लगाना पड़ता। मैं सोचता हूं कि आपको शांति से बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद टैक्स लगे इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन टैक्स उसे लगे जो टैक्स देने की क्षमता रखता हो। आप उस किसान पर टैक्स लगाना चाहते हैं, कहने का तर्क क्या है कि 17 साल से चूंकि हमने सिंचाई की रेट नहीं बढ़ाई, इसलिए बढ़ा दी। 17 साल में आपने गांव में एक भी किसान को लखपति देखा है ? आज भी उसका झोपड़ा केल्हू का है, आज भी वह लंगोटी लगाता है,

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सिंचाई करने के बाद भी। क्योंकि उसकी फसल का दाम भी उसे नहीं मिलता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। अगर देश को तरक्की देना चाहते हो तो किसानों की आमदनी बढ़ाओ, अपने आप सब की जेब में पैसा आ जाएगा, जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं आएगा, जेब खाली रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता, चाहे उसका अनाज 12 रुपये किलो बिके। बिकेगा, आखिर वह भी तो मेहनत करके कमाकर खाता है। वह तो जिन्दगी भर अपने बच्चों को लेकर केल्हू के झोपड़े में पड़ा रहे, जमीन फाड़कर आपको दे और आपने उसे दोगुना कर दिया, क्या हो जाएगा इससे ? आपको इससे कितना धन मिल जाएगा। कितने करोड़ रुपए मिलेंगे इस मद से। दो पैसे यदि वह कमाता है तो, घूम फिरकर उसकी जो भी पैदावार होती है, उसका टैक्स आपके पास आता है। अगर आप उसकी तरक्की वास्तव में करना चाहते हैं तो उसको छूट देने की कोशिश करें।

अभी आपने 91 करोड़ रुपये का विद्युत कर लगाया है, जिसके लिए आप रोज भाषण देते थे मीटिंगों में, आपने इतना बहुमत पा लिया...

श्री अशोक(खण्डार) : नौ हजार रुपये बिजली का खम्भा आपने किसानों पर लाद दिया, तब कहां गए थे आप ? किसानों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान) मैं अकाउण्ट्स का आदमी हूं। मैं बजट अच्छी तरह से समझता हूं, आपसे ज्यादा समझता हूं।

श्री महेश जोशी(उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, बीच–बीच में टोकने की परम्परा विपक्षी दल के सदस्यों ने शुरू की है, एक नौजवान सदस्य बोल रहा है तो उसको कह रहे हैं कि समझ नहीं है, आपको कितनी समझ है, आप क्या बात कर रहे हैं ? आप किस गरीब की बात कर रहे हैं ? सौ करोड़ रुपये देशी घी पर टैक्स आता था राजस्थान सरकार को, पचास लाख रुपये की रिश्वत लेकर आपकी सरकार ने वह रिटर्न फार्म बंद करके राजस्थान के राजस्व की सौ करोड़ रुपये साल की हानि की है, किसकी बात कर रहे हैं आप, गरीब आदमी खाता है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाहरात के व्यापारियों को टैक्स माफ किया था तब कहां गए थे आप लोग ? किसानों की बात क्यों नहीं सोची आपने ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल इस बात का विरोध करना है कि आपने पहले हवाई किले दिखाए थे चुनावों के दिनों में। जब हमने रोडवेज का किराया बढ़ाया, आप प्रदर्शन करने आ गए। हमने नल के पानी का रेट बढ़ाया, आप प्रदर्शन करने आ गये। अब आप यह क्या कर रहे हो ? आपने इस जनता को भ्रमित किया, बच्चों को रोजगार देंगे। जिन बातों के आधार पर जनता ने आपको बहुमत दिया है, उसके पीछे अगर कोई कारण था...

श्री महेश जोशी : आपको परेशानी यह है कि हम जो कह रहे हैं, वह कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो ये लुभावने नारे थे, मुझे दुःख हो रहा है, इस सरकार को जनता ने जो बहुमत दिया, उस जनता को धोखा देकर आपने यह बहुमत प्राप्त किया है।

श्री महेश जोशी : अभी तो आप अपनी सोचो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता आपको आने वाले समय में जरूर सबक देगी, मैं ऐसा मानता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या सबक सीखा ?

श्री देवीलाल बैरवा(शाहपुरा) : खाद का एक कट्टा का आन 700–700 रुपया दिया जद तो आन्दोलन कोनी करयो ?

घोषणा

सभापति तालिका

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष ने श्री हरिसिंह(महुवा) के स्थान पर श्री लक्ष्मण सिंह रावत को सभापति तालिका के लिए मनोनित किया है। माननीय श्री जीतमल आय–व्ययक पर सामान्य वाद विवाद।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्री जीतमल(बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विद्वान वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1999-2000 का जो बजट राजस्थान की जनता के लिए पेश किया है, मैं उसे अपर्याप्त और अव्यवहारिक मानता हूं। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्रीजी और इस सदन में जिस पार्टी को प्रचण्ड बहुमत मिला है, मैं उस दक्षिणी राजस्थान के कोने उदयपुर संभाग में ले जाना चाहता हूं।

मैंने सबसे पहले बजट के उस बिन्दु को पढ़ा कि सिंचाई के लिए सरकार ने क्यां योजना तय की है, कितना पैसा दिया है पूरे उदयपुर संभाग में सामुदायिक लिफ्ट योजना के लिए। पूरे उदयपुर संभाग में 20 लिफ्ट योजनाएं प्रस्तावित की गई। मैं इस मौके पर पूरे उदयपुर सभांग जिसमें पांच जिले सम्मिलित हैं, बारह एनीकट हैं, 285 डीजल पम्प सेट वितरण करने का प्रस्तावित किया है। 66 जनजातीय बस्तियों को विद्युतीकृत करने का फैसला किया है। 2968 कृषि कनेक्शन देने का बजट में प्रस्ताव किया है। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, आरोप– प्रत्यारोप लगाए। एक–दूसरे को सुनाते रहे। सरकार किसी भी पार्टी की आए या जाए, यह लोकतंत्र की हमेशा से परम्परा बनी हुई है। जब तक हमारे प्रान्त का, इस क्षेत्र का किसान मजबूत नहीं बनता है, किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचेगा, उसके सूखे खेत के पेट में हरियाली नहीं आएगी, तब तक हमारा गरीब जो लम्बे समय से शोषित और दलित किसान है, उसके पेट में लम्बे समय से जो भूख है, वह भूख खतम होने की नहीं है। मैंने सबसे पहले अपर्याप्त इसलिए कहा है। हम काश्ताकारों को उदयपुर अंचल ही नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों के लिए चाहेंगे कि किसान सबसे पहले समृद्ध बने। जब तक किसान समृद्ध नहीं बनेगा तब तक हम कितना ही बजट आवंटित कर दे, कितना ही हम शिक्षा का प्रचार–प्रसार कर दें, कितना ही टेक्स बढ़ा दें हमारी माली हालत में सुधार नहीं हो सकता। किसान अगर कमजोर है, किसान पिछड़ा हुआ है तो हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, हमारा देश पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि श्वेत–पत्र के माध्यम से आपने राजस्थान की जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि पूर्व सरकार ने इस राजस्थान की अर्थ–व्यवस्था और वित्त व्यवस्था को कितनी संकटपूर्ण स्थिति में खड़ा किया है। यह कह कर आप उस जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे है ताकि पूर्व सरकार की कमजोरियों को बताकर हम भी नये टैक्स में वृद्धि कर दें।

(श्री जीतमल)

ऐसा करके आप भी कहीं न कहीं उन दोषों से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग के जिन काश्तकारों की हालत, राज्य तो है ही, लेकिन मैं उदयपुर संभाग की ज्यादातर बात इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि उदयपुर संभाग से कांग्रेस पार्टी को जितना प्रचण्ड बहुमत मिला है उतना अभी तक बजट में हमको कहीं भी विशेष कोई प्रावधान या विशेष बजट देने की आपके मन में कोई झलक हमको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उदयपुर वैसे भी जनजाति उपयोजना क्षेत्र के नाम से घोषित पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि जहां आज हम सब राजस्थान की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हिन्दुस्तान की स्वर्ण जयंती आप और हम सब मना चुके हैं, इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आज भी ऐसी कई ढाणियां, गांव और मोहल्ले में गरीब अपने घर के अंदर दीये में ही अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आज भी हम घरेलू कनेक्शनों में एक लट्टू भी जला नहीं पाए। उस गरीब के घर में झौपड़ी तक इस आजादी के बाद भी रोशनी नहीं पहुंच पाई तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 50 साल के दरम्यान भी इस गरीब की झौपड़ी तक घरेलू लट्टू तक नहीं जला पाए। हमारे पास में ही गुजरात है, हम बिलकुल करीब में रहते हैं, गुजरात भी हम आये दिन जाया करते है। वहां पर गरीबों को मुफ्त में लाइट मिली हुई है। मध्य प्रदेश में जाकर देखते है वहां की सरकार ने गरीब किसानों को मुफ्त में लाइट दी हुई है और किसान को हर कुएं पर उसकी खेती करने के लिए निःशुल्क बिजली दी जा रही है। जब इन सारी स्थितियों का हम अध्ययन करते है, तुलना करते हैं तो हम महसूस करते हैं, चाहे इस प्रदेश में 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा, आठ साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, हम लोगों को आज दिन तक भी, अगर वह स्वतंत्रता की किरण हमारे गरीब की झौपड़ी तक नहीं पहुंचेगी, तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि यह जो स्वर्ण जयंती मनायी जा रही है, यह फालतू का ढोंग है। मैं इसको हमारे गरीबों के लिए अहितकर समझता हूं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें।

मैं आपके सामने बांसवाड़ा का एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज हमारे बीच स्वर्गीय हरिदेव जोशी नहीं है। इनके अथक प्रयासों से माही बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य शुरू किया था। आज डेढ़ दशक का समय पूरा हो गया, उस इलाके के अंदर जितना काम हुआ था उसके बाद वो कार्य ज्यों–का–त्यों पड़ा हुआ है। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा, सिंचाई मंत्री महोदय हमारे सामने ही बैठ हुए हैं, जैसे ही नई सरकार ने अपनी बागडोर संभाली, चालू वित्तीय वर्ष से हमारा जो 40 करोड का बजट था उसमें भी 10 करोड़ की कटौती करके हम लोगों को पांच कदम और पीछे खिसकाने का काम किया है। मुझे बड़ा दुःख है कि जब तक माही का काम जो डेढ़ दशक से अपूर्ण पड़ा हुआ है उस काम को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो मैं जहां तक

(श्री जीतमल)

सोचता हूं कि यह काम गरीब किसान और मजदूर के विरोध में होगा, क्योंकि वहां की जनता यह ताक करके बैठी है कि बी.जे.पी की सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस की सरकार आने पर हम लोगों को ज्यादा मदद देगी, ज्यादा बजट देगी और विकास के ज्यादा से ज्यादा काम होंगे, लेकिन 10 करोड़ की कटौती करके हमारी बासंवाड़ा की जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं इसी के साथ आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा जहां हमारी पर्यटन, कला और संस्कृति की दृष्टि से राजस्थान की कई ऐसी जगह हैं, जहां पर सरकार हर तरीके से सर्वे कराकर के उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। लेकिन हमेशा बांसवाड़ा, डूंगरपुर की जनता के साथ में खिलवाड़ होता आया है। बेणेश्वर, मैं उस जगह का नाम लूंगा जहां कम से कम 7–8 जिलों की जनता इकट्ठी होती है। हमारा यह त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम जहां पर लाखों आदिवासी लोग इकटठे होते हैं, एक महा कुंभ के नाम से प्रख्यात है। आज हम देखते हैं हमारे जनजाति बजट के नाम पर उदयपुर में एक मेवाड़ काम्पलेक्स बनाया जा रहा है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर, सरकार को अपनी संवेदना, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात होती है, तो हमारे साथ में इतना अछूता व्यवहार क्यों किया जाता है ? दूसरी ओर अभी स्वर्ण जयंती के मौके पर, और राजस्थान की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मानगढ़ जो बांसवाड़ा से 75 किलोमीटर दूर गुज़रात की सीमा पर लगा हुआ पर्वत है, जहां पर 1908 के अंदर गोविन्द गुरु महाराज नाम का एक महान संत पैदा हुआ था जिन्होंने 1908 में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जनजाति भील जनता को जगाने का काम किया, शिक्षा की दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से उनको जगाने का काम किया। और 1908 में उन मानगढ़ की पहाड़ी पर सरकार नहीं, वरन् ब्रिटिश हुकुमत ने और सामंतशाही ताकतों ने मिलकर के उस मानगढ़ की पहाड़ी पर एक लाख भील आदिवासी इकट्ठे हुए थे जो निहत्थे थे, धार्मिक भवनाओं और आस्थाओं के उस केन्द्र स्थल मानगढ़ की पहाड़ी पर उन गरीबों पर अन्धाधुंध गोलियां चलाई और सैकड़ों लोग वहां हताहत हुए। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि जहां दो–दो, तीन–तीन लोग आजादी के लिए मरे हों, जिन्होंने कुर्बानी दी हो, वहां पर आज कई सारे स्मारक बने हैं। उनकी याद में न जाने क्या–क्या हुआ है और सरकार ने कितना– कितना पैसा खर्च किया है। और उस राजस्थान के दक्षिण पर्वत पर सैकड़ों जनजाति भील आदिवासियों ने इस देश की, इस क्षेत्र की जनता के लिए कुर्बानी दी है। शहीद हो गए हैं 40 साल तक कांग्रेस के राज में, 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। आज दिन तक इस ओर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा, हमेशा इस बात को लेकर आंखे मूंदकर बैठ रहे। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे साथ में लम्बे समय से कहीं न कहीं अछूता व्यवहार हो रहा है और मैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर माननीय सभापति महोदय, के माध्यम से मानगढ़ की पहाड़ी की तरफ आपका

(श्री जीतमल)

ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा ताकि हमारे साथ में, इस प्रदेश की और इस देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है इनको भी कहीं न कहीं इतिहास के किसी पन्ने पर अपना नाम अंकित करने का मौका मिले, इसके साथ ही साथ मैं ...

श्री सभापति : आपका भाषण बहुत बढ़िया हो रहा है।

श्री जीतमल : प्राथमिक शाला की एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने का जो फैसला लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन 16 हजार प्राथमिक विद्यालयों के लिए जन सहयोग के माध्यम से सामुदायिक भवन बनवाने का मैं विरोध करना चाहूंगा, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता, अब जहां कहीं भी 40 बच्चों के इकट्ठा होने पर एक स्कूल खोलने का प्रावधान रखा है। उस ढाणी और मौहल्लों की यह हालत है कि वह दिन—रात मेहनत और मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते हैं तो वो सामुदायिक विकास का भवन बनाना उनके लिए संभव नहीं है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलकर के जो शिक्षा का दायरा बढ़ाने का आपने जो काम किया है, उसका मैं तो स्वागत करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ मैं इस बजट के माध्यम से, इस बजट का वह पहलू नहीं है, लेकिन आपके सामने कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्व सरकार ने पंचायती राज का 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर दो बच्चों से ज्यादा संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है यह प्रावधान लागू करके हमारे इस पूरे प्रान्त के नौजवान साथियों के साथ में, हमारी गरीब महिलाओं के साथ में बहुत धोखा किया है। आने वाले इस सत्र में निश्चित रूप से आप इसमें भी कहीं न कहीं परिवर्तन लावें। मैं अंत में ज्यादा बात न कहते हुए इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन(बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1998—99 संशोधित अनुमान एवं सन् 1999—2000 के बजट अनुमान के बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । 30 मार्च,1999 को हमारे सारे देश ने स्वर्ण जयंती मनाई थी और इस अवसर पर मैं सरदार बल्लभ भाई पटेल को याद किए बिना नहीं रह सकता। जिन्होंने हमारे 22 राज्यों का एकीकरण किया, उनमें सरदार बल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसलिए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिस प्रकार उन्होंने हमारे राजस्थान का निर्माण किया। अब हमें इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह प्रतिज्ञा सबको ही करनी हैं। यह प्रतिज्ञा करनी है, हमारी पार्टी के हों, विपक्ष को हों, किसी भी पार्टी के हों, हमें यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम इस राजस्थान का निर्माण इस प्रकार करेंगे जिससे कि हिन्दुस्तान में एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हो। इस संबंध में हमारा प्रयास रहेगा। वह तभी हो सकता है जब हम सब मतभेद भुलाकर के, विकास की और हमारा जो दृष्टिकोण होगा और हमारा जो दृष्टिकोण है क्रोध में अनर्गल बातचीत करके नहीं और अनर्गल विरोध करके ही नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को उच्च कोटी का बनाकर होना चाहिए। इस देश को हमें कमजोर नहीं करना होगा, प्रदेश को कमजोर नहीं करना

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

होगा। अवश्य ही यह स्थिति है जो श्वेत पत्र में भी, और विपक्ष ने भी माना है कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है। हम इस प्रकार बहुत ही संकट की स्थिति से गुर रहे हैं। यह सभी का मानना है अब इस संकट की स्थिति से गुजरने के लिए हम क्या प्रयास करें, हम क्या कोशिश करें जिससे कि इस संकट की घड़ी में हम अपने प्रदेश के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके और इस प्रदेश के निर्माण में हमारा सक्रिय योगदान प्रारम्भ करें। इसी संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जनता को आज कष्ट है तो वह है भ्रष्टाचार का...

(16.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भ्रष्टाचार के कारण से हमारी पहले भी केन्द्रीय सरकार गयी थी। भ्रष्टाचार से आरोपित होकर हमारी सरकार गयी और राजस्थान में जो पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वह भी भ्रष्टाचार से ग्रसित होने के कारण गिरी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर भ्रष्टाचार से ग्रसित होगी तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जनता उसको दण्ड दिये बिना रह नहीं सकती है। मेरी इस बात को समझकर के इस प्रदेश का निर्माण करने में आज जुट जाएं।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं जहां भी देखता हूं प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से हमारी सारी मशीनरी ग्रसित है। जब मैं रोडवेज के बारे में देखता हूं तो उस बारे में यह कहना चाहता हूं कि अवैध वाहन चल रहे हैं। नेशनल परमिट के नाम पर उनका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इतनी गम्भीर चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि सवेरे से और जितने भी मौके मिलते हैं धरना देने वाले, नारे लगाने वाले, वेल में बोलने वाले माननीय सदस्यों में से एक भी माननीय सदस्य मौजूद नहीं है। अपनी कुर्सियों पर एक नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक भी नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं बैठा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी जगह आओ तो पता तो पड़े कि कम से कम एक है।

श्री महेश जोशी : इसलिए मेरा निवेदन है कि आप विपक्ष के नेता को इस बारे में कम से कम निर्देश दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की क्या उपस्थिति है। अगर बजट को इतना ही सीरियस लेते तो सत्ता पक्ष की हालत क्या है ? लेना चाहिए आपको। यह कोई दस्तूर नहीं है। बजट जैसा मामला चल रहा हो और सत्ता पक्ष का कोरम ही पूरा हो तो फिर विपक्ष को क्या कहेंगे आप। हमारी उपस्थिति सौ फीसदी है।

श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा) : व्यवधान नहीं डाले। हमारे बहुत ही संजीदा माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दो आप।

श्री महेश जोशी : आपके पीछे भी सत्ता

(श्री महेश जोशी)

पक्ष वाले बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नेशनल परमिट का बड़ा भयंकर दुरूपयोग हो रहा है। मैंने जहां तक जानकारी की है तो उसमें अधिकारी सम्मिलित हैं, उसमें राजनीतिज्ञ सम्मिलत हैं और बड़े—बड़े लोग उसमें सम्मिलत हैं। अवैध वाहन जो चल रहे हैं, उसमें भी इस प्रकार से प्रभावशाली व्यक्ति सम्मिलित हैं।

श्री अमराराम(धोद) : कौन—कौन हैं ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता। यह समझदारी का प्रश्न है और आप समझ लीजिये। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि यह एक युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए और इस कार्य को पूरी ताकत के साथ में किया जाए तो मैं आपको कहता हूं कि करोड़ों रुपयों की आय हो सकती है। रोडवेज, जो लोस में चल रही है वह नफे में आ सकती है। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर ठोस कदम नहीं उठाते हैं और सिर्फ अपन चुपचाप रह जाते हैं तो हम अपना कर्तव्य अदा नहीं करते हैं।

अब मैं पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में, पी. एच. ई. डी. के बारे में, इर्रिगेशन के बारे में, इन सब इंजीनियर्स के बारे में कहना चाहता हूं। अब हम सभी बराबर देख रहे हैं, हमारी पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आयी थी उसमें भ्रष्टचार बढ़ा है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह तो मैं एक स्थिति बता रहा हूं। अब जब आपका राज आयेगा तब आप भी देख लेंगे अपनी स्थिति। स्थिति आपका राज आने की है नहीं । तो कहने का अर्थ यह है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग में स्पष्ट तौर पर कमीशन मुकर्रर है और यह सबको जानकारी है। इसके अलावा जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वे सब घटिया स्तर के हो रहे हैं। सड़कों के निर्माण के कार्य हो रहे हैं वे घटिया स्तर के हो रहे हैं और यह सब जानते हैं। ऐसे घटिया स्तर के ठेकेदार तैयार हुए हैं कि जिनके पास में साधन नहीं है और वे ठेके ले लेते हैं। और ठेके लेकर के घटिया स्तर की सड़कें बनाते हैं। आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो भवन है, यह पुराना बना हुआ है और जितने भी पुराने भवन बने हुए हैं, आप देखेंगे कि 100—100 वर्ष उनकी उम्र रहती है और वे अभी तक भी मरम्मत, सुधार नहीं मांगते हैं और ये दो वर्ष बाद ही सुधार मांगते हैं। सड़कों के डामरीकरण के नाम पर फिफ्टी पर्सेण्ट डामरीकरण करते हैं और फिफ्टी पर्सेण्ट बेच देते हैं। इस प्रकार से जुल्म और अन्याय बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार का पूरी तरह से मुकाबला करके, संघर्ष करके भ्रष्टाचार से ग्रसित अधिकारी हैं, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध हमें कदम उठाने की आवश्यकता है।

मैं एक बात भूमि सुधार के बारे में कहना चाहता हूं। भूमि सुधार के बारे में मैं जब पहले एम.एल.ए. था तो मैं उस सलैक्ट कमेटी का सदस्य था। मैंने पूरी कोशिश की कि प्रगतिशील भूमि सुधार का कानून बने। श्री रामानन्द जी अग्रवाल भी उस कमेटी के सदस्य थे। वे भी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रगतिशील विचारों के थे। वे कम्युनिस्ट थे। हमने पूरी कोशिश की परन्तु हम प्रगतिशील कानून नहीं बना सके पर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारा भूमि सुधार कानून प्रगतिशील बना। उसकी जिस प्रकार से दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वैसी दुर्दशा किसी भी सरकार ने नहीं की। वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कोटा और गंगानगर में जो सीलिंग के केसेज चलते थे उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक—एक का फैसला करके उन सब को सीलिंग से मुक्त कर दिया। उनकी कोई भी किसी प्रकार की जमीन नहीं ली और सीलिंग से उनको मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद में जब राष्ट्रपति शासन आया तो राष्ट्रपति के शासन में एक अधिकारी बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने निर्णय लिया लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर कि ये सब फैसले गलत किये गये हैं और ये सब फैसले स्थगित किये जाएं इसकी गंगानगर के पूंजीपति किसानों ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन की और रिट पिटिशन में हाई कोर्ट के जज ने यह फैसला दिया कि पहले उनको नोटिस देकर फैसला करना चाहिए था। हालांकि फैसला उन्होंने राष्ट्रपति शासन में सही किया परन्तु नोटिस देना आवश्यक था। फिर बाद में वही सरकार दूसरी दफे आ गयी राष्ट्रपति शासन के बाद में। उन्होंने उनको बिना नोटिस दिये हुए वापस फैसला कर दिया और उनको सीलिंग से मुक्त कर दिया। अपने आपको, सभी को मुक्त कर दिया कि कोई भी इनसे जमीन नहीं ली जाए। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रुपयों की गड़बड़ हुई है। करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति राजस्थान सरकार को मिल सकती है। वित्त मंत्रीजी, अगर आप करना चाहें तो करोड़ों रुपयों की सम्पति मिल सकती है। इस सम्बन्ध में आप जांच करायें और जांच करेंगे तो आप पायेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मैं नहीं जानता कि कौनसे अधिकारी दोषी हैं, कौन चीफ मिनिस्टर दोषी है। आप इसकी जांच करके देख लें क्योंकि मैं इसके बारे में नाम से संकेत नहीं करना चाहता हूं। तो कहने का यह अर्थ है कि इस प्रकार भूमि सुधार कानून में उनको पूरी छूट दी गयी ताकि कोई भी उनकी जमीन उन लोगों की नहीं ली गयी और इस प्रकार से उनको मुक्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में स्ट्रांग कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभी मंत्रीमंडल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पूरी जांच की जाए और जांच करने से रिकार्ड में आप पायेंगे कि भयंकर भूल की गयी है और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किये हैं उसके लिए पूरी तरह से सख्त कार्यवाही करें, यह भी मैं कहना चाहता हूं। अब मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं पीने के पानी के बारे में। पीने के पानी के बारे में प्रश्न यह है कि जो व्यवस्था या जो प्रोविजन किये गये हैं, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जो योजनाएं चल रही हैं, वह सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि भा.ज.पा. की सरकार है, उसने पीने के पानी की योजनाओं का विस्तार किया, उसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने भी सेंक्शन नहीं की। उन्होंने भी पीने के पानी की योजनाओं का विस्तार किया और जो योजनाएं पहले थी,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उनसे दुगुनी हुई और शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था बढ़ी। परन्तु क्या हुआ कि कोई भी हैल्पर, एक भी नहीं बढ़ाया गया। इंजीनियर्स की संख्या बढ़ाई गई, असिस्टेंट इंजीनियर की संख्या बढ़ाई गई, एक्सीक्यूटिव इंजीनियर की संख्या बढ़ाई गई, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर की संख्या बढ़ाई गई परन्तु कोई भी हैल्पर की संख्या नहीं बढ़ाई गई। और संख्या नहीं बढ़ने के कारण वह नोर्म्स के अनुसार, मैं चाहता हूं वह संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमारी सरकार ने अगर वहां कोई प्रतिबन्ध कर रखा है किसी भी सर्विसेज में कोई अपोइंटमेंट नहीं दिया जाये तो इतने अधिकारी रिटायर हो गये हैं। तो इनको अपोइंटमेंट दिया जाये ताकि नोर्म्स के अनुसार उन सर्विसेज वालों को जो फोर्थ क्लास श्रेणी के अन्दर हैं, उनको सर्विसेज देकर उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जाये, इसकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन (ई.टी.ओ.) ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सारे ट्यूब वैल्स बनाये थे। वे ट्यूब वैल 20–20 वर्ष, 25–25 वर्ष तक चले परन्तु जो राजस्थान सरकार ने, ग्राउण्ड वाटर डिपार्टमेंट ने बनाये वह कोई दो वर्ष चला, कोई तीन वर्ष चला, कोई चार वर्ष चला। तो यह 6–6, 7–7 लाख रुपये एक ट्यूब वैल पर लगते हैं और लगने के बाद में दो वर्ष, तीन वर्ष से ज्यादा नहीं चलता है तो कैसी स्थिति है, इसके बारे में कितने लाखों और कितने करोड़ों रुपये की गड़बड़ करते हैं। योजना बनाते हैं, जी.एल. आर. बना लेते हैं और जी. एल. आर. बनाकर एक दफा भी पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि जी.एल.आर. में कमीशन ज्यादा मिलता है। अतः जी.एल.आर. बना लेते हैं और कमीशन लेकर, फिर बाद में उसका दुरुपयोग करते हैं। और पानी कतई नहीं पहुंचता है। मैं ऐसे सैकड़ों दृष्टांत बता सकता हूं। बाड़मेर जिले के अन्दर इस प्रकार के जी.एल.आर. बन गये परन्तु पानी नहीं पहुंचा। तो उन क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज यह कोशिश हो और पीने का पानी पहुंचाया जाये तथा इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्युतीकरण के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी(सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्री वृद्धिचन्द जैन : विद्युतीकरण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सीकर, झुंझुनूं, इनमें सारे जिले के सभी गांव का विद्युतीकरण हो चुका है परन्तु हमारे बाड़मेर जिले में 1000 गांव में अभी तक भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं और मैं ऑथेन्टिक ढंग से कह रहा हूं कि 1000 गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। सबसे पहले तो गांव के विद्युतीकरण के बाद यह कहो कि सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता अगर विद्युतीकरण में दी जानी चाहिए तो बाड़मेर जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्युतीकरण में दी जानी चाहिए ताकि हम भी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

विद्युतीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम भी प्रगति करें, हम भी विकास करें। इसलिए विद्युतीकरण के बारे में भी आपको निर्णय लेना चाहिए कि विद्युतीरकण में हम भी किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहे। और इस संबंध में कुछ रेट बढ़ाई है, वह ऐसी कोई विशेष ज्यादा नहीं है जो हम बरदाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि दरअसल में आज अगर हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी सभी को सम्भालने की कोशिश करनी चाहिए। और विशेष रूप से विद्युतीकरण की योजनाओं में मैंने देखा है कि विद्युत की चोरी होती है। उद्योगपति भी चोरी करते हैं, पूंजीपति किसान भी करते हैं और उनके खिलाफ कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती यह कदम उठाने की। आज मैं कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण के बारे में जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, जो चोरी करते हैं, तो उस सम्बन्ध में पूरी जांच होनी चाहिए ताकि इस प्रकार से चोरी नहीं करें। अब आप उनको इतनी सुविधाएं देते हैं, इतनी कोस्टली विद्युत मिलती है, प्राप्त होती है, उसका प्रोडेक्शन होता है और उसके अन्दर इस प्रकार से चोरी होती है तो इस प्रकार की चोरी के लिए कानून में परिवर्तन करना चाहिए। सजा का प्रावधान होना चाहिए। जेल का प्रावधान होना चाहिए ताकि इस प्रकार से कोई भी चोरी नहीं कर सके। कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति हो, वह चोरी नहीं कर सके, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल सके। इस सम्बन्ध में हमको कोशिश करनी चाहिए।

अब मैं एक बात और उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं जब एम.पी. था तो मैंने कौशिश करके डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम को एक प्लान में, योजना में इन्क्लूड कराया। 245 करोड़ रुपये का प्लान सातवीं फाइव ईयर प्लान में बनाया गया। उस प्लान में सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम था सैंड ड्यून्स स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम था, अफोरेस्टेशन का प्रोग्राम था तथा स्थिरीकरण का जो प्रोग्राम था, वह प्रोग्राम हनुवंताराम की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सैंड ड्यून्स स्टरलाइजेशन का कार्यक्रम रद्द कर दिया। वह सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर वाकई में इस क्षेत्र को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो अफोरेस्टेशन एवं सैंड ड्यून्स स्टरलाइजेशन का कार्यक्रम, जो बहुत ही आवश्यक है और आवश्यक कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए। हमारे यहां तो स्थिति इस प्रकार की है कि जो इस प्रकार के फोर्थ क्लास ग्रेड के जो सर्वेंट फोरेस्ट डिपार्टमेंट में लगाये गये थे, उन सबको डूंगरपुर भेज दिया है, किसी को उदयपुर भेज दिया है, किसी को बांसवाड़ा में भेज दिया है। उन फोर्थ क्लास सर्वेंट की यह दुर्दशा कर दी है तो हम यह चाहते हैं कि वह प्रोग्राम चालू हो और हमारा जो नर्सरी का कार्यक्रम अफोरेस्टेशन का वह कार्यक्रम चालू हों ताकि वह लोग वहां डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में इधर उधर भटक रहे हैं और उनकी दुर्दशा हो रही है, वह भी दरअसल में उचित जगह प्राप्त करे, स्थान प्राप्त करे।

अब हमारा जो कार्यक्रम है सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का और सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एजुकेशन का कार्यक्रम साथ में लिया गया था और एजुकेशन में बोर्डर एरिया के अन्दर और बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

शिक्षा की दृष्टि से पीछे है, तो उसमें हम यह चाहते हैं, मैंने तो वह कोशिश भी की थी, कुछ में मैंने सफलता प्राप्त भी की थी और वहां पर 25 बाई 20 के दो—दो कमरे बनाये। परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि सैकण्डरी स्कूल में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में राजकीय बोर्डिंग हाउस होना चाहिए, टीचर्स के रहने के लिए क्वार्टर्स होने चाहिए। टीचर्स के के लिए क्वार्टर्स नहीं होते हैं। तो सैकण्डरी स्कूल में वहां कोई टीचर्स आते नहीं और वह बहुत पीछे रह जाते हैं और जब मुकाबला होता था काम्पीटिशन में तो सबसे कम, उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, पर्सेण्टेज बहुत खराब होता है तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्यक्रम सम्मिलित किया जाये और डेजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत यह एनीमल हजबेंड्री, पशुपालन का, भेड़पालन का, उनके ब्रीड के इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम भी इसमें शामिल होना चाहिए ताकि पशुपालन के कार्यक्रम से भी वहां की इकोनोमी सुदृढ़ हो सके। इस संबंध में इस कार्यक्रम को भी लिया जाना चाहिए।

अब परिवार नियोजन के बारे में पहले भी इसको लिया गया था तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था परन्तु बाद में भैरोंसिंह जी शेखावत इस बात को समझ गये कि परिवार नियोजन के बिना तरक्की इस देश की नहीं कर सकते। इन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन लगाई थी वार्ड पंच के लिए, सरपंच के लिए, पंचायत समिति के मेम्बर के लिए, नगरपालिका के सदस्य के लिए, मैं यह चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई भी अपोइंटमेंट हो, अपोइंटमेंट होते ही उनको पहले ही यह कह देना चाहिए कि अगर दो बच्चे से ज्यादा उनके संतान हुई तो उनको सर्विस से निकाल दिया जायेगा, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जायेगा। आज इस प्रकार की दरअसल में व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह भी दरअसल में बराबर उसके परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भागीदार हो सके। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी इस प्रकार की स्थिति लागू होनी चाहिए ताकि यह भी...

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों पर भी लागू हो तो क्या हर्ज है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमारे लिए भी हो, सबके लिए हो तो क्या हर्ज है। आज प्रश्न यह है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम में आपको बहुत ज्यादा रुचि लेनी चाहिए...(व्यवधान)वित्त मंत्रीजी, मैं आपको विशेष तौर से एक बात और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी राज में शराब का इतना बड़ा विस्तार हुआ, इस शराब का गांव—गांव में, ठेकेदारों ने गांव—गांव में विस्तार किया, और इसमें कोई भी जाति का हो, कोई कह दे कि मेरी जाति में कोई भी शराब पीने वाला नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता। और पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वह तो शराब पीने के आदी हो गये हैं। (व्यवधान) मेरी जाति क्या, किसी भी जाति को छोड़ा नहीं है। प्रश्न यह है कि जब मैं एम.एल.ए. था तब हमने इसके विरोध में आवाज उठाई थी...

(17:00 बजे)

एक माननीय सदस्य : अब एम.एल.ए. नहीं हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : अभी नहीं, अब मैं नया हूं। पहले जब मैं एम.एल.ए था 1977—80 और

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

उससे पहले, वन्स अपोन ए टाइम, उस समय हमने शराबबंदी कर दी थी और फिर बाद में वित्त मंत्रीजी ने वापस शुरू कर दी, शिवचरण जी माथुर की गवर्नमेंट ने, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ।

श्री अमराराम(धोद) : अब बंद कर दो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : और अब हम कह रहे हैं कि बंद कर देनी चाहिए। पोइजन है यह। अगर आज परिवार नियोजन और यह शराब बंदी का कार्यक्रम नहीं किया तो आप यह समझिये कि गरीबी मिटाने का कार्यक्रम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकता। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आज कोई भी अगर गरीबी मिटाने का कार्यक्रम करो, आज किसी भी पार्टी के व्यक्ति हो, अगर परिवार नियोजन का कार्यक्रम आप नहीं लेंगे और इसी प्रकार शराबबंदी का कार्यक्रम...

श्री जनार्दन गहलोत : जिन्होंने ताली दी, उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम उन से पूछो, वह तो नहीं पीते न।

श्री वृद्धिचन्द जैन : वह कार्यक्रम जो है,...

श्री भीमसेन चौधरी(लूनकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शराबबंदी करनी चाहिए। शराबबंदी एक राज्य में करने से सफल नहीं हो सकती। हरियाणा में भी शराबबंदी की थी, उनको वापस लेनी पड़ी। शराबबंदी करनी है तो सारे स्टेट्स में एक साथ करें।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र के अन्दर तो हालत यह है कि महाराष्ट्र से दूध के जो टैंकर चलते हैं, उनमें शराब भर कर जा रही है। और राजस्थान में भी अगर और जगह से मंगानी हो, अपने राजस्थान से गुजरात में बहुत जा रही हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में।

श्री राजेन्द्र पारीक(सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, गायों को ऐसा चारा दिया जा रहा है कि जब दूध निकालेंगे तो उसके अन्दर से वही निकलेगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 26 जनवरी, 1999 को हमारी गवर्नमेंट ने सारी पंचायतों में ग्राम सभा सम्मेलन बुलाये और यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख,जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा डीआरडीए का। परन्तु उस अध्यक्ष को, प्रमुख को न तो फाइनेंशियल और न ही किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार दिये गये हैं। यह मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं। यह उन पर, भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगाया जाता था, परन्तु अब आप पर भी यह आरोप है कि आप इस सम्बन्ध में अगर वाकई में पंचायती राज को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो जिला परिषदों को सुदृढ़ करिये। उनको फाइनेंशियल पावर दीजिए। उनको फाइनेंशियल पावर के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दीजिए। कलक्टर उनका सदस्य बने, सचिव बने और प्रमुख, जिला परिषद चेयरमैन बने। इस दृष्टिकोण से करना चाहिए। आज राज्य के अन्दर एम.एल.एज. के मंत्रिमंडल करके, अधिकारियों पर शासन कर सकते हैं, परंतु पंचायती राज को आप सुदृढ़ नहीं करते हो। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने की बहुत

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

आवश्यकता है। और वह तुरन्त से तुरन्त कर देना चाहिएं, इस सम्बन्ध में भी निर्णय जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एक बात मैं विशेष तौर से कह रहा हूं। परिचय पत्र जो हमारे पास आये, अब पता नहीं दूसरों के पास कैसे आये, वह फोटो बिलकुल साफ नहीं है। परिचय पत्र में फोटो बिलकुल साफ नहीं है। आप देखिये, सभी फोटो देख लें, बिलकुल साफ नहीं हैं, खराब है। जिस भी ऐजेन्सी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बनाये हैं और वह गड़बड़ की है, उसकी जांच की जानी चाहिए। बिलकुल थर्ड ग्रेड की फोटो है। कतई देखने लायक नहीं है, न समझने लायक है। तो इस सम्बन्ध के अन्दर परिचय पत्रों की पूरी...

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, और तो और, कटारियाजी का फोटो भी खराब आया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कई–कई जगह तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी राठौड़ की फोटो में कटारियाजी की फोटो नजर आने लग जाती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो इस प्राकर की स्थिति है। अब मैं अकाल की स्थिति के बारे में आना चाहता हूं। आपको मैं यह भी कहना चाहता हूं क्योंकि मैं स्पष्ट वक्ता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अकाल के बारे में जब मैं एम.पी. था और सन् 86–87 के अन्दर स्थिति यह थी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, और हमने कोशिश करके एक वर्ष में साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान के लिए कराया। किसी भी पशु को मरने नहीं दिया। पीने के पानी के हमारे तो क्षेत्र में टांकें बन गये, इस प्रकार की स्थिति बन गई। सिंचाई के कुएं बन गए और हमने पूरी तरह से अकाल का मुकाबला किया। परन्तु केन्द्र सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार की स्थिति नहीं है कि अकाल का मुकाबला करे। आपस में दोषारोपण करने से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अपने को, सभी को, विधान सभा के सदस्यों को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके, सब को मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो मिली जुली सरकार है, उस पर दबाव डालना चाहिए और हमारे को पशुओं को भी बचाना है, हमें मनुष्यों को भी बचाना है और हमारी इकोनोमी को भी नष्ट नहीं होने देना है। इस काम की जिम्मेदारी हम सभी एम.एल.एज.की है, हमारी विधान सभा के सदस्यों की है। आप हमारे पर दोषारोपण करें, हम आप पर दोषारोपण करें उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। हम तो कहें, यह सब मिल जुल कर काम करें, सब का काम है, सब ही के क्षेत्र के लोग दुःखी हैं। आपको वोट देने वाले दुःखी हैं, हमारे को भी वोट देने वाले दुःखी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल ठीक कही यह बात।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इसलिए मिल करके सब एक जुट होकर के काम करें और डेलीगेशन लेकर के जायें, मुख्य मंत्रीजी के...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस मामले में विशेष निवेदन है कि राजेन्द्रजी राठौड़ जो हैं, वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जयललिताजी को इस बात के लिए एग्री करें। वह राजस्थान की मदद करवायें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : तो कहने का अर्थ यह है कि यह काम बहुत ही आवश्यक और बहुत जरूरी है। सब मिल जुल करके...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ममताजी की जिम्मेदारी इन पर सौंपे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : कोई ममता की जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो इन पर विश्वास करता हूं। मैं तो हरेक व्यक्ति पर विश्वास करता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं क्योंकि जितने भी एम.एल. ए. आये हैं वह सभी जिम्मेवार हैं और जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। तभी तो उनको चुना है। इसलिए इन सभी का फर्ज है कि सब एक जुट होकर के डेलीगेशन के साथ में जायें, जल्दी से जल्दी जायें और अकाल का मुकाबला करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, मैं बहुत—बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर(अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 मार्च को हमारे सम्माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट को देखने से लगता है कि शायद वित्त मंत्रीजी राजस्थान के रहने वाले नहीं है क्योंकि न तो इनको मजदूरों की जानकारी है, न इनको किसान के बारे में जानकारी है, न इनको कर्मचारी के बारे में जानकारी है...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके जन्म के पहले से है।

श्री मदन दिलावर : परन्तु यहां कहा जाता है कि यह बहुत अनुभवी वित्त मंत्रीजी हैं। और मैं भी सब की बात मान कर इनको अब तक अनुभवी मानता था। लेकिन 26 मार्च को मेरा जो भ्रम था, वह टूट गया। वह इसलिए टूट गया उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था या कहलवाया गया था माननीय महामहिम महोदय से, कि राजस्थान में दूरस्थ स्थानों पर चिकित्सा की सुविधा नहीं है इसलिए छोटे—छोटे स्थानों पर भी हम चिकित्सा उपलब्ध करवायेंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने बजट भाषण पढ़ा और सुना तो एक भी नहीं सब सेंटर, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक भी स्वास्थ्य केन्द्र नया नहीं खुलेगा, ऐसा इसको देखने से मुझे लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकार महामहिम महोदय से कहलाकर भी बाद में क्या करती है। क्या हो गया आखिर में इनको। यह भी कहा है इस बजट भाषण में, यह गरीब लोगों के प्रति, कमजोर वर्ग के प्रति समर्पित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कितनी महंगाई है। क्या इन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों की किसी छात्रवृत्ति को बढ़ाया ? इन्होंने कहा, छात्रावासों को बढ़ा दिया। छात्रावासों में ओनली बीस हजार छात्र पढ़ते हैं। लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति के छात्र अपने घर पर रहकर अध्ययन करते हैं। जिनको दो जून की रोटी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की छात्रवृत्ति पर विचार नहीं किया गया और ढिंढोरा पीटा गया कि हम कमजोर वर्ग के हामी हैं। इस प्रकार से थोथा बोलना और राजस्थान के कमजोर वर्ग को गुमराह करना, मैं समझता हूं, धोखा है, अन्याय है। अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में बड़ी—बड़ी + + + कि हम अन्य पिछड़े वर्ग के बहुत हिमायती हैं। भारत सरकार के इनके पास बार—बार पत्र आ रहे हैं। भारत सरकार कह रही है बार—बार, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री मदन दिलावर)

छात्रवृत्ति लागू कीजिए। उसमें 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार देगी। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकला अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। उनकी छात्रवृत्ति के बारे में विचार नहीं किया गया। यही नहीं सामाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों के कल्याण की बात जो बजट में कही गई है उसमें क्या किया गया कि विकलांग लोगों के लिए, जहां पिछली बार साढ़े तीन करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान था, उसको अब डेढ़ करोड़ रुपये के आस–पास कर दिया। यह कमजोर वर्गो के कल्याण कर रहे हैं। ये विकलांगों का कल्याण करेंगे। कहा गया कि हम विद्यालय खोलेंगे। किसके लिए ? विकलांगों के लिए। बहुत अच्छी बात है विकलांगों के लिए विद्यालय खोलना चाहिए। पर विमंदितों का क्या होगा ? विमंदितों के लिए क्या किया ? क्या विमंदितों के लिए विद्यालय नहीं होने चाहिए थे। क्या विमंदितों के विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहिए था। राजस्थान भर में विमंदित लोग कितने परेशान हैं। उस परिवार से पूछिये जिनका बालक विकलांग है, विमंदित है उसके ऊपर क्या बीतती होगी। दो जून की रोटी उसको मिलती नहीं उसके साथ में विमंदित बच्चा लगा हुआ है। उसकी पढ़ाई उसका स्वास्थ्य का और सबकी चिन्ता कौन करेगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी चिन्ता नहीं की गई और उसके बारे में बिलुकल साइलेंट हो गये। कुछ बोले नहीं । यही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुबह बड़े जोर से स्वायत्त शासन मंत्री जी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक प्रश्न अपनी पार्टी के विधायक से पूछवाते हैं। और पुछवाते क्या है कि डेली वेजेज पर काम करने वाले लोगों ने 50–50 हजार रुपये एडवांस नगर निगम से ले लिये। जयपुर नगर निगम से ले लिये। कितना असत्य बयान करवा रहे हैं। मामला यह था कि वे लोग फिक्स अमाउंट पर वहां नगर निगम में लगे थे। उन्होंने बाद में मांग की, कोर्ट में चले गये वे लोग। उन्होंने कहा कि हम यह वेतन नहीं लेते। बहुत लम्बा टाइम हो गया। किसी के शादी है, कोई बीमार हो गया। तो उन्होंने मांग की कि हम वेतन तो लेते नहीं वेतन के बदले में जितना है हमें दे दो, बाद में जब कोर्ट फैसला करेगी तो वेतन ले लेंगे। जितना वेतन नहीं था उससे भी आधा पैसा नगर निगम से उन्होंने एडवांस के रूप में लिया है। जो एडवांस नहीं है। यह कहना चाहिए कि वेतन के बदले में लिया है लेकिन स्वायत्त शासन मंत्री की आदत गई नहीं पुरानी आदत है अभी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए किस प्रकार का +++ षड़यंत्र रच सकते है, यह इनके चेहरे से देखा जा सकता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पूरा ही खड़ा हो जाता हूं। पूरा ही देखो न मुझे।

श्री मदन दिलावर : इनके चेहरे से देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये। बहुत सुन्दर है। बहुत सुन्दर है यह तारीफ तो हमारी भाभीजी भी कर रही थीं। कल सुना था मैंने ये बहुत सुन्दर लगते हैं।

डा.किरोड़ीलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाभीजी कौन सी ?

एक माननीय सदस्य : कोटा वाली।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों पर व्यवसाय कर। किनके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

ऊपर कर ? जो पांच हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह कमाते हैं, उनके ऊपर कर। क्या कर 50 रुपये प्रतिमाह उनसे लेंगे। गरीब को जानते हैं। गरीब के बारे में समझते हैं। गरीबी क्या होती है देखी ? कभी नहीं देखी। गरीब की व्यथा समझते नहीं। मैं यदि हिसाब बताऊं इनको तो ये आश्चर्य करेंगे। क्या उसका अंग बेचकर लेंगे ? क्या उसका खून बेचकर पैसा लेंगे ? क्या उसका अंग भंग करके काट कर बेचकर पैसा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कर्मचारी के साथ कम से कम 6 सदस्य में मानता हूं परिवार में। माताजी होंगी, पिताजी होंगे, दो बच्चे होंगे, दो स्वयं होंगे। यदि एक खुराक पर 8 रुपये भी वह खर्च करें एक टाइम पर जिसमें सब्जी भी आ गई, रोटी भी आ गई तो 6 सदस्यों का दोनों टाइम का 96 रुपये प्रतिदिन के होते हैं और दो चाय रोजाना वह पीये तो 18 रुपये रोज होते हैं। और यदि मकान किराये से लेकर रहता हो तो कम से कम 20 रुपये प्रतिदिन का उसका खर्चा होगा। यदि उसके पास वाहन भी नहीं हो, साइकिल भी नहीं हो और मिनीबस से आये—जायें तो कम से कम पांच रुपये उस परिवार का रोज खर्च होगा। पानी और बिजली पर भी कम से कम 10 रुपये प्रतिदिन खर्च होगा। और इन दो बच्चों को पढ़ाये तो कितना ही गरीब हो तब भी 10 रुपया प्रतिदिन उन बच्चों की किताब पर, बेग पर, स्लेट पर, पेन पर खर्च होंगे। परिवार के लिए कपड़ा, यदि वे सब मिलकर पहने पकड़ा साल भर, तो प्रतिदिन का मेरे आंकड़ों से जो बहुत गरीब होगा जो एक धोयेगा और दूसरे को निचोयेगा और वह पहनेगा तब भी 12 रुपये प्रतिदिन खर्च होगा। साबुन पर भी एक रुपया रोज का खर्चा होगा कम से कम।

श्री राजेन्द्र पारीक : सायंकाल वाले गंगाजल का नहीं बताया आपने।

श्री मदन दिलावर : कटिंग भी करवानी पड़ेगी। बाल बढ़ा कर साधु तो बन नहीं सकता। साधु बनना भी नहीं चाहिए, वह सामाजिक प्राणी है। एक रुपया प्रतिदिन उस पर खर्च होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारा मैंने अभी जोड़ा नहीं है जूता, चप्पल और अनेक ऐसे खर्चे होते हैं। इन सबको मैंने जोड़ा है, तो दो सौ रुपये प्रतिदिन बैठता है। दो सौ रुपये प्रतिदिन एक महीने का 6 हजार रुपये। अब पांच हजार एक रुपये कमाने वाले से 50 रुपये लेंगे उसका खर्चा होगा 6 हजार रुपये। क्या उसका खून निकालोगे फिर बेचोगे, कहां से लोगे ? माननीय वित्त मंत्री महोदय, क्या हिसाब लगाया था आपने, आप बहुत अनुभवी थे आपके बारे में बहुत सारी बातें राजस्थान विधान सभा में लोग कर रहे हैं। मेरा भ्रम टूट गया। मुझे बहुत दया आ रही है वित्त मंत्री महोदय के ऊपर। उन कर्मचारियों का क्या होगा ? कहां से पैसा लाएंगे लेकिन ये तो बिलकुल+ + +की तरह + + + होकर जैसे आपने + + +को देखा होगा, समझ कर यह कर लगाया।

प्रवेश शुल्क, प्रवेश होते ही शुल्क। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान के ऊपर भी प्रवेश शुल्क है, व्यापारी के ऊपर भी प्रवेश शुल्क है छोटा दुकानदार सामान लाएगा उसके ऊपर भी प्रवेश शुल्क है। खेत में जाकर अपनी गाड़ी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री मदन दिलावर)

खड़ी करेगा अनाज बेचने के लिए, वह आढ़तिया महोदय वहां के कहेंगे कि एक लाख का माल हुआ है आपका, लेकिन ले जाइये 98 हजार रुपये। दो हजार रुपये वित्त मंत्री जी के खजाने में भेजने हैं। दो हजार रुपये तो सीधे वहां काटे जाएंगे। चुंगी का नाम बदल गया है और इस प्रकार से यह किया गया है। अब सिंचाई की दरें। सिंचाई की दरें भी डबल। मैं तो इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि इस प्रकार सिंचाई की दरें बढ़ाई हों। अंधाधुंध जिस प्रकार से जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों के ऊपर गोलियां चलाई थीं उस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने सिंचाई की दरेरूपी गोलियां किसानों के ऊपर दागी है। बिजली के ऊपर भी एक पैसे से दो पैसा अभी तो दरें और बढ़ने वाली हैं। पता नहीं क्या होगा 10 पैसे से 20 पैसे, 15 पैसे से 30 पैसे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंगल सूत्र तक को नहीं बख्शा।

श्री श्रवण कुमार : बढ़ गई तो बढ़ गई भाभड़ाजी ने तो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं नहीं बोलना चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता।

श्री श्रवण कुमार : (व्यवधान) 50 लाख रुपये के बिके हुए देखिये दरें वापस ले ली। ये चन्दन मलजी हैं जो रुपये से नहीं लेते हैं ये चन्दन मलजी हैं।

श्री मदन दिलावर : मंगल सूत्र एक सुहागिन के लिए क्या चाहिए। एक सौभाग्यवती महिला के लिए सबसे पहली चाह होती है मंगल सूत्र मेरे गले में रहे। लेकिन उसे कर मुक्त नहीं किया गया। लगता है यह भान नहीं है इनको, मुझे पता नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल मीणा : नागपुर में कम किया होगा।

श्री मदन दिलावर : नागपुर में तो पता नहीं क्या—क्या हुआ था। डा. किरोड़ीलाल जी नागपुर में वह हुआ था जो आप आश्चर्य करेंगे कि कितनी माताओं और बहनों की इज्जत लूटी गई थी।

श्री राजेन्द्र पारीक : अलवर का भूल गये क्या ? अभी इतनी जल्दी भूल गये शालिनी कांड को। नागपुर जा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : कितनी बहनों का शील भंग किया था। मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता। इकरारनामे पर तीन प्रतिशत टैक्स। काश्तकार आपसी बातचीत करके इकरारनामे करवा लेते थे, काम चलाते थे। तीन प्रतिशत टैक्स। जहां काश्तकारों का 100 रुपये में काम चलता था वहां अब 3 हजार रुपये में काम चलेगा। 3 हजार रुपये उसकी जेब से खोसे जायेंगे। जूते—चप्पल पर टैक्स में छूट दी हुई थी, उसको भी नहीं छोड़ा। जूते—चप्पल पर भी अब लूट मचेगी। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोग आज कल बड़े राजा—महाराजाओं की तरह तो बर्तन रख नहीं सकते, स्टील के छोटे—छोटे बर्तन रखते हैं। बहुत सस्ता सामान लेते हैं, उस पर भी पांच सौ प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया है। अब गरीब आदमी काहे पर खायेगा, हथेली पर थोड़े ही खायेगा। उधर तो उससे पांच हजार से ज्यादा इनकम होते ही दूसरा टैक्स ले रहे हैं और इधर यह टैक्स और बढ़ा रहे हैं। कई लोगों के पास टी.वी नहीं होते और टी.वी नहीं होता है तो वह सिनेमाघर में जाकर अपना

(श्री मदन दिलावर)

मनोरंजन करता है। और मनोरंजन के लिए सिनेमाघर में जाता है तो कहते हैं ना कि कुएं में गये तो वहां भी मेंढ़क आकर माथे पर बैठ गया। यह हालत कर दी। वहां गया तो वहां पर उसे टिकट की दरें बढ़ी मिलीं, वापस रोता आयेगा। उस गरीब का मनोरंजन भी नहीं हो पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों की शादी में पांच हजार रुपये पहले ही राजस्थान सरकार देती थी। इस बजट में कहा कि विकलांगों की शादी सामुहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे इसलिए उसको चार हजार रुपये दिये जायेंगे। बहुत बड़ी बहादुरी कर दी आपने एक हजार रुपये घटा करके। विकलांग भाई—बहन की शादी में जहां पांच हजार रुपये दिये जाते थे उसको घटाकर चार हजार रुपये कर दिये हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बहुत बड़ी बात की। हरिजन बंधुओं के कल्याण के लिए क्या किया ? जो स्वच्छकार होते हैं, उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं जैसे वह राजस्थान का निवासी ही न हो। उनके कल्याण के लिए योजना सोची ही नहीं। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है उनसे ?

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आपने दो घंटे का समय अलाट किया था और मुझे लगता है कि या तो वह समय समाप्त हो चुका है या होने वाला है। थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे लेवें अन्यथा कल और सोमवार को जब आगे चर्चा होगी तो उस वक्त इनका नम्बर नहीं आ पायेगा।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वाल्मिकी समाज के विकास पर ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दिलावर साहब, आप बजट की स्पेलिंग जानते हो क्या ?

डा. किरोड़ीलाल : हम तो हिन्दी के समर्थक हैं।

श्री मदन दिलावर : हम तो सन् 1965 की बात भी जानते हैं और स्पेलिंग भी जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वाल्मिकी समाज के बारे में नहीं सोचा गया, बावरी जाति के बारे में नहीं सोचा गया, सांसी जाति के बारे में नहीं सोचा गया, कालबेलियों के बारें में नहीं सोचा गया, बंजारों के बारे में नहीं सोचा गया, ओड के बारे में नहीं सोचा गया, माली समाज के बारे में नहीं सोचा गया, गुर्जर समाज के बारे में नहीं सोचा गया, और तो और जाटों के बारे में तो कुछ सोच लेते, उन्होंने इतना प्रचण्ड बहुमत दिलाया है, उनको तो आरक्षण दे देते, उनके बारे में भी नहीं सोचा। फुटपाथ पर सोने वाले लोग जिनको कई बार ट्रक आकर कुचल देता है, बस आकर कुचल देती है, सड़कों पर पड़े रहते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके रहने के बारे में कहीं कुछ नहीं सोचा गया। बस पैसा लेना है। एक दिन भास्कर में एक चित्र देख कर तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री महोदय जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल रहे हैं यों करके। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी लूट मैंने कभी नहीं देखी।

उपाध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए, बाइबल रूपी पता नहीं क्या है जिन पर फोटो लगे हैं, वो मैंने देखा था और कहा था कि हम 60 वर्ष से 58 वर्ष रिटायरमेंट की आयु करने जा रहे हैं। उस समय लिखा था करेंगे और उन्होंने

(श्री मदन दिलावर)

कर दी। हमने भी उस दिन सोचा कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे बहुत सारे युवा साथी रोजगार से लगेंगे, नौकरियां मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या, वही ढाक के तीन पात। आज युवा लोग दर—दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूछ रहे हैं, ढूंढ़ रहे हैं बाहर, कहां है राजस्थान के वित्त मंत्री, कहां है राजस्थान के मुख्य मंत्री। टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं, लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं, पर मिल नहीं रहे हैं। यह युवाओं के ऊपर बड़ा जबरदस्त कुठारघात हुआ है। बेरोजगारों के ऊपर बड़ा कुठाराघात हुआ है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे काम किये थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत काम किये। जो अनुसूचित जाति के गरीब बालक हैं उनके पी.ई.टी.,पी.एम.टी, आई.आई.टी. में जितना खर्चा होता था एक रुपये से लगाकर 20 हजार रुपये प्रति दिन तक, सारा का सारा सामाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से देती थी। एस.टी.सी. के लिए, बी.एड. के लिए ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके 1 घंटा 33 मिनट पूरे हो गये। ढाई घंटे आपके टोटल हैं, दो रोज और बचे है। अभी विपक्ष के माननीय नेता बोलेंगे। इसलिए समय का थोड़ा ध्यान रखिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल में गौ माताएं मर रही हैं। गायों को मौत से बचाया जा सके इसके लिए क्या उपाय किये हैं ? गायों को बचाने का कोई इंतजाम इस बजट में नहीं है। शायद गाय को भूल गये हैं। ये अणुव्रत प्रेमी हैं। मैं समझता था कि ये तो गाय माता के बहुत बड़े पुजारी होंगे। बहुत बड़ा भ्रम था मेरे को उसके बारे में। और मैं यह भी सोचता था कि गांधीजी के अनुयायी है इसलिए टोपी पर भी कर माफ करेंगे। लेकिन टोपी को भी नहीं छोड़ा, उस पर कर लगा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोपी कौनसी है ? संघ की टोपी है या कांग्रेस की टोपी है ?

डा. किरोड़ीलाल : मेरे को पता लगा है कि सफेद टोपी तो टैक्स फ्री कर दी और काली टोपी पर टैक्स लगाया गया है।

श्री महेश जोशी : वित्त मंत्री जी बहुत लोकतांत्रिक है। उन्होंने अपनी टोपी पर टैक्स लगा लिया लेकिन आपके चश्मे पर टैक्स नहीं लगाया राजेन्द्र राठौड़ जी, यह ध्यान रखें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विद्वान माननीय सदस्य बैठे हैं। भंवरलाल जी बैठे हैं, गुलाब चन्द जी बोल चुके, किरोड़ी लाल जी है जो डाक्टर भी हैं, बहुत सारे हैं, क्यों कोटा स्टोन को खड़ा कर रखा है। बिठाओ इनको, समय खराब हो रहा है। सदन का समय बहुत मूल्यवान है। मैं निवेदन करूंगा कि मात्र आवाज उठाने के लिए ...(व्यवधान) सदन की कार्यवाही स्थगित कर दीजिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इतना मैं कह सकता हूं कि मैं तस्कर नहीं हूं। मैं कोटा स्टोन की धरती से आता हूं लेकिन तस्कर नहीं हूं।

डा. किरोड़ीलाल : यह तो बड़ा अन्याय है कि हमारे संघ की टोपी पर टैक्स लगा दिया, इसको तो आप टैक्स फ्री करवाओ।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी द्वारा यह कहा गया कि 18 हजार करोड़ की परिसम्पत्तियां बनेंगी और 23 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ज्यादा आर्थिक मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन एक मोटी बात समझता हूं कि इन्होंने जो यह कर्जा जोड़ा वह तो ब्याज सहित जोड़ा, और जो परिसम्पत्तियां जोड़ी वह जिस समय उसकी मूल लागत थी, वह जोड़ी। वित्त मंत्री महोदय मेरी बात सुन ले तो कुछ ध्यान आ जायेगा। 18 हजार करोड़ की तो आपने परिसम्पत्तियां बताई है, 23 हजार करोड़ से ज्यादा आपने कर्जा बताया है। आपने परिसम्पत्तियां तो जो मूल लागत है उसको बताया है और कर्जा ब्याज जोड़कर बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि टोटल परिसम्पत्तियों का आज का मूल्य लगाया जाये तो 60 हजार करोड़ से ज्यादा होगा लेकिन वित्त मंत्री महोदय राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पैसा खर्च होता है बजट में, क्या यह राजस्थान के विकास में खर्च होता है, क्या यह केवल भाटारूपी सम्पति के लिए खर्च होता है, क्या मीनारें, बड़ी–बड़ी बिल्डिंग बनाने पर ही खर्च होता है ? नहीं, गरीब लोगों के स्वांगीण विकास के लिए खर्च होता है। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने पर खर्च होता है, उनकी शिक्षा पर खर्च होता है, अनेक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा पर खर्च होता है, सामुदायिक योजनाओं पर खर्च होता है लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताने का प्रयास नहीं किया और लोगों में भ्रम बनाकर रखा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाड़ौती की जबरदस्त उपेक्षा की है। हाड़ौती की इतनी उपेक्षा की है, मैंने सारा बजट भाषण दो तीन बार पढ़ा कि इसमें कोटा का, बारां का, बूंदी का कहीं होगा। क्या झालावाड़ का, हाड़रानी जहां की वीरांगना हुई है, हाड़ौती को उस हाड़रानी के नाम पर जाना जाता है, वहां के विकास के लिए क्या किया, कुछ नहीं। जैसे तो हमसे दुर्भावना रख रहे हो, हमसे दुर्भावना रखो, कोई चिन्ता की बात नहीं है लेकिन हाड़ौती की जनता से किस बात की दुर्भावना है ? आपको 14 एम.एल.ए. दिये हैं, धारीवाल जी जैसे 14 एम.एल.ए दिये हैं फिर भी आखिर में इनकी गर्दन कटवाना चाहते हो ? आखिर में इनका वहां क्या करवाना चाहते हो। पानी की व्यवस्था नहीं, पेयजल की योजनाएं वहां नहीं बनेंगी, सड़कें वहां नहीं बनेंगी, विश्वविद्यालय वहां नहीं खुलेगा, कृषि विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा, अटरू में महाविद्यालय नहीं खुलेगा, छबड़ा में महाविद्यालय नहीं खुलेगा, शाहबाद में महाविद्यालय नहीं खुलेगा, अंता में महाविद्यालय नहीं खुलेगा। वहां जायेंगे सब लोग, क्या होगा ? 16 हजार प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे, कौन से जिसमें गांव वाले वहां मकान, भवन बानकर दे देंगे परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब मरेगी सासू कब आयेंगे आंसू, कैसे बनेंगे विद्यालय ? उन गरीब लोगों के, उस ढाणी में रहने वाले लोगों के, यह उपेक्षा करते हैं। भवन बनाकर

(श्री मदन दिलावर)

दे देंगे। आखिर में लोगों को भुलावे में डालने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए 16 हजार विद्यालय खोलेंगे। वित्त मंत्री महोदय, यह राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी, यदि आपमें दम हो तो जनता के बीच अकेले जाकर देख लो, बिना फोर्स के मत जाना, आपसे व्यवसाय कर वह वसूल कर लेगी, आपसे प्रवेश शुल्क भी वसूल कर लेगी, आपसे भवन बनाकर विद्यालय भी खोल लेगी। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में हाड़ौती की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाड़ौती में इस प्रकार का काम पूर्व में जो गति थी, उस गति के साथ काम होना चाहिए। मैं और इतना कहकर इस बजट का जबरदस्त विरोध करता हूं और विरोध इस बात का करता हूं कि इन्होंने पूरे राजस्थान के कर्मचारियों का, मजदूरों का, किसानों का, व्यापारियों का कचूमर निकाल दिया है इसलिए मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, किसान किसी को छोड़ा ही नहीं। आज आपने क्या कचूमर निकाल दिया, खून दे देंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे, खून मैं दूंगा, पैसा वित्त मंत्री जी लेंगे, ऐसा अन्याय कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं, पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरचन्द सिंह जी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू(पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में राज बदलना एक व्यवस्था है, अनेक बार राजस्थान में भी राज बदला है लेकिन अफसोस यह है कि आज तक हम उस व्यवसथा को नहीं बदल पाये जिसके लिए लोगों की आकांक्षाएं हैं। और उस व्यवस्था को बदलने का जिनमें नजरिया सामने आना चाहिए था, वह वित्तीय प्रबन्ध जिसको हम बजट कहते हैं। कुछ अच्छी व्यवस्थाएं वित्त मंत्री महोदय ने बजट में की उनकी, तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि जिस दौर में राजस्थान

(17:39 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

गुजर रहा है उसमें किसकी गलती है इस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। श्वेत पत्र हमारी सरकार ने जारी किया। उसमें यह बताया गया कि करीब 23 हजार करोड़ रुपये ऋण आज राजस्थान सरकार पर है। ऐसी कठिन परिस्थिति के अन्दर जो बजट पेश किया गया है उसके अन्दर जिस तरीके का प्रबन्ध वित्त मंत्री महोदय ने अपनी सोच के मुताबिक तैयार किया है, उसमें बहुत सारी बातें काबिले तारीफ है। लेकिन हम आंख मीचकर सभी बातों का समर्थन करते जायं या तारीफ करते जायं क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है कि हम संवदेनशील प्रशासन देंगे। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय, बजट प्रस्तुत करते वक्त आपके जो प्रस्ताव आये उनमें हर पहलू को देखा होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरे देश के अन्दर कृषि जगत में किसानों की फसलें बरबाद हो रही है और कृषक वर्ग कर्ज में दबता जा रहा है, फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों के अन्दर सामूहिक तौर से पूरे देश के विभिन्न भागों के अन्दर कृषकों ने आत्महत्याएं तक कीं। और राजस्थान के अन्दर, इस राजस्थान प्रदेश का पेट भरने वाले जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिसको हम इस प्रदेश को खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले जिले

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कहते हैं, उनके अन्दर करीब 125 गांव सरकार की गलत नीति के कारण सेमग्रस्त हो चुके हैं। लाखों परिवार बेघर हो गये हैं। उन सारे लोगों के सामने रोजी—रोटी का मसला पैदा हो गया है। पशुओं के लिए चारा नहीं, इंसानों के लिए पीने का पानी नहीं। आज उस सेम के लिए इस बजट में कहीं कोई नाम तक नहीं लिया गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है। यहां सवाल कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का या दूसरी पार्टी का नहीं है, सवाल संवेदनशीलता का है। आज उस पहलू को अछूता छोड़कर, मैं, आपकी भी बातें बताऊंगा, आप तसल्ली रखिये। उस पहलू को अछूता छोड़कर और आपने दूसरी तरफ आबयाना दुगुना कर दिया। वित्त मंत्री महोदय, आपने सोचा होता कि इस पूरे बजट के अन्दर ऐसा कोई कर नहीं जो आपने सौ प्रतिशत बढ़ाया है लेकिन एक यह आबयाना सौ प्रतिशत बढ़ा दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन विकट परिस्थितियों के अन्दर किसान इस पूरे देश के लिए इस धरती मां की छाती चीरकर उन ठण्डी रातों के अन्दर अन्न पैदा करता है, उसको कहीं नहीं बख्शा गया।

श्री मदन दिलावर : बराबर देखकर डरा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं आपसे निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि आप जो आबयाना सौ प्रतिशत बढ़ाया है, इसको युक्तिसंगत बनाते हुए जिसको काश्तकार वर्ग सहन कर सके, ऐसी सीमा तक ले आइये। पैसा चाहिए इससे कोई गुरेज नहीं करेगा, लेकिन बजट बनाते वक्त बहुत सारी बातें वित्त मंत्री महोदय आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि गंग—कैनाल 1927 में आयी, भाखड़ा सन् 1952 में आयी और सन् 1960 के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का पदार्पण इस प्रदेश में हुआ। नहर में पटरियों के ऊपर नहर बाउण्डरी में हमने शीशम के पेड़ लगाये, देशी कीकर के पेड़ लगाये। आज वे पेड़ अपनी उम्र पा चुके हैं। करीब 4 सौ करोड़ रुपये का टिम्बर जो रोजाना चोरी होता है, कटता है, अगर आज वित्त मंत्री महोदय, आप कोई समिति बनाकर उस टिम्बर को नीलाम करवाते, अच्छा प्रबन्ध करते, तो शायद किसी की जेब की तरफ कैंची चलाने की स्थिति आप अपने सोर्स खुद मोबेलाइज करते। दूसरा, नहर की बाउण्डरी के साथ जो जमीन बची हुई है, उस जमीन के साथ आप फलदार पेड़ लगवाने की, वन विभाग के लिए जो कुछ आपने बजट प्रस्तावों में इतनी भारी रकम का प्रस्ताव रखा है, खर्च करने का, वित्त मंत्री महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी बेशकीमती जमीन, जो नर्सरी के नाम से पूरे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्दर आरक्षित कर रखी है, आज उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है। वहां कोई पेड़ नाम की चीज नहीं मिलेगी। वह जमीन अवैध धंधें का कारण बन चुकी है। वहां पेड़ या नर्सरी नाम की कोई चीज नहीं है। अफसोस यह है कि अगर यह जमीन किसी भूमिहीन काश्तकार को दी गयी होती, वह इस राष्ट्रीय उत्पादन के अन्दर अपना योगदान करता। अपना पेटा भरता, अपना परिवार पालता। हमने अपने घोषण पत्र के अन्दर बहुत सारे वायदे किये हैं, वित्त मंत्री महोदय। हमने यह कहा कि जो भूमिहीन

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

काश्तकार हैं, उन लोगों को हम जमीन अलाट करेंगे। मैंने अभी एक सवाल पूछा था। उसके अन्दर आपने फिगर बताए हैं, 48 हजार सक्षम भूमिहीन काश्तकार गंगानगर और हनुमागढ के हैं। आपने घोषित कर रखा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को और सरकार को कि उन भूमिहीन काश्तकारों को जिनकी जमीन देने से हमने इन्कार कर दिया, वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी होशियारी के साथ जमीन बेचना और आवंटन का नाम दिया है। वित्त मंत्री महोदय, आप गांधीवादी विचारधारा के हैं, स्पष्टगोई हैं। लेकिन आपको ऐसी होशियारी नहीं करनी चाहिए थी। आपको साफ बात बतानी चाहिए थी।

जब राजस्थान में बिस्वेदारी उनमूलन एक्ट आया तो उन एक्स जमींदारों को आपने गंगानगर जिले के अन्दर बेशकीमती जमीन अलाट की। पोंग बांध के लोग। मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रदेश के लिए, डैम बनाने के लिए जमीन दी लेकिन उनको जमीन दी गयी। इस प्रदेश के गाड़िया लुहारों को अलाटमेंट किया गया गंगानगर जिले में किया गया। गेलेण्ट्री अवार्डस प्राप्त लोगों को जमीन दी गयी तो गंगानगर जिले में दी गई। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स थे, मान्यवर, उनको भी गंगानगर जिले में जमीन दी गयी। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब द्वितीय चरण के अलाटमेंट की बात आयी तो सरकार ने साफ इन्कार कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे चूरू और नागौर के लोग।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जमीन रिजर्व है उनके लिए, कौन कहता है कि नहीं है। उन सब-केटेगरीज के लिए जमीन रिजर्व है, अभी भी है। जिनकी बात आप कह रहे हो, उनके लिए जमीन आरक्षित है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : नहीं है, आपको ध्यान नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मुझे पूरा ध्यान है।

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आपको इस बारे में पता नहीं है। आप उस बारे में नहीं जानते हैं। (व्यवधान)

वह जमीन जो विशेष आवंटन के जरिये से नीलामी होगी, भूमिहीन काश्तकार पाने की क्षमता नहीं रखता है। हमने गंगानगर जिले के अन्दर जमीन का अलाटमेंट करवाया है। और उस जमीन की कीमत 20—25 हजार रुपये मुरब्बा थी, उसकी भी 16 किस्तें थीं। उन किस्तों के अभाव के अन्दर, किस्तें वह काश्तकार जमा नहीं करवा पाया। उनकी जमीनें नीलाम हुई और आज यहां विशेष आवंटन के अन्दर पौने 4 लाख और 4 लाख रुपये की कीमत तय की गयी है। यह आवंटन नहीं है।

कई माननीय सदस्य : शेम—शेम।

श्री चन्दन मल बैद : आपकी ही तय की हुई हैं, शेम—शेम किसको कह रहे हो। (व्यवधान) ये किस्तें आपकी ही तय की हुई हैं। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : शेम नहीं है यह सजेशन है (व्यवधान) आप लोगों की... (व्यवधान) शेम—शेम किसको कह रहे हो, आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्री जी कह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहे हैं कि ये सारी कीमतें पूर्ववर्ती सरकार की है। वित्त मंत्रीजी, पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुछ अच्छे काम नहीं किये हैं। तो उसके नतीजे भुगत रहे हैं, यहां बैठे हैं। आप भी इस रास्ते से आना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इनका राज जनता ने रद्द कर दिया, आप इनके आर्डर को रद्द कर दो।

श्री चन्दन मल बैद : आप शेम–शेम कर रहे हैं, ये प्राइसेज तो आपने तय किये थे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और अब मैं निवेदन करूं।

श्री चन्दन मल बैद : निवेदन क्या कर रहे हैं। आपने तय किये थे और आप ही शेम कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको थोड़ा दुरूस्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, विशेष आवंटन के काम में जरूर नीतिगत निर्णय लिया गया था। पर उसके अन्दर भी केटेगरीज बनाई गयी थी। 25 प्रतिशत जमीन को विशेष आवंटन औन शेष भूमिहीन काश्तकारों को आवंटन करने का फैसला है। आप देख लेना।

श्री चन्दन मल बैद : आपको गलतफहमी है। आपने यह निणर्य लिया था कि 50 प्रतिशत साधारण आवंटन, 50 प्रतिशत विशेष आवंटन। विशेष आवंटन की प्राइस आपने तय की थी और साधारण आवंटन की प्राइस भी आपने तय की थी। मैंने अभी तक उसमें कोई फेरबदल नही किया है।

एक माननीय सदस्य : तो कर दो।

श्री चन्दन मल बैद : कर दो,नहीं कर दो, यह दूसरी बात है। वह सरकार आपकी थी। हमारी सरकार हमारी है। आपने अपनी मर्जी से किया, हम अपनी मर्जी से करेंगे।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : दुगना रेट किया, 52 हजार से एक लाख रुपये किये। साधारण आवंटन के 52 हजार से एक लाख रुपये किये। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिए, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसान का मामला है, आपकी कलम से ठीक नहीं हो सकता है। यह आप लिख लो। आपके मन में जो किसान के प्रति भावना है, इसलिये आप अपनी कलम से किसान का भला कर ही नहीं सकते हैं।

श्री मदन दिलावर : दुर्भावना है किसान के प्रति । (व्यवधान) किसान के प्रति जबर्दस्त दुर्भावना है, इसलिये आप कर ही नहीं सकते है। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : यह प्रचार आपके नेता ने मेरे लिये बहुत किया है। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : दुगना रेट कर दिया, दुगना रेट।

श्री चन्दन मल बैद : आपके नेता ने यह प्रचार बहुत किया है। (व्यवधान) लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ आज तक। (व्यवधान) आप भी कर लीजिए, दिल भर के कर लीजिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप बोलिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैंने जिस व्यवस्था का शुरू में जिक्र किया था, वह मुझे यहां साफ

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

दिखाई दे रही है। वह व्यवस्था इसलिए नहीं बदली कि जब राजेन्द्र सिंह जी मंत्री थे उस वक्त उनको काश्तकार की यह पीड़ा नहीं सता रही थी। उनके मद था। लेकिन उस वक्त और आपके राज के अन्दर आप में यह भी हिम्मत नहीं थी कि आप सच्ची बात कह पाते। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपने स्वास्थ्य मद के ऊपर काफी कुछ बजट प्रस्ताव रखे हैं, स्वागत योग्य हैं। लेकिन आज सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां भी हम देखते हैं वहां सारा का सारा गड़बड़ प्रबन्धन का है। प्रबन्धन सही नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं। माननीय भैरोंसिंहजी साहब, सुबह कोई हजार करोड़ रुपये के कर्ज बताने की और वित्त मंत्री महोदय की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि इतने भारी कर कभी नहीं लगे। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा कर देने की क्षमता लोगों में हैं। लेकिन गारण्टी यह होनी चाहिये कि इस कर से राजस्थान प्रदेश की जनता का भला होगा। लेकिन आज जो सड़कें आप बता रहे हो, इतने हजार किलोमीटर सड़कें बना दी, उन सड़कों की गुणवत्ता क्या है। क्या आज वे सड़कें दिखाई दे रही हैं। इन सड़कों का कहीं नामोनिशान नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह सड़क मंत्रीजी का भी नाम हटा दिया यहां से।

श्री सभापति : आप तसल्ली करिये। आर्डर प्लीज।

श्री चन्दन मल बैद : दिलावर साहब, हाड़ौती का नाम ले रहे हैं यहां।

(17:49 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : उपाध्यक्ष महोदय, हर स्तर पर जो बजट प्रस्तावों से रकम विभागों को दी जाती है, उनके अन्दर छीजत होती है। यही छीजत है जो इस प्रदेश के विकास के अन्दर घुण बनकर खा रही है इस प्रदेश को। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप जितने ही बजट प्रस्ताव पेश करते जाइये, रकम का डि-मार्केशन करते जाइये, विकास नाम की कोई चीज सामने नहीं आएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपका समय पूरा हो रहा है, समाप्त करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : अच्छा बोल रहे हैं, साहब, बोलने दीजिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : साहब, मैंने तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 मिनट ही बोला है और अगर आपको यह बुरा लगता है तो मैं बैठ सकता हूं। हर स्तर पर छीजत और यह छीजत ही रोग है इस बजट को खाने का। वित्त मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब बजट प्रस्ताव आपने तैयार किये होंगे तो इसका कोई ना कोई आधार जरूर होगा। पर केपिटा इंवेस्टमेंट एक आधार होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो विकास के काम होते हैं, उन कामों के अन्दर आपने स्कूल की घोषणा कर दी कि हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन वे स्कूलों के भवन उन गांवों के काश्तकार ही बनाते हैं। उन गांवों के रहने वाले लोग बनाते हैं और उनको अपना कंट्रिब्यूशन देना पड़ता है। दूसरी तरफ जो दोतरफा व्यवहार है, शहर के अन्दर आज तक कहीं पर भी पर्सनल

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कंट्रिब्यूशन से कोई संस्था खड़ी हुई हो,ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया। न कोई यहां के विकास के अन्दर जो कुछ योगदान, लोकल इन्वाल्मेंट का होना चाहिये था, वह कहीं नजर नहीं आता। लेकिन गांव के अन्दर आप अगर छोटा सा औषधालय भी खोलेंगे तो उसके भवन के निर्माण के लिए सैल्फ कंट्रिब्यूशन इन्वाल्वमेंट चाहिए। इसलिए आप मेहरबानी करके गांवों में जो गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों की तरफ़ विशेष तौर से ध्यान दें। उनको राहत पहुंचाने की बात करें। वित्त मंत्री महोदय, प्रवेश कर आपने फरमा दिया। लेकिन अपन को शर्म क्या आती है कि हम इसको चुंगी कर भी कहते हैं। चाहे कान हम यूं पकड़े या चाहे कान यूं पकड़े, वह है तो वह का वह, जिसका हम नाम नहीं लेना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहते। इसलिए प्रवेश कर के लिये भरतीय जनता पार्टी के लोग जो +++ रहे हैं वह बेकार है। प्रवेश कर या चुंगी कर जो कुछ भी दिया करता था, वह काश्तकार देता था। वह अपनी उपज लेकर आता था तो वह पैसा देता था। लेकिन वह विकास के नाम पर पैसा देता था कि वहां विकास हो इसलिए देता था। इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो वह लोग देते थे, व्यापार करने वाले लोग, उससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी और जब भी इनकी यहां पर मीटिंग्स होती तो यह इन पर दबाव बना रहता था कि नहीं साहब, इस चुंगी को तो हटाओ, यह इंस्पैक्टर राज है, यह भ्रष्टाचार है।

दूसरा, श्रीमन्, जो रोडवेज की बसें और इनके बराबर जो प्राइवेट बसें चल रहीं हैं, जिनको ट्यूरिस्ट बसें कह रहे हैं। यह रोडवेज की, प्राइवेट सैक्टर में चलने वाली यह जो बसें हैं, यह हमारी इस निगम की पूरी कमाई को खा रही है। इसलिए मेहरबानी करके जहां भी हम देख रहे हैं यह सारा का सारा प्रबन्ध सही नहीं होने की वजह से यह पैसा छीजत जा रहा है। इसी की वजह से हमको लोगों पर टैक्स लगाने पड़ते हैं। अगर यह व्यवस्था सुधर जाए तो मैं नहीं सोचता कि कहीं कोई कर लगाने की स्थिति पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, बारबार आसन से यह अर्लाम खड़कता है, फिर भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने धीरज से मेरी बात को सुना और मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरे इन विचारों पर गौर फरमाते हुए कुछ भी राहत किसानों को दे पाये तो मेहरबानी करके दीजिए। मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बज़ट का भरपूर समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि और भी अच्छे तरीके से हमारे वित्त मंत्री ऐसी और व्यवस्थाएं करें, ताकि इस प्रदेश के अन्दर विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में इजाजत चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोर्द्धन कल्ला।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी(उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य के भषण के समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट ?

श्री महेश जोशी : हां, 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर वाद विवाद

श्री गोवर्द्धन कल्ला(जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का स्वर्ण जयंती वर्ष है। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि दूंगा उन सेनानियों को जिन्होंने इस राज्य के निमार्ण में योगदान दिया। लोकनायक माणिक्यलालजी वर्मा, जयनारायणजी व्यास, हीरालालजी शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट आदि अनेक लोगों ने इस राजस्थान के वर्तमान निर्माण में योगदान दिया, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं।

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। जिन परिस्थितियों में, जिस आर्थिक परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, वे धन्यवाद के पात्र हैं। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार ने एक आर्थिक श्वेत–पत्र प्रस्तुत किया उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा, पर मैं निश्चित तौर से यह बात कहूंगा कि जो चर्चाएं सदन में चल रही हैं कि चालीस वर्ष में कांग्रेस के शासन में और आठ वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी विकास हुआ, उसकी तुलना की गयी, मैं उसे ठीक नहीं मानता। विकास एक सतत् प्रक्रिया होती है। जो भी राज्य सरकार होती है, वह विकास करती है। राजस्थान का विकास प्रारम्भ हुआ। हमें लग रहा था सन् 1990 में कि हम पहुंच रहे हैं उस स्टेज पर, जहां पर हमारा आर्थिक विकास प्रगति करेगा। अर्थ तंत्र में एक टेकऑफ स्टेज होती, जहां से स्वतः ही उस देश और क्षेत्र का विकास होता है । दुर्भाग्य है कि जिस गति से, जिस एक्सीलरेशन से आर्थिक विकास होना चाहिए था, किन्हीं कारणों से वह अवरुद्ध हुआ। मैं आक्षेप नहीं करूंगा परन्तु जो आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं, वे खुद ही उसकी जुबानी है कि किस प्रकार का विकास हुआ। मान्यवर, जो आर्थिक ढांचा तैयार किया गया, ऋण आदि की चर्चाएं की गयीं। इन आंकड़ों के ऊपर यहां पर कहा जा रहा था कि रिजर्व–बैंक के आंकड़े कुछ अलग हैं और सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, वे अलग हैं। यह आंकड़ों का खेल स्टेटिस्टिक्स जो होती है, वह अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती है। और यह सही है कि इन वर्षों में जो कर चढ़ा है राजस्थान पर, वह वास्तव में उचित नहीं है। चालीस–पचास वर्ष के बाद भी यदि कर्ज के भार से हम अर्थतंत्र को ढोते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वह अर्थतंत्र ठीक हो सकता है। ऋण लेना, विकास के लिए ऋण लेना आवश्यक है परन्तु उस ऋण की पुनरावृत्ति करते जाना, ऋण को ब्याज में चुकाते चले जाना, वह अर्थतंत्र ठीक नहीं रहता, ऐसी मेरी मान्यता है।

मान्यवर, जो श्वेत–पत्र प्रस्तुत किया है इन आठ वर्षों के काल का, उसमें देखा कि ग्रोथ रेट जो सात प्रतिशत 1990 में थी वह रिड्यूस होकर 3.35 प्रतिशत रही। यह आंकड़े श्वेत–पत्र से आये हैं। उनके बारे में किसी ने इन्कार नहीं किया है।

नाइंथ पंचवर्षीय योजना हमने प्रस्तुत की। राजस्थान उस और गति में जा रहा है, परन्तु सातवीं पचंवर्षीय योजना और नवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में जो विकास की गति रुकी है,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

उसके लिए कौन दोषी है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा ।

मान्यवर, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि देश में हमने एक अर्थतंत्र पैदा किया है। अर्थतंत्र को एक दिशा दी है। इस देश की एक मिक्स्ड इकॉनोमी होगी, एक ऐसी अर्थ– व्यवस्था होगी जिसमें निजी क्षेत्र भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करेगा। नेहरू मॉडल का एक

(18:00 बजे)

अर्थतंत्र प्रदेश में चालीस वर्ष चला और प्रदेश प्रगति करके बहुत आगे बढ़ा। यह मेरी निजी मान्यता है। परन्तु बीच में अभी जो व्यवधान आया है इस वैश्वीकरण से, और इस निजीकरण में, मैं मानता हूं उससे देश के अर्थतंत्र को जो गति मिलनी चाहिए थी, जो एक्सीलरेशन मिलना चाहिए था, उसमें अवरोध पैदा किया है। निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र अलग है। 90 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था के विकास के लिये हमें अपना ही मॉडल बनाना चाहिये था, न कि हम विश्व के अन्य देशों के पिछलग्गू बनकर के आगे बढें।

मान्यवर, हमारे वित्त मंत्री ने कुछ टैक्स लगाये। उनके बारे में चर्चाएं कीं, मैं उन्हें नहीं कहूंगा। परन्तु जो विकास की बातें उन्होंने रखी, गरीब और सामाजिक पिछड़े लोगों के विकास के लिये जो अनुदान आदि की व्यवस्था की, उसके लिये वह साधुवाद के पात्र हैं। एक बात मैं अवश्य कहूंगा सदन को, कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया है, वह कुल राजस्व व्यय का 13.556 करोड़ में 2.675 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, जिसमें कि अधिक पैसा उच्च शिक्षा में खर्च हो जाता है तो मूल प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहिये । जैसा कि अमर्त्यसेन जी का नाम सदन में आज लिया गया, उन्होंने इंगित किया है कि आज भी इस देश में जो अशिक्षा है, वह हमारे लिये एक कलंक है। उस कलंक को मिटाने के लिये साक्षरता अभियान चलाया है। राज्य में और भी अन्य कई व्यवस्थाएं की हैं, उसके बावजूद भी जो प्राइमरी एजुकेशन की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अभाव में हम अपनी अशिक्षा को नहीं हटा पाये, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

बजट में 16 हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहूंगा, उनसे मेरी अपेक्षा है कि गांवों में, राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना चलती है। अच्छा होता उसी शिक्षा को आगे बढ़ाकर उस और जाते। 10 जिलों में डी.पी.ए.पी. की व्यवस्था की बात की है। सारे राजस्थान का एकीकरण होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में हम निश्चित रूप से चिन्तित हैं कि किस तरह से हमारी बार–बार नीतियां बदलती हैं। इसके प्रभाव से पूरा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहां छोटी ढाणियां हैं, जहां चालिस बच्चे हैं, वहां हमारे शिक्षाकर्मी विद्यालय चले। जहां पर 100–150 बच्चे रख सकते हैं वहां प्राथमिक विद्यालय हों। इस तरह से क्रम आगे बढ़ता चला जाए। ऐसी मेरी मान्यता है।

एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाऊंगा। हम हर जिले में टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं। एस.टी.सी. के अध्यापक ट्रेण्ड करके हम छोड़ देते हैं। तीन–तीन वर्ष तक भटकते रहते हैं। विशेष कर सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़मेर में 800

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

अध्यापक, जैसलमेर में 450 अध्यापकों की आज वेकेन्सी है और हजारों नौजवान अध्यापक आज सड़कों पर घूम रहे हैं। मान्यवर, मेरी ऐसी मान्यता है, क्यों नहीं उन अध्यापकों को, जो एस.टी.सी.ट्रेनिंग में जाते हैं, हम उनको मान ले कि हमें इतने अध्यापक चाहिए। उसको ट्रेनिंग दिलाकर हम ऐसी व्यवस्था करें और ट्रेनिंग करने के समय माना जाए कि वह उसके बाद में सरकारी या अन्य विद्यालयों में प्रवेश पा सके और आगे पढ़ाई का काम कर सके। इस तरह से एक ऐसी स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए शिक्षा के बारे में, ऐसा मेरा मानना है।

राजस्थान में और देश में कई अनुदानित शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, निजी क्षेत्र में। परन्तु मुझे लगता है कि राजस्थान में कई वर्षों से शायद उस ओर ध्यान नहीं दिया गया 1500—2000 रुपये वेतन देकर निजी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं, जिनमें उन शिक्षकों का शोषण हो रहा है। इसलिये उस ओर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

मान्यवर, इसी में मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर प्राइमरी एजुकेशन में यदि हम टोटल राजस्व व्यय का 6 प्रतिशत व्यय कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। ऐसा मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है।

दूसरा, विद्युत के बारे में चर्चाएं कीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा था कि रामगढ़ पॉवर हाउस, जो गैस आधारित है, में 70 मेगावाट की टरबाइन लगायी जाएगी। वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि बजट भाषा में या बजट के आंकड़ों में उस पॉवर प्लान्ट पर, जो गैस आधारित है, उसको बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल दो मेगावाट का एक प्लान्ट लगाने की बात है, जो विण्ड आधारित पॉवर प्लान्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर 135 मेगावाट का क्रिएट किया गया। ट्रांसमिशंस अलग लगाये गये। क्वार्टर्स बनाये। पानी ले आये नहर से और अभी मात्र 35 मेगावाट की टरबाइन लगी है। यदि एक टरबाइन और लग जाती है, 70 मेगावाट होने के बाद में, 30 मेगावाट का उत्पादन मात्र एग्जास्ट से जो गैसेज निकलेगी, उससे उत्पादन होगा। जिसके लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और जो टरबाईंस वहां लगी है, हमें बताया गया है कि गैस की वहां डिफिकल्टी है। जो गैस आथॅारिटी आफ इण्डिया है, उसके अंदर ग्रेड्स भी तय नहीं हुए है केन्द्र सरकार से और नेफ्था बेस भी । यदि पॉवर हाउस चलाना चाहें तो चल सकता है। मेरा वित्त मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी से निवेदन है कि कुछ और ध्यान दिया जाए।

मान्यवर, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए गत बार भी मैंने सदन में चर्चा की थी कि सीमाएं हमने नहीं बनाई। जैसलमेर की सीमा है, बीकानेर की सीमा है, बाड़मेर की सीमा है, यह राष्ट्र की सीमाएं हैं। और राष्ट्र का दायित्व है कि इन सीमावर्ती क्षेत्र का भी विकास करे। जहां पूर्वी राजस्थान के जिलों में शत—प्रतिशत विद्युतीकरण हो रहा है, वहां हमारे जिले में 25 से 30 प्रतिशत पर हम लटक रहे हैं। हमारा निवेदन है कि उसी क्षेत्र में जहां हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, वर्तमान में जैसलमेर में 25 मेगावाट का हम उत्पादन कर रहे हैं और वहां मात्र 5 मेगावाट ही हमारी आवश्यकता है। फिर भी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हम कनेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि जिस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, कम से कम वहां पर विद्युत का इन्तजाम करें।

चिकित्सा के बारे में चर्चा हुई। मेरा ऐसा मानना है कि जिला चिकित्सालयों में जो मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज बनी हुई है, उनका परिणाम मुझे अच्छा नहीं लगा। हर गरीब आदमी जब चिकित्सालय पहुंचता है तो कहा जाता है कि एक रुपया लाइये तो आपको आउट—डोर में जगह मिलेगी। 5 रुपये लाइये तो आपको बेड मिलेगा। खून तपासने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये राजकीय चिकित्सालय गरीबों के लिए है, जो व्यवस्था नहीं कर पाते। अमीर लोग तो निजी चिकित्सालयों में चले जाते हैं। तो राज्य का दायित्व है कि हम चिकित्सा उपलब्ध कराएं और वह मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी की यह व्यवस्था की है। यदि हम छोटी—मोटी व्यवस्था पर राज्य व्यवस्था से इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि इसका उपयेाग नहीं हो रहा है। यह मेरा निजी अनुभव है। मनमाने तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस पर विचार किया जाए कि इन चिकित्सालयों में मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए।

मान्यवर, सीमांवर्ती क्षेत्र में जहां अभी नर्सिंग ट्रेनिंग सेण्टर्स आदि हैं, परन्तु हो क्या रहा है कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं शिक्षित नहीं है और वहां पर पहुंच नहीं पाती हैं और दूसरे क्षेत्रों की महिलाएं वहां नर्सिंग ट्रेनिंग लेकर ट्रांसफर करवाकर चली जाती हैं। हमारे चिकित्सालय खाली पड़े हैं। यह हमारी दशा है। इस ओर भी मेरा सुझाव है कि दुर्गम क्षेत्र में, सीमान्त क्षेत्र में, जैसे ट्राइबल एरियाज में बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है तो वहां हमारे नर्सेज के लिए कोटा रिजर्व करें जिससे कि वहां की महिलाएं प्रशिक्षित होकर वहां रह सकें।

मान्यवर, यहां प्रश्न उठा, अभी बड़ी जोर से नयी निुक्तियों की चर्चा चली। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो बड़े जोर से सुबह कह रहे थे, मेरे जिले में 60 प्रतिशत से राज्य चलता है, प्रशासन चलता है। ऐसी व्यवस्था है। 30 प्रतिशत वेकेन्सी है हर क्षेत्र में। जिला कलेक्टर से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर, चिकित्सा से लेकर 30 प्रतिशत वेकेन्सी है मेरे जिले में। ये मेरे आंकड़ें नहीं हैं, राज्य के हैं। आप उसको देख लें। एक चिकित्सालय जिला हैडक्वार्टर पर, राठौड़ साहब यहां बैठे हुए हैं जो पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग देखते थे, 105 वेकेन्सी चिकित्सालयों में है। 2 एम्बुलेंस हैं, ड्राइवर नहीं है। हटा दिया गया कि दो साल से नियुक्ति नहीं हुई, इसके पद को हटाया जाता है। मान्यवर, एम्बुलेंस है पर ड्राइवर नहीं है। इस व्यवस्था को हमें बदलना पड़ेगा। यह सारी व्यवस्थाएं किस तरह से चलेंगी।

मान्यवर, सड़कों के बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा। एक चीज अवश्य कहूंगा कि जो सड़कें विभिन्न एजेंसियों से बनती हैं, पंचायतें बनाती हैं, डी.आर.डी.ए बनाती हैं, वहां के पी. डबल्यू. डी. विभाग को उसमें लेना चाहिए और लेकर के उसकी मेंटीनेंस की आगे व्यवस्था करें ऐसा मेरा निवेदन है।

मुख्य समस्या, नहर की अभी हमारे सरदारजी चर्चा में कह रहे थे आई.जी.एन.पी की। 1958 में गोविन्द वल्लभ पन्त जी ने जब

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इस राजस्थान नहर का निर्माण प्रारम्भ किया तो हम आशाएं लगाए बैठे थे कि नहर में पानी आएगा और हमारा किसान वहां खेती करके अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। परन्तु दुर्भाग्य है कि गत 8 वर्षो में उपनिवेशन के काम में जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए वह शून्य रही, कहने में मुझे शंका नहीं है। अभी आज जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पोंग डैम आदि की व्यवस्थाएं जो आरक्षित हैं, अभी भी आरक्षित हैं, पड़ी हैं वैसी की वैसी। और गत आठ वर्षो में उपनिवेशक काम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं हमारे वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 200 करोड़ का प्रोविजन किया है। इसमें स्पष्ट है कि 50 प्रतिशत जमीन वहां के गरीब किसानों को जो बिना जमीन बैठे हैं, उनको मिलेगी और 50 प्रतिशत जमीन विशेष आवंटन के आधार पर दी जायेगी।

सेम की समस्या के बारे में चर्चा आयी। मेरा ऐसा मानना है कि जिस क्षेत्र में राजस्थान नहर चल रही है, इंदिरा गांधी नहर चल रही है वहां नीचे निश्चित या तो बेन्टोनाइट है या जिप्सम है। और वहां सेम की समस्या आने वाली है। तो मेरा मानना है कि अभी से इस बजट में कुछ थोड़ा बहुत प्रोविजन किया है। आपके फव्वारा पद्धति का 20 हजार का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही जहां गंगानगर जिले की चर्चा की, वैसे पूरी सिंचाई व्यवस्था, जहां फ्लों इर्रिगेशन है, उस जगह यदि वैज्ञानिक तरीके से हम फव्वारा पद्धति से सिंचाई करें तो पानी बचेगा, अधिक जगह सिंचाई होगी और सेम से भी हम बच पायेंगे।

कई योजनाएं आठ—नौ वर्ष पहले बनी थीं। पोकल लिफ्ट योजना और कई छोटी—मोटी योजनाएं जिससे इंदिरा गांधी नहर से हम पानी लेकर बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचाई दे सकते थे, वह इन वर्षो में बंद रही।

सबसे बड़ी समस्या है, इस क्षेत्र में कमांड एरिया डवलपमेंट्स का काम बिलकुल बंद रहा। सैकड़ों नये गांव सिंचित हो सकते थे। मुझे कहने में यह शंका नहीं कि सी.ए.डी की तरफ साइमलटेनियशली काम चलना चाहिए। नहर आ रही थी, हमारे गरीब किसान वहां चले गये। वहां विद्यालय नहीं, वहां चिकित्सालय नहीं, वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, वहां बिजली नहीं, किसान कैसे बसेगा। उनको बसाने के प्रति आठ वर्षो में कोई योजना नहीं बनायी गयी। इससे सारा क्षेत्र प्रभावित है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बजट में विशेष प्रोविजन कर के उस ओर ध्यान देना चाहिये। मात्र सी.ए.डी का करके उसे छोड़ना अच्छा नहीं।

अकाल की समस्या की हमारे कुछ मित्रों ने यहां चर्चा की। मुझे यह कहने में शंका नहीं कि गत वर्ष तीसरा साल कंटीन्यू हमारे जैसलमेर जिले में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी दो मिनट हैं, मैं समाप्त कर दूंगा। 15 मिनट समय बढ़ाया है आपने, मैं घड़ी देख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बंद थोड़ी किया है, आगाह किया है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : तीन साल से कंटीन्यू अकाल है। गत वर्ष जून के महीने में हमारे

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कार्य प्रारम्भ किये। एक जून से कार्य प्रारम्भ करके 30 जून को काम बंद कर दिये। अभी सरकार को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने काम प्रारम्भ किये। पर उस काम से हमें जो संख्या मिलनी चाहिए, उस संख्या को बढ़ाना चाहिए। विशेषकर पशुओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे जिले में मनुष्य से पांच गुना पशु हैं। और हमारा, मनुष्यों का दायित्व है कि उन पशुओं को जिंदा रखें। हमारा आधार है वह। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

वन की चर्चा की यहां पर। वन में एक क्लस्टर योजना चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि वन मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे कि वह योजना कैसे चले। उस क्लस्टर योजना में कई त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को कम करें।

उद्योग के बारे में, माइंस के बारे में कहना चाहूंगा। हम लाइम स्टोन भेजते हैं। हिन्दुस्तान के सभी स्टील प्लांट्स में लाइम स्टोन जैसलमेर से जाता है। रोज ट्रेन की दो–तीन रैक जाती हैं। हम करोड़ों रुपये की आय दे रहे हैं वहां पर। उसके बाद में जो छोटा माल बचता है उस लाइम स्टोन का उसके लिए आज तक कई सीमेंट प्लांट्स लग सकते थे उस एरिया में। गैस वहां है, पावर वहां है, पानी वहां है। आज तक सीमेंट प्लांट क्यों नही लगा ? उद्योग मंत्रीजी यहां बैठे हैं। इसकी ओर ध्यान दें कि उस क्षेत्र में हमारा जो रा–मैटीरियल है, वेस्ट पड़ा हुआ है। उसके ढेर लगे हुए हैं, उसके पहाड़ बन गये हैं। उसी रा–मैटीरियल के आधार पर, गैस पावर के आधार पर, नहर के पानी के आधार पर सीमेंट प्लांटस वहां स्थापित हों तो हम बहुत सस्ता सीमेंट दे सकते हैं, उत्पादन दे सकते हैं।

यही झगड़ा है, अभी बीच में 700 करोड़ की हमारी योजना बनायी गयी थी पब्लिक सैक्टर में।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी दो मिनट हैं, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

700 करोड़ की योजना हमारी बनायी गयी थी पब्लिक सैक्टर में, जिसमें स्टील प्लांट्स अथारिटी और सब लोग, आर.एस.एम.एम. और जिंक स्मैल्टर वाले साथ थे, वह योजना बंद कर दी गयी प्राइवेटाइजेशन के लिए । इसलिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार उन सीमेंट प्लांट्स को अपने हाथ में लें और उद्योग को आगे बढ़ाये।

इन्हीं शब्दों के साथ में अधिक नहीं कह कर यह कहना चाहता हूं कि उद्योग के नाम जो बड़े–बड़े होटल्स क्रियेट कर दिये गये, सब्सिडी दी गयी, उस ओर ध्यान दिलाऊंगा।

मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 2 अप्रेल,1999 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.15 बजे शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर)

नागरिक अधिकार पत्र प्रकरण

103. श्री भीमसेन चौधरी(लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाद्य विभाग ने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करके लागू किया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकार पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नागरिक अधिकार पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या था तथा उसे लागू क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, । नागरिक अधिकार पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। विभाग के परिपत्र दिनांक 3.8.98 द्वारा नागरिक अधिकार पत्र के अधिकतर प्रावधानों को लागू कर दिया गया है, जो दिनांक 12.8.98 से प्रभावी हो गये हैं। शेष प्रावधानों के संबंध में कुछ संशोधन जारी करना शेष था। इन संशोधनों को जारी करने की प्रक्रिया जारी है।

(2) उक्त नागरिक अधिकार पत्र जारी करने का उद्धेश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाने, राज्य कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्तरदायित्व एवं नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास में वृद्धि करना रहा है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला डूंगरपुर के भवन विहीन छात्रावास

104. श्री नाथूराम अहारी(डूंगरपुर) : क्या जानजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में कितने आदिवासी छात्रावास हैं ? उक्त छात्रावासों में कितने—कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त छात्रावास सरकारी भवन में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कहां—कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में आदिवासी छात्रावास किराये के भवनों में भी चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां—कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किराये के भवन में चलने वाले छात्रावासों के स्थान पर सरकारी भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 35 जनजाति आश्रम छात्रावास है। इन छात्रावासों में 1997 छात्र—छात्राएं आवासरत है। सूची संलग्न है। (संलग्नक "अ")

(2) जी हां, सरकारी भवनों में 27 आश्रम छात्रावास संचालित हैं जिनकी सूची संलग्नक "ब" पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि डूंगरपुर जिले में 8 आश्रम छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनकी सूची संलग्नक "स" पर संलग्न है।

(4) जी हां, इन आश्रम छात्रावासों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये गये हैं । राशि प्राप्त होने पर निर्माण किया जावेगा ।

डूंगरपुर जिले में संचालित आश्रम छात्रावास

संलग्न''अ''

क्र.स.	जिला	पंचायत समिति	आश्रम छात्रावास का नाम	छात्र क्षमता	प्रवेशित छात्र/छात्रा संख्या
1.	डूंगरपुर	1. आसपुर	1. रीछा	100	95
			2. पचलासा छोटा	50	46
			3. निठाउवा	25	25
			4. आसपुर	25	25
			5. पूजपूर	50	46
			6. फलोज	50	50
			7. रामगढ़	50	40
			8. ठाकरडा	50	30
		2. सागवाड़ा	9. ओबरी	100	94
			10. नोकना	50	50
			11. चित्रकूट	50	50
			12. भीलूड़ा	50	40
			13. ओबरी (छात्रा)	100	99
		3. डूंगरपुर	14. कहारी	50	45
			15. रघुनाथपुरा	100	80
			16. मालचौकी	50	46
			17. सुरता	100	100
			18. देवलपाल	25	21
			19. प्रतिभावान आश्रम छात्रावास डूंगरपुर	50	47
			20. डूंगरपुर (मुख्यालय) (छात्रा)	100	89
		4. बिछीवाड़ा	21. बिछीवाड़ा	50	50
			22. तलैया	100	92
			23. माड़ा	100	95
			24. चुण्डावाडा	25	25
			25. रास्तापाल	50	47
			26. बिछीवाड़ा (छात्रा)	100	70
		5. सीमलवाड़ा	27. डूंका	100	97
			28. बड़गामा	50	45
			29. गंधवापाल	25	21
			30. गामड़ी अहाड़ा	25	24
			31. झलाप	25	25
			32. पीत	50	50
			33. पाडवा	50	38
			34. सीमलवाड़ा (छात्रा)	100	100
			35. सीमलवाड़ा	100	100
					1997

राजकीय भवनों में संचालित आश्रम छात्रवास

संलग्न''ब''

जिला	पंचायत समिति	नाम छात्रावास	क्षमता
1. डूंगरपुर	डूंगरपुर	1. प्रतिभावान छात्रावास डूंगरपुर	50
	आसपुर	2. रीछा	100
	"	3. पचलासा छोटा	50
	सागवाड़ा	4. ओबरी	100
	"	5. नोकना	50
	"	6. चित्रकूट	50
	डूंगरपुर	7. कहारी	50
	"	8. रघुनाथपुरा	100
	"	9. मालचौकी	50
	"	10. सुराता	100
	बिच्छीवाड़ा	11. बिच्छीवाड़ा	50
	"	12. तलैया	100
	"	13. माडा	100
	सीमलवाड़ा	14. डूंका	100
	"	15. बड़गामा	50
	"	16. सीमलवाड़ा	100
	बिच्छीवाड़ा	17. पुण्डावाला	25
	सीमलवाड़ा	18. गंधवापाल	25
	"	19. गामड़ी अहाड़ा	25
	"	20. झलाप	25
	आसपुर	21. निठाऊवा	25
	"	22. आसपुर	25
	डूंगरपुर	23. देवलपाल	25
		24. ओबरी (कन्या)	100
		25. डूंगरपुर (कन्या)	100
		26. बिच्छीवाड़ा (कन्या)	100
		27. सीमलवाड़ा (कन्या)	100

किराये के भवनों में संचालित आश्रम छात्रावास

संलग्न''स''

जिला	पंचायत समिति	नाम छात्रावास	क्षमता
1. डूंगरपुर	बिच्छीवाडा	1. रास्तापाल	50
	आसपुर	2. पुंजपुर	50
	आसपुर	3. फलोज	50
	सागवाड़ा	4. भीलूड़ा	50
	आसपुर	5. रामगढ़	50
	आसपुर	6. ढाकरडा	50
	सीमलवाड़ा	7. पीठ	50
	सीमलवाड़ा	8. पाडवा	50

ग्राम पीलवा (जमवारामगढ़) की वन भूमि पर पत्थर खनन प्रकरण

105. **श्री रामचन्द्र सराधना**(जमवारामगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम पीलवा (आमेर) में गैर मुमकिन पहाड़ है जो आज तक वन क्षेत्र से बाहर एवं ग्रामीणों द्वारा संरक्षित और संवर्धित होने के कारण वन्य क्षेत्र के पहाड़ों से अधिक विकसित है ? क्या उक्त क्षेत्र में नीम, बबूल और खेजड़े के हरे वृक्ष हैं ?

(2) क्या उक्त पहाड़ी में विभाग द्वारा चेजा पत्थर की खान के लिए कई व्यक्तियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस–किस को और कितने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये ? क्या सरपंच ग्राम पंचायत चन्दवाजी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने का ज्ञापन देने के बाद भी बिना मौका स्थिति देखे ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्रामीणों द्वारा विकसित इस पहाड़ के वन क्षेत्र को बचाने/सुरक्षित रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या उपाय किये जावेंगे ?

(4) क्या सरकार पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील आमेर के ग्राम पीलवा, जो विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अन्तर्गत आता है, के खसरा न. 155 में रकबा 27.68 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड़ सिवाय चक बिना लगानी दर्ज है। पहाड़ पर छितराये हुये नीम, बबूल, खेजड़ी एवं रोझं के वृक्ष एवं डासरन एवं थोर की झाड़ियां है ।

(2) वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र के लिये चार खनन पट्टों हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 26.2.98 को जारी किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

1. श्रीमती सुमन देवी
2. श्री केशवदेव शर्मा
3. श्री नरेश जोशी
4. श्री मनोज जोशी

सरपंच ग्राम पंचायत चन्दवाजी का पत्र दिनांक 7.9.98 को प्राप्त होने के पश्चात कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है।

(3) अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के प्रावधानुसार आवंटित क्षेत्र रिक्त होने एवं वनखंड से बाहर होने पर खनन पट्टा दिये जाने का नियमों में प्रावधान है । आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं होने बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र वन विभाग द्वारा किया गया है।

(4) वन विभाग द्वारा आवेदित क्षेत्र वन भूमि न होने का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

चूंकि यह स्थिति यथावत है अतः विभाग द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का विचार नहीं हैं ।

सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा में सचिव का निलम्बन प्रकरण

106. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा (बाड़मेर) के दो सचिवों को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(2) क्या यह भी सही है कि दोनों सचिवों की जांच पूरी की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच पूरी कब हुई ? क्या वर्तमान में उक्त सचिवों को बहाल कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री विष्णु अवतार पटेल को राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से प्रतिनियुक्ति पर थे एवं तत्कालीन सचिव को दिनांक 20.12.96 को राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तलाशी लेने के दौरान 34,200/-रुपये की संदिग्ध राशि बरामद होने पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के आदेश दिनांक 4.9.97 से निलम्बित किया गया था । श्री एस.के. विश्नोई, उप रजिस्ट्रार एवं तत्कालीन सचिव के विरुद्ध उनके द्वारा ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के आधार पर दिनांक 30.6.98 को निलम्बित किया गया था।

(2) जी नहीं। श्री विष्णु अवतार पटेल को निलम्बन आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में बहाल किया गया है। श्री एस.के. विश्नोई को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.10.98 के द्वारा जांच लम्बित रखते हुए बहाल किया गया है। श्री विश्नोई के प्रकरण में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 4.8.98 को आरोप पत्र दिया जा चुका है। तथापि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में अभी जांच अधिकारी की नियुक्ति की जानी है । श्री पटेल के संबंध में भी जांच लम्बित है तथा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा इस संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम खरेकड़ी(अजमेर)का घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रकरण

107. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम खरेकड़ी में घरेलू कनेक्शन देने के लिए विद्युत लाइन खींच दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि विद्युत लाइन खींचने के लिए डिमाण्ड राशि अधिक होने के कारण उक्त राशि सांसद कोष से जमा करवानी पड़ी ?

(3) ग्राम खरेकड़ी के ग्रामवासियों ने अपने घरों में कनेक्शन लेने हेतु कितनी बार पत्रावलियों को जमा करवायी और कितनी बार निरस्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रमजान खान)

(4) क्या उक्त ग्राम के घरों मे कनेक्शन लेने हेतु पत्रावलियां सहायक अभियंता अजमेर के कार्यालय में लम्बित पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(5) उक्त लम्बित पड़ी पत्रावलियों के संबंध में बार-बार डिमाण्ड नोट बनाने के क्या कारण रहे हैं ? क्या अब पुनः डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के ? अब कब तक इस ग्राम के घरों में कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । पंचायत समिति, श्रीनगर के ग्राम खरेकड़ी में घरेलू कनेक्शन दिये जाने हेतु 3.51 लाख रुपये का तकमीना नियमानुसार लाईन खींचने हेतु बनाया गया था इसमें से सांसद कोष से केवल 50 प्रतिशत राशि रुपये 1.75 लाख ही विद्युत मंडल में जमा हुए हैं ।

(3) ग्राम खरेकड़ी में दो बार घरेलू कनेक्शनों हेतु पत्रावलियां जमा हुई थी। प्रथम बार मांग पत्र की राशि जमा न होने के कारण पत्रावलियां निरस्त हुई थी तथा दूसरी बार मांग पत्र की राशि अभी तक जमा नहीं होने के कारण पत्रावलियां लम्बित चल रह हैं।

(4) जी हां। सहायक अभियन्ता, अजमेर के कार्यालय में दुबारा जमा पत्रावलियां माह सितम्बर, 1998 से लम्बित हैं ।

(5) दुबारा मांग पत्र जारी करने का कारण, आवेदकों द्वारा प्रथम बार जारी मांग पत्र राशि जमा न करना रहा है ।

वर्तमान में लम्बित पत्रावलियों के आवेदकों को विभिन्न तिथियों में, एक बार ही विभिन्न ग्रुपों को एल.टी.लाइन के लिए निम्न राशि के मांग पत्र दिये गये हैं :-

1.ग्रुप न. 1	
प्राथ सं. 1 से 57	रु.1079/-प्रति आवेदक
2.ग्रुप न. 2	
प्राथ सं. 58 से 111	रु.2869/- प्रति"
3.ग्रुप न. 3	
प्राथ सं. 112 से 139	रु.2039/- प्रति"
4.ग्रुप न. 4	
प्राथ सं. 140 से 170 174, 176, से 178 व 185	रु.686/- प्रति"
5.ग्रुप न. 5	
प्राथ सं. 171 से 173 175 179 से 184 व 186 से 200	रु.4239/ प्रति"

आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाने व वांछित औपचारिकता पूर्ण करने पर कनेक्शन दे दिये जावेंगे ।

नगर निगम जोधपुर का भू-अवाप्ति प्रकरण

108. **श्री रामनारायण विश्नोई**(फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार जोधपुर नगर की बहुचर्चित

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पूर्वी व पश्चिमी पाल रोड की अवाप्तिधीन भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी समिति डीग का सड़क निर्माण प्रकरण

109. **श्री अरूण सिंह**(डीग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति डीग (भरतपुर) द्वारा सड़क बनाने के भेजे गये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण हैं ? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में सम्पर्क सड़के बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति डीग के निम्न सड़कों के बनाने के प्रस्ताव वर्ष 1996 से विचाराधीन हैं :-

1. डीग कुम्हेर रोड से बदनगढ़ (शेष लम्बाई) 0.50 कि. मी. मिसिंग लैन्थ ।

2. मोरोली से भवई (शेष लम्बाई) 0.30 कि. मी. मिसिंग लैन्थ ।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उक्त सड़कों के प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां । किन्तु मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर ही क्षेत्र में किसानों को सुविधा प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण पर विचार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण का भू-आवंटन प्रकरण

110. **श्री अमराराम**(धोद) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कितनी भूमि आवंटन योग्य है तथा कितनी भूमि आवंटित की जा चुकी है ?

(2) उक्त आवंटित भूमि में कितने रकबे में काश्त हो रही है ?

(3) क्या सरकार आवंटन योग्य भूमि को गरीब किसानों को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से एवं कब तक ?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना (उपनिवेशन) क्षेत्र में द्वितीय चरण में वितरण

(उपनिवेशन मंत्री)

तथा वितरित की जा चुकी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(लाख हैक्टेयर में)

	कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग
वितरण योग्य भूमि	4.40	2.03	6.43
आवंटित भूमि	2.31	0.81	3.12

(2) वितरित भूमि में से निम्न भूमि पर काश्त हो रही है :-

कमाण्ड	अनकमाण्ड	योग (है.में.)
60461	121338	182199

(3) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में बीकानेर व जैसलमेर जिले में भू-आवंटन का कार्य चल रहा है । विभाग के पास उक्त दोनों जिलों में माह फरवरी, 99 के अन्त में भूमिहीन व्यक्तियों के 31273 आवेदन पत्र विचाराधीन चल रहे हैं तथा माह फरवरी, 99 के अन्त में 2.09 लाख हैक्टेयर भूमि सामान्य आवंटन के लिये उपलब्ध है। विचाराधीन 31273 प्रार्थना पत्रों में उक्त भूमि का आवंटन किया जा रहा है। उक्त आवंटन कार्य का राजस्थान उपनिवेशन (ई.गां.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 की प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

राज्य के खाद्य व्यापारियों का स्टॉक सीमा में जब्त माल प्रकरण

111. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में छापों में व्यापारी की स्टॉक सीमा में माल होते हुए भी उसका माल जब्त रखा गया है ? यदि हां , तो क्यों ? राज्य में कुल ऐसे कितने व्यापारियों का कितना माल कितने समय तक जब्त रखा गया ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? जिन व्यापारियों का माल किस कारण जब्त रखा ? उनका नाम एवं स्थल के पते का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं । छापों के दौरान जिन व्यापारियों द्वारा विधि अनुसार स्टाक का संधारण कर व्यवसाय किया जा रहा था, उनका माल जब्त नहीं किया गया । राज्य में किसी भी व्यापारी का माल नियम विरुद्ध जब्त करके नहीं रखा गया । जिन अधिकारियों ने माल जब्ती के प्रकरण बनाये थे के विरुद्ध दोषी होने के संबंध में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

अचयनित आदिवासियों को विकास प्रकरण

112. **श्री गुलाब चन्द कटारिया**(बड़ीसादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति विकास विभाग चयनित टाडा एवं माडा क्षेत्र में ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निवास करने वाले आदिवासियों पर राशि व्यय करता है ?

(2) राज्य में कुल आबादी जनजाति की कितनी है और उनमें से कितनी जनसंख्या विकास विभाग के कार्यक्षेत्र में एवं कितनी बाहर है ?

(3) क्या जनजाति विकास क्षेत्र के बाहर रहने वाले आदिवासी आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं ? यदि नहीं, तो उनके विकास की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य में निवास करने वाली सभी जनजातियों के पात्र व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु धनराशि व्यय करता है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति की कुल जनसंख्या 54.75 लाख है, समस्त जनजाति की जनसंख्या जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग के कार्यक्षेत्र में है ।

(3) जनजाति क्षेत्रिय विकास के कार्य क्षेत्र के बाहर कोई आदिवासी निवास नहीं करता है ।

ब्यावर शहर का प्रदूषण प्रकरण

113. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ब्यावर शहर और उसके आस-पास कुल कितनी ग्राइंडिंग इकाइयां कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है उक्त इकाइयों से उड़ने वाले डस्ट पाउडर से ब्यावर शहर में भयंकर वायु प्रदूषण फैल रहा है ? क्या उक्त डस्ट से आप-पास होने वाली फसलें भी आंशिक रूप से बर्बाद एवं प्रदूषित हो रही हैं ?

(3) क्या सरकार के पास इस भयंकर प्रदूषण की स्थाई रोकथाम हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसी कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में ब्यावर शहर तथा उसके आस-पास 94 मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयां कार्यरत हैं।

(2) जी हां । उक्त इकाइयों से उड़ने वाली डस्ट से ब्यावर शहर में वायु प्रदूषण एवं आस-पास होने वाली फसलें भी आंशिक रूप से प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(3) ब्यावर में मिनरल ग्राइंडिंग इकाइयों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु इनका समय-समय पर निरीक्षण/मोनीटरिंग की जाती है । और उद्योगों को उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने हेतु बाध्य किया जाता है । जिन उद्योगों में वायु प्रदूषण तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई उन उद्योगों के खिलाफ वायु

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

अधिनियम 1981 के तहत बिजली–पानी के संबंध विच्छेद करने की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप उद्योगों द्वारा "पल्सेट फिल्टर बेग" उपकरण की स्थापना की जा रही है। 9 उद्योगों ने पल्स जेट फिल्टर बेग की स्थापना कर ली है तथा 4 उद्योगों में इस उपकरण की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

विधान सभा क्षेत्र नोहर हेतु अकाल राहत के अन्तर्गत आवंटित राशि

114. **श्रीमती सुचित्रा आर्य(नोहर)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्तमान में जिला हनुमानगढ़ में अकाल राहत का अन्तर्गत कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर में उक्त मद के अन्तर्गत कौन–कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अकाल राहत के तहत विधान सभा क्षेत्र नोहर में अब कितनी राशि अतिरिक्त स्वीकृत की जायेगी तथा कौन–कौन से कार्य किये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त क्षेत्र के अकालग्रस्त गांवों में पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल राहत के तहत जिलावार श्रमिक सीमा निर्धारित की जाती है तथा श्रम एवं सामग्री के भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार राशि का आवंटन किया जाता है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर स्वीकृत कार्यो का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–1)

(3) विधान सभा क्षेत्र नोहर में जिला सहायता समीक्षा समिति के परामर्श के अनुसार जिले की निर्धारित सीलिंग सीमा के कार्य स्वीकृत किये जायेंगे ।

(4) जी हां । पशुपालकों को आवश्यकता नुसार चारा उपलब्ध कराने हेतु चारा डिपो स्वीकृत करने हेतु निर्देश दिनांक 30.9.98 को ही जिला कलक्टर्स को दिये जा चुके हैं

सम्वत् २०५५ के अन्तर्गत स्वीकृत राहत कार्यों की सूची — जिला : हनुमानगढ़

क्र. सं.	नाम ग्राम बावत	नाम ग्राम चक	राहत कार्य का नाम	राहत कार्य पर अनुमानित लागत			विशेष विवरण
				श्रम	सामग्री	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	पंचायत समिति नोहर						
1.	अंगुली	खोपड़ा	राजकीय प्राथमिक पाठशाला की चारदीवारी	1,50,000	1,50,000	3,00,000	मौके पर कार्य चालू है
2.	सिंरगसर	सिंरगसर	राजकीय उच्चप्राथमिक पाठशाला की चारदीवारी	4,20,000	80,000	5,00,000	" "
3.	पाण्डूसर	पाण्डूसर	राजकीय माध्यमिक शाला की चारदीवारी	2,70,000	30,000	3,00,000	" "
4.	गेटेर	सिरासर	राजकीय प्राथमिक शाला की चारदीवारी	1,80,000	20,000	2,00,000	" "
5.	मालासर	घणियासर	राजकीय प्राथमिक शाला की चारदीवारी	1,80,000	20,000	2,00,000	मौका पर चालू नहीं है
6.	केलनिया	केलनिया	पंचायत माध्यमिक शाला की चारदीवारी	1,80,000	20,000	2,00,000	मौका पर चालू है
7.	मेघाना	मेघाना	राजकीय माध्यमिक शाला की चारदीवारी	1,00,000	1,00,000	2,00,000	" "
8.	दलपतपुरा	दलपतपुरा	आयुर्वेद औषधालय की चारदीवारी	1,00,000	1,00,000	2,00,000	मौका पर चालू नहीं है
			योग	15,80,000	5,20,000	21,00,000	

जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	दिवासर	दिवासर	राजकीय प्राथमिक शाला की चारदीवारी	2,40,000	60,000	3,00,000	कम संख्या 9 से 11 के कार्यों की तकनिकी
10.	रामका	रामका	राजकीय प्राथमिक शाला की चारदीवारी	2,40,000	60,000	3,00,000	एंवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी शेष
11.	नैयासर	नैयासर	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला की चारदीवारी	2,40,000	60,000	3,00,000	है : कार्य चालू नहीं है ;
			योग	7,20,000	1,80,000	9,00,000	

(3) **सार्वजनिक निर्माण विभाग नोहर**

1.	बारानी	नोहर–फेफाना से चारणवासी सड़क (गत वर्ष का अधूरा कार्य)	1,50,000	1,50,000	3,00,000	चालू है
2.	गरडकी, भोरखाना, नन्दरपुरा,सुईया,घानसिया,	नोहर–वीरदाशहर सड़क का सुदृढ़िकरण	3,40,000	2,83,000	6,23,000	कार्य प्रारम्भ
3.	वक देहदीसपुरा, दलपुनपुरा, मेघाना	नोहर–साहवा सड़क का सुदृढ़िकरण	5,20,000	4,80,000	10,00,000	" "
4. "	दईदोसपुरा–ढाणी लालखा:	नौहर–एलनाबाद सड़क का सुदृढ़िकरण		2,65,000	2,35,000	5,00,000 "
5.	राजपुरा बास बारानी,	मादरा साहवा सड़क पर सुदृढ़िकरण	4,59,000	4,59,000	9,95,000	" "
6.	दुगराम,	मादरा–साहवा सड़क पर सुदृढ़िकरण	5,05,000	4,90,000	9,95,000	" "
7.	कुन्जी, कनाऊ,	कुन्जी से कनाऊ सड़क पर सुदृढ़िकरण	1,57,000	1,57,000	3,14,000	
	योग (सा.नि.वि. नोहर)		23,96,000	22,54,000	46,50,000	

जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

जिला बारां के कृषि विद्युत कनेक्शन

115. **श्री मदन दिलावर**(अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक जिला बारां में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु कितने डिमाण्ड नोटिस जारी किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त में से कितने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा की गई व कितने लोगों को कनेक्शन दिये जा चुके ?

उत्तर

(1) जिला बारां में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 के दौरान कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु कुल 7 मांग-पत्र जारी किये गये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अनु. जाति	4
सामान्य श्रेणी	1
नर्सरी श्रेणी	1
विशेष सामान्य श्रेणी	1
कुल	7

(2) उक्त जारी किये गये मांग पत्रों में से केवल 5 आवेदकों द्वारा मांग पत्रों की राशि जमा करवाई गई तथा एक आवेदक को कनेक्शन जारी किया जा चुका है ।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का अधिकार प्रकरण

116. **डा. किरोड़ीलाल**(बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या अधिकार दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या सरकार ने नगरपालिका चेयरमैन/निगम के मेयरों को दिये गये वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से ?

उत्तर

(1) स्वायत्तशासी संस्थाओं को कई अधिकार देने का राज्य सरकार विचार रखती है, इन बिन्दुओं पर विश्लेषण एवं मंथन जारी है । जो अधिकार दिये जाने है, उनमें करारोपण एवं अपना बजट स्वयं पास करना इत्यादि शामिल है ।

(2) नगरपालिका चेयरमैन/निगम के मेयरों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में उल्लेखित किसी भी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सरकार ने समाप्त नहीं किय है। औचित्य एवं पालिकाओं के आर्थिक प्रबन्धन की व्यवहारिक जरूरतों के अनुरूप वित्तीय मामलों में संशोधन आदेश जारी किये गये है । प्रशासनिक मामलों में विधिसंगत प्रावधानों की मात्र व्याख्या की गई है ।

कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर कार्यालय का भवन निर्माण प्रकरण

117. **श्री आर. पी. शर्मा**(भरतपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री आर. पी. शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय भवन का निर्माण कार्य अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1992-93 में कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर के खण्डीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु 5 लाख का राशि का बजट प्रावधान किया गया था ।

(2) जी हां। उक्त कार्यालय भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया है । वर्ष गई 94 में भरतपुर खण्ड का मुख्यालय गंगापुर सिटी स्थानान्तरित किया गया था । वर्तमान में खण्डीय कार्यालय मुख्यालय भरतपुर है। निर्माण कार्य के कार्यभार के अनुरूप विभिन्न खण्डों के कार्यालय स्थानान्तरित होते रहते हैं। यदि 1998-99 में कार्यालय भवन हेतु स्वीकृति उपलब्ध नहीं है। भविष्य में निर्माण कार्यो के कार्यभार के अनुसार खण्डीय कार्यालय बनाने पर विचार किया जा सकेगा ।

जिला सिरोही में अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि पर अतिक्रमण

118. श्री संयम लोढ़ा(सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला सिरोही में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर कितने अन्य वर्ग के व्यक्ति काबिज हैं ? क्या इस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(ए) इस संबंध में जिले में, अब तक 15 मामले सामने आये है, जिसमें इस वर्ग की भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने से धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

अनुसूचित जाति के 10 व्यक्तियों की 57.21 एकड़ एवं अनुसूचित जनजाति के 5 व्यक्तियों की 13.80 एकड़ कुल इस वर्ग के 15 व्यक्तियों की 71.01 एकड़ भूमि पर अन्य वर्ग के व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया है। इन प्रकरणों में सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।

(बी) इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध हस्तान्तरण के 8 प्रकरण 39.22 एकड़ भूमि के सामने आये है। जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत सहायक कलक्टर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का प्रकरण

119. श्री यशवन्त सिंह(रामू)(नदबई) : क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा जाटों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

जाट जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने का विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।

उदयपुर संभाग में लकड़ी काटने के दर्ज प्रकरण

120. **श्री सुरेन्द्र सिंह(चित्तौड़गढ़)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत तीन वर्षों में जिला चितौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में अवैध रूप से खेर की लकड़ी काटने एवं परिवहन करने के कितने प्रकरण वन विभाग के अधिकारियों द्वारा दर्ज कराये गये हैं ? उक्त प्रकरणों में कुल कितनी लकड़ी पकड़ी गई, उनका बाजार मूल्य क्या है एवं उनका क्या निस्तारण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा एवजाना वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे सरकार को अपरोक्ष रूप से राजस्व हानि हुई है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में जिला चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में अवैध रूप से खेर की लकड़ी काटने एवं परिवहन किये जाने के 65 प्रकरण वन अधिकारियों द्वारा दर्ज किये गये हैं। प्रकरणों में 627 क्विंटन खेर की लकड़ी पकड़ी गयी। जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,11,050/-रुपये है। दर्ज किये गये प्रकरणों में से 59 प्रकरणों का विभागीय रूप से निस्तारण कर 3,24,698/-रुपये की राशि का एवजाना वसूल किया गया। शेष 6 प्रकरणों में जांच की जा रही है ।

(2) एवजाना, प्रकरणों में मौके की स्थिति एवं प्रकरणों के गुण व गुण आधार पर वसूल किया गया है। इसमें राज्य सरकार की राजस्व हानि नहीं हुई है तथा किसी वर्ग अधिकारी का इसमें कोई दोष नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

ग्राम बिजोट(अनूपगढ़) का अन्यत्र पुनर्वास प्रकरण

121. **श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ तहसील का बिजोट गांव घग्घर की बाढ़ में डूब गया था ? उक्त गांव में ऐसी घटना कितनी बार हुई है ?

(2) क्या सरकार भविष्य में इस गांव को बचाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई)

(3) क्या सरकार इस गांव के निवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त योजना में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) अनूपगढ़ तहसील में बिजोट नाम का कोई ग्राम नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

122. श्री ज्ञानदेव आहूजा(रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में बिजली आपूर्ति में अवरोध रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2)क्या गत पांच वर्ष से क्षेत्र के विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की मांग कर रहे हैं ? क्या वर्तमान विधायक के पत्र पर 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु कोई विचार नहीं हो रहा है ?

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है ।

(2) रामगढ़ (जिला अलवर) में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने के प्रस्ताव माह सितम्बर, 1998 में प्राप्त हुआ था। जिसका तकनीकी मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि रामगढ़ के 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर वोल्टेज रेग्यूलेशन निर्धारित सीमा से कुछ अधिक 9.05 प्रतिशत ही है। अतएव रामगढ़ (जिला अलवर) में अभी 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। भविष्य में यदि इस क्षेत्र में विद्युत भार में वृद्धि होने पर आवश्यकता प्रतीत हुई तो प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(3) उपरोक्तानुसार ।

तारांकित प्रश्न संख्या—123

(स्थगित)

जिला चूरू में बीस सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति का मनोनयन प्रकरण

124. श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम जिला स्तरीय समीक्षा समिति में मनोनयन के संबध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(2) जिला चूरू की बीस सूत्री कार्यक्रम समिति व जिला स्तरीय समिति में किन—किन गैर सरकारी सदस्यों को कब—कब मनोनीत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिलों में द्वि–स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। प्रथम स्तरीय समिति के अध्यक्ष उस जिले हेतु नियुक्त प्रभारी मंत्री होते हैं एंव द्वितीय स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर है । प्रथम स्तरीय समिति में गैर–सरकारी सदस्यों का समावेश किया गया है। प्रत्येक जिले हेतु प्रभारी मंत्री की नियुक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जाती है। प्रथम स्तरीय समिति के गैर–सरकारी सदस्यों का मनोनयन जिले के प्रभारी मंत्री जी की सलाह पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जाता है।

(2) चूरू जिले के लिए वर्ष 1989 में श्री शीशराम ओला को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभारी मंत्री मनोनीत किया गया था। जिला कलक्टर, चूरू से जिला प्रथम स्तरीय समिति के गठन हेतु वर्ष 1990 में प्रस्ताव चाहे गये थे परन्तु जिला कलक्टर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण समिति में गैर–सरकारी सदस्य मनोनीत नहीं किये जा सके । चूरू जिले में प्रथम स्तरीय समिति का गठन दिनांक 15.11.95 को किया गया था जिसमें गैर–सरकारी सदस्यों का समावेश भी था। गैर–सरकारी सदस्यों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट"क") । इसके बाद दिनांक 30.10.96 को श्री रामसिंह कस्वां, सांसद के स्थान पर श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया, सांसद को मनोनीत किया गया। 11वीं विधान सभा के चुनावों के पश्चात् समिति में मनोनीत गैर–सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाकर समिति के पुनर्गठन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है। श्री अब्दुल अजीज को चूरू जिले के लिये प्रभारी नियुक्त किया जाकर अन्य गैर–सरकारी सदस्यों के मनोनयन हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। अभी तक इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। द्वितीय स्तरीय समिति, जिसका गठन जिला कलक्टर, चूरू की अध्यक्षता में किया गया है, में कोई गैर–सरकारी सदस्य नहीं है।

परिशिष्ट''क''

प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के आदेश क्रमांक प.7 (20) प्र.सु./अनु.3/82 दिनांक 15.11.95 के अनुसार चूरू जिले को प्रथम स्तरीय समिति में जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया वह निम्न हैं :-

1.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	राज्य मंत्री	अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री
2.	श्री ज्ञान सिंह चौधरी	राज्य मंत्री	उप प्रभारी मंत्री
3.	श्री बीरबल सिंह लाम्बा		उपाध्यक्ष
4.	श्री रामसिंह कस्वां	सांसद	सदस्य
5.	श्री रामेश्वर लाल भाटी	विधायक	"
6.	श्री किशनाराम नाई	विधायक	"
7.	श्रीमती बनारसी मेघवाल	जिला प्रमुख	"
8.	श्री नन्दलाल गुसाई	प्रधान	"
9.	श्रीमती कमलाजी कस्वा	प्रधान	"
10.	श्रीमती पवित्रा देवी	प्रधान	"
11.	श्रीमती सुमित्रा शर्मा		"
12.	श्री शंकर लाल हरिजन सहजूसर		"
13.	श्री जेठाराम मीणा		"
14.	श्री गिरधारी तंवर		"
15.	श्री वजीर खां ठेकेदार		"
16.	श्री रिद्धकरण वशिष्ठ		"
17.	श्री राकेश सोनी		"
18.	श्री नत्थूराम बुढ़ानिया		"
19.	श्री बहादुर सिंह गोदारा		"
20.	श्री रणजीत सिंह राजवी		"
21.	श्री घासीराम एडवोकेट		"
22.	श्री सादुल सिंह		"
23.	श्री चुन्नीलाल मेघवाल		"
24.	श्री शंकर लाल मेघवाल		"
25.	श्री महावीर प्रसाद		"

भू-प्रबन्ध प्रणाली का सरलीकरण प्रकरण

125. श्री गोविन्द सिंह(नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग की वर्तमान प्रणाली के सरलीकरण एवं स्वरूप के परिवर्तित रूप दिये जाने संबंधी नीति निर्धारित किए जाने के प्रकरण की वर्तमान में क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की उक्त संबंध में दिनांक 21 दिसम्बर, 1994 को हुई बैठक में लिए निर्णयों की क्रियान्विति हेतु क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) भू-प्रबन्ध विभाग की कार्य प्रणाली के सरलीकरण के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 122 संशोधित, धारा 123, 125 को विलोपित एवं धारा 136 को प्रतिस्थापित किया गया है। भू-प्रबन्ध कार्यवाहियों के दौरान नामान्तकरण की प्रक्रिया एवं तस्दीक की कार्यवाही राजस्व एजेन्सी द्वारा सम्पादित किये जाने के निर्देश दिनांक 1.6.96 को जारी किये जा चुके है। पूर्ण सर्वेक्षण की कार्यवाही नहीं कर भिन्न-भिन्न पैमाने के नक्शों को मैट्रिक पैमाने पर परिवर्तित कराया जाकर नक्शों में संशोधन(तरमीम)का कार्य कराया जा रहा है। विभाग की कार्य प्रणाली में और क्या-क्या सुधार संभव है, परीक्षणाधीन है।

(2) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 21.12.94 को सम्पन्न हुई बैठक में जिन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ, उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट"अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

परिशिष्ट"अ"

दिनांक 21.12.94 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में

(1) जिन तहसीलों में तरमीम का अधिक कार्य बकाया है तथा नक्शे फटे हुए हैं या उपलब्ध नहीं हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इन कार्यो को पूर्ण करने एवं रिकार्ड आदिनांक करने के लिए भू-प्रबन्ध विभाग में कर्मचारियों को पटवारी, गिरदावर के साथ मिलकर अर्थात राजस्व विभाग (जिला कलेक्टर्स) को उपलब्ध करवाकर पूर्ण करवाये जाने का निर्णय विचाराधीन है।

बिन्दुवार विवरण जिन पर बैठक में विचार–विमर्श किया गयाः

I– जहां तक सर्वे रिकार्ड को आदिनांक करने का प्रश्न है, तरमीम एवं सर्वे के लिए भू–प्रबन्ध विभाग के स्तर से विस्तृत निर्देश दिनांक 11.3.97 को जारी किये गये हैं।

II– सिवाय चक/चरागाह, मन्दिर की भूमि एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के खाते की भूमियों का विधि विपरीत अन्यथा इन्द्राज नहीं हो इसके लिए जमाबन्दी से मिलान कर पूरी तरह जांच की जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन भूमियों में किसी प्रकार का कोई विधि विपरीत परिवर्तन नहीं हुआ है।

III– खातेदारी भूमियों में कमी–बेशी नहीं हो एवं खातेदारी के इन्द्राजों में परिवर्तन नहीं हो इसके लिए तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल तैयार करने के बाद ही खसरा नम्बर एवं खातों का इन्द्राज जमाबन्दी में किया जाता है।

iv– नामान्तकरण के संबंध में दिनांक 1.6.96 को निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त आदेशों के द्वारा अब नामान्तकरण राजस्व एजेन्सियों द्वारा विधिसम्मत तस्दीक किये जाते हैं ।

v– सर्वेक्षण एवं अभिलेखन में आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 122 को संशोधित तथा 123,125 को विलोपित तथा 136 को प्रतिसंस्थापित किया जा चुका है तथा दिनांक 23.5.94 को विस्तृत निर्देश भी जारी किये गये हैं। जिन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से राजकीय भूमियों को दिगर व्यक्तियों के खातेदारी में दर्ज किया गया है उनके विरुद्ध विभागीय स्तर से कार्यवाही करते हुए राजस्थान भ्रष्टाचार निवारण विभाग में भी केस दायर करवाये गये हैं।

(3) रेन्ट रेट की कार्यवाही सरलीकरण हेतु अधिनियम/नियमों में संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

(4) मध्य प्रदेश राज्य के समान विभाग के पुनर्गठन का प्रकरण परीक्षणाधीन है।.

(5) जिन तहसीलों में हवाई सर्वेक्षण कराया गया था उनमें तहसील बिलाड़ा के नक्शों का मौका सत्यापन कर क्रेडेस्ट्रल मैप तैयार किये जा रहे हैं। इसके परिणाम आने के बाद अन्य तहसीलों का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) भू–प्रबन्ध विभाग में वर्क–स्टेशन की स्थापना की जाकर कम्प्यूटर द्वारा भिन्न–भिन्न पैमानों के गत बन्दोबस्त के नक्शों को मैट्रिक पैमाने पर परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

जिला बांसवाड़ा के छात्रावासों में टेलीविजन/डिस्क

126. **श्री जीतमल**(बागीदोरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितने बालक/बालिका आश्रम छात्रावास कहां-कहां हैं ?

(2) क्या उक्त आश्रम विद्यालयों में टेलीविजन व डिस्क लगाई गई थी ? यदि हां, तो कब और उनकी खरीद कीमत क्या थी ?

(3) क्या टेलीविजन एवं डिस्क वर्तमान में चालू हालत में हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने ?

(4) छात्रावास भवन मरम्मत/रखरखाव के लिये प्रति वर्ष आश्रम को कितनी राशि मिलती है ? वर्ष 1997-98 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से 27 बालक एवं 4 बालिकाओं के आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां । 16 आश्रम छात्रावासों के लिए टी.वी. एवं 14 आश्रम छात्रावासों के लिए डिस्क क्रय की गयी थी। आश्रम छात्रावासों का नाम, कीमत एवं क्रय दिनांक परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

(3) 7 आश्रम छात्रावासों यथा कुशलगढ़ (कन्या), बांसवाड़ा(कन्या), आनन्दपुरी(कन्या), लोधा(खेल छात्रावास), सरेडीवड़ी, गांगडतलाई तथा कलिंजरा छात्रावासों में टी.वी. चालू है। 8 आश्रम छात्रावासों के टी. वी. तकनीकी खराबी के कारण बन्द पड़े हैं । एक आश्रम छात्रावास छोटी सरवन का टी.वी. चोरी हो गया है जिसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। 3 आश्रम छात्रावासों यथा कुशलगढ. (कन्या), सरेडीबड़ी तथा कलिंजरा में डिस्क चालू है। शेष 11 आश्रम छात्रावासों के डिस्क तकनीकी खराबी के कारण बन्द है।

(4) आश्रम छात्रावासों की मरम्मत/रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष रु. 5,000/- प्रति छात्रावास की दर से राशि का आवंटन किया जाता है। वर्ष 1997-98 में 6 छात्रावासों के रख रखाव/मरम्मत हेतु रुपये 1.80 लाख अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किये गये थे। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों की सूची

बालक छात्रावास

क्र.स.	छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	छात्र क्षमता	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	छोटी सरवन	पीपल खूंट	100	100
2.	घोड़ी तेजपुर	″	50	47
3.	पीपल खूंट	″	130	128
4.	घण्टाली	″	25	24
5.	पड़ोली राठोड़	घाटोल	25	25
6.	रूपजी का खेड़ा	″	50	50
7.	नरवाली	″	25	25
8.	तलवाड़ा	बांसवाड़ा मुख्यालय तलवाड़ा	25	25
9.	प्रतिभावान बांसवाड़ा	″	50	45
10.	लोधा (खेल)	″	100	75
11.	कूपड़ा	″	50	50
12.	माही डैम	″	25	25
13.	अम्बापुरा	″	50	49
14.	खेड़ा बड़लीपाड़ा	″	100	98
15.	सरेडी बड़ी	गर्टी	50	49
16.	गढ़ी	″	100	87
17.	बड़ोदिया	बागीडोरा	25	25
18.	कलिंजरा	″	100	100
19.	सलेप्पाट	″	25	25
20.	गांगड़तलाई	″	100	100
21.	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	25	25
22.	ताम्बेसरा	सज्जनगढ़	25	25
23.	छोटा डूंगरी	″	25	25
24.	कसारबाड़ी	″	50	50
25.	रामगढ़	कुशलगढ़	100	100
26.	छोटीसखा	″	25	25
27.	हिमलावड़ा(बड़ी सरवा)	″	50	50
		योग	1505	1459

बालिका छात्रावास

क्र.स.	छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	छात्र क्षमता	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा(तलवाड़ा)	100	100
2.	जौलाना	गढ़ी	100	87
3.	आनन्दपुरी	आनन्दपुरी	100	100
4.	कुशलगढ़	कुशलगढ़	100	80
		योग	400	367
		महायोग	1905	1826

परिशिष्ट-2

बांसवाड़ा जिले के आश्रम छात्रवासों हेतु क्रय किये गये टीवी/डिस्क का विवरण

क्र.स.	नाम आश्रम छात्रवास	टीवी				डिस्क			
		क्रय किया अथवा नहीं	कीमत	क्रय दिनांक	वर्तमान स्थिति	क्रय किया अथवा नही	कीमत	क्रय दिनांक	वर्तमान स्थिति
1.	कुशलगढ़(कन्या)	हां	5200.00	15.7.96	चालू	हां	7150.00	15.7.95	चालू
2.	बांसवाड़ा(कन्या)	हां	6700.00	20.3.96	चालू	नहीं	—	—	—
3.	आनन्दपुरी(कन्या)	हां	5000.00	13.2.95	चालू	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
4.	लोधा(खेल)	हां	6700.00	20.3.96	चालू	नहीं	—	—	—
5.	सरेड़ी बड़ी	हां	5000.00	31.3.95	चालू	हां	8800.00	12.12.95	चालू
6.	गांगडतलाई	हां	5000.00	31.3.95	चालू	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
7.	रामगढ़	हां	5000.00	31.3.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
8.	कसारवाड़ी	हां	5000.00	31.3.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
9.	छोटी सरवन	हां	5000.00	13.2.95	चोरी हो गया	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
10.	अम्बापुरा	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
11.	गढ़ी	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
12.	कलिंजरा	हां	5000.00	31.3.95	चालू	हां	8800.00	12.12.95	चालू
13.	जौलाना(कन्या)	नहीं	—	—	—	—	9995.00	30.7.96	बन्द
14.	घोड़ी तेजपुर	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
15.	पीपल खूंट	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
16.	रूपजी का खेड़ा	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द
17.	हिमला बड़ा	हां	5000.00	13.2.95	बन्द	हां	8800.00	12.12.95	बन्द

परिशिष्ट-3

आश्रम छात्रावासों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.स.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत राशि
1.	घोड़ी तेजपुर	35000
2.	पीपलखूंट	35000
3.	अम्बापुरा	35000
4.	सरेडी बड़ी	35000
5.	कलिंजरा	35000
6.	छोटी सखा	35000
7.	छोटी सरवन	5000
8.	घन्टाली	5000
9.	पड़ोली राठोड़	5000
10.	रूपजी खेड़ा	5000
11.	नरवाली	5000
12.	तलवाड़ा	5000
13.	प्रतिभावन बांसवाड़ा	5000
14.	लोधा(खेल)	5000
15.	कूपड़ा	5000
16.	माही डैम	5000
17.	खेड़ा बड़लीपाड़ा	5000
18.	गढ़ी	5000
19.	बड़ोदिया	5000
20.	सल्लेपाट	5000
21.	गांगड़तलाई	5000
22.	आनन्दपुरी	5000
23.	ताम्बेसरा	5000
24.	छोटा डूंगरा	5000
25.	कसारवाड़ी	5000
26.	रामगढ़	5000
27.	हिमलावड़ा(बड़ी सरवा)	5000
28.	बांसवाड़ा	5000
29.	जौलाना	5000
30.	आनन्दपुरी	5000
31.	कुशलगढ़	5000
	योग	335000

वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों का नियमन

127. **श्री शंकरलाल अहारी(चौरासी)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या वर्ष 1972, 1980 व 1995 में काश्तकारों द्वारा वन भूमि पर किए गए अनधिकृत कब्जों का सरकार नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

दिनांक 1.1.71 से पूर्व वन भूमि पर अतिक्रमणों के प्रकरणों के नियमन करने के राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों के अनुसरण में 3712 अतिक्रमण के प्रकरण जो 3654.89 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित थे, का नियमन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व कर दिया गया था। दिनांक 1.1.71 से पूर्व के 735 अतिक्रमण के प्रकरण जो 850 हैक्टेयर वन भूमि से संबंधित थे जिनका वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू होने पूर्व नियमन नहीं किया जा सका था उनके नियमन हेतु भारत सरकार को निवेदन किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

दिनांक 1.7.80 के पूर्व के आदिवासी कृषकों के अतिक्रमणों के प्रकरणों के नियमन के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में आदिवासी कृषकों के 5119 नियमन योग्य पाये गये प्रकरणों के वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभाव में आने के पश्चात् के वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमित करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

श्रीगंगानगर के कृषकों को मुआवजा

128. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(गंगानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1999 में श्रीगंगानगर जिले में हुई बरसात से सरसों व चने की फसलों को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या सरकार ने उक्त नुकसान का कोई सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या सरकार सर्वे अनुसार कृषकों को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) गंगानगर में माह मार्च, 99 हुई बरसात से चने व सरसों की फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं। फसलों का नुकसान नहीं हुआ है। अतः सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं है।

(3) फसलों को नुकसान नहीं हुआ है। अतः सहायता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बांसवाड़ा की जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण

129. **श्री फतेह सिंह**(कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1)जिला बांसवाड़ा में कितने ऐसे विद्युतीकृत गांव हैं, जिनमें अभी तक बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के गांवों को अब कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

(3) बांसवाड़ा जिले की अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए कम दाब (एल.टी.) लाइन खींचने के लिए कब से नीति निर्धारित की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बांसवाड़ा जिले में अब तक कितने गांवों में कम दाब विद्युत लाइन के लिए राशि दी गयी ? सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिये विभाग को राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने गांवों में कम दाब वाली लाइन का लाभ दिया गया व कितने शेष हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या अनुसूचित जनजाति बस्ती के लिये उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं किया गया ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 127 ऐसे गांव हैं जो विद्युतीकृत हैं परन्तु विद्युत उपलब्ध नहीं हैं । इन गांवों की पंचायत समितिवार संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	गांवों की संख्या
1.	तलवाड़ा	6
2.	पीलखूंट	51
3.	घाटोल	34
4.	बागीडोरा	4
5.	आनन्दपुरी	2
6.	कुशलगढ़	22
7.	सज्जनगढ़	8
	योग :	127

(2) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण निर्धारित नीति, आवंटित लक्ष्य व संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव होगा। समयावधि बताया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

(3) बांसवाड़ा जिले की जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए वर्ष 1993-94 से राशि स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत जनजाति बस्तियों में एल.टी. लाइन खींचने

(ऊर्जा मंत्री)

हेतु जनजाति विभाग द्वारा राशि विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराई जाती है । प्राप्त राशि के अनुसार जनजाति बाहुल्य बस्तियों में एल. टी. लाइन खींच कर विद्युतीकृत करके, विद्यूतीकरण का लाभ दिया जाता है।

(4) बांसवाड़ा जिले में अब तक 79 गांवों में कम दाब विद्युत लाइनों (एल.टी. लाइन) के लिये राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसका विवरण मय राशि के परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के लिये जनजाति विकास विभाग द्वारा 15 गांवों में एल. टी. लाइन खींचने के लिये राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 12 गांवों में एल. टी. लाइन खींच दी गई है तथा 3 गांवों में एल. टी. लाइन खींचना शेष है। उपरोक्त गांवों का पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या	अविद्युतीकृत गांव/बस्तियों की संख्या
1.	कुशलगढ़	8	3
2	सज्जनगढ़	4	–
	योग :	12	3

शेष तीन गांवों में एल. टी. लाइन खींचने का कार्य प्रगति पर है जिसको शीघ्र पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(6) जिला बांसवाड़ा में जिन 79 अनुसूचित जनजाति बस्तियों के लिए एल. टी. लाइन खींचने के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उनमें से 67 बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है शेष बस्तियों का विद्युतीकरण सामान की उपलब्धता के अनुसार शीघ्र ही करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपलब्ध राशि को अधिकांश मामलों में उपयोग कर लिया गया है । किसी अधिकारी के खिलाफ दोष सिद्ध होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है।

परिशिष्ट''अ''

जिला बांसवाड़ा में एल.टी. लाइन खींचने हेतु किये खर्च व कार्य का विवरण

क्र.स.	बस्ती का नाम	पंचायत समिति	खर्च की गई राशि	विद्युती करंट स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.
1.	तमरान	आनन्दपुरी	95,823.50	विद्युतीकृत
2.	गटोरमाली	"	95,823.50	"
3.	मेना मगरा	"	95,823.50	"
4.	कमेला पटेलपाड़ा	"	95,823.50	"
5.	कनेलाड मोरपाड़ा	"	95,823.50	"
6.	पटीयॉगलीयॉ	"	95,823.50	"
7.	आमला	"	95,823.50	"
8.	धानकू	"	95,823.50	"
9.	चिकलीपुना	"	95,823.50	"
10.	मुन्दडी	"	95,823.50	"
11.	तरवान	"	95,823.50	"
12.	नरानियां	"	95,823.50	"
13.	मडकोला मोडजी	"	95,823.50	"
14.	रोहनीयॉ	"	95,823.50	"
15.	फालवा	"	95,823.50	"
16.	छायना	"	95,823.50	"
17.	कटवा	"	95,823.50	"
18.	ओबला	"	90,000.00	"
19.	पीपलाई	"	90,000.00	"
20.	वनदा	"	90,000.00	"
21.	बढलीपारा प्रथम	बागीडोरा	1,00,000.00	"
22.	" द्वितीय	"	1,00,000.00	"
23.	अगोरीहियॉ पाडा प्रथम	"	2,72,000.00	"
24.	" द्वितीय	"		"
25.	" तृतीय	"		"
26.	बेदापारा	"	98,000.00	"
27.	बडोदियॉ	"	84,000.00	"
28.	गुलाबपुरा	"	78,000.00	"
29.	अम्बापारा	"	97,000.00	"
30.	उमेदघड़ी	"	8,02,000.00	"
31.	गोटीयॉअम्बा	"	3,89,000.00	"
32.	लंकाई	"	97,000.00	"

1	2	3	4	5
33.	छीकाबाड़ा(कीकाबाड़ा)	''	78,100.00	''
34.	बन्दूलापारा	''	94,350.00	2/99
35.	चिरोला	''	2,32,000.00	''
36.	नईयॉतालाब	''		''
37.	फालीतलाई	घड़ी	1,00,000.00	31.3.94
38.	भटार	''	1,00.000.00	31.3.95
39.	बामनियॉ वाला	''	88,000.00	''
40.	पटेला	थड़ी	88,000.00	31.3.95
41.	भोहायाचा	सज्जनगढ़	68,400.00	31.3.94
42.	काबा की चयॉ	''	57,000.00	5/96
43.	रांगी	''	97,000.00	विद्युतीकृत
44.	मस्काछोटी	''	97,000.00	विद्युतीकृत
45.	सुकेदा	कुशलगढ़	38,000.00	विद्युतीकृत
46.	पोटालिया	''	95,000.00	विद्युतीकृत
47.	करणघाटी	''	60,000.00	विद्युतीकृत
48.	चोवावारा	''	95,000.00	''
49.	चरकानी	''	95,000.00	''
50.	कुन्दीयॉ	''	95,000.00	''
51.	पाड़ला	''	60,000.00	''
52.	शोभावती	''	60,000.00	''
53.	पीपलखूंट	पीपलखूंट	70,000.00	''
54.	शादलपुर	''	50,000.00	''
55.	लम्बवुड़ा (लम्बदबड़ा)	''	70,000.00	''
56.	छोटीज्ञवण (छोटीसरवान)	''	30,000.00	''
57.	डेयरी	''	40,000.00	''
58.	उगामनापाड़ा	''	70,000.00	''
59.	कालीघाटी	''	70,000.00	5/96
60.	चलाटोकाखेरा	घाटोल	1,00,000.00	विद्युतीकृत
61.	बदलीयॉ	''	95,000.00	''

1	2	3	4	5
62.	ककनहेजा	तलवारा	93,000.00	"
63.	रतनपुरा	"	96,000.00	"
64.	शक्करवारा	"	99,240.00	"
65.	खेराबदलीपाड़ा	"	1,71,500.00	"
66.	सुरवानियाँ	"	1,08,000.00	2/99
67.	जगतारावतकलाडा	"	1,62,000.00	"
68.	मिर्चीघाटी	कुशलगढ़	60,000.00	अविद्युतीकृत
69.	बेदुनाथा	"	87,000.00	"
70.	रूपजीपाड़ा	"	97,000.00	"
71.	मजरापावती	"	70,000.00	"
72.	मजरापाड़ा	"	30,000.00	"
73.	मजरामेनामाँ	"	70,000.00	"
74.	नरीयापाड़ाँ	"	30,000.00	"
75.	नावातपरा	"	70,000.00	"
76.	बालापाड़ा	"	7,000.00	"
77.	जहापाड़ाँ	"	7,000.00	"
78.	बड़ापाड़ाँ	"	3,000.00	"
79.	भेराखेड़ा	"	7,000.00	"

विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क की कालोनियों का सीवर लाइन प्रकरण

130. **श्री परसराम मोरदिया(लक्ष्मणगढ़)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जयपुर स्थिति महेश नगर, भगवती नगर, बाल नगर, सैनी कालोनी प्रथम एवं द्वितीय, कल्याण नगर, टैगोर नगर, कृष्णा नगर आदि कालोनियों में अभी तक सीवर लाइन नहीं होने से आये दिन सैफ्टी टैंक बनाते समय दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनियों में सीवर लाइन को डालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सैफ्टी टैंक निजी तौर पर नागरिकों द्वारा ही बनाये जाते हैं। उक्त संबंध में किसी दुर्घटना का प्रकरण प्राधिकरण के ध्यान में नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्माणाधीन आउट फाल सीवर लाइन डालने का कार्य पूर्ण होने पश्चात् ही उक्त कालोनियों में आंतरिक सीवर लाइनों का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना संभव हो सकेगा ।

मत्स्य विभाग में ठेकों से प्राप्त आय

131. **श्री कय्यूम खान(मसूदा), श्री मोहम्मद** माहिर आजाद(नगर) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1996-97 से 1998-99 में मत्स्य विभाग को कुल कितनी आय किन-किन स्रोतों से हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके क्या परिणाम रहे ?

(3) राज्य में ए व बी श्रेणी के कुल कितने बांध हैं, उनमें वर्तमान में कितने बिना ठेके के रह गये हैं तथा कौन-कौन से बांध किन-किन व्यक्तियों को कितनी लीज पर किस अवधि के लिये दिये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 96-97 से वर्ष 98-99 (माह जनवरी, 99) लेखा शीर्षक 0405-मछली पालन की आय निम्न प्रकार है :-

आय(रुपये लाखों में)

	96-97	97-98	98-99 (जनवरी,99 तक)
011-किराया	383.88	808.98	339.59
102-अनुज्ञापत्र शुल्क अर्थ-दण्ड आदि	6.62	7.12	15.31
103-मछली बीज की बिक्री	4.57	4.82	3.99
800-अन्य प्राप्तियां	6.27	9.07	8.29
योग :	401.54	829.99	367.18

(2) जी, हां। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, राजकीय व्यय में मितव्ययता, राजस्व आय में वृद्धि तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से अभिकरणों को बन्द किया गया था । इन

(राज्य मंत्री, मत्स्य पालन)
अभिकरणों को बन्द करने के फलस्वरूप प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।

(3) राज्य में "ए" व "बी" प्रवर्ग के कुल 280 जलाशय हैं, इनमें से वर्तमान में 123 जलाशय ठेके से शेष रह गये हैं। "ए" श्रेणी के जलाशय तीन वर्ष तथा "बी" श्रेणी के जलाशय पांच वर्ष की अवधि के लिये स्टेजेज में बढ़ोतरी के आधार पर ठेके पर दिये जाते हैं। नदियों का ठेका केवल एक वर्ष के लिये ही दिया जाता है । "ए" तथा "बी" प्रवर्ग के जो जलाशय ठेके पर दिये गये हैं, उनका विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दूदू की अरावली वृक्षारोपण योजना में अनियमितता प्रकरण

132. **श्री बाबूलाल नागर(दूदू)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जापान द्वारा अरावली वृक्षारोपण परियोजना हेतु 176.69 करोड़ रुपये की राशि अप्रेल, 1992 में दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त राशि कब-कब, किस-किस कार्य पर व्यय की गई ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परियोजना की ही "प्लानिंग मोनीटरिंग एण्ड रिसर्च" शाखा द्वारा अरावली वृक्षारोपण का आन्तरिक मूल्यांकन असंतोषजनक पाया गया ? आन्तरिक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना में दर्शाये आंकड़ों की तुलना में मौजूदा पौधों की संख्या में भारी अंतर के साथ-साथ भवन निर्माण एवं बीजों की खरीद आदि में भी भारी अनियमितताएं पाई गई हैं ?

(4) क्या सरकार अरावली वृक्षारोपण परियोजना में करोड़ों के घोटालों में लिप्त दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उक्त राशि को दोषी लोगों से वसूलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) अरावली वृक्षारोपण परियोजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र दूदू में कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि का काम चल रहा है ? उक्त कार्य में की गयी अनियमितताओं के संबंध में क्या विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के क्रियान्वयन पर व्यय हुई राशि का मद एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अरावली वृक्षारोपण परियोजना की आयोजना एवं प्रबोधन(प्लानिंग एवं मोनीटरिंग) शाखा के द्वारा किये गये आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। आन्तरिक मूल्यांकन में वृक्षारोपण क्षेत्रों में जीवित पौधों का जो प्रतिशत आंका गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

दिया गया है ।

(3) अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सत्यापन करने पर 16 कार्यस्थलों पर मौके पर लगाये गये पौधों की संख्या में अन्तर पाया गया है। इन स्थलों की सूची सदन मेज पर रख दी गयी है।

भवन निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी है। बीजों की खरीद की अनियमितता के एक प्रकरण में अन्वेषण राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो (आर. एस. बी. आई.) के द्वारा किया जा रहा है रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है ।

(4) अरावली वृक्षारोपण परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितता करने वाले विभिन्न संवर्गों के 15 अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र दिये गये हैं तथा 5 अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया जाना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही में जांच उपरान्त 3 लोक सेवकों से 10,908 रुपये वसूल किये जाने का दण्ड दिया गया है।

(5) विधान सभा क्षेत्र दूदू में अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में कोई वृक्षारोपण नहीं कराया जा रहा है। पूर्व में वर्ष 1994 में सावरदा एवं रेडी के बालाजी तथा वर्ष 1997 में महेशवास में पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है जिनके संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत हुये व्यय का मदवार एवं वर्षवार विवरण

क्र.स.	मद जिस पर राशि व्यय हुई	वर्षवार व्यय हुई राशि (लाख रुपयों में)							
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99(अनुमानित)	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वेतन भत्ते	77.52	175.43	276.27	344.58	422.56	488.50	675.95	2460.81
2.	कार्यालय व्यय	48.05	39.52	30.30	38.63	34.14	38.87	38.87	268.38
3.	मशीनरी एवं उपकरण क्रय	135.90	55.45	84.09	8.53	1.40	1.99	1.90	289.26
4.	भवन निर्माण	77.82	209.71	107.91	71.40	32.22	12.94	9.30	521.30
5.	आयोजना प्रबोधन(प्लानिंग एवं मोनीटरिंग)	14.48	8.34	16.18	28.32	20.98	20.32	30.03	138.65
6.	संचार, प्रसार एवं प्रशिक्षण	33.59	30.50	35.49	52.43	38.33	45.33	54.98	290.65
7.	वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य (लघु निर्माण कार्य)	1074.39	2300.90	3819.27	4969.94	3382.21	3386.60	3576.45	22509.76
	योग :	1461.75	2819.85	4369.51	5513.83	3931.84	3994.55	4387.48	26478.81

अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1993 से 1996 के मध्य कराये गये वृक्षारोपणों के परियोजना की मूल्यांकन शाखा द्वारा करवाये मूल्यांकन के परिणाम का विवरण

क्र. सं.	नाम एवं मण्डल	वर्ष वृक्षारोपण	कुल करवाये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की संख्या	करवाये गये वृक्षारोपणों में से वृक्षा.स्थलों की सं.जिनमें मू. किया गया	मूल्यांकन किये गये वृक्षारोपण स्थलों में पाया गया जीवित पौधो के प्रतिशत के अनुसार श्रेणीवार वृक्षारोपणों की संख्या 80% से अधिक के	70से80% मध्य के	60से70% के मध्य के	40से60% के मध्य के	40%से कम के
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अलवर	1993	31		3	3	1	1	1
2.	सीकर	1993	67	27	9	7	5	6	0
3.	चित्तोड़गढ़	1993 एवं 1994	100	26	9	6	6	5	0
4.	बांसवाड़ा	1993 एवं 1994	93	31	20	8	3	0	0
5.	नागौर	1993 एवं 1994	73	17	11	4	0	2	0
6.	प्रतापगढ़	1993, 1994 एवं 1995	110	39	24	13	0	2	0
7.	उदयपुर (मध्य)	1993, 1994 एवं 1995	151	59	36	14	5	4	0
8.	जयपुर (मध्य)	1993, 1994 एवं 1995	162	58	29	16	9	4	0
9.	सिरोही	1993, 1994 एवं 1995	71	20	15	3	2	0	0
10.	उदयपुर (दक्षिण)	1993, 1994, 1995 एवं 1996	87	37	22	11	4	0	0
11.	जयपुर (पूर्व)	1993, 1994, 1995 एवं 1996	109	45	15	12	12	5	1
12.	उदयपुर (उत्तर)	1993, 1994, 1995 एवं 1996	248	92	43	39	6	3	1
13.	राजसमन्द	1996	6	4	2	1	1	0	0
		योग	1210	464	238	137	54	32	3

अरावली वृक्षारोपण अन्तर्गत करवाये गये वृक्षारोपणों में से भौतिक सत्यापन में जिन कार्य स्थलों पर लगाये जाने वाले पौधे तथा मौके पर लगे पौधों में अन्तर पाया गया उनकी सूची

क्र.स.	नाम जिला	कार्य स्थल का नाम	वृक्षारोपण वर्ष
1	2	3	4
1.	अलवर	सौदानपुरा	1993
2.	-''-	नांगल-ए	1994
3.	-''-	नांगल-बी	1993
4.	-''-	राजपुरा	1998
5.	-''-	नीमला	1998
6.	जयपुर	टौरड़ा	1996
7.	उदयपुर	कावरली	1993
8.	-''-	डोडावली	1996
9.	नागौर	हरिजोन-III	1996
10.	-''-	मेहान	1996
11.	सीकर	चिकलोटा	1994
12.	-''-	सूखनदी	1994
13	बांसवाड़ा	गराडखेड़ा	1994
14.	-''-	झुमकी	1994
15.	चित्तौड़गढ़	बहेडा दोह-II	1994
16.	-''-	साठौला	1994

जिला भीलवाड़ा के अकाल राहत कार्य

133. **डा. रतनलाल जाट**(सहाड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अकाल से प्रभावित किन–किन जिलों से लोगों ने रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करना शुरू कर दिया है ?

(2) अकाल से प्रभावित जिला भीलवाड़ा में वर्तमान में राहत कार्यों पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं तथा आने वाले दिनों में इस जिले में कितने और श्रमिक बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) अकाल प्रभावित जिलों में रोजगार की तलाश में किसी के भी पलायन करने सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं है ।

(2) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में 52300 श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिक सीमा बढ़ाये जाने संबंधी मामला विचाराधीन है।

परिशिष्ट-२

(अतारांकित प्रश्न संख्या—135 की प्रति)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक : प.(ग) का/एसएमइ/डीएलबी/97/1091   दिनांक : 9.4.1997

आयुक्त(कार्मिक)
नगर निगम,
जयपुर।

विषय : नगर निगम जयपुर में नवीन नियुक्तियों हेतु एन.ओ.सी. दिये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि नगर निगम जयपुर में निम्न पदों की पूर्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है :–

1. कनिष्ठ लिपिक 15(पन्द्रह)

2. स्टेनो टाइपिस्ट 06(छः)

उक्त पदों पर भर्ती जिला सेवा चयन आयेग के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों को अपनाते हुए नियमानुसार भर्ती की जावे ।

आज्ञा से

अवर शासन सचिव

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या–138 का विवरण)

कार्यालय नगर परिषद् ब्यावर

भवन निर्माण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण

समयावधि	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	अवैध निर्माण धारा 170 के अन्तर्गत	L.A. की राय हेतु	दस्तावेजों के अभाव में प्रिंटिंग	D.L.B. को भेजें	–
दि.1.1.95 से 31.3.95 तक	84	70	02	07	01	04	–	–
दि.1.4.95 से 31.3.96 तक	371	317	21	33	–	–	–	–
दि.1.4.96 से 31.3.97 तक	344	244	21	77	–	02	–	–
दि.1.4.97 से 31.3.98 तक	428	333	02	48	–	–	–	45
दि.1.4.98 से 31.12.98 तक	290	199	02	41	–	–	04	44
योग	1577	1163	48	206	01	06	04	89

आयुक्त

नगर परिषद,
ब्यावर

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या—147 की प्रति)

राजस्थान सरकार

राजस्व (सीलिंग) (ग्रुप—8) विभाग

क्रमांक : एफ. 5(78) राज/ग्रुप—8/95 जयपुर, दिनांक : 16 जनवरी, 1997

अधिसूचना

यह कि मैसर्स नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. कम्पनी की ग्राम— गोपालपुरा, जयपुर स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 331/366,331,343,344,345,346,347,355,355/367 एवं 355/368 कुल 36.41 एकड़ भूमि पर बिड़ला सेन्टर फार मेडिकल रिसर्च को अस्पताल की सहायक सेवाओं के लिए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 22(2) के तहत निम्न शर्तों के अधीन कृषि सीलिंग के अन्तर्गत छूट प्रदान किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :—

(1) भूमि का उपयोग केवल अस्पताल प्रयोजनार्थ ही किया जावेगा।

(2) कम्पनी द्वारा निर्माण का मानचित्र कि उक्त छूट की तिथि से 3 माह के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति के 3 वर्ष को अवधि के अन्दर कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ।

(4) कम्पनी द्वारा गठित संचालन मण्डल में राज्य सरकार के 3 प्रतिनिधि यथा—प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं निदेशक/प्राचार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (जिसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त/प्राधिकृत किया जावेगा) होंगे।

(5) कम्पनी द्वारा बहिरंग विभाग (ओ. पी. डी.) में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 20 प्रतिशत मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी तथा अन्तरिंग विभाग (भर्ती का इंडोर) में 10 प्रतिशत दवाइयां रियायती दरों पर इस वर्ग के मरीजों के लिए आरक्षित/उपलब्ध रहेगी, जिलों सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे— आपरेशन शुल्क/विभिन्न परीक्षण शुल्क भी सम्मिलित होंगे।

(6) अपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर कृषि सीलिंग में प्रदत्त छूट तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी ।

आज्ञा से

(आई. सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख शासन सचिव राजस्व

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–158 की सूची)
वर्ष 1998 में पाली जिले में चयनित परिवारों की पंचायत समितिवाइज सूची

क्रं.सं.	नाम पंचायत समिति	चयनित परिवारों की संख्या पंचायत सं./नगर परिषद/पालिका	चयनित परिवारों की संख्या
1.	पाली	1. नगर परिषद, पाली	1181
		2. पंचायत समिति, पाली	5142
2.	रोहट	1. पंचायत समिति,रोहट	5356
3.	सुमेरपुर	1. पंचायत समिति,सुमेरपुर	5460
		2. नगरपालिका, सुमेरपुर	192
		3. नगर पालिका,तखतगढ़	338
4.	बाली	1. पंचायत समिति, बाली	9781
		2. पंचायत समिति, बाली	347
		3. नगरपालिका, फालना	548
5.	रानी	1. पंचायत समिति, रानी	2543
		2. नगरपालिका, रानी	369
6.	देसूरी	1. पंचायत समिति, देसूरी	2557
		2. नगरपालिका, सादड़ी	486
7.	मारवाड़ जंक्शन	1. पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन	7195
8.	सोजत	1. पंचायत समिति, सोजत	6483
		2. नगरपालिका, सोजत	412
9.	रायपुर	1. पंचायत समिति, रायपुर	9127
10.	जैतारण	1. पंचायत समिति, जैतारण	9582
		2. नगरपालिका, जैतारण	361
		कुल योग	67,460

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-161 का विवरण)

तहसील डेगाना में सामान्य श्रेणी के बकाया कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्रं. सं.	वर्ष	बकाया कृषि कनेक्शनों की संख्या
1.	1986—87	20
2.	1987—88	158
3.	1988—89	276
4.	1989—90	219
5.	1990—91	47
6.	1991—92	115
7.	1992—93	138
8.	1993—94	217
9.	1994—95	124
10.	1995—96	18
11.	1996—97	11
12.	1997—98	6
13.	1998—99	52
	योग :	1401

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–166 का विवरण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता(ग्रामीण)रा.रा.वि., मण्डल जयपुर

क्रमांक/रा.रा.वि.म./अअ/ग्रामीण/जय/कार्य/फा.सिरा/ग्रे. 3811 दि. 26.3.99

श्रीमान् कलक्टर महोदय,

जिलाधीश कार्यालय

जयपुर।

विषय : सरपंच, ग्राम पंचायत नेवर के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में

सन्दर्भ : राजस्थान विधान सभा प्रश्न संख्या 1045 द्वारा श्री अमराराम सदस्य विधान सभा एवं ग्रामवासी खीवांस तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय सहायक अभिन्यता (ओएण्डएम) रा.रा.विम, जमवारामगढ़ में श्री केदार नारायण शर्मा पुत्र श्री हरसहाय ग्राम खीवांस ने एस. आई. पी. (लघु उद्योग) के 7.5. एच.पी. विद्युत कनेक्शन हेतु एक आवेदन पत्रावली दिनांक 19.8.87 को आवेदित की थी, जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत नेवर का एक प्रमाण पत्र (प्रति सलंग्न) की। फेलीराम द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत किया गया था । इस आधार पर विद्युत कनेक्शन जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में एक विधान सभा प्रश्न प्राप्त हुआ है। जिसमें उक्त जारी प्रामण पत्र के फर्जी होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई है।

उक्त प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता (ओएण्डएम)राराविम, जमवारामगढ़ को ग्रामवासी खीवांस का प्रार्थना पत्र शिकायती पत्र (प्रति संलग्न) प्राप्त हुआ है। जिसमें उक्त कनेक्शन को फर्जी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी होना बताया है, श्री फेजीराम कभी भी सरपंच के पद पर नहीं रहा। इसके साथ ही एक शपथ पत्र की फोटो प्रति भी लगी हुई है (प्रति सलंग्न), जिसमें श्री घासी राम मीणा पुत्र श्री भैरूराम मीणा ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ़ ने हस्ताक्षर कर लिखा है कि यह सरंपच ग्राम पंचायत के पद पर था ।

अतः दिनांक 19.8.87 से दिनांक 15.10.87 तक (आवेदन से कनेक्शन जारी होने तक) ग्राम पंचायत नेवर में सरपंच कौन था, एवं जारी किया गया प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच की कार्यवाही अपने स्तर पर करवाने की व्यवस्था करें एवं इसकी कार्यवाही से भी अवगत कराने का श्रम करें ताकि मामले में पूर्ण सही जवाब विधान सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

जी.डी. फलोर

अधिशासी अभि. (ग्रामीण)

श्रीमान् सहायक अभियन्ता,

रा.रा.वि. मण्डल, जमवारामगढ़,

जिला जयपुर।

विषय : अधिकारियों द्वारा गलत जवाब देने एवं जाली दस्तावेजों के क्रम में

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केदार पुत्र श्री बद्री ने ग्राम खेमावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की गैर मुमकिन तला खसरा नं. 71, में अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें बिजली का कनेक्शन विद्युत मण्डल द्वारा घोर अनियमितता एवं मिलीभगत एवं अपने निजी स्वार्थो की पूर्ति कर अवैध रूप से कनेक्शन जारी किया गया है। जिसमें सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नेवर के श्री फेलीराम द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर विद्युत कनेक्शन होना बताया गया है।

महोदय, उपरोक्त सरपंच श्री फेलीराम मीणा आज से पहले कभी भी ग्राम पंचायत नेवर के सरपंच के पद पर नहीं रहे व ना ही इनको कभी निर्वाचित किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सहायक अभियन्ता, जमवारामगढ़ ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी गे.मु. तलाई जलोध भूमि में कनेक्शन जारी करके, घोर अनियमितता बरती है तथा ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत एवं राज्य सरकार के साथ जाल साजी की है। जिसके संबंध में तत्कालीन सरपंच ग्राम प. नेवर, प. समिति जमवारामगढ़ का शपथ पत्र संलग्न है। जाली प्रमाण पत्र में खसरा नं. 71 का या अन्य किसी भी खसरा नं. का उल्लेख नहीं है। केवल भूमि का स्वामी केदार का होना बकाया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त अवैध कनेक्शन को अविलम्ब कटवा कर दोषी व्यक्ति एवं अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाकर, समस्त

ग्रामवासियों के हितों की रक्षा की जायें ।

धन्यवाद।

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् अधीशासी अभियन्ता,
   राज.रा.वि.मण्डल ।

2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता,
   राज.रा.वि.मण्डल ।

3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता,
   राज.रा.वि.मण्डल ।

4. माननीय ऊर्जा मंत्री,
   राजस्थान सरकार जयपुर ।

5. श्रीमान् क्षेत्रीय विधायक,
   जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

हस्ताक्षर समस्त ग्रामवासी,

– ग्राम खेमावास ।

(सींवास) तह.जमवारामगढ़ जिला जयपुर ।

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-167 की सूची/विवरण)

परिशिष्ट—अ

तहसील फलौदी में घोषित राजस्व गांव जिनका विद्युतीकरण शेष है

क्र.स.	गांव का नाम	कोड नं.
1.	खिदरत	14—1—21
2.	मण्डौर डारों का बास	14—1—30
3.	कलरावों का बेरा	14—1—25
4.	सारणपुरा	14—1—29
5.	श्रीरामपुरा	14—1—26
6.	श्रीसूरपुरा	14—1—28
7.	सोढादडा	14—1—23
8.	घटोर	14—1—37
9.	अजेरी	14—1—5
10.	भडला चुडावतों की बस्ती	14—1—6
11.	नेवा	14—1—7
12.	रोला	14—1—1
13.	जाम्बा की ढाणी	14—1—59
14.	बापीणी	104
15.	जुनेजों की ढाणी	105
16.	चैनपुरा	109
17.	खारिया	125
18.	कृष्ण नगर	130
19.	बरसिंगों का बास	134
20.	इन्दों का बास	135
21.	नया वेश	138
22.	हंसा वेश	139
23.	जम्बेनगर	141
24.	शिवपुरी	143
25.	चन्द नगर	144
26.	मल राज	145
27.	डाबर	146
28.	बिष्णुनगर	147
29.	मगरा	149
30.	पश्चिमी ढाणी	151
31.	रूपाणा जैतारण	152
32.	डेरियों की ढाणी	154
33.	झरडे जी की माखरी	156
34.	उदाणियों की ढाणी	161
35.	मटोल नक	162
36.	चीकणी बाड़ी	171
37.	मेयों की ढाणी	170

सहायक अभियन्ता कार्यालय फलौदी व बाप में घरेलू कनेक्शन प्राप्त आवेदन, दिये गये कनेक्शन व अस्वीकृत(निरस्त) किये गये आवेदन पत्रों का वर्षवार विवरण

	सहायक अभियन्ता फलौदी कार्यालय			सहायक अभियन्ता बाप कार्यालय		
वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	निरस्त किये गये आवेदनों की संख्या	प्राप्त आवेदन पत्र	दिये गये कनेक्शनों की संख्या	निरस्त किये गये आवेदनों की संख्या
90-91	815	326	223	564	220	182
91-92	910	548	104	577	592	183
92-93	1105	680	500	910	248	119
93-94	1018	843	180	512	118	41
94-95	1120	747	115	380	155	73
95-96	1196	476	98	149	185	317
96-97	1349	710	505	913	187	153
97-98	1186	840	353	277	326	87
98-99 (1.4.98 से 31.12.98 तक)	1139	538	468	374	236	714
योग :	10038	5708	2546	4656	2267	1869

वर्षवार सामान्य श्रेणी में लम्बित कनेक्शनों के आवदेन पत्रों का विवरण

वर्ष	कृषि कनेक्शनों हेतु लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	
	फलौदी	बाप
1988-89	1	-
1989-90	-	-
1990-91	1	-
1991-92	34	-
1992-93	236	65
1993-94	608	163
1994-95	142	55
1995-96	45	21
1996-97	25	11
1997-98	18	85
1998-99	-	67
कुल	1110	467

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या—169 का विवरण)

विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दी गई सहायता राशि एवं पैंडिंग प्रार्थना पत्रों की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत राशि	लाभान्वित	पैंडिंग प्रार्थना पत्र
1—	चूरू	2,25,000	45	—
2—	जोधपुर	2,10,000	42	20
3.	दौसा	0,75,000	15	8
4.	जयपुर	1,75,000	35	—
5.	धौलपुर	1,75,000	15	—
6.	कोटा	1,25,000	25	60
7.	झुन्झुनूं	1,00,000	20	16
8.	टोंक	55,000	11	7
9.	जैसलमेर	1,00,000	20	28
10.	नागौर	1,00,000	20	39
11.	हनुमानगढ़	0,75,000	15	9
12.	जालौर	0,75,000	15	—
13.	डूंगरपुर	0,75,000	15	23
14.	बाड़मेर	0,50,000	10	—
15.	चित्तौड़गढ़	0,75,000	15	4
16.	उदयपुर	2,00,000	40	10
17.	अजमेर	1,70,000	34	14
18.	गंगानगर	1,50,000	35	10
19.	सवाईमाधोपुर	0,75,000	15	20
20.	सीकर	0,35,000	7	46
21.	भीलवाड़ा	0,75,000	15	17
22.	भरतपुर	1,00,000	20	7
23.	करौली	1,75,000	35	28
24.	पाली	0,70,000	14	5
25.	बांसवाड़ा	0,75,000	15	40
26.	बूंदी	0,35,000	7	—
27.	सिरोही	0,95,000	19	18
28.	बीकानेर	1,05,000	21	40
29.	अलवर	1,00,000	20	13
30.	बारां	1,20,000	24	16
31.	राजसमन्द	0,75,000	15	5
32.	झालावाड़	0,75,000	15	75
	योग :	33,20,000	664	572

क्र.सं.	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या	जोड़ों की संख्या	राशि (लाखों में)
1.	अजमेर	1	–	–	–
2.	अलवर	1	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–	–
4.	बारां	4	1	28	0.28
5.	बाड़मेर	–	–	–	–
6.	भीलवाड़ा	3	–	–	–
7.	बून्दी	3	–	–	–
8.	चित्तौड़गढ़	2	2	64	0.64
9.	चूरू	–	–	–	–
10.	दौसा	1	1	50	0.50
11.	धौलपुर	3	3	123	1.23
12.	डूंगरपुर	–	–	–	–
13.	जयपुर	1	–	–	–
14.	जैसलमेर	–	–	–	–
15.	जालौर	–	–	–	–
16.	झालावाड़	7	5	183	1.83
17.	झुन्झुनूं	–	–	–	–
18.	जोधपुर	1	1	32	0.32
19.	कोटा	7	2	100	1.00
20.	नागौर	–	–	–	–
21.	पाली	–	–	–	–
22.	राजसमन्द	–	–	–	–
23.	सवाईमाधोपुर	5	5	205	2.05
24.	सीकर	–	–	–	–
25.	सिरोही	–	–	–	–
26.	श्रीगंगानगर	1	1	25	0.25
27.	टोंक	1	1	36	0.36
28.	उदयपुर	2	3	98	0.98
29.	हनुमानगढ़	–	–	–	–
30.	भरतपुर	–	–	–	–
31.	बीकानेर	–	–	–	–
	योग :	43	25	944	9.44

परिशिष्ट--10

(अतारांकित प्रश्न संख्या--171 का विवरण)

जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर गत तीन वर्षो में किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	गत तीन वर्षो में किया गया व्यय(राशि रुपयों में) 1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	परिवीक्षा	1,17,600	2,19,300	2,43,900
2.	निदेशन एवं प्रशासन	3,40,000	3,47,100	4,98,200
3.	छात्रावास संसाधरण			
	1.अनु. जाति छात्रावास	15,47,100	15,31,000	19,64,300
	2.स्वच्छकार छोत्रावास	2,57,200	1,73,200	2,69,900
	3.अनु.जनजाति छात्रावास	7,53,000	8,86,800	10,22,300
4.	अन्य पिछड़ी जाति छात्रावास	5,99,300	6,05,800	6,67,400
4.	छात्रावासों के लिए अनावर्तक सामान	74,800	92,600	1,14,500
5.	खेल सामग्री हेतु व्यय			
	1. अनु. जाति	2,835	2,000	--
	2. अनु. जनजाति	2000	1,000	--
6.	समाज कल्याण सप्ताह	700	500	4,200
7.	वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन	78,00,000	--	80,00,000
8.	अशक्त पेंशन	10,55,000	--	11,52,000
9.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	14,50,500	--	15,95,000
10,	अनुदानित छात्रावास	1,26,800	1,30,00	1,11,600
11.	अशक्त छात्रवृति	5,53,900	3,50,150	2,51,100
12.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति(अनु.जाति)	1,27,400	1,19,900	1,23,900
	(अनु. जनजाति)	4,310	9,700	7,600

1	2	3	4	5
13.	संयुक्त सहायता अनुदान	1,49,900	47,600	–
14.	पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	52,300	51,800	–
15.	अशक्तों का चिन्हीकरण	4,400	—	–
16.	प्रचार प्रसार	—	–	–
17.	परिवीक्षा दिवस	1,000	–	–
18.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा	20,000	20,000	–
19.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति(सीएसएस)			
	(अनु. जाति)	1,49,400	—	–
	(अनु. जनजाति)	22,000	—	5,000
20.	विधवाओं की पुत्रियों हेतु सहायता	—	24,000	70,000
21.	स्वच्छकार छात्रवृति	—	41,300	—
22.	विशेष ट्यूशन/कोचिंग	—	1,800	—